बृहस्पतिवार,
१७ सितम्बर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १७ सितम्बर, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

उपाध्यक्ष महोदय : आज ८०० से अधिक व्यक्तियों ने दर्शक गैलरी तथा ८० ने अध्यक्ष की गैलरी के लिये प्रवेशपत्रों की प्रार्थना की है । परन्तु स्थान केवल क्रमश: २५० तथा ३५ व्यक्तियों के लिये ही हैं । अतएव मैं बाद दोपहर के सत्र—यदि हुआ तो—के लिये उन में से कुछ को प्रवेशपत्रों के लिये जाने की अनुमति दे रहा हूं ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

छोटे छोटे उद्योग

*१३४७. **श्रीमती जयश्री :** **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसे छोटे छोटे उद्योगों की कोई सूची तैयार की गई है जिन्हे केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में छोटे ऋणों को देकर व्यवसायिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के अभिप्राय से पंच-वर्षीय योजना में उल्लिखित उपायों के अनुसार ५०० रुपये से ५,००० रुपये तक की विभिन्न राशियों से आरम्भ किया जा सकता है ?

(ख) यदि ऐसा है तो इस योजना के ब्योरे क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). यद्यपि कोई निश्चित सूची तैयार नहीं की गई है, तो भी भाग (ग) तथा (घ) राज्यों के सम्बन्ध में उन्हे केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलती है । यह सहायता उद्योगों को राजकीय सहायता (केन्द्र प्रशासित क्षेत्र) आदर्श नियम, १९४९ के अन्तर्गत की जाती ह जो छोटे स्तर के उपक्रमियों को व्यवसायिक सुविधाओं को देने के सम्बन्ध में हैं । प्रत्येक राज्य उन उद्योगों को चुन लेता है जो स्थानीय अवस्थाओं में उपयुक्त हों ।

नियमों की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४३]

श्रीमती ए० काले : छोटे छोटे उद्योगों तथा ग्राम उद्योगों में क्या अन्तर ह ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सिवाय इस बात के ग्राम उद्योगों का रूप घानी आदि जैसा समझा जा सकता है। किसी निश्चित अन्तर का बताना कठिन है या इतनी बात और कही जा सकती है कि छोटे उद्योगों में ५ या ६ से अधिक व्यक्ति काम करते हैं ।

सेठ गोविन्द दास : इन छोटे उद्योगों को अभी तक कितना ऋण या अनुदान दिया जा चुका है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह मामला भाग (ग) तथा (घ) राज्यों से सम्बन्ध रखता है । चालू आय-व्ययक में ३ लाख रुपये

की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष यह राशि २ लांख रुपये थी तथा पारसाल १ १/२ लाख और उससे पहले वर्ष भी यह १ १/२ लांख रुपये थी ।

सेठ गोविन्द दास : क्या समस्त राशि दी जा चुकी है या केवल उसके कुछ भाग को ही दिया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हमें राज्य सरकारों की सिपारिशों पर निर्भर करना पड़ता है । प्रविधिक रूप से राज्य का उप-राज्य पाल या मुख्य आयुक्त सिफारिशें करता है । अभी तक हमारे पास केवल चार सि-पारिशें ही पहुंची हैं । मैं ठीक ठीक रूप से नहीं बतला सकता कि इन सिपारिशों में कितनी राशि चाहिये ।

श्रीमती ए० काले : मैं जान सकती हूं कि छोटे छोटे उद्योगों में अधिकतम राशि की सीमा कितनी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे लिये इसका बतलाना कुछ कठिन है। यह ५०,००० रुपये तक भी हो सकती है या इससे भी अधिक इस पर यह वास्तव में प्रश्न है कि कोई उद्योग विशेष किस प्रकार का है। यह अन्तर आवश्यक रूप से छोटे तथा बड़े उद्योगों के बीच का ही नहीं। इसकी परिभाषा का करना बहुत कठिन है । मैं समझता हूं कि प्रत्येक उद्योग के बारे में यह देखना होता है कि यह किस प्रकार का उद्योग है तथा इसमें कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या सरकार को विदित है कि उद्योगों के न होने से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी की पहाड़ी आदिम जातियों की हालत खराब होती जा रही है । यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने उनके लिये कुटीर उद्योगों की कोई योजना तैयार की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ठीक ठीक कहते हुए , यह एजेंसी भाग (ग) तथा भाग (घ) राज्यों में शामिल नहीं है । उनकी स्थिति बिल्कुल और है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह प्रत्यक्ष रूप से केन्द्र प्रशासित है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ठीक यही बतला रहा हूं । यह प्रत्यक्ष एक केन्द्र प्रशासित क्षेत्र है तथा इसका कुछ भाग गृह-कार्य मंत्रालय तथा कुछ वैदेशिक कार्य मंत्रालय के आधीन हैं । मुझे खेद है कि मैं प्रश्न का दो टोक उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री एन० सोमाना : किन किन राज्यों ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरी सूचना है कि चार राज्यों न अपनी सिपारिशें भेजी हैं । मेरे पास ब्योरे तो नहीं हैं ।

श्री एन० सोमाना : वे राज्य कौन कौन से हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास ब्योरे नहीं हैं ।

श्री ए० एम० टामस : क्या अत्यन्त बेकारी को विचार में रखते हुए मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस योजना का विस्तार दूसरे क्षेत्रों तक भी करना चाहती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्री-मान्, प्रश्न निश्चित रूप से भाग 'ग' तथा भाग 'घ' राज्यों के सम्बन्ध में है जो विशेषता केन्द्रीय सरकार का उत्तर दायित्व है । जहां तक भाग (क), (ख) तथा भाग (ग) राज्यों का सम्बन्ध है, उनके बारे में एक बिल्कुल पृथक आधार पर निर्णय करना होगा ।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि क्या बड़े तथा छोटे उद्योगों के क्रिया शीलता के क्षेत्रों की निश्चित रूप से कोई बांट की गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, इस प्रश्न का चर्चाधीन विषय से सम्बन्ध नहीं है। इसे एक पृथक विषय माना जायगा।

श्रीमती जयश्री : मैं जान सकती हूं कि क्या सहकारी संस्थाओं को ऋण दिये जायेंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में वचन वद्धता का कोई प्रश्न नहीं है। यदि भाग (ग) तथा भाग (घ) राज्यों की सरकारें इन ऋणों के दिये जाने की सिपारिश करें तो सहकारी संस्थाओं को ऋण दिये जा सकते हैं।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं जान सकती हूं कि हथ कर्घे के उद्योग भी इसमें शामिल हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, संभवतः यह एक छोटा उद्योग है। परन्तु इसके लिये हमने एक बिल्कुल पृथक योजना बना रखी है तथा छोटे उद्योगों के लिये अनुदानों में हथ कर्घे के उद्योग को शामिल नहीं किया गया है।

लेखन सामग्री तथा छपाई विभाग

*१३४९. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री उन टिप्पणियों का हवाला देकर जो कि उनके मन्त्रालय ने छपाई तथा लेखन सामग्री विभाग के सम्बन्धमें प्रो० शर्मा के उस प्रश्न के सम्बन्ध में जो उन्होंने छपाई में सुधार करने के सम्बन्ध में पूछा था, १ अप्रैल १९५३ को की थी ; (इस मंत्रालय के लेखन सामग्री तथा छपाई विभाग के पूरक विवरण संख्या एक की अनुबन्ध संख्या ७ जिसमें भारतीय लोक सभा के तृतीय सत्र १९५३ में आश्वासन आदि सम्बन्धी कार्यवाही, मंत्रालय के अनुदानों की मांग के सम्बन्ध में संसद सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों के विवरण के पृष्ठ ४ के अनुसार) बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवधिक परामर्शदाता के इस विषय संबन्धी विचार मालूम किये जा सके हैं ?

(ख) यदि हां तो वे क्या हैं ?

(ग) क्या इस विषय के सम्बन्ध म की गई जांच के परिणाम स्वरूप जिसकी रूप रेखा ऊपर दी गई है, कार्य की गति में कुछ सुधार करने के सम्बन्ध में क्या कोई संभावना है ?

(घ) क्या कार्यनिष्पत्ति का स्तर ऊंचा उठाने के सम्बन्ध में कोई पग उठाये गये हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रवधिक परामर्शदाता की टिप्पणी की प्रति लिपि सदन पटल पर प्रस्तुत है। **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४४]**

(ग) तथा (घ) जी हां।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं जैसा कि बयान में दिया गया है कि वर्कमैनशिप, मैटीरियल और डिजाइन की वजह से हमारे प्रेस में काम सफाई का नहीं हो रहा है जैसा कि होना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि यही काम प्राइवेट सैक्टर में ज्यादा अच्छी तरह से होता है और गवर्नमेंट प्रेस में इस तरह से नहीं होता है। क्या इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट कोई प्रबन्ध कर रही है कि उसका काम उसी तरह से अच्छा होने लगे जैसा कि प्राइवेट सैक्टर में हो रहा है?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस प्रश्न में व्यक्त धारणा ठीक नहीं है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : बयान में यह दिया गया है कि हमारे यहां के कारीगर उतने होशियार नहीं हैं जितने कि विलायत के हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सोच रही है कि उनको उसी मुकाबले का काम सिखाने के लिये यहां से कुछ लोग बाहर भेजे जायेंगे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : कार्यगत करने के लिये यह एक सुझाव है। विवरण में, जिसकी एक प्रतिलिपि सदन पटल पर प्रस्तुत है उन आवश्यक कार्यवाहियों का वर्णन है जो, इस सम्बन्ध में की जायेंगी। और मैंने उत्तर में कह दिया है कि ये सभी बातें सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : यह बात कितने दिनों तक होने की आशा की जा सकती है ?

श्रीमती ए० काले : क्या मैं जान सकती हूं कि सरकारी विभाग तथा निजी प्रेस विभाग में छापी जाने वाली लेखन सामग्री का तुलनात्मक मूल्य क्या है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह तो बहुत ही साधारण प्रश्न है। जब तक कोई विशेष वस्तु का नाम मुझे नहीं बताया जाता तब तक तुलनात्मक आंकड़े देने में मैं असमर्थ हूं।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रवधिक परामर्शदाता के बताये हुए सभी विचारों को मानने के लिये क्या सरकार तय्यार है, और क्या वे कार्यान्वित किये जायेंगे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यही वह ठीक विषय है जो आजकल विचाराधीन है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि न तो वह लेखन सामग्री जो हमें यहां मिलती है और न प्रकाशित वाद विवाद की विशेषता एवं उसके समय के मामले में कोई उन्नति हुई है ; क्या माननीय मंत्री इन सभी बातों को देखेंगे तथा इनके सुधार करने के लिये कोई प्रयत्न करेंगे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं उसे देखने के लिये तैयार हूं। मैं अब तक देखता रहा हूं और यही कारण है कि यह मामला प्रवधिक परामर्श दाता को भेजा गया है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस मामले पर विचार करने में माननीय मंत्री को कितना और समय लगेगा जब कि काफी दिनों से यह मामला लम्बित है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : ढाई वर्ष से।

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं तो नहीं समझता कि मैं कोई समय अवधि भी दे सकता हूं। मैं अपना पूरा पूरा प्रयत्न कर रहा हूं तथा इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की जा चुकी है।

नई कोयला खदानों का खोलना

*१३५०. **डा० एस० एम० दास :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि कोयला मंडल ने झरिया तथा रानीगंज में नई कोयले की खदान खोलने पर अभी हाल ही में प्रतिबन्ध लगा दिया है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि उपरोक्त निर्णय करने का मुख्य कारण खदानों से कोयला ले जाने के लिये यातायात की कठिनाई है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) तथा (ख). नई कोयला खदान खोदने की आज्ञा देने और न देने के अधिकार कोयला आयुक्त के हाथ में है न कि कोयला मंडल के हाथ में। रानीगंज तथा झरिया में उत्पादन का उच्च स्तर, उसकी विभिन्नता, तथा यातायात की उपलब्धता, को दृष्टि में रखते हुए कोयला आयुक्त ने निश्चय किया है कि नई खदान खोलने

के लिये प्रार्थना पत्र लेना आजकल कुछ समय के लिये बंद कर दिया जाय । विचार यह था कि वर्तमान उत्पादक इकाइयों में और इकाई न जोड़ी जाय ताकि इस क्षेत्र को अधिक उत्पादन का ग्रास बनना न पड़े। कोकिंग कोयले के मामले में सीमित करने की नीति के अधीन उन मामलों पर उनके गुणों के अनुसार विचार किया जाता है, जहां पर कि पर्याप्त औचित्य विद्यमान होता है ।

डा० एम० एम० दास : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि कोयला का उत्पादन काफी ऊंचा हो गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमारा वर्तमान कोयला उत्पादन योजना आयोग द्वारा निश्चित सीमा तक पहुंच चुका है ?

श्री आर० जी० दुबे : जी हां । यह योजना आयोग द्वारा निश्चित सीमा के लगभग है ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि नई कोयला खदानों को खोलने की आज्ञा देने के सम्बन्ध में सरकार की नीति यह है कि नई खदान खोलने की आज्ञा तभी दी जायगी जब कि उस क्षेत्र में जहां कि वह खदान स्थित है यातायात सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध हैं ।

श्री आर० जी० दुबे : स्थिति बिल्कुल ऐसी तो नहीं है । ऐसी विचारधारा निर्मूल बना ली है कि नई खदानों को खोलने के बारे में एकदम प्रतिबन्ध लगा दिया है । जहां कहीं भी कोई समिति है वहां कोयला आयुक्त का पथ प्रदर्शन इस समिति के परामर्श पर होता है । यातायात के अतिरिक्त अन्य बातों पर भी विचार, जैसे साइडिंग सुविधा पर भी किया जाता है ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि योजना आयोग के एक सदस्य झरिया तथा रानींगंज की कोयला खदानों को यातायात सम्बन्धी सुविधा देने के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार से बात चीत करने के लिये कलकत्ता गये थे ?

श्री आर० जी० दुबे : मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रश्न कल अथवा कुछ दिन पूर्व नहीं पूछा गया था ?

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि सभी खदानों में पूरी मात्रा में काम नहीं हो रहा है ? अतएव वहां कम श्रमिकों को काम मिल रहा है ?

श्री आर० जी० दुबे : नहीं श्रीमान्, वास्तव में आंकड़े इस तथ्य को सिद्ध कर देंगे क्योंकि वहां उत्पादन काफ़ी हो रहा है, और यह उच्च स्तर तक पहुंच चुका है ।

डा० एम० एम० दास : एक प्रश्न और ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने तीन प्रश्नों की आज्ञा दे दी है । अगला प्रश्न ।

भारतीय कोयले से पैट्रोल निकालना :

***१३५१. श्री सारंगधर दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ६ मार्च १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५६२ के उत्तर का हवाला देकर बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) क्या श्री विजय नन्द पाटनिक ने सन् १९४८ में भारतीय कोयले से पेट्रोल निकालने की योजना प्रस्तुत की थी ?

(ख) क्या उस समय के उद्योग तथा रसद मंत्रालय की आयोजित पेट्रोल समिति ने इस योजना की जांच की थी ? क्या कुछ फ्रांसीसी विशेषज्ञों को इस सम्बन्ध में और जानकारी करने के लिये बुलाया गया था ?

(ग) इस योजना की व्यापारिक संभावना एवं उसकी स्थिरता के सम्बन्ध में इस समिति के निर्णय क्या थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख) जी हां ।

(ग) इस योजना की प्रवधिक स्थिरता अथवा आर्थिक संभावना के सम्बन्ध में समिति ने कोई सिफारिश नहीं की थी । परन्तु उन्होंने कहा था कि कम्पनी को अपनी ज़िम्मेदारी के आधार पर इस योजना पर चलने के लिये यदि सरकार आज्ञा देती है तो सरकार के लिये यह उचित है ।

श्री सारंगधर दास: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह योजना पश्चात को उड़ीसा सरकार को प्रस्तुत की गई थी ; यदि हां तो क्या उड़ीसा सरकार ने इस योजना की सम्भव्यता तथा आर्थिक संभावना के सम्बन्ध में कोई परामर्श लिया था।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: भूत काल की बात जिसके बारे में कि माननीय सदस्य ने पूछा है, मुझे थोड़ी असुविधा है । किन्तु पिछली फाइलों को देखने से स्पष्ट होता है कि इस सम्बन्ध में उड़ीसा तथा भारत सरकार के बीच लिखा पढ़ी हुई है ; भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार को जो कुछ लिखा है वह एक विशेष समिति के विचार के आधार पर है अर्थात् जब कि वे इस बात को प्रमाणित करने के लिये तत्पर नहीं हैं कि यह योजना प्रवधिक रूप से स्थिर तथा संभाव्य है तो उनको इस बात में कि यदि कोई निजी कम्पनी इसे अपने हाथों में ले लेती है। कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री सारंगधर दास: क्या मैं जान सकता हूं कि इस परामर्श के होते हुए भी उड़ीसा सरकार ने इस योजना को चालू किया, और इस योजना की प्रारम्भिक जांच तथा इसे तैयार करने के लिये एक पक्ष को ५० हजार पाउंड रुपया भी उधार दे दिया ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं कोई निश्चित जानकारी कि ५० हजार पाउंड की धन राशि देने का हवाला इस लिखा पढ़ी में दिया गया है नहीं दे सकता । ऐसा सुझाव दिया गया था कि इस योजना के प्रवर्त्तक को इसकी जांच करने के लिये ५० हजार पाउंड की आवश्यकता होगी । मुझे निश्चित रूप से इसका कोई ज्ञान नहीं है कि यह सारा धन उड़ीसा सरकार देगी अथवा इसका कुछ अंश ।

श्री सारंग धर दास: क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार ने इसका कोई हिसाब मांगा है कि यह ५० हजार पाउंड की धन राशि किस प्रकार खर्च हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं नहीं जानता कि किस प्रकार भारत सरकार एक उस धन राशि को जिसे कि एक व्यक्ति ने नहीं दिया है, उस व्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिये कहेगी ।

श्री सारंगधर दास: क्या मैं यह समझूं कि इस प्रकार का कोई हिसाब नहीं मांगा गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: निश्चित रूप से । इस मामले में भारत सरकार का भाग एकदम सीमित है । उन्होंने न कोई रुपया ही दिया है और न वे कोई हिसाब ही मांग सकते हैं । यदि कोई व्यक्ति कोई रुपया देता है तो भारत सरकार कोई हिसाब उससे नहीं मांग सकती । यह कार्य तो उन्हीं अधिकारियों के करने का है जिन्होंने कि वह धन दिया है ।

श्री नाना दास: फ्रांसीसी विशेषज्ञों को किसने आमंत्रित किया था तथा उन पर कुल कितना खर्चा हुआ ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को कुछ असुविधा

है, जब कि जिन महानुभाव ने यह प्रश्न रखा था वह सब कुछ इसके बारे में जानते हैं, आपतो इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक निजी कम्पनी ने इस मामले को प्रारंभ किया है ; फ्रांसीसी विशेषज्ञ, या कोई भी विशेषज्ञ इस कम्पनी के निमंत्रण पर ही आये है ।

श्री जोशिन आल्वा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने विदेशी तेल कम्पनियों की सहायता भारतीय नवयुवकों को भारत में कहीं भी पाये जाने वाले पेट्रौल विषयक वस्तुओं की जांच करने के लिये ली है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह किस प्रकार इस प्रश्न में से उत्पन्न हुआ ?

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह ज्ञात हो गया है कि सभी प्रकार के कोयलों से पेट्रौल निकाला जा सकता है ; क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या मद्रास राज्य के दक्षिण आरकोट ज़िले में स्थित नावेली में प्राप्त कोयले का भी परीक्षण किया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न के पूर्वार्द्ध का उत्तर स्वीकारात्मक है । उत्तरार्द्ध के सम्बन्ध में हम निश्चित नहीं है कि नावेली के कोयले को जिसे आप बादामी कोयला कहते हैं व्यापारिक आधार पर काम में भी लाया जा सकता है । जब यह बात तथ्य हो जाती है तो दूसरी बातें भी स्वतः ही हो जाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री सारंगधर दास : एक प्रश्न और । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इसका ज्ञान है कि उस दल ने प्रारंभिक जांच करने के उपरांत कोई प्रतिवेदन सरकार को दिया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय सरकार को ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : फाइल से पता चलता है कि इस सम्बन्ध में हुई लिखा पढ़ी में प्रतिवेदन तथा परिवर्द्धित प्रतिवेदन हैं । मैं इतना ही कह सकता हूं कि इसका कोई फल नहीं हुआ ।

कर्मचारियों के लिये सरकारी निवास स्थान

*१३५२. **श्री हेडा :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या सरकार का उद्देश्य प्रत्येक सरकारी नौकर को निवास स्थान देने का है ; और

(ख) यदि ऐसा है, तो किस प्रकार और कब तक ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). हो सकता है कि सभी सरकारी नौकरों को सरकारी निवास स्थान की आवश्यकता न हो । इस बात को तथा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, सरकार यथासंभव उनमें से अधिकांश लोगों को ऐसा निवास स्थान देने का विचार करती है ।

श्री हेडा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का गृह-निर्माण का कार्यक्रम सरकारी नौकरों की बढ़ती हुई संख्या के साथ समान गति से चल रहा है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, खेद है कि ऐसा नहीं हो रहा है ।

श्री हेडा : यदि ऐसा है, तो सरकार यह आशा कैसे करती है कि कभी न कभी वह उन सभी लोगों को निवास स्थान दे सकेगी जिनको उसकी आवश्यकता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : हम योजना के काल से होकर गुज़र रहे हैं और हमारे संसाधनों का व्यय अन्यत्र होना है । इसलिये मुझे खेद है कि सरकारी नौकरों को कुछ दिनों तक और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक

कि निवास स्थान दे कर सरकार का उद्देश्य पूरा नही हो जाता ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : चूँकि हम लोग एक योजना के युग में हैं, योजना क्या है .... इस वर्ष अगले वर्ष और योजना काल के अन्त तक कितने सरकारी नौकरों को मकान दिये जायेंगे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, प्रश्न क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कोई योजना बनाई गई है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं इस प्रश्न को और स्पष्ट कर दूंगी और दिल्ली राज्य तक ही सीमित रखूंगी । आप किस योजना के अनुसार चल रहे हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : योजना काल के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, लेकिन दिल्ली के लिये चालू वर्ष का निर्माण कार्यक्रम तीन श्रेणियों के आधीन है, और मैं इन आंकड़ों का एक विवरण सदन पटल पर रख रहा हूं क्यों कि विवरण काफी लम्बा है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि गत दो वर्षों के लिये जो योजना बनाई गई थी, क्या वह पूरी हो गई है अथवा उस का पूरा होना अभी तक बाकी है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि माननीय महिला सदस्य ने सरकारी नौकरों के लिये गृह-व्यवस्था संबंधी योजना के उपबन्धों का पूरी तौर पर अध्ययन नहीं किया है । यह निर्माण योजना पंचवर्षीय योजना से स्वतंत्र है । निर्माण के लिये एक साधारण अनुदान है । योजना काल में औद्योगिक गृह-व्यवस्था के लिये उपबन्ध है, लेकिन सरकारी नौकरों के लिये नहीं ।

श्री मेघनाद साहा उपाध्यक्ष क पास गये

उपाध्यक्ष महोदय : अब से माननीय सदस्यगण मेरे पास यहां न आयें । । वे बेतुके समय पर आते हैं । जब प्रश्न चलते रहते हैं तब भी वे आते हैं, और यदि मैं मना कर दूं तो माननीय सदस्य को गलतफहमी हो जाती है । मैं कोई भी प्रश्न नहीं समझ सका हूं । मैं प्रार्थना करता हूं कि अब से कोई भी माननीय सदस्य मेरे पास न आयें । वे कृपया एक पर्ची भेज दें और इस प्रकार यहां आ कर कार्यवाही में बाधा न डालें ।

श्री बोगावत : क्या सरकार उन ७००० नौकरों के क्वार्टरों के प्रश्न पर विचार करने जा रही है जिन में १९४७ से सरकारी नौकर नहीं बल्कि कुछ अन्य लोग रहते हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, मैं पूर्ण रूप से प्रश्न का तात्पर्य नहीं समझ सका । यदि माननीय सदस्य का निर्देश नौकरों के क्वार्टरों की ओर है, तो उन में से कुछ में सरकारी नौकरों के नौकर रहते हैं, और इस बात के प्रयत्न सदैव किये जाते हैं कि ऐसे क्वार्टरों को खाली कराया जाये जिन में उक्त प्रकार के लोग नहीं रहते या जिन में अनधिकृत व्यक्ति रहते हैं । उन को अन्य लोगों को देने का प्रयत्न किया जाता है ।

सिंध (पाकिस्तान) में निष्क्रमणार्थियों की मिलें और कारखाने

*१३५३. **श्री गिडवानी :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय प्रेस में प्रकाशित प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के दिनांक २८ अगस्त १९५३ के कराची से प्राप्त उस समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, जिस में कहा गया है कि सिन्ध में विस्थापित व्यक्तियों के स्थायी पुनर्वास के लिये निधि एकत्र करने के लिये सिंध मंत्रीमण्डल ने सिंध में निष्क्रमणार्थियों की मिलों और कारखानों के, आम नीलामी के द्वारा, पुनर्वितरण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): हां। सही तथ्यों का पता लगाया जा रहा है।

श्री गिडवानी: क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार ने अचानक कुछ स्थानों पर उन निष्क्रमणार्थियों के मकानों को नीलाम करना बन्द कर दिया है, जो टूटी फूटी हालत में थे और मनुष्यों के रहने के योग्य नहीं समझे जाते थे और जिन के लिये आम नीलामी की घोषणा कर दी गई थी, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने निष्क्राम्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच निलम्बित वार्ताओं को दृष्टि में रखते हुए ऐसी किसी भी नीलामी का विरोध किया था ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह इतना लम्बा प्रश्न है कि अन्त तक आते आते हम प्रश्न भूल जाते हैं।

श्री गिडवानी: श्रीमान्, मैं एक सरल प्रश्न पूछूंगा। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कुछ समय पूर्व भारत सरकार ने टूटी फूटी हालत में निष्क्रमणार्थियों के मकानों की नीलामी की घोषणा की थी और उस नीलामी की घोषणा समाचार पत्रों में की गई थी और वह रोक दी गई है ?

श्री जे० के० भोंसले: हां श्रीमान्, यह तथ्य है।

श्री गिडवानी: क्या सरकार को ज्ञात है कि भारत और पाकिस्तान में अपनी शाखाओं सहित पाकिस्तान की सर्व श्री पखरूमल मोतीराम की प्रसिद्ध हिन्दू फर्म को, जो कुछ समय पूर्व अनिष्क्राम्य घोषित कर दी गई थी, १५ अगस्त १९५३ को निष्क्राम्य घोषित कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान के साथ निष्क्राम्य सम्पत्ति पर वार्तायें चल रही थीं ?

श्री जे० के० भोंसले: श्रीमान्, इस आशय के समाचार समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं।

श्री गिडवानी: क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार ने निष्क्राम्य सम्पत्ति अधिनियम में से इच्छुक निष्क्रमणार्थियों से संबंधित खण्ड निकाल दिया है ?

श्री जे० के० भोंसले: हां, श्रीमान्। जब संशोधक अधिनियम पारित किया गया था तो संसद को इस का ज्ञान था।

लाला अचिन्त राम: क्या भारत-पाकिस्तान करार के अनसार पाकिस्तान ऐसी सम्पत्तियों को नीलाम कर सकता है ?

श्री जे० के० भोंसले: श्रीमान्, यदि यह सही है, तो यह आपत्तिजनक है। इन से प्राप्त होने वाला धन निष्क्राम्य संग्रह में जाना है और उन का उपयोग शरणार्थियों के लाभ के लिये नहीं किया जा सकता।

लाला अचिन्त राम: क्या भारत में भारत सरकार ने ऐसी कोई सम्पत्ति नीलाम की है ?

श्री जे० के० भोंसले: मैं इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहूंगा।

अखिल भारतीय आकाशवाणी के विकास की योजनायें

*१३५४. **सरदार ए० एस० सहगल:** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अखिल भारतीय आकाशवाणी के विकास की योजनाओं को १९५६ से पूर्व समाप्त करने का विचार कर रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): हां, श्रीमान्।

सरदार ए० एस० सहगल: वे कौन कौन से कार्य हैं जिन के जरिये जनता को मालूम हो कि आल इंडिया रेडियो का प्रसार

कार्य सन् १९५६ में जरूर ही खत्म हो जायेगा ?

डा० केसकर : श्रीमान्, यह सदन पटल पर कम से कम तीन बार रखा जा चुका है । यदि मेरे माननीय मित्र कष्ट करें तो वह उस को पढ़ सकते हैं। इस के अतिरिक्त, तीन विभिन्न विस्तृत पुस्तिकायें प्रकाशित की गई हैं, और जनता में वितरित की गई हैं, जो योजना के विकास की प्रगति बताती हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : जितनी चीजें आप के पास से पबलिश हुई हैं, उन को जनता के सामने भेजने के लिये, उन तक पहुंचाने के लिये, आप ने कोई क्या ऐसा प्रबन्ध किया है ?

डा० केसकर : प्रकाशित की जाने वाली चीजें जनता में अधिक से अधिक वितरण के लिये होती हैं और एक तरीका यह है कि उन का मूल्य इतना कम रखा गया है ताकि वे जनता को उपलब्ध हो सकें ।

श्री केलप्पन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विकास में कम शक्ति के प्रसारक यंत्रों को अधिक शक्ति वाले प्रसारक यंत्रों के द्वारा प्रतिस्थापित करने का विचार है ?

डा० केसकर : हां, श्रीमान; सारे कम शक्ति वालों को नहीं, यद्यपि अन्तिम उद्देश्य वही है ।

श्री दामोदर मेनन : क्या कालीकट का कम शक्ति वाला प्रसारक-यंत्र अधिक शक्ति वाले प्रसारक यंत्र के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ?

डा० केसकर : इस पंचवर्षीय योजना में नहीं अर्थात् अगले २ १/२ वर्षों में नहीं।

काली मिर्च

*१३५५. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार विदेशों में भारतीय काली मिर्च के उपयोग का प्रचार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार करती है, ताकि भारत और अधिक डालर प्राप्त कर सके ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा बनाई गई एक मसालों की जांच समिति उन विभिन्न महत्वपूर्ण मसालों के जिस में काली मिर्च भी सम्मिलित है, उत्पादन तथा पणन के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है जिन से डालर अर्जित किये जा सकते हैं । उस समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है । भारतीय काली मिर्च के उपयोग को प्रचारित करने के लिये कार्यवाही पर उस समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

श्री ए० एम० टामस : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को हाल के महीनों में काली मिर्च के मूल्य में भारी कमी होने की सूचना है, और क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस बात को दृष्टि में रखते हुए, क्या सरकार काली मिर्च को विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के योग्य बनाने के लिये निर्यात शुल्कों को घटाने का विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : काली मिर्च के मूल्य में कुछ कमी हुई है । लेकिन माननीय सदस्य मुझ से यह आशा नहीं करते हैं कि मैं एक वास्तविक निर्णय के लिये जाने के पूर्व यह प्रकट कर दूं कि भारत सरकार की आयात-निर्यात कर संबंधी नीति किस मार्ग का अवलम्बन करेगी ।

श्री हेडा : जहां तक गुण के स्तरोन्नयन का सम्बन्ध है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है, क्योंकि यह एक ऐसी समस्या है जिस के लिये प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह अपने अपने मत का विषय है । हम यह समझते हैं कि इस विषय पर कार्यवाही करने से पूर्व यह कहीं अधिक अच्छा होगा कि हम एक विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त कर लें । स्तरोन्नयन के प्रश्न पर, सुगंधित करण के प्रश्न पर तथा इन सब मामलों पर कभी न कभी सरकार ने विचार किया है । लेकिन अब हमें एक विस्तृत प्रतिवेदन पाने का अवसर प्राप्त है और मैं समझता हूं कि मामले के पूरे तथ्यों को जानने से पूर्व, कोई कार्यवाही न करने की सरकार समझदारी करेगी ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, क्या यह तथ्य नहीं है कि भारत में कृत्रिम काली मिर्च बनाई जा रही है और उस को बाजार में एक असली वस्तु के रूप में रखा जा रहा है ? इस को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझ को यह जानकारी माननीय सदस्य से मिल रही है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह तथ्य है कि अगर भारतीय काली मिर्च की कृषि का प्रचार अधिक मात्रा में किया जाये तो उस से अधिक डालर प्राप्त होंगे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मैं उक्त समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करूंगा ।

श्री अवयुतन : उस समिति के प्रतिवेदन के प्राप्त होने की आशा हम कब करें—निकट भविष्य में अथवा किसी दूरस्थ तिथि को ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, दुर्भाग्यवश मैं उस प्रशासकीय मंत्रालय का प्रधान नहीं हूं जो भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद का भार साधक है । मुझ को इस विषय का कार्य करने वाले अपने सहयोगी से पूछना पड़ेगा ।

कुमारी एनी० मस्करीन : क्या मैं जान सकती हूं कि हाल के महीनों में बाजार भाव क्यों गिर गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह सारी दुनियां में स्पष्ट रूप से हमारी समस्या है । हम नहीं जानते कि बाजार भाव कब बढ़ते हैं और कब गिरते हैं । बाजारें नारियों के समान भावुक होती हैं ।

कुमारी ऐनी मस्करीन : श्रीमान्, काली मिर्च से नारी का क्या सम्बन्ध है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या ने प्रश्न दुहरा दिया है, अतः वह दोनों लिंगों पर लागू होता है ।

डालरों की कमाई

*१३५६. **सरदार ए० एस० सहगल :** वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि १९५२-५३ में काजू की गिरी तथा काजू के पानी से हमें कुल जितने डालर प्राप्त हुए थे, वह चाय के बदले में प्राप्त हुए डालरों से अधिक थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : इस विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सदन पटल पर रखी जाएगी ।

सरदार ए० एस० सहगल : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या काजू की गिरी और काजू के पानी से हमें चाय की अपेक्षा, बदले में अधिक डालर मिलते हैं ? क्या सरकार काजू की गिरी और काजू के पानी के विनिमय को अधिक चलाने पर विचार कर रही है ताकि अधिक डालर कमाये जा सकें ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस बुनियादी सिद्धान्त में सरकार निश्चय ही माननीय सदस्य से सहमत है । हम इन वस्तुओं के

प्रयोग को, अन्य देशों में अधिक लोकप्रिय बनाना चाहते हैं ताकि हमें विनिमय में अधिक डालर मिलें । मैं यह नहीं कह सकता कि काजू की गिरी तथा काजू के पानी के निर्यात से हमें चाय के निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा की अपेक्षा अधिक विदेशी धन प्राप्त होता है क्योंकि मेरे पास कोई भी आंकड़े नहीं हैं ।

श्री ए० एम० टामस : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि क्या काजू की गिरी तथा काजू के पानी अथवा तेल की यह मात्रा जो निर्यात की गई है यहां के स्थानीय अथवा बाहर से आयात किये गये काजू से तैयार की गई थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान, हमारे इस निर्यात व्यापार म आयात की गई काजू की गिरी का भी कुछ भाग रहा करता है।

आयात अनुज्ञप्तियों का जारी किया जाना

*१३५७. **डा० एम० एस० दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ तथा १९५३ में, आज तक, जिन नकली व्यापारियों को सरकार द्वारा आयात-अनुज्ञप्तियां जारी की जा चुकी हैं, यानी जिन्होंने अनुज्ञप्ति पदाधिकारियों के समक्ष तथ्यों का गलत प्रतिनिधित्व करके ये अनुज्ञप्तियां प्राप्त की हैं, उन की संख्या कितनी है;

(ख) क्या आयात-अनुज्ञप्तियों के लिये प्रस्तुत हुए प्रार्थियों विशेषतया नये व्यक्तियों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई पूछताछ हुआ करती है ;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की पूछताछ होती है और पूछताछ करने वाले पदाधिकारियों का पद क्या है;

(घ) इस प्रकार के कितने मामलों में सरकार अपराधियों को पकड़ सकी है, और १९५२ तथा १९५३ में किन किन को दण्डित किया गया;

(ङ) अपराधियों को किस प्रकार का दण्ड मिला; तथा

(च) नकली व्यापारियों को इस प्रकार की अनुज्ञप्तियां जारी करने पर रोकथाम लगाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क)

१९५२	३०८
१९५३ (३१ अगस्त तक)	२२४
	५३२

(ख) तथा (ग). पुराने स्थापित आयातकों को उन दस्तावेजों के आधार पर जिन में उन के पहले के आयात प्रमाणित किये गये होते हैं अनुज्ञप्तियां जारी की जाती हैं; और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की विकास शाखा अथवा राज्यों के उद्योग-निदेशकों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्रों जिन में प्रार्थियों की वास्तविक आवश्यकताओं को प्रमाणित किया गया होता है के आधार पर वास्तविक प्रयोक्ताओं को अनुज्ञप्तियां जारी की जाती हैं; तथा अधिकृत पंजीकृत लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकृत विशेष वस्तु के व्यापार में उनकी प्राप्ति के आधार पर ही नये प्रार्थियों को अनुज्ञप्तियां जारी की जाती हैं । जहां प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की यथार्थता में किसी भी प्रकार का सन्देह हो वहां आगम-शुल्क के कलैक्टरों, उद्योगों के निदेशकों अथवा सम्बद्ध लेखापालों की सहायता से आवश्यक पूछताछ एवं जांच की जाती है ।

(घ)

१९५२	२२९
१९५३ (३१ अगस्त तक)	१२५
	३५४

(ङ) जिस प्रकार का अपराध किया गया हो, उसी तरह का दण्ड दिया जाता है। जो दण्ड दिये गये हैं, वह नीचे दिये जाते हैं :—

	१९५२	१९५३
१. काली सूची में रखे गये	१६६	७६
२. मुअत्तिल किये गये	६२	४९
३. जिन पर अभियोग चलाया गया	१	—
	२२९	१२५

(च) जहां अनुज्ञप्ति जारी करने के बाद ही अपराध पकड़ा गया, वहां वह अनुज्ञप्ति रद्द करने, और अथवा आगे के लिये अनुज्ञप्ति (यां) बन्द करने की कार्यवाही की जाती है। जहां ठीक अपराध का सही पता चले, वहां उन सार्थों को काली सूची में रखा जाता है या उन पर अभियोग चलाया जाता है।

डा० एम० एम० दास: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इन में से कितने मामलों में सरकारी पदाधिकारियों को अपराधी पाया गया है और दण्डित किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इन दो श्रेणियों के अन्तर्गत मामलों की कुल संख्या बहुत बड़ी है और मुझे इस में सन्देह हो रहा है कि मैं इसी समय आप को यह जानकारी नहीं दे सकता।

डा० एम० एम० दास: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि किस खण्ड या किन कार्यालयों में इस प्रकार की घटनायें सब से अधिक हुईं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ईमानदारी और बेईमानी तो भारत भर में समान मात्रा में फैल चुकी है। मेरा विचार है कि यदि इस का औसत निकाला जाय तो किसी भी विशेष खण्ड या प्रदेश को उस से श्रेय या अश्रेय प्राप्त नहीं होगा।

डा० एम० एम० दास: श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि आयात अनुज्ञप्तियों के विकेन्द्रीकरण की इस नई योजना से भ्रष्टाचार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, भ्रष्टाचार तभी संभव हो सकता है जब देर हो; हमारी आशा है कि हम ने अनुज्ञप्तियां जारी करने के विषय में अभी हाल में जो सुधार किये हैं—यानी यथासंभव शीघ्रता से अनुज्ञप्तियां जारी की जाती हैं—उन से भ्रष्टाचार का क्षेत्र बहुत हद तक उड़ जाता है। इस बात के विषय में कि इस विकेन्द्रीकरण का कार्य किस प्रकार चल रहा है मैं इतना ही कह सकता हूं कि अब इस से अनुज्ञप्तियां जल्दी में जारी होने लगी हैं, किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि इस प्रकार की कार्यवाही से भ्रष्टाचार कतई तौर पर समाप्त हो चुका है या नहीं।

श्री हेडा : श्रीमान्, प्रश्न के भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर में गिनाई गई सावधानियों को दृष्टि में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकारी पदाधिकारियों के सन्तोष के अतिरिक्त, प्रार्थियों द्वारा किये गये ग़लत प्रतिनिधित्व के लिये सरकार की दृष्टि में और क्या कारण हो सकते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं सच-मुच इस प्रश्न का अभिप्राय नहीं समझ सकता।

श्री के० पी० त्रिपाठी : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि जिन लाइसेन्सदारों ने अनुज्ञप्ति प्राप्त कर के उसे बेचा है उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जो कुछ भी हमारे अधिकार में हो, हम वही कर सकते हैं। इन अनुज्ञप्तियों को बेचे जाने की बात, यदि उसे विधि की दृष्टि से देखा जाय, कुछ अस्थिर है। हमारे लिये यह सिद्ध करना सदा कठिन हो जाता है कि अमुक अनुज्ञप्ति को बेचा गया है। माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि को

भी व्यक्ति कुछ ऐसे विशेष वस्तुओं का आयात करने के लिये वस्तुसूत्री प्राप्त कर सकता है, जिन के लिये नियमित बिकरी नहीं होगी और जिसे सिद्ध किया जा सकता है, किन्तु इस बात के बावजूद उस वस्तु के लेन देन में कई बातों का विचार किया गया होगा ।

श्री **सारंगधर दास** : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या कटक के ईस्टर्न मर्कन-टाइल कारपोरेशन को ये आयात-अनुज्ञप्तियां जारी करने के समय इन सावधानताओं पर विचार किया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : विगत अठारह महीनों में इस प्रकार की सावधानी बरती गई । इस अवधि में सुधार भी किये गये हैं । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट इस विशेष सार्थ ने इस अवधि के बीच किसी अनुज्ञप्ति के लिये प्रार्थना-पत्र भेजा था या नहीं । मुझे सन्देह है कि इस विशेष मामले में मुझे छानबीन करनी पड़ेगी ।

श्री **नानादास** : श्रीमान्, प्रश्न के भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर की दृष्टि में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों जैसे पिछड़े हुये वर्गों के नाम आयात अनुज्ञप्तियां जारी करने के लिये कोई रियायतें दी हैं ?

श्री **टी० टी० कृष्णमाचारी** : मुझे इस बात का ज्ञान नहीं ।

श्री **मुनिस्वामी** : श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्य क्षेत्रों में भी प्राप्तियों के दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में ही इस तरह के अपराध किये गये थे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अपराधी का मस्तिष्क ध्वंसात्मक बातें सोचा करता है। शुद्ध रूप से यह कहना कि वे किस प्रकार यह काम किया करते हैं, किसी हद तक बड़ा कठिन है क्योंकि विशेष वस्तुओं के लिये उन के तरीके भी विशेष होते हैं जो दूसरों से भिन्न होते हैं ।

नदी घाटी परियोजनाएं

*१३५८. **डा० एम० एम० दास** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पहले की ऐसी भूमि, जहां सिंचाई नहीं होती थी, के कितने एकड़ अब तक (१) स्थायी सिंचाई (२) सामयिक सिंचाई और (३) पहले जहां सामयिक सिंचाई होती थी वहां अब केन्द्रीय नदी घाटी योजनाओं द्वारा स्थायी सिंचाई के साधनों से पूरी तरह अथवा खण्डशः (परियोजनावार) सींचे जा चुके हैं ;

(ख) वर्तमान बाजारी दरों पर सिंचाई के साधनों की व्यवस्था किये जाने से कितने अतिरिक्त अनाज के उत्पादित किये जाने की संभावना है, और उस का मूल्य कितना होगा; और

(ग) क्या प्रति एकड़ सिंचाई शुल्क दरें राज्य सरकारों द्वारा ही निश्चित होती हैं, अथवा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से उन्हें निश्चित किया जाता है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और जितना शीघ्र हो सके सदन पटल पर रखी जायेगी ।

(ग) स्वयं राज्य सरकारों द्वारा ।

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन सिंचाई करों को, न्यूनाधिक रूप में, देश भर में एकरूप बनाने की आवश्यकता अनुभव करती है ?

श्री हाथी : यह संभव नहीं हो सकता कि देश-भर में सिंचाई कर एकरूप हो। भूमि, फसल, स्थानीय स्थिति, आदि पर ही इस बात का निर्भर होगा ।

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सिंचाई की गई भूमि पर सुधार-फीस लगाने की बात निश्चित हो पाई है? यदि हां, तो क्या सुधार-फीस की दरें अकेले राज्य सरकार अथवा केंन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के बाद उन के द्वारा निर्धारित की जायेंगी ?

श्री हाथी : साधारणतया इस प्रकार के देय शुल्कों का निर्णय सम्बद्ध राज्यों द्वारा हुआ करता है ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि जिन राज्यों ने सुधार-फीस लगाना शुरू किया है उन के नाम क्या हैं, और इस शीर्षक के अन्तर्गत अब तक बिहार, मध्य प्रदेश तथा बंगाल सरकारों ने कितना धन इकट्ठा किया है ?

श्री हाथी : यह प्रश्न केन्द्रीय परियोजनाओं से ही सम्बद्ध है । यदि माननीय सदस्य अलग से भिन्न भिन्न प्रान्तों की जानकारी चाहते हैं तो मैं उसे प्राप्त करूंगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सच नहीं कि भारत सरकार के अनुदेशों के अन्तर्गत पंच वर्षी योजना के अनुसार यह सुधार-फीस राज्य सरकारों द्वारा इकट्ठी की जायगी ?

श्री हाथी : इसे भारत सरकार के अनुदेशों के अन्तर्गत इकट्ठा नहीं किया जाता ।

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सुधार-फीस तथा सिंचाई करों की दरें तदर्थ आधार पर निर्धारित की जाती हैं, अथवा इन के निर्धारण में कोई युक्ति मूलक विचार किया जाता है ?

श्री हाथी : तदर्थ आधार पर नहीं बल्कि भूमि, फसल, लाभ्य जल और इन क्षेत्रों की अन्य स्थितियों को दृष्टि में रखते हुए ही यह फीस या कर लगाये जायेंगे ।

प्रशिक्षण तथा नियोजन बोर्ड

*१३५९. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिये जो विभिन्न व्यवसायों और शिल्पों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं कितने प्रशिक्षण और नियोजन बोर्ड बनाये गये हैं;

(ख) क्या प्रशिक्षित व्यक्तियों को लाभप्रद व्यवसाय दिलाने के लिये उत्पादन केन्द्र खोले गये हैं;

(ग) यदि हां, तो उन में से पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये कितने हैं; और

(घ) पूर्वी पाकिस्तान की कितनी विस्थापित स्त्रियां जो कि पहिले स्थायी रूप से आश्रित समझी जाती थीं, विभिन्न वनिता आश्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करके अब उत्पादन केन्द्रों में लग गई हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या राज्यों में नियोजन बोर्ड केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय के परामर्श से बनाये जाते हैं या नहीं ?

श्री जे० के० भोंसले : इस समय मेरे पास इस विषय में कोई सूचना नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : अधिकांश प्रश्नों के उत्तर में माननीय मंत्रियों ने यही कहा है कि उत्तर प्राप्त कर के सदन पटल पर रख दिये जायेंगे । कम से कम पांच या छै प्रश्नों का इसी प्रकार उत्तर दिया गया है । क्या सारी जानकारी यहीं देना सम्भव नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : विस्तृत विवरण तो मंगवाना ही पड़ता है और स्वाभाविकतय

इस में समय लगता है । यदि मुझे कोई ऐसा विशेष प्रश्न बतलाया जाये जिसमें कि इन विस्तृत बातों का पता लगाने की आवश्यकता न हो, तब तो मुझे माननीय सदस्या की यह आपत्ति समझ में आ सकती है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : नियोजन बोर्डों की संख्या घटती बढ़ती नहीं रहती । अभी इसकी संख्या बतलाना कोई कठिन नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जानकारी प्राप्त करने के लिये साधारणतया दस दिन की अवधि निश्चित है । सरकार को पांच दिन पूर्वसूचना दी जाती है ।

माननीय सदस्य इन सब विवरणों को जानने के लिये उत्सुक हैं । क्या इस में शीघ्रता करना सम्भव नहीं है ? माननीय मंत्री कृपा कर के यथासम्भव जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त कर लिया करें । मैं तो केवल सामान्य रूप से ही ऐसा कह सकता हूं ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिन में पूछे गये विवरण सरकार के विभिन्न अभिकरणों और देश के कोने कोने से इकट्ठे करने पड़ते हैं । मैं विशेष रूप से इस प्रश्न के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उदाहरण के लिये प्रश्न संख्या १३५९ का सम्बन्ध पुनर्वास मंत्रालय से है । मंत्री महोदय ने पांच या छै प्रश्नों का उत्तर इसी प्रकार दिया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सत्य है कि पश्चिमी बंगाल के पुनर्वास मंत्री ने २६ अगस्त को एक प्रेस सम्मेलन में इन बातों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी दी थी ? मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार उन अभिलेखों को अपने पास रखती है या नहीं ?

श्री जे० के० भोंसले : माननीय सदस्य जिस समाचार का उल्लेख कर रहे हैं उसे मैं पहिले देख चुका हूं ।

लाला अचिन्त राम : मैं जान सकता हूं कि इन केन्द्रों के उत्पादन का कितने प्रतिशत सरकार खरीदती है ?

श्री जे० के० भोंसले : मैं कह चुका हूं कि मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

हाथ करघे का कपड़ा

*१३६०. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५३ के पूर्वार्ध में हाथ करघे के कपड़े का निर्यात कैसा रहा ?

(ख) क्या जिन देशों में इस कपड़े की खपत है उन में से कोई देश भारत से इस के आयात पर प्रतिबन्ध लगा रहा है ?

(ग) निर्यात विपणन संघटन पर कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

(घ) अब तक किन किन देशों में कितनी दुकानें खोली जा चुकी हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जनवरी से मई, १९५३ तक की अवधि में २४२.३ लाख गज हाथ करघे के सूती कपड़े का निर्यात किया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) तथा (घ). निर्यात विपणन संघठन पर प्रति वर्ष कुल ३,५०,००० रुपये व्यय होंगे । मद्रास प्रान्तीय हाथ करघा बुन कर सहकारी समिति ने जो कि इस सम्बन्ध में सरकारी अभिकर्त्ता के रूप में कार्य कर रही है कोलम्बो में एक दुकान खोल ली है और छै और केन्द्र कुछ समय में खोल दिये जायेंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि अन्य देशों में कहां कहां और कितने विपणन पदाधिकारी रखे गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह सारी योजना अभी क्रियान्वित हो रही है । इन लोगों को भेजने में दो या तीन मास और लग जायेंगे । हम थोड़े थोड़े समय के लिये छान बीन करने और बिक्री बढ़ाने के लिये कभी कभी कुछ लोगों को भेजते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या इन दुकानों में जो प्रबन्धक और कर्मचारी रखे जायेंगे उन्हें मंत्रालय भेजेगा या वहां का दूतावास इस काम में उनकी सहायता करेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भारत के निकट वर्ती स्थानों में या दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में जहां कहीं हमारी दुकाने होंगी, वहां मद्रास हाथकरघा बुनकर सहकारी समिति की सेवाओं से लाभ उठाने का विचार है, क्यों कि इसका इस काम के लिये पहिले ही संगठन बना हुआ है, परन्तु प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में उस समय वहां की स्थिति के अनुसार निश्चय किया जायेगा । मैं इस प्रकार के प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री केलप्पन : श्रीमान् क्या मैं भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित देशों के नाम जान सकता हूं और गत तीन वर्षों में उन्होंने कितना आयात किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अलग अलग देशों में अलग अलग प्रतिबन्ध हैं । कुछ मामलों में प्रतिबन्ध केवल आयात अनुज्ञप्तियां देने के प्रश्न तक सीमित है । उदाहरण के लिये, यद्यपि पाकिस्तान में अनुज्ञप्ति ले कर हाथ करघे के कपड़े का आयात किया जा सकता है, किन्तु अनुज्ञप्तियां ही नहीं दी जातीं । कुछ मामलों में कुछ वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है । श्रीलंका में तौलियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, किन्तु इस में थोड़ी सी ढील है, अर्थात् यदि कोई स्थानीय दुकानदार श्रीलंका के बुने हुए कुछ तौलिये खरीद ले, तो उसे कुछ तौलियों का आयात करने दिया जायेगा । बर्मा में लुंगियों पर बिल्कुल प्रतिबन्ध लगा हुआ है । यदि माननीय सदस्य को रुचि हो तो मैं यह सारी जानकारी सदन पटल पर रख सकता हूं ।

श्री थानू पिल्ले : क्या मैं उन देशों के नाम जान सकता हूं जो कि अभी हाल तक तो भारत से हाथ करघे के कपड़े का आयात करते रहे हैं, किन्तु अब उन्होंने इस प्रकार के आयातों पर सर्वथा प्रतिबन्ध लगा दिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह पूर्ण प्रति बन्ध कुछ और ढंगों से काम करता है । यह अनुज्ञप्तियां देने से इन्कार करके लागू होता है । जैसे कि मैं ने बतलाया पाकिस्तान में आयात में इतनी कमी कर दी गई है कि हमारी हाथकरघे की वस्तुओं के निर्यात पर पाकिस्तान में बिल्कुल प्रतिबन्ध लग गया है ।

श्री संगमा : मैं जान सकता हूं कि उसी अवधि में हाथकरघे के कपड़े की तुलना में कितने प्रतिशत मिल के बने हुए कपड़े का निर्यात किया गया ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं निर्यात के आंकड़े बतला सकता हूं किन्तु प्रतिशतक नहीं बतला सकता ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : माननीय मंत्री ने बतलाया कि विभिन्न देशों में दुकानें खोल दी गई हैं । मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार केवल दुकानें खोल कर ही

सन्तोष कर लेगी या बिक्री बढ़ाने के अभिकरण भी स्थापित करेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हम जो कुछ करते हैं हमें उतने से ही सन्तोष नहीं हो जाता। हम विशेष रूप से हाथकरघे के व्यापार को अधिकाधिक बढ़ाना चाहते हैं। अतः माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह सदा हमारे ध्यान में रहता है।

टोबा टेक सिंह गुरुद्वारे के दर्शन की अनुमति

*१३६१. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पचास यात्रियों के एक जत्थे ने २० जून से २५ जून १९५३ तक जिला लायलपुर (पश्चिमी पाकिस्तान) के टोबा टेक सिंह के गुरुद्वारा के दर्शन की अनुमति के लिये आवेदन पत्र दिया था ;

(ख) क्या पाकिस्तान ने अनुमति देने से इन्कार कर दिया था ;

(ग) यदि हां तो इस इन्कार के क्या कारण थे ; और

(घ) क्या पारपत्र प्रणाली के जारी होने के बाद से कोई तीर्थ यात्री पाकिस्तान के किसी मन्दिर के दर्शन कर सके हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : (क) ३५ तीर्थ यात्रियों के एक जत्थे ने १९ से २५ जून, तक गुरुद्वारा टोबा टेक सिंह के दर्शन की अनुमति मांगी थी।

(ख) जी हां।

(ग) कोई विशेष कारण नहीं बतलाये गये थे। सम्भवतः पश्चिमी पाकिस्तान की स्थिति सन्तोष जनक नहीं थी।

(घ) जी हां,

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या जब दोनो प्रधान मंत्री गत बार कराची में मिले थे तो क्या इस विषय पर कोई चर्चा हुई थी ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : पाकिस्तान के मन्दिरों, सिखों के मंदिरों के सामान्य प्रश्न पर बहुत अधिक चर्चा हुई थी, परन्तु विशेष रूप से इस यात्रा के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं हुई थी। यहां और वहां की किसी विशेष यात्रा के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं हुई थी। हमने अनुमति मांगी थी ; उन्होंने कहा कि यह सुविधाजनक नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है उन दिनों पश्चिमी पाकिस्तान में स्थिति बड़ी डांवाडोल थी।

सरदार हुक्म सिंह : विशेष रूप से इस यात्रा के सम्बन्ध में नहीं, किन्तु सामान्य रूप से मन्दिरों की तीर्थ यात्रा के सम्बन्ध में।

श्री जवाहर लाल नेहरू : पवित्र स्थानों की सुरक्षा और पवित्र स्थानो को जाने के सम्बन्ध में, जिस में माननीय सदस्य की बात भी सम्मिलित है, बातचीत हुई थी।

सरदार हुक्म सिंह : क्या पाकिस्तान ने इस प्रकार की तीर्थयात्राओं के लिये अधिक सुविधायें देने की इच्छा प्रकट की थी ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : जी हां, सिद्धान्त रूप में। वास्तव में, मैं समझता हूं कि सामान्य बात के अतिरिक्त सदन को यह स्मरण रखना चाहिये कि उस समय पाकिस्तान में ऐसी स्थिति थी कि लोगों के लिये इधर उधर जाना सरल नहीं था। वहां मार्शल ला (सैनिक विधि) लगा हुआ था और इसी प्रकार की बहुत सी बातें थी।

समाचार अभिकरणों के लिए स्वामित्व

*१३६२. **सरदार हुक्म सिंह :**—(क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आकाशवाणी साम

चार अभिकरणों को उन की समाचार सम्बन्धी सेवा के लिय कुछ स्वामिस्व देती हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो उस स्वामिस्व की गणना कैसे की जाती है ?

(ग) क्या किसी विशेष कालाविधि में चालू अनुज्ञप्ति-प्राप्त रेडियों की संख्या में परिवर्तन के साथ इसमें परिवर्तन किया जाता है ?

(घ) क्या रेडियो अनुज्ञप्तियों की संख्या के गलत निर्धारण के कारण १९५०, १९५१ तथा १९५२ में समाचार अभिकरणों को कुछ अधिक भुगतान किये गये ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : हां, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग). या तो स्वामिस्व का निर्णय तदर्थ किया जाता है या अगले वर्ष के लिये , प्रत्येक वर्ष के ३१ दिसम्बर को लागू बी० आर० अथवा सी० बी० आर० अनुज्ञप्तियों के आधार पर किया जाता है ।

(घ) हां श्रीमान, परन्तु रेडियो अनुज्ञप्तियों की संख्या के गलत निर्धारण के कारण नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : गलती किस हद तक मास प्रति मास चलती रही ?

डा० केसकर : मेरा विचार है कि मेरे माननीय मित्र के मन में गलत धारणा है । वर्ष १९५० में अभिकरणों में से एक को गलती से २३,४९० रु० अधिक दिये गये, परन्तु जब इस गलती का पता लगा तो राशि वसूल करने के लिये कार्यवाही की गई और यह वसूल की जा चुकी है ।

श्री नाना दास : समाचार अभिकरणों को १९५२ में कितना स्वमिस्व दिया गया ?

डा० केसकर : माननीय सदस्य के मन में कौनसा विशेष अभिकरण है ?

उपाध्यक्ष महोदय : सब ।

डा० केसकर : केवल दो समाचार अभिकरण थे, पी० टी० आई० को लगभग ३ लाख ९ हजार रुपये और यू० पी० आई० को लगभग २८,४०९ रुपये दिये गए ।

श्री नाना दास : १९५३ के लिये स्वामिस्व की किस आधार पर गणना की जाएगी ?

डा० केसकर : पहले जैसे मैं ने बताया पी० टी० आई० के लिये स्वामिस्व की गणना बी० आर० और सी० बी० आर० के आधार पर की जाती थी और यू० पी० आई० के लिये निश्चित आधार पर । अब यू० पी० आई० के लिये इस वर्ष ई० आर० और सी० बी० आर० के आधार पर गणना की जायेगी ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या आकाश वाणी के पास अपने संवाददाताओं का एक दल है, यदि नहीं तो क्या इस के पास कोई योजना है जिस के द्वारा यह विशेषतया विश्व की विदेशी राजधानियों में संवाददाताओं का दल रखेगी ?

डा० केसकर : श्रीमान् अपनी समाचार प्राप्त करने की व्यवस्था को यथा संभव सम्पूर्ण बनाने के लिये हम अपने संवाददाताओं का दल रखना आवश्यक समझते हैं, परन्तु इस में अर्न्तग्रस्त व्यय के कारण हम ऐसा नहीं कर सके । हमारे संवाददाता केवल कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं ।

दावों की जांच

*१३६३. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दावों की जांच अधिनियम के अधीन दावों की जांच पूर्ण हो चुकी है ;

(ख) यदि ऐसा है तो दावों की कुल राशि क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने अब तक विस्थापित व्यक्तियों को उनकी पश्चिमी पाकिस्तान

में छोड़ी सम्पत्तियों के लिये क्षति पूर्ति देने की प्रस्थापनाओं पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) हां, सिवाय छोटी संख्या के, लगभग १ प्रतिशत ।

(ख) राशि नहीं बताई जा सकती जब तक उन्हें छांटने, उनके परीक्षण और आंकड़ों सम्बन्धी विश्लेषण का कार्य जो हो रहा है, पूर्ण नहीं हो जाता ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या दावों की विशेष श्रेणी छोड़ दी गई है और उस का अभी निर्णय किया जाना है अथवा प्रत्येक श्रेणी में से सामान्य दावे रह गये हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : ४,००० जांच किये गये दावे हैं और २,००० सभी श्रेणियों के पुनर्निरीक्षण के दावे हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : उन आवेदन पत्रों के मामले में जिन्हें कुछ भूमि दी गई है और जिन के दावों की, जहां तक अचल सम्पत्ति का सम्बन्ध है, अब तक जांच की जा चुकी है, मैं जान सकता हूं कि क्या उन्हें यह विकल्प दिया गया है कि या तो वे भूमि रखें अथवा अचल सम्पत्ति के दावे की जांच करवायें ।

श्री जे० के० भोंसले : उन्हें भूमि रखने का विकल्प दिया जायेगा ।

सरदार हुक्म सिंह : यदि ऐसा है तो विकल्प क्या है ? यदि उन्हें भूमि रखने का विकल्प दिया जाता है अथवा यदि वे अपने अचल सम्पत्ति के दावों की जांच करवाना चाहते हैं तो क्या वे भूमि छोड़ देने के लिये स्वतन्त्र हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : मुझे प्रश्न के पिछले भाग के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री नानादास : प्रश्न के (ख) भाग के उत्तर में कहा गया है कि "राशि नहीं बतायी जा सकती", श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि कुल राशि बताने में क्या कठिनाई है ?

श्री जे० के० भोंसले : तब तक राशि नहीं बताई जा सकती जब तक छांट, पुनर्निरीक्षण और आंकड़ों सम्बन्धी किये जाना वाला कार्य पूर्ण नहीं हो जाता ।

सरदार हुक्म सिंह : बहुत से ऐसे मामले हैं जिन में केवल कागजों में भूमि दी गई है परन्तु उन्होंने अधिकार प्राप्त नहीं किया क्योंकि दी गई भूमि बहुत थोड़ी—डेढ एकड़ अथवा एक एकड़ थी, और कुछ मामलों में ४ एकड़ के २०,००० दावे अस्वीकार किये गये—मैं जान सकता हूं कि क्या इन मामलों में जहां उन्होंने अधिकार नहीं लिया, उनकी अचल सम्पत्ति के दावों की जांच की जायेगी ?

श्री जे० के० भोंसले : मुझे उस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

हाथ के करघों के लिए धोतियां और साड़ियां

*१३६४. **श्री गिडवानी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बम्बई सरकार की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिस में कहा गया है कि हाथ के करघों पर बुनने वालों में फैली हुई बेरोज़गारी के कारण ४०-एस कौंट से कम की बोर्डर वाली धोतियों और साड़ियों का उत्पादन केवल हाथ के करघों के उद्योग के लिये रक्षित कर देना चाहिये, और

(ख) यदि ऐसा है तो क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) बम्बई सरकार ने राज्य-हाथ के करघे बोर्ड को एक इस प्रकार का प्रस्ताव भेजा था ।

(ख) इस पर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह तथ्य नहीं है कि इस प्रकार के अभ्यावेदन बहुत वर्षों से सरकार के पास आ रहे हैं और इस सम्बन्ध में निर्णय की कब तक प्रत्याशा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, इस विषय के सम्बन्ध में कुछ निर्णय किये गये हैं। माननीय सदस्य को ज्ञात है कि हम ने हाथ के करघों के लिये कुछ प्रतिशतता रक्षित रखी हुई है। हाल ही में हम ने ६० प्रतिशत धोतियों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाया है और अभ्यंश सम्बन्धी कालावधि निश्चित की गई है। यह कार्यवाही समय समय पर की जाती रही है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का यह पूछने का क्या अभिप्राय है कि कार्यवाही कब की जायेगी। यदि राज्य-हाथ के करघे बोर्ड या हाथ के करघों द्वारा बुनने वालों की ओर से इस प्रकार के पत्र आते हैं तो उन की जांच की जाती है। यदि इन पत्रों में कुछ होता है तो हम कार्यवाही करते हैं। अन्यथा उन्हें रख लिया जाता है।

श्रीमती ए० काले : मैं जान सकती हूं कि क्या यह सुविधा केवल उन राज्यों को ही दी जाएगी जिन की ओर से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं अथवा उन राज्यों को भी जहां हाथ के करघों द्वारा बुनने वाले हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भारत सरकार किसी विशेष राज्य को सुविधा नहीं दे सकती। सब सुविधाऐं जो वह देती है सारे देश पर लागू होती है।

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार को अन्य राज्यों की ओर से ऐसे अभ्यावेदन मिले ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा मैं ने कहा यह निरन्तर होता रहता है। कभी यह अभ्यावेदन सरकारों की ओर से आते हैं, कभी कभी ऐसे निकायों की ओर से आते हैं जिस के अस्तित्व अथवा सत्यता का हमें ज्ञान नहीं है।

श्री गौडिलिंगन गौड़ : मैं जान सकता हूं कि अनुमानतः कितने समय में भारत सरकार इस विषय पर निर्णय कर सकेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समय इस विषय में निर्णय करने का कोई विचार नहीं है। सम्भवतः माननीय सदस्य को यह तथ्य विदित नहीं कि इस समय एक समिति कार्य कर रही है जो अन्य विषयों सहित इस प्रश्न पर पूछताछ करेगी, और जब समिति का प्रतिवेदन आयेगा। यदि समिति ने कोई कार्यवाही करने की सिफ़ारिश की तो सरकार विचार करेगी।

सेठ गोविन्द दास : इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की ओर से कितने अभी समिति के पास लम्बित हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं जानता कि उस समिति के पास कोई अभ्यावेदन भेजा गया है। सम्भवतः यदि वे भेजे गये हैं तो मुझे ज्ञात नहीं कि वे कितने हैं और कि वे लम्बित हैं अथवा नहीं। जब तक समिति का प्रतिवेदन नहीं आया इस स्थिति पर विचार नहीं किया जा सकता।

श्री पुन्नूस : हाथ के करघे के कपड़े के लिये कुछ राज्यों में कुछ रक्षण है। मैं जान सकता हूं कि वह रक्षण हाथ के करघे और कारखाना में बने साड़ी और धोती के कुल उत्पादन की तुलना में कितना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह एक व्यापक प्रश्न है और मैं इस का इतना ठीक उत्तर नहीं दे सकता। मैं केवल यह कह सकता हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में जो कुछ

किया है वह कई बार पटल पर रखा जा चुका है । कारखानों द्वारा बनाये गये विशेष श्रेणियों के माल के सम्बन्ध में कुछ रक्षण ह और माननीय सदस्यों को धोतियों के सम्बन्ध में इस रक्षण का भी पता है । श्रीमान्, मैं किसी विशेष राज्य के सम्बन्ध में अथवा सारे देश के सम्बन्ध में आंकड़ों सम्बन्धी स्थिति नहीं बता सकता ।

श्री पुन्नूस : कुल उत्पादन में कमी हो गई है । मैं ने समाचार पत्रों में पढ़ा है । क्या यह तथ्य है कि हाथ के करघों के लिये साड़ियों और धोतियों के रक्षण के फल-स्वरूप कुल उत्पादन में कमी हो गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : : मैं ने बताया था कि अभ्यंश कालावधि—अप्रैल, १९५१ से मार्च, १९५२—में मिलों में ५०,००० गांठों की औसत दर से धोतियों के कुल उत्पादन का अनुमान किया गया था । मैं पहले ही एक दिन एक प्रश्न के उत्तर में कह चुका हूं कि ५०,००० गांठों की बजाये जो कि अभ्यंश है, अभ्यंश घटा कर ३०,००० गांठ कर दिया गया है । जब कि साड़ियों और धोतियों के सम्बन्ध में उत्पादन पर प्रतिबन्ध है, मैं यह नहीं कह सकता कि हाथ के करघा उद्योग को कुछ लाभ हुआ है ।

चल निष्क्राम्य सम्पत्ति

*१३६५. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से हुये उस समझौते का अनुसमर्थन हो गया है जो भारत तथा पाकिस्तान सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच चल निष्क्राम्य सम्पत्तियों के कुछ विषयों पर हाल में ही कराची में हुआ था ;

(ख) यदि हां तो समझौते के ये विषय क्या हैं ; तथा

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को सूचित किया है कि दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों ने जो निश्चय किये हैं वे उन्हें स्वीकार करते हैं और निश्चयों की पाकिस्तान की सरकार द्वारा पुष्टि होन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

(ख) प्रेस विज्ञापन की एक प्रति, जिसमें दो देशों के बीच हुए समझौते का उल्लेख है सदन पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४५**]

(ग) पाकिस्तान सरकार द्वारा समझौते की पुष्टि होते ही सम्बन्धित अधिकारियों को हुये समझौते को कार्यान्वित करने के लिये उपयुक्त निदेश दिये जायेंगे ।

श्री गिडवानी : पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार द्वारा भेजे गये उस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया है जिसमें उसने सिफ़ारिशों को स्वीकार किया है, इसका क्या कारण है ?

श्री जे० के० भोंसले : उत्तर की प्रतीक्षा हो रही है ।

स्थानीय विकास कार्य

*१३६६. **श्री बी० के० दास** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) स्थानीय विकास कार्यों के लिये चालू वर्ष के लिये विभिन्न राज्यों को कितना धन दना मंजूर किया गया है ; तथा

(ख) क्या 'सामूहिक विकास' क्षेत्रों या 'ग्रामीण विस्तार' क्षेत्रों को 'स्थानीय विकास कार्यों' में सम्मिलित नहीं किया जाता है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) एक विवरण जिसमें राज्यों को दिये गये धन का उल्लेख है सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४६**]

(ख) हां, श्रीमान् ।

श्री बो० के० दास: श्रीमान्, इस तथ्य की दृष्टि से कि अनुदान जनसंख्या के आधार पर दिये गये हैं, क्या मैं यह जान सकता हूं कि अल्प विकसित क्षेत्रों के लिये विशेष ध्यान देने के प्रश्न का समायोजन कैसे होगा ?

श्री हाथी: यह स्थानीय कार्यों का निर्देश करता है अर्थात् जन लाभ के कार्य, जैसे पीने के पानी के कुंयें बनाना, सड़क बनाना, छोटे छोटे सिंचाई कार्य, आदि। जहां तक अल्प-विकसित क्षेत्रों का सम्बन्ध है, हम उन पर, सामूहिक विकास क्षेत्र नियत करते समय, ध्यान देते हैं । यह स्थिति है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कच्चा मैंगनीज़

*१३४६. **श्री मात्तन**: (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सी० पी० एम० ओ० कम्पनी, लि० को हज़ारों टन उच्च श्रेणी का कच्चा मैंगनीज़ वर्तमान बाज़ार मूल्य से ३० प्रति शत कम मूल्य पर निर्यात करने की अनुमति है ?

(ख) कम्पनी को अपने पास बड़े माध्यम तथा निम्न श्रेणी के कच्चे मैंगनीज़ का उपयोग करने में रुचि क्यों नहीं है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कम्पनी कच्चा मैंगनीज़ अपेक्षित कम मूल्य पर बेच रही है । फिर भी, भेजी जाने वाली भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिये दिये मूल्य पर सीमाशुल्क प्राधिकारी निगरानी रखते हैं कि वे उस समय प्राप्त होने वाले मूल्यों के समान हैं या नहीं ।

(ख) यह समझा जाता है कि सी० पी० एम० ओ० कम्पनी ने ढेरों का उपयोग करना आरम्भ कर दिया है ।

मोटर कार निर्माणशालायें

*१३४८. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने निकट भविष्य में भारत में पुरजों आदि को एकत्रित करके मोटर कार बनाने वाली बहुत सी निर्माणशालाओं को बन्द करने का निश्चय कर लिया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या कोई निर्माणशालायें बन्द कर दी गई हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) कुछ एकत्रित करने वाली इकाइयों की निकट भविष्य में बन्द होने की सम्भावना है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

हीराकुड बांध के अनुमान

*१३६८. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी**: क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री १४ अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न ५०६, जिसका सम्बन्ध हीराकुड बांध के अनुमानों से था के उत्तर तथा जन लेखा समिति के छटे प्रतिवेदन की १४वीं व १५वीं कंडिका का निर्देश करने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीये पानी तथा विद्युत आयोग ने इस योजना के लिये अनुमानकर्ताओं के स्थानों का प्रेस में विज्ञापन दिया था ; तथा

(ख) यदि हां तो कब ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जनवरी, १९४९ में, अप्रैल, १९५२ में और नवम्बर, १९५२ में ।

सूचनात्मक (डाकूमेंट्री) चलचित्र

*१३६९. **श्री राधा रमण** : **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पंच वर्षीय योजना को कार्यान्वित

करने सम्बन्धी कोई सूचनात्मक चलचित्र बनाया गया है अथवा बनाने का प्रस्ताव है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : हां, श्रीमान् । दो सूचनात्मक चलचित्र जिनके नाम 'भारत का मार्ग' (रोड टु इण्डिया) तथा 'आशा प्रवाह' (रिवर आफ़ होप) हैं बन चुके हैं । प्रति वर्ष पंच वर्षीय योजना, सामूहिक योजनायें और मूल तथा सामाजिक शिक्षा पर ३० सूचनात्मक चलचित्र बनाने का प्रस्ताव है ।

चीनी सांस्कृतिक शिष्ट मण्डल

***१३६९-अ. श्री रघुनाथ सिंह**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि चीन के केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री के नेतृत्व में एक चीनी सांस्कृतिक शिष्टमण्डल आगामी नवम्बर में भारत आ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार का उक्त शिष्टमण्डल को क्या क्या सुविधायें देने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : (क) तथा (ख). चीनी सांस्कृतिक शिष्ट मण्डल के आगामी नवम्बर में भारत आने के बारे में सरकार को कोई सरकारी सूचना प्राप्त नहीं हुई है । फिर भी, चीन सरकार ने यह पूछा है कि नवम्बर मास उनके स्वास्थ्य मन्त्री के लिये भारत आने के लिये उपर्युक्त होगा या नहीं । यह उन्होंने उस आमन्त्रण के उत्तर में पूछा है जो भारत सरकार ने कुछ समय पूर्व भेजा था । शीत ऋतु में श्रीमती लाई के यहां आने की सम्भावना का भारत सरकार ज़ोरदार स्वागत करती है ।

कच्चा मैंगनीज़ संबंधी अमरीका-ब्राजील समझौता

***१३७०. श्री एच० एन० मुकर्जी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कच्चा मैंगनीज़ सम्बन्धी अमरीका-ब्राजील समझौते की शर्तों की ओर ,जो मार्च, १९५३ के 'एक्सपोर्ट इमपोर्ट न्यूज़' में प्रकाशित हुआ था, आकर्षित किया गया है ; तथा

(ख) क्या हमारे मैंगनीज़-उत्पादन पर उसका कोई कुप्रभाव पड़ने की आशा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार ने सूचनायें देखी हैं कि अमरीका ने कच्चा मैंगनीज़ क्रय करने के लिये ब्राजील से एक दीर्घकालीन समझौता कर लिया है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

ऐलूमीनियम

***१३७१. श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७-४८ के पश्चात् भारत में ऐलूमिनियम का उत्पादन कितना हुआ ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि लगभग चार वर्ष पूर्व मैसर्स स्मिट (Messrs. Schmidt) ने आमन्त्रण पाने पर सरकार को वायुयान निर्माण आरम्भ करने के पूर्व ५०,००० टन की उत्पादन-क्षमता की एक ऐलूमिनियम निर्माणशाला स्थापित करने का परामर्श दिया था ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान तटकर आयोग की इन खोजों की ओर आकर्षित किया गया है कि अच्छी क़िस्म के स्फोदिज़ के हमारे रक्षित स्टाक बहुत समय तक

ऐलूमीनियम का उच्च-स्तर पर उत्पादन चालू रखने के लिये पर्याप्त है ; तथा

(घ) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई योजनायें बना रही हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४७**]

(ख) नहीं, श्रीमान्, ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) जब कि विकास की अन्य योजनाओं के साथ साथ ऐलूमीनियम के संसाधनों के विकास पर विचार हो रहा है, यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार के पास कोई विशेष योजनायें हैं ।

उत्तरपूर्वी सीमा एजेंसी

*१३७२. **श्री अमजद अली** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरपूर्वी सीमा एजेंसी जाने के लिये विदेशियों के लिये कोई आज्ञापत्र प्रणाली है ;

(ख) क्या उत्तरपूर्वी सीमा एजेंसी में विदेशी धार्मिक संस्थायें (अंग्रेज़ी या अमरीकी) काम कर रही हैं ; तथा

(ग) यदि हां, तो वहां उनमें से कितनी हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) हां ।

(ख) तथा (ग). नहीं ।

टेटरा ईथिल लीड के लिये पावर अलकोहल

*१३७३. **श्री सिंहासन सिंह** : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री गत २ सितम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९६५ के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और यह बतलायेंगे कि टेटरा ईथिल लीड के स्थान पर पावर अलकोहल का उपयोग करने के सम्बन्ध में कितने समय से सरकार का ध्यान नियोजित है ?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है और वह निर्णय क्या है ?

(ग) आन्तरिक खपत की पूर्ति के उद्देश्य से पेट्रोल में मिश्रण करने के लिये कुल कितने पावर अलकोहल की आवश्यकता है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) इस वर्ष के प्रारम्भ से ।

(ख) अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) यदि टेटरा ईथिल लीड के स्थान पर पावर अलकोहल काम में लिया जाय तो १४० से १५० लाख गैलन की आवश्यकता पड़ेगी ।

कच्ची धातु का निर्यात

*१३७३अ. **पंडित लिंगराज मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उड़ीसा वाणिज्य परिषद् की ओर से सरकार के समक्ष इस आशय का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है कि कच्ची धातुओं के यातायात के लिये डब्बों का बंटन खान के मालिकों और उत्पादकों को छोड़कर केवल इनेगिने बीच के निर्यातकर्ताओं को ही कर देने से उत्पादकों और मालिकों को बड़ी हानि सहनी पड़ती है और देश से बाहर भेजे जाने वाली कच्ची धातुओं की मात्रा तथा मूल्य के लिये उन्हें बीच के निर्यातकर्ताओं पर आश्रित रहना पड़ता है ;

(ख) क्या इस अभ्यावेदन पर सरकार ने ध्यान दिया है ; और

(ग) यदि यह सही है तो उसके परिणाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). हां ।

(ग) सरकार द्वारा दिनांक २ सितम्बर, १९५२ को प्रेस विज्ञप्ति में घोषित मैंगेनीज और कच्चे लोहे के निर्यात की नीति के अनुसार निर्यात व्यवसाय में खान के ऐसे मालिकों के लिये स्पष्ट उपबन्ध है कि जो पिछले निर्यात के आधार पर निर्यात बंटन के लिये उपयुक्त नहीं है । रेल के डब्बों के बंटन की प्रक्रिया भी नवीकरण कर दी गई है और निर्यात के निर्धारित भाग के अधिकारी खान-मालिक भी उसी आधार पर परिवहन सुविधायें प्राप्त कर सकेंगे जिस आधार पर वे स्थापित निर्यातकर्ताओं को दी जाती हैं ।

भील परिवारों का पुनर्वास

*१३७४. **श्री भीखाभाई** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री दिनांक १५ मई, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १४४७ के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और यह बतालयेंगे कि तीन सौ भील परिवारों के पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

(ख) उन्हें स्थायी रूप से कब पुनर्वास किया जायगा ।

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : कुछ भील परिवारों को मध्यभारत में ज़मीन पर बसाने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) भूमि उपलब्ध होते ही ।

मूल योजनाएं

*१३७५. **श्री सी० भट्ट** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सामुदायिक योजनाओं के अन्तर्गत स्थानीय भवन निर्माण सामग्री के उपयोग का शिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से क्या भारत के किन्हीं चुने हुये देहातों में मूल योजनायें प्रारम्भ की गई हैं ;

(ख) क्या भवन निर्माण की प्रारम्भिक सामग्री जैसे ईंटें, टाइल आदि के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य आरम्भ किया गया है ;

(ग) यदि उक्त (क) और (ख) भागों के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो यह कार्य किन किन ज़िलों के कितने गांवों में किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं किया तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). कम क़ीमत वाले मकानों को देहाती क्षेत्रों में प्रवर्त्तन करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

हाथ से कूटा हुआ चावल

*१३७५-अ. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हाथ से कूटे चावल को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में अखिल भारत खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के संकल्प को कार्य में परिणत करने के लिये क्या कार्य किये गये हैं अथवा करने का प्रस्ताव हैं ;

(ख) क्या कोई ऐसा राज्य है जहां कारखानों से चावल निकालने और गेहूं का आटा पीसने पर प्रतिबन्ध है ; और

(ग) क्या उपभोक्ताओं को हाथ से कुटे चावल और गेहूं का संभरण करने के लिये अखिल भारत खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से दिल्ली में कोई व्यवस्था है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) कारख़ाने में चावल पीसने पर भारत के किसी राज्य में प्रतिबन्ध नहीं है किन्तु रोलर क़िस्म की मशीनों के अतिरिक्त कोई नवीन मशीन स्थापित नहीं की जा सकती।

आयात किये गये गेहूं के सम्बन्ध में कहीं कोई प्रतिबन्ध नहीं है किन्तु देशी गेहूं को मैदा में बदलने की अनुमति नहीं है

(ग) नहीं ।

तिलैया बांध

*१३७६. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा:** (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सम्वाद में कुछ सत्यता है कि भारी वर्षा के परिणाम-स्वरूप तिलैया बांध का एक भाग बह गया है ?

(ख) तिलैया बांध से गत तीन महीनों में कितने गांव जलमग्न हो गये ?

(ग) पिछले तीन महीनों में कितने परिवार विस्थापित हो गये हैं ?

(घ) क्या उक्त परिवारों को पुनः बसा दिया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं श्रीमान् । तिलैया बांध पूर्णतया सुरक्षित और अखण्डित है ।

(ख) चार ।

(ग) पिछले तीन महीनों में विस्थापित हुये परिवारों की संख्या सरलतया उपलब्ध नहीं है ।

(घ) सब प्रभावित व्यक्तियों को स्थान परिवर्तन के व्यय समेत नक़द मुआवज़ा दिया गया था । केवल तीन परिवारों ने दामोदर घाटी निगम द्वारा निर्मित मकानों को लेना स्वीकृत किया ह । दूसरे व्यक्तियों ने ऐसा करने से मना कर दिया है ।

विस्थापित भूस्वामी

*१३७७. **डा० अमीन:** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सिंध के विस्थापित भूस्वामियों ने पाकिस्तान में कितने एकड़ भूमि छोड़ी है ?

(ख) इन भूस्वामियों की कितनी संख्या है ?

(ग) पश्चिमी पंजाब द्वारा विस्थापित भूस्वामियों को बांटी गई भूमि के आधार पर उन में से कितने व्यक्तियों को कृष्य भूमि निर्धारित की गई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) समूचे एकड़ भूमि के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है । विस्थापित व्यक्तियों द्वारा अधिकृत भूमि २५ लाख एकड़ है ।

(ख) पूरी संख्या ज्ञात नहीं है । विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत दावों की वरीयता करने वालों की संख्या लगभग ४०,००० है ।

(ग) पंजाबियों के अतिरक्त सिंध के विस्थापित भूस्वामियों को अर्द्धस्थायी आधार पर कृष्य भमि निर्धारित नहीं की गई है किन्तु बहुतेरे अस्थायी बंटन का उपभोग कर रहे हैं । हाल ही में हैदराबाद में उन्हें कुछ भूमि का बटवारा दिया गया था और बीकानेर डिवीज़न में निर्वासितों की ३०,००० एकड़ भूमि और मत्स्य में लगभग २५,००० एकड़ भूमि अ-पंजाब भूस्वामियों (सिंधियों समेत) को बांटने क निर्णय किया गया है । दूसरे अ-पजाबियों साथ सिंधी भूस्वामियों को अन्य राज्यों म उपल्बध निर्वासितों की भूमि और बाग-बगीचे दिये जायेंगे ।

त्रिपरा में विस्थापित व्यक्ति

७१८. **श्री वी० पी० नायर**
श्री बीरेन दत्त } :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) त्रिपुरा राज्य में बसने वाले विस्थापित व्यक्तियों को १५ अगस्त, १९५३ तक दी गई कुल निधि ।

(ख) प्रस्थापना तथा अन्य विषयों पर सरकार द्वारा व्यय की गई कुल निधि ; और

(ग) उक्त तिथि तक इन विस्थापित व्यक्तियों को निधि वितरण करने की व्यवस्था ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (ग) . सूचना संग्रहीत की जा रही है और उचित समय में सदन पटल पर रख दी जायगी ।

दिल्ली में राजस्थान सरकार की कोठियां

७१९. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में राजस्थान राज्य की कितनी कोठियां केन्द्रीय सरकार की अधीनता में हैं और उनके नाम क्या हैं ?

(ख) राजस्थान सरकार को प्रत्येक कोठी का कितना किराया दिया जाता है ?

(ग) क्या सरकार को उनमें से कुछ कोठियां राजस्थान सरकार के उपयोग के लिये देने का विचार है ?

(घ) यदि विचार है तो कितनी कोठियां दी जायेंगी और कब तक ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) इस तरह की ८ कोठियां हैं (जिन पर राजस्थान राज्य का आंशिक अथवा पूर्ण स्वामित्व है) :—

(१) कोटा हाऊस ।

(२) जसलमेर हाऊस ;

(३) भरतपुर हाऊस ;

(४) जोधपुर हाऊस ;

(५) धौलपुर हाऊस ;

(६) बीकानेर हाऊस ;

(७) जयपुर हाऊस ;

(८) उदयपुर हाऊस ;

(ख) उक्त कोठियों का किराया निम्न है :—

(१) कोटा हाऊस ५००० रुपये प्रति माह *।

(२) जसलमेर हाऊस ; १५०० रुपये प्रति माह *।

(३) भरतपुर हाऊस ४९४ रुपये प्रति माह ।

(४) जोधपुर हाऊस ५६२ रुपये ८ आना प्रति माह ।

(५) धौलपुर हाऊस २४२५ रुपये प्रति माह *।

(६) बीकानेर हाऊस अभी किराया अनिर्णीत है ।

(७) जयपुर हाऊस ५२८४ रुपये प्रति माह *।

(८) उदयपुर हाऊस अभी किराया अनिर्णीत है ।

*इन किरायों में अभी संशोधन होना शेष है)

(ग) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

जंतर मन्तर

७२०. **श्री बलवन्त सिंह महता :** क्या निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि जन्तर मन्तर राजस्थान सरकार की सम्पत्ति है ।

(ख) यदि हां तो उसको किस शर्त पर लिया गया है और उसका क्या किराया दिया जाता है ?

(ग) क्या उसके लेने के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार के साथ बातचीत हो रही है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) तक । सूचना एकत्रित की जा रही है । और सदन पटल पर रखी जायेगी ।

अभ्रक का निर्यात

७२१. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिंहा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री निम्नलिखित प्रकारों के अभ्रक की सम्पूर्ण मात्रा, जो प्रत्येक के समक्ष लिखित काल में विदेशों को भेजा गया, तथा मूल्य (पोत-विपत्र के अनुसार) अथवा प्रति हण्डरवेट मूल्य बताने की कृपा करेंगे :

(१) संख्या ६ साफ की हुई खुली परतें
(२) संख्या ६ प्रथम खुली हुई परतें
(३) संख्या ६ द्वतीय खुली परतें
(४) संख्या ६ तृतीय खुली परतें

भिन्न भिन्न १९५०, १९५१, १९५२ तथा १९५३ के वर्षों में जनवरी से जून तक के मासों में मूल्य की सूचना उपलब्ध नहीं है, जैसा कि भारत का वैदेशिक व्यापार (समुद्र तथा स्थल) तथा नौवहन संबंधी लेखा में यह अलग नहीं दिखाया गया है । १९५०, १९५१, १९५२ तथा जून तक १९५३ में अभ्रक परतों के आयात की मात्रा तथा मूल्य सम्बद्ध विवरण में दिया हुआ है। **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध सं० ४९]**

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमचारी): एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४८]**

अभ्रक धूल (आयात)

७२२. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९५०, १९५१, १९५२ तथा १ जून,, १९५३ तक में आयात की गई अभ्रक धूल की सम्पूर्ण मात्रा बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) प्रति हण्डरवेट क्या मूल्य दिया गया ?

(ग) क्या भारत में अभ्रक धूल बनाने के लिये कोई उद्योग आरम्भ करने का प्रस्ताव है ?

(घ) यदि हां तो यह कहां है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख) भारत में आयात की गई अभ्रक धूल की मात्रा तथा

(घ) यदि हां, तो क्या सारे को लिया जायेगा या उसका कुछ भाग राजस्थान के लिये छोड़ दिया जायेगा ?

(ग) तथा (घ) मैसर्स माइकानाइट एण्ड माइका प्रोडक्ट्स गुदूर नैलोर, ने अभ्रक पाउडर बनाने के लिये एक निर्माणशाला स्थापित की है । उन के अतिरिक्त दो और फर्म नम्ना मैसर्स इलैक्ट्रो माइका कम्पनी गिरिदीह, और मैसर्स बिहार माइका प्रोडक्ट्स तथा इंडस्ट्रीज लि०, हजारीबाग, पहिले से अभ्रक पाउडर बना रहे हैं ।

खान मजदूरों का वेतन-मान

७२३. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी खानों के गिरिदीह समूह में अब तक कुल कितनी श्रेणियों में वे वेतन-मान निश्चित हो गये हैं जिन की सिफारिश केन्द्रीय वेतन आयोग ने की है ?

(ख) कितनी श्रेणियों में और वेतन-मान की श्रेणियों में से कौन सी अभी तक निश्चित होनी शेष है ?

(ग) क्या सरकार को मजदूरों से कोई ऐसी प्रार्थना प्राप्त हुई है जिस में उन्होंने अवशेष श्रेणियों के लिये केन्द्रीय वेतन आयोग के मानों को तत्काल ही कार्यान्वित करने को कहा है ?

(घ) वे कब निश्चित होंगे ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) श्रेणियों की सम्पूर्ण संख्या १२८ है। इन में से १०० श्रेणियों के लिये वेतन-मान निश्चित हो चुके हैं।

(ख) २८ श्रेणियों के लिये वेतन-मान निश्चित होने हैं। इन श्रेणियों की एक सूची नत्थी की जाती है। **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध सं० ५०]**

(ग) हां।

(घ) अवशेष श्रेणियों में से अधिकतर के लिये वेतन-मानों की सरकार जांच कर रही है, और कुछ के सम्बन्ध में कोयला आयुक्त के प्रस्ताव की प्रतीक्षा है। शीघ्र ही अन्तिम रूप से मानों के निश्चित होने की आशा है।

हाथकरघा उद्योग

७२५. **श्री बुच्चिकोटैय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथकरघा बोर्ड की हाल में हुई बैठक में हाथकरघा बुनकरों को दी जाने वाली उस सहायता के बारे में, जो मिल के वस्त्र पर एकत्रित किये गये कर से दी जायेगी, क्या मुख्य सिफारिशें की गई थीं।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : हाथकरघा बोर्ड ने, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत हाथकरघा विकास योजनाओं की जांच करने में, तथा फिर से ऐसी योजनाओं को वैत्तिक सहायता देने की सिफारिशों के लिये, निम्नलिखित विषयों पर विचार किया तथा साधारण सिद्धान्त बनाये :—

(१) सहकारी संस्थाओं की स्थापना,

(२) सहकारी संस्था का अंश तथा सक्रिय पूंजी,

(३) डिपो, ऐम्पोरिया आदि खोलने के लिये अनुदान,

(४) संगठन संबंधी व्यय,

(५) वस्त्र के विक्रय पर आर्थिक सहायता,

(६) खोज, सामग्री तथा आकार-प्रकार,

(७) बुनकरों को करघों तथा उपकरणों का देना,

(८) रंग-गृहों, रंगने वाली चलती इकाइयां आदि,

(९) नमूने बनाने वाले केन्द्र,

(१०) छापने तथा फिनिश करने वाले यन्त्र,

(११) परीक्षार्थ प्रयोगशालायें,

(१२) प्रक्रिया यन्त्र।

राज्य सरकारों से प्राप्त योजनाओं की इन सिद्धान्तों के अनुसार जांच की गई और कुछ मामलों में अनुदानों व ऋणों की सिफारिशें की गईं।

औद्योगिक निगम

७२६. **श्री एम० आर० कृष्ण** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में ऐसे औद्योगिक निगम हैं जो प्रार्थियों को सैद्धान्तिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा देने के लिये अपने टैक्नीकल शिक्षा केन्द्र चला रहे हैं जिन में योग्य शिक्षक हैं ?

(ख) ऐसे उद्योग कहां स्थित हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) निम्नलिखित इस प्रकार के मुख्य शिक्षा केन्द्र हैं :—

(१) टाटा आइरन एण्ड स्टील कं० जमशेदपुर

(२) मैसूर आइरन एण्ड स्टील वर्क्स भद्रावती

(३) मैसर्स इण्डियन आइरन एण्ड कं०, बर्नपुर

(४) पी० एस० जी० एण्ड सन्स चैरिटी इन्डस्ट्रियल इंस्टीट्यूट पीलामेडू, कुइम्बेटूर

(५) सर श्रीराम इंस्टिट्यूट, यूनिवर्सिटी रोड, दिल्ली ।

कच्चे लोहे का निर्यात

७२७. **श्री देवगम** : क्या **उद्योग तथा वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ में कलकत्ता पत्तन से जापान तथा अन्य देशों को कच्चा लोहा भेजने वाली विभिन्न पोत-समवायों के नाम क्या हैं;

(ख) उस काल में प्रत्येक समवाय ने कितना लोहा वहां पहुंचाया;

(ग) ६० प्रतिशत अयस के आधार पर प्रत्येक समवाय का प्रति टन पत्तन पर औसत निःशुल्क मूल्य क्या था;

(घ) जापान तथा अन्य देशों को जनवरी से दिसम्बर १९५२ तक के काल में मासिक मूल्य आधार, कच्चे लोहे में अयस का प्रतिशत क्या था और (१) पोत समवायों के नाम (२) भेजे गये माल की मात्रा, तथा (३) भेजें गये माल की प्रकार क्या थी;

(ङ) क्या कभी सरकार को यह सूचना दी गई थी कि कुछ पोत समवाय अन्य भारतीय पोत समवायों की अपेक्षा कम मूल्य पर निर्यात के लिये जापान को कच्चे लोहे का विक्रय कर रहे थे; तथा

(च) क्या इस मामले में सरकार ने कोई कार्यवाही की ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) तक। एक विवरण जिस में, अपेक्षित सूचना दी गई है, नत्थी किया जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध सं० ५१]** पत्तन पर निःशुल्क प्रति टन मूल्य, जो ६० प्रतिशत अयस पर निर्धारित हो, उपलब्ध नहीं है ।

(घ) एक विवरण जिस में १९५२ में पोतों से भेजा गया था कच्चा लोहा की विस्तृत सूचना दी है, नत्थी किया जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध सं० ५१]** वास्तव में पोत द्वारा भेजे गये कच्चे लोहे की प्रकार का सरकारी आंकड़ों में कोई अभिलेख नहीं रखा जाता है। मूल्य उस अधिघोषणा में घोषित अयस माल पर निर्धारित हैं, जो भिन्न भिन्न पोत समवायों द्वारा दिये गये नौ-विपत्र में की गई है ।

(ङ) तथा (च) । मामले की जांच पड़ताल हो रही है ।

'बाल बीयरिंग्स'

७२८. **सरदार अकरपुरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बीयरिंग कम्पनी लि० जयपुर को रक्षा प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करते समय तटकर बोर्ड ने, बटाला स्थित उत्तरी भारत की इंजीनियरिंग संस्था तथा 'बाल बीयरिंग्स' प्रयोग करने वाले अन्य उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य संघों के अभ्यावेदनों का भी ध्यान रखा था;

(ख) क्या यह सत्य है कि रक्षा प्राप्त होने के पश्चात् कथित निर्माणशाला ने ६२०४ तथा ६२०६नम्बर के 'बालबीयरिंग्स' का मूल्य ९ रु० ४ आने ६ पाई से बढ़ा कर ११ रु० १३ आने प्रति जोड़ा कर दिया (जोड़े में ६२०४ तथा ६२०६ का एक एक बाल बीयरिंग होता है);

(ग) क्या सरकार नेशनल बीयरिंग कम्पनी लि० जयपुर द्वारा निर्मित वस्तुओं का मूल्य कम्पनियों द्वारा निश्चित किये जाने पर किसी प्रतिबन्ध का प्रयोग कर रही है; तथा

(घ) क्या यह सत्य है कि वास्तव में प्रयोग करने वालों को भारत में आयात-मात्रा की अपेक्षा जो सरकार ने निश्चित कर दी है, 'बाल बीयरिंग्स' के आयात के लिये अनुज्ञायें नहीं दी जा रही हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) आयोग उन सब अभ्यावेदनों का ध्यान रखता हैं जो उसे प्राप्त होते हैं ।

(ख) रक्षा प्राप्त होने के पूर्व तथा पश्चात् फर्म द्वारा लिये जाने वाले मूल्य निम्नलिखित हैं :—

आकार	रक्षा-पूर्व मूल्य	रक्षा-पश्चात् मूल्य
नम्बर १२० (ठीक नम्बर ६२०४ के समान)	रु. आ. पा. ३-१०-६ प्रति	रु. आ. पा. ४-८-० प्रति
नम्बर १३० (ठीक नम्बर ६२०६ के समान)	६-८-० प्रति	७-५-० प्रति

(ग) हां श्रीमान् । तटकर आयोग प्रत्येक रक्षित उद्योग की उत्पत्तियों के मूल्य की प्रकृति का ध्यान रखता है और यथोचित काल पश्चात् रक्षा के मामले का पुनरीक्षण किया जाता है । सरकार को देशी 'बाल बीयरिंग्स' के आरोपित ऊंचे मूल्यों के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उन्हें तटकर आयोग को निर्दिष्ट किया गया था । जांच पड़ताल के पश्चात् तटकर आयोग ने सूचना दी है कि देशी निर्माताओं द्वारा लिये जाने वाले मूल्य अनुचित नहीं है ।

(घ) हां, श्रीमान् ।

बाल बीयरिंग्स

७२९. श्री बलवन्त सिंह मेहता : (क) **क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स बाल बीयरिंग्स कं० जयपुर का वार्षिक कुल उत्पादन क्या है और उस का मूल्य क्या है ?

(ख) उक्त समवाय हमारे देश की आवश्यकता को किस प्रतिशतता में पूरा करता है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि यह समवाय उत्पादन बढ़ा सकता है और ज्यूं ही इसे न्यूनतम संख्याओं के आदेश मिल जायें जिन से उत्पादन का औचित्य सिद्ध हो, यह सब प्रकार और सब मापों के बाल बीयरिंग्स तैयार कर सकता है ?

(घ) जहां तक बाल बीयरिंग्स का सम्बन्ध है भारत के आत्मभरित होने के पथ में क्या कठिनाइयां हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). ९००,००० बाल बीयरिंग्स और १,०००,००० ग्रुस इस्पात के गोलों की अनुमानित वार्षिक मांग की तुलना में, समवाय का उत्पादन निम्नलिखित है :—

वर्ष	बाल बीयरिंग्स (सं)	इस्पात के गोले (ग्रुस)
१९५० (अगस्त से १९५०)	४०,८२२	१०१,७११
१९५१	२३४,३८३	४१६,४२६
१९५२	४१६,७६९	४८०,९३५
१९५३ (जुलाई समेत जुलाई १९५३ तक)	३९३,२०३	३६०,४८८

उपरोक्त बालबीयरिंग के मूल्य के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं ।

(ग) यह कहना कठिन है कि यह सार्थ उत्पादन बढ़ायेगा और सब प्रकार के तथा सब माप के बालबीयरिंग तैयार करेगा ।

(घ) आत्मभरण के पथ में मुख्य कठिनाइयां निम्नलिखित हैं :—

(१) यह उद्योग आयात किये गये कच्चे माल पर निर्भर है जो या तो खुला नहीं मिलता, या पड़ते के मूल्य पर नहीं मिलता; और

(२) कुछ मापों और प्रकारों की मांग इतनी अधिक नहीं है जिस से लाभप्रद उत्पादन हो सके ।

हैदराबाद राज्य में 'राज्य विकास समिति'

७३०. श्री एच० जी० वैष्णव : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग की सिफारिश पर सामुदायिक विकास और ग्रामीण विस्तार के प्रयोजन के लिय हैदराबाद राज्य में विकास आयुक्त नियु क्तकिया गया है और राज्य विकास समिति बंनाई गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार योजना के अधीन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये पहले ही एक राज्य विकास समिति नियुक्त की गई है और विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है ।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये भूमि

७३१. श्री बोडयार : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य को, विस्थापित व्यक्तियों के लिये भूमि रक्षित करने के लिये निदेश दिया है; तथा

(ख) यदि ऐसा है जो योजना का क्या हुआ ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोसले) : (क) भारत सरकार ने पूर्वी बंगाल से विस्थापित लोगों के बसाने के लिये उपयुक्त भूमि के लिये मैसूर सरकार से प्रार्थना की थी ।

(ख) अन्त में यह योजना छोड़ दी गई क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति मैसूर राज्य में जाने के लिये तैयार नहीं थे ।

उद्योगिक उपक्रमों का स्थान

७३२. श्री अच्युतन : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब गैर सरकारी दल बड़े उद्योगिक उपक्रम आरम्भ करते हैं तो स्थान के सम्बन्ध में सरकार से पूछते हैं, तथा

(ख) यदि ऐसा है तो १९५० से किन मामलों में वह अधिकार प्रयोग में लायेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) हां, श्रीमान्। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ के अधीन सारे नये अनुज्ञप्त उपक्रमों के स्थान के सम्बन्ध में सरकार शर्तें लगाने का अधिकार रखती है ।

(ख) क्योंकि अधिनियम ८ मई १९५२ को प्रवर्तन में आया, इसलिये नए औद्योगिक उपक्रमों के लिये जारी की गई ४९ अनुज्ञप्तियों में अन्य शर्तों के साथ स्थान सम्बन्धी शर्त भी है ।

बटन

७३५. श्री एस० एन० दास : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बटनों की विभिन्न किस्मों के सम्बन्ध में देश की आवश्यकताओं का कोई अनुमान है ;

(ख) यदि ऐसा है तो देश में बटनों का उत्पादन देश के लिये पर्याप्त है ;

(ग) यदि नहीं तो उन बटनों, की हर किस्म का मूल्य और संख्या क्या है जो बाहर से आयात किये जाते हैं ;

(घ) क्या १९५२–५३ वर्षों के लिये स्वदेशी उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध हैं;

(ङ) इस उद्योग के लिये किस किस कच्चे माल की आवश्यकता है और क्या वे देश में उपलब्ध हैं; तथा

(च) भारत में किन स्थानों पर पर्याप्त संख्या में बटन तैयार किये जाते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) यह माना गया है कि स्वदेशी उत्पादन देश की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त नहीं ।

(ग) १९५१-५२ और १९५२-५३ में बटनों के आयात को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध सं० ५२]**

(घ) वास्तविक उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं । एक अनुमानित उत्पादन का विवरण संलग्न है। **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध सं० ५२]**

(ङ) यूरिया फारमल-डीहाईड मोल्डिंग पाउडर, पोलीस्टीरीन, डमनट्स, सीप, तथा जस्त, इन में से केवल अन्त की दो वस्तुयें देश में उपलब्ध हैं ।

(च) बम्बई, अमृतसर, कोइम्बटूर, बिहार का चम्पारन जिला और हैदराबाद ।

कपड़ा

७३६. श्री एस० एन० दास : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि उस कपड़े की बिक्री पर जिस पर "केवल निर्यात के लिये" लिखा हो और जो नैपाल से भारत के क्षेत्र में लाया गया हो, कोई प्रतिबन्ध है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) नहीं श्रीमान्। सूती कपड़े (निर्यात नियंत्रण) आदेश १९४९ के खण्ड ३ में दिये उपबन्ध के अनुसरण में कपड़ा आयुक्त बम्बई से आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात् उस कपड़े की बिक्री की जा सकती है जिस पर "केवल निर्यात के लिये" लिखा हो तथा जो नेपाल से भारत क्षेत्र में लाया गया हो। इस अनुज्ञप्ति की इस लिये आवश्यकता है कि यह कपड़ा देश के अन्दर उपभोग के लिये कपड़े के उत्पादन का विनियमन करने वाले कुछ उत्पादन नियंत्रण उपबन्धों के अनुसार नहीं होता ।

(ग) नहीं श्रीमान् ।

साबूदाने का आटा

७३७. श्री एम० एन० दास : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१, १९५२ तथा जून १९५३ तक आयात किये गये साबूदाने के आटे की मात्रा क्या है ?

(ख) जुलाई-दिसम्बर १९५३ के अनुज्ञप्ति सम्बन्धी कालावधि के लिये साबूदाने के आटे का आयात किन कारणों से बिल्कुल बन्द कर दिया गया ;

(ग) इस सम्बन्ध में देश की अनुमानित मांग क्या है; तथा

(घ) स्वदेशी साबूदाने का आटा इस मांग को कहां तक पूरा कर सकता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क)

१९५१	७६४,८३१	हण्डर्डवेट
१९५२	४७,६२१	"
१९५३ (जून तक)	शून्य	

(ख) साबूदाने के आटे का मुख्य उपयोग कपड़ा उद्योग कलफ लगाने के लिये करता है। कपड़ा उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्वदेशी कलफ उद्योग मकई का कलफ देने की क्षमता रखता है। क्योंकि स्वदेशी कलफ कुमकुम बनाने के उपयुक्त नहीं है। उस लिये कुम कुम बनाने वालों को जुलाई-दिसम्बर १९५३ की कालावधि में, साबूदाने के आटे की अपनी प्रमाणित आवश्यकताओं का आयात करने की अनुज्ञा है।

(ग) कुम कम बनाने के लिये ५०० टन प्रति वर्ष ।

(घ) साबूदाने के आटे का देशीय उत्पादन नहीं होता ।

नई देहली में राजदूतों की बस्ती

७३८. **श्री एस० एन० दास** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नई दिल्ली में राजदूतों की बस्ती के विकास और पुनरुद्धार में क्या प्रगति की गई है;

(ख) कितने देशों ने अपने दूतावासों की रचना के लिये अब तक भूमि के प्लाट खरीद लिये हैं अथवा खरीदने का वचन दिया है

(ग) पुनरुद्धार और विकास में कुल कितना व्यय हुआ;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारें ने इस क्षेत्र में भूमि के प्लाट लेने की इच्छा प्रगट की है ?

(ङ) क्या गैर सरकारी व्यक्ति भ इस क्षेत्र में भूमि खरीद सकते हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) लगभग ८० प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

(ख) अब तक १० देशों ने खरीदे हैं और १५ अन्य देशों ने इस क्षेत्र में प्लाट खरीदने का वचन दिया है ।

(ग) जुलाई, १९५३ के अन्त तक लगभग ९६ लाख रुपया ।

(घ) जी हां उन में से ६ ।

(ङ) हां, श्रीमान् । इस प्रयोजन के लिये रखे गए भाग में नीलामी पर।

हासदो परियोजना

७३९. **सरदार ए० एस० सहगल** : **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार हासदो परियोजना पर जांच करने की वांछनीयता को पुन: विचार में लाना चाहती है ?

सिंचाई तथा विद्युत उप मंत्री (श्री हाथी) : मध्य प्रदेश सरकार के कहने पर हासदो परियोजना पर की जाने वाली जांच रोकी गई थी, और जांच सम्बन्धी प्रश्न पर तभो पुन: विचार किया जायगा यदि जब राज्य सरकार इस मामले में भारत सरकार के पास प्रार्थना भेजे ।

विस्थापित बच्चे

७४०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें दिये जाने के विषय में पाकिस्तान-अधि कृत

जम्मू तथा काश्मीर के प्रदेश से आने वाले विस्थापित बच्चों से वही बर्ताव किया जाता है जो पश्चिमी पाकिस्तान के अन्य भागों से आने वाले विस्थापित बच्चों के साथ किया जाता है, और

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९५२-५३ में उन की शिक्षा पर कुल कितना व्यय हुआ था ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी नहीं केवल उन बच्चों के साथ जो विस्थापित काश्मीरी परिवारों के थे और १ जलाई, १९४९ से पहले दिल्ली आये थे, जिन की संख्या ४०० थी और जो तब से दिल्ली में रह रहे हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता, और दिल्ली की सूची म आये हुए इन परिवारों के बच्चों के आंकड़ उपलब्ध नहीं हैं ।

रडियो लाइसेन्स

७४१. सरदार हुकम सिह : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५०, १९५१, १९५२ और १९५३ म दिय गये रेडियो लाइसेन्सों की संख्या कितनी है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): एक विवरण जिस में, १९५०, १९५१ और १९५२ में दिये गये रेडियो लाइसेन्सों की संख्या दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है । १९५३ के अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या५३]**

भूमि आयोग

७४२. श्री एल० एन० मिश्र : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या योजना आयोग के अध्यक्षत्व म काम करन वाले भूमि आयोग ने देश भर म एकरूप आधार पर भूमि सुधारने के लिये कोई योजना बना रखी है;

(ख) यदि हां तो उक्त योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने भूखंडों की कोई सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों के नाम तथा उन के द्वारा निर्धारित सीमायें क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्याय १२ में जिस भूमि सुधार कार्यक्रम कीं रूप रेखा दी गई है, उसी के कार्यान्वित किये जाने के साथ साथ केन्द्रीय भूमि सुधार समिति का सम्बन्ध है ।

(ग) तथा (घ). उत्तर प्रदेश, हैदराबाद तथा मध्य भारत सरकारों द्वारा भावी भूमि अर्जन की सीमायें परिनियत की जा चुकी हैं । बम्बई, उड़ीसा, पंचजाब, उत्तर प्रदेश तथा हैदराबाद में वैयक्तिक कृषि के हित भूमि-प्राप्ति की सीमायें परिनियत की जा चुकी हैं ।

प्रमाणिक एकड़ का मूल्य

७४३. श्री गिडवानी : पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रामाणिक (आदर्श) एकड़ का मूल्य निश्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशें क्या हैं ?

पुनर्वासउपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) और (ख). यों तो व्यवहारिक रूप से उक्त समिति ने इस पर होने वाला विमर्श-कार्य पूरा किया है, और आशा की जाती है कि अभी थोड़े समय में वह रिपोर्ट भी प्राप्त होगी ।

कपड़ा

७४४. **श्री के० सो० सोधिया** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के प्रथम छः महीनों में कपड़ा मिलों ने कुल कितने कपड़े का उत्पादन किया ?

(ख) इस में (१) अतिमहीन, (२) महीन, (३) मामूली (मीडियम), और (४) गाढ़ा कितना है ?

(ग) इसी अवधि में प्रत्येक प्रकार के कपड़े की कितनी मात्रा निर्यात की जा चुकी है ?

(घ) चालू वर्ष के लिये निर्यात का लक्ष्य कितना था, और इन शेष महीनों में और कितना फालतू निर्यात होगा ताकि लक्ष्य प्राप्त हो सके ।

(ङ) निर्यात बढ़ाने की क्या कार्यवाही, यदि कुछ हो तो की जा रही है, और उस का परिणाम क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :(क) और (ख). कुल उत्पादन २,४५४ गाढ़ा, २८५ मामूली १,५३२.५, महीन, ४८५.२ , अतिमहीन १५१.३ (आंकड़े दस लाख गजों में)

(ग) कुल निर्यात ३२०.११, गाढ़ा १२७.८८ मामूली १११.२० महीन ७५.६० अतिमहीन ५.४३

(घ) लक्ष्य यह था कि एक अरब गज कपड़े का निर्यात हो । हम यह नहीं कह सकते कि आगामी महीनों में निर्यात के आंकड़े क्या होंगे ।

(ङ) निर्यात बढ़ाने के लिये जो कार्यवाही की जा चुकी है वह नीचे दी जाती है :—

(१) जून १९५४ तक कपड़े के निर्बाध निर्यात की आज्ञा दी गई है ।

(२) जनवरी १९५३ में, गाढ़े तथा मामूली कपड़े पर का निर्यात शुल्क २५ प्रतिशत से घटा कर १० प्रतिशत कर दिया गया ।

(३) निर्यात के कपड़े को ३ पाई प्रति गज के अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगने से मुक्त किया गया है ।

इन उपचारों के परिणामस्वरूप हमारे निर्यात बढ़ चुके थे ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के लिये भण्डारों की खरीद

७४५. **श्री क० सो० सोधिया**:(क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन के मंत्रालय के लिये १९५२-५३ में भाण्डारों के निमित्त कल कितनी धन राशि दी गई ?

(ख) (१) भारत तथा (२) विदेशों में कितनी राशि का सामान खरीदा गया ?

(ग) क्या भारत में इस प्रकार का सामान बनाने के लिये कोई व्यवस्था की गई है, और यदि हां, तो कब ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग) तक:— जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन पटल पर रखी जायेगी ।

हाथ-करघे चलाने वाले जुलाहे

७४६. **श्री बुच्चिकोटैय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य सरकार ने हाल ही में संघ सरकार के पास इस बात का अभ्यावेदन भेजा था कि मिलों से तौलिया का कपड़ा गलीचे, दरियां आदि नहीं बनवाये जायें ताकि इन वस्तुओं का निर्माण हाथ करघा वालों के लिये रक्षित हो सके, और

(ख) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

धोतियां और साड़ियां

७४७. **श्री रामानन्द दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के सूती कपड़े के मिल मालिकों ने अपनी कठिनाइयों के विषय में सरकार के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है और यह प्रार्थना की है कि धोतियां और साड़ियों के उत्पादन में ४० प्रतिशत कमी करने के आदेश की क्रियान्विति से उन्हें मुक्त किया जाय;

(ख) धोतियों और साड़ियों के मूल्य में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए क्या पश्चिम बंगाल की सरकार ने भारत सरकार से उक्त विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि यह ठीक है तो सरकार उक्त विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) और (ख) : हां। परिमाण की दृष्टि से साड़ियों के उत्पादन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(ग) भारत सरकार ने उन्हें सूचना दे दी है कि इस तरह की शर्तों पर छूट नहीं दी जा सकती ।

मोती

७४८. **श्री संगण्णा** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत से अमरीका और यूरोपीय देशों को मोतियों का निर्यात किया गया है ;

(ख) क्या फारस की खाड़ी से भारत में मोतियों का आयात हुआ है; और

(ग) मोतियों के निर्यात तथा आयात पर आगम-शुल्क के रूप में विदेशी विनिमय आय निधि कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) और (ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) "बहुमूल्य प्रस्तर और न जड़े हुए मोती" शीर्षक के अन्तर्गत मोतियों का निर्यात राजकीय सांख्यकीय में लिखा हुआ है । १९५१-५२ और १९५२-५३ में उन के निर्यात का मूल्य क्रमशः २२.७ और ३२.२ लाख था । मोतियों के आयात पर लगाये गये आगम शुल्क के संबंध में सूचना संग्रहीत की जा रही है । और उचित समय में सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

विस्थापित व्यक्तियों में राजयक्ष्मा के रोगी

७४९. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे।

(क) (१) राज्य सरकार द्वारा निर्वहण किये गये और (२) भारत सरकार द्वारा निर्वहण किये गये विभिन्न राजकीय अस्पतालों में विस्थापित राजयक्ष्मा के रोगियों के लिये कितने विशेष स्थान सुरक्षित हैं;

(ख) उक्त व्यवस्था के लिये राज्यों सरकारों और भारत सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली निधि ;

(ग) विस्थापितों में राजयक्ष्मा के मरीज़ों की अनुमानित संख्या ;

(घ) क्या विस्थापित राजयक्ष्मा के मरीज़ों के लिये अधिक स्थान सुरक्षित करने के लिये भारत सरकार से अनवरत मांग की गई थी ; और

(ङ) इस विषय में सरकार क्या कर रही है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भौंसले): (क) (१) हमारी जानकारी में एक भी नहीं है ।

(२) १९५३-५४ में ६६१

(ख) १९५३-५४ में भारत सरकार द्वारा १२.५० लाख रुपये ।

(ग) निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है किंतु एक समय के अनुमान के अनुसार उनकी संख्या ८०,००० थी जिनमें से १६,००० प्रारम्भिक स्थिति में थे ।

आतिथ्य निधि

७५०. ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ की आतिथ्य निधि का कितना भाग अब तक व्यय हो चुका है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) : १,७०,००० रु०

रूस से वस्तु-विनिमय लेन-देन

७५१. श्री बुच्चिकोटैय्या: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गेहूं के अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिये वस्तु विनिमय के आधार पर समझौता करने के लिये क्या रूस से कोई नवीन वार्ता हो रही है ; और

(ख) यदि यह ठीक है तो बातचीत की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) एक साधारण व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है ।

पावर अलकोहल

७५२. श्री तुलसीदास : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में १९५१-५२, १९५२-५३ में पावर अलकोहल का कुल उत्पादन और १९५३-५४ में प्रत्याशित उत्पादन कितना है ?

(ख) भारत में पावर अलकोहल भट्टियों की प्रस्थापित क्षमता कितनी है ?

(ग) क्या भट्टियों में अधिकतम प्रस्थापित क्षमता के अनुसार काम हो रहा है ?

(घ) यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं ?

(ङ) क्या सरकार को मालूम है कि विदेशी मुद्रा को बचाने की दृष्टि से पंच-वर्षीय योजना ने इस उद्योग को महत्व दिया है ?

(च) यदि यह ठीक है तो सरकार ने इस उद्योग द्वारा अधिकतम प्रस्थापित क्षमता के अनुसार उत्पादन किये जाने की दशा में क्या कार्यवाही की है ?

(छ) भट्टियों के लिये १४ आना प्रति गैलन पावर अलकोहल की दर निश्चित करने का क्या आधार है ?

(ज) उक्त कीमतें कब निश्चित की गई थीं ?

(झ) क्या उक्त तिथि के पश्चात् कीमतों में कोई संशोधन किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १९५१-५२ और १९५२-५३ में पावर अलकोहल का उत्पादन निम्न था :–

वर्ष	उत्पादन
१९५१-५२	५०,८०,००० गैलन
१९५२-५३	७०,७०,००० गैलन
१९५३-५४ का प्रत्याशित उत्पादन	९०,२०,००० गैलन :

(ख) १२०,८०,००० गैलन वार्षिक ?

(ग) उनमें से सब नहीं ।

(घ) बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ियों पर पावर अलकोहल ले जाने की कठिनाईयां और पेट्रोल डिपो पर पावर अलकोहल मिश्रण करने की असुविधाओं के कारण ।

(ङ) हां, श्रीमान ।

(च) छोटी रेलवे लाइन से बड़ी रेलवे लाइनों पर पावर अलकोहल को ले जाने तथा यातायात की अतिरिक्त सुविधायें दी जा रही हैं । भट्टियों से अधिक निकासी करने की दृष्टि से बहुत से अतिरिक्त डिपों पर पेट्रोल के साथ पावर अलकोहल समिश्रण करने के लिये सुविधायें प्रदान करने के लिये तैल समवायों को आदेश दिये गये हैं ।

(छ) उत्पादन मूल्य की जांच के पश्चात् कीमत निश्चित की गई थी ।

(ज) प्रथम जनवरी , १९५० ।

(झ) नहीं, श्रीमान् ।

सामुदायिक योजनायों के लिए डीज़ल एञ्जिन

७५३. श्री सर्मा : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों की सामुदायिक योजनाओं के लिये देशी डीज़ल एंजिन पंपिंग सेट के संभरण के लिय जून, १९५३ में टेंडर आमंत्रित किये गये थे ?

(ख) क्या यह सच है कि पावरिन और पेट्रोल से चलने वाले एंजिन और २५ हार्स पावर से नीचे के डीज़ल एंजिनों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ?

(ग) क्या यह सच है कि आयात के तर्क पर कुछ राज्य केवल पावरिन और पेट्रोल से चलने वाले एंजिनों के पक्ष में ही रहेंगे ?

(घ) यदि यह ठीक है तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां ।

(ख) हां ।

(ग) किन्हीं विशिष्ट कारणों को दृष्टिगत रखते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार ने मिट्टी के तैल से चलने वाले एंजिनों के आयात के लिये प्रार्थना की है ।

(घ) यह विचाराधीन है ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान

७५४. ठाकूर युगल किशोर सिंह : क्या **निर्माण-गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार के जिन कर्मचारियों को दिल्ली तथा नई दिल्ली में सरकारी मकान नहीं दिये गए हैं उनकी संख्या क्या है : तथा

(ख) उनकी संख्या क्या है जिन्हें न सरकारी मकान ही मिले हैं और न मकान के किराये का भत्ता ही मिल रहा है ?

निर्माण-गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) ऐस्टेट आफिस द्वारा दिल्ली और नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के जिन कर्मचारियों को क्वाटर्स नहीं दिये गये हैं उनकी संख्या ३५,५८८ है ।

(ख) यह संख्या अभी उपलब्ध नहीं है । किंतु वे सब कर्मचारी जिन्हें सरकारी निवास स्थान नहीं दिया गया है वे सब वित्त मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय उप पत्र सं० एफ ६ (१)-ऐस्टेट : (विशेष)/४७ दिनांक ३१ जुलाई, १९४७ की शर्तों के अनुसार दिल्ली और नई दिल्ली में मकान किराया भत्ता

पाने के अधिकारी हैं। इसके विस्तृत होने की संभावना नहीं है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

७५५. **श्री आर० के० चौधरी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** २४ अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७८१ के उत्तरों को निर्देश करके, जिनमें कि यह कहा गया था कि केन्द्रीय सिल्क बोर्ड की वर्ष में एक बार से अधिक बैठक बुलाना संभव नहीं है और कि इसने अपनी सारी शक्तियां स्थायी समिति को दे दी हैं, यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि बोर्ड के बनने के समय से ही इस प्रकार शक्तियां मिली हुई हैं ;

(ख) संसद् के बोर्ड में अपना प्रतिनिधि चुनने से पूर्व ही सितम्बर १९५२ में बोर्ड की गत बैठक बुलाने की क्या जल्दी थी ;

(ग) इस बात की व्यवस्था करने के लिये कि संसद् के चार सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य प्रति वर्ष स्थायी समिति का सदस्य चुना जाये क्या उपयुक्त चुनाव नियम बनाये जा रहे हैं ; और

(घ) बोर्ड के वर्तमान सचिव तथा अन्य कार्यपालक पदाधिकारियों के (१) नाम, (२) अर्हतायें, (३) अनुभव और (४) वेतन क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) बोर्ड को अपने कर्तव्यों को निभाना होता है और सभापति ने किसी विशेष शीघ्रता के कारण सितम्बर, १९५२ में बैठक नहीं बुलाई थी।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) इस समय सचिव का पद खाली है।

इस समय कार्यपालक पदाधिकारी केवल सहायक सचिव है, जिसके विषय में संलग्न विवरण में ब्यौरा दिया हुआ है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५४**]

रेशम

७५३. **श्री आर० के० चौधरी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि असली रेशम, जिस में मूंगा, एरी और टस्सर भी सम्मिलित हैं, के हितों को नकली रेशम की जिस का कि अब भी बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है, अनुचित प्रतिद्वन्दिता से बचाने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : यह प्रश्न इस धारणा पर आधारित है कि नकली रेशम से देश में रेशम की मांग को हानि पहुंच रही है। संभव है अन्य कारणों से जैसे कि रेशम की वस्तुओं के अधिक मूल्य के कारण रेशम की मांग पर प्रभाव पड़ता हो। केन्द्रीय रेशम बोर्ड इस बात की खोज कर रहा है कि ऐसी रेशम की वस्तुओं का क्या नाम रक्खा जाये जिनमें नकली रेशम मिला हुआ होता है।

लोधी रोड की चमरियां

७५७. **श्री वीरस्वामी : क्या निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या लोधी रोड की सरकारी नौकरों की बस्ती में स्थित कुछ 'डी' टाइप की चमरियों में कुछ परिवर्तन किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किये जा रहे हैं ;

(ग) क्या अन्य प्रकार की चमरियों में जैसे कि सी-२ और सी-३ में भी वही सुविधायें दी जायेंगी ; और

(घ) यह काम कब तक पूरा होगा ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ये परिवर्तन दो खंडों को जिन में से प्रत्येक में एक कमरे वाली २० चमरियां हैं बदल कर परिवारों के रहने के क्वार्टर बनाने के लिये किये जा रहे हैं जिससे कि प्रत्येक खंड में १० दो कमरे वाले मकान और २ तीन कमरे वाले मकान बन जायें और प्रत्येक मकान के साथ एक अलग रसोई घर, स्नानागार, और शौचालय हो ।

(ग) सरकार इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

(घ) अब जो काम हो रहा है उसके नवम्बर १९५३ में पूरा हो जाने की आशा है ।

फेरो-मैंगनीज़

७५७-क. श्री एच० एन० मुकर्जी : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान ३१ अगस्त, १९५३ के "स्टेट्समैन" (खनिज अनुपूरक) में प्रकाशित मध्यप्रदेश के भूगर्भ तथा खान विभाग के निदेशक के लेख की ओर आकर्षित किया गया है जिस में यह बताया गया है कि भारत में फैरो-मैंगनीज़ के उत्पादन से लाभ हो सकता है ?

(ख) इस विषय में सरकार का यदि कुछ विचार है, तो वह क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार को इस स्थिति का पहिले ही ज्ञान है और वह भावी उद्योगपतियों को सभी प्रकार की उपयुक्त सहायता देगी ।

जस्त (स्पेल्टर) समिति

७५७-ख. श्री भोखाभाई : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० अगस्त, १९५३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५० के उत्तर को निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने उस के बाद से राजस्थान के उदयपुर ज़िले की जवार सीसा-जस्त खानों के संबंध में सर जे० जे० घैण्डी के सभापतित्व में नियुक्त जस्त (स्पेल्टर) समिति की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार जस्त (स्पेल्टर) समिति के प्रतिवेदन पर अभी विचार कर रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बृहस्पतिवार,
१७ सितम्बर, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बृहस्पतिवार १७ सितम्बर, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

९-१५ म० पू०

औचित्य प्रश्न

राज्य परिषद् में बाल विधेयक की पुरःस्थापना

डा० लंका सुन्दरम (विशाखापटनम) : श्रीमान्, चूंकि कल सदन का वर्त्तमान अधिवेशन समाप्त होने जा रहा है, अतः उससे पूर्व मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। "बाल विधेयक, १९५३" शीर्षक का एक विधेयक हम लोगों को राज्य परिषद् के सचिव द्वारा प्रसारित किया गया है। उक्त सचिव ने अपने संलग्न नोट में कहा है कि "राष्ट्रपति ने भारत संविधान के अनुच्छेद ११७ के खंड

(३) के अनुसार, राज्य परिषद् से इस विधेयक पर विचार करने की सिफारिश की है।" यह विधेयक राज्य परिषद् में पुरःस्थापित किया गया था। इसमें एक वित्तीय ज्ञापन भी है जिसमें धन का कुछ व्यय भी सम्मिलित है। सचिव द्वारा संलग्न प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह एक धन विधेयक है। अनुच्छेद ११० (१) आदेशमूलक है और उसमें कहा गया है कि :

"इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन-विधेयक समझा जायेगा यदि उसमें निम्नलिखत विषयों में से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध अन्तर्विष्ट ही हैं, अर्थात्

* * * *

(घ) भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग ;"

अनुच्छेद ११० (१) (घ) के आधीन इस विधेयक की पुरःस्थापना से इसका पारण निरर्थक हो जाता है। बाद में यह हमारे पास नहीं भेजा जा सकता। मैं कोई राजनैतिक विवाद नहीं खड़ा करना चाहता, पर मैं समझता हूं कि इस विषय का हमारी प्रक्रिया से महत्वपूर्ण संबंध है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इसकी तत्काल कोई अत्यन्त आवश्यकता है। मैं इसको बाद में देखूंगा।

राज्य परिषद् सन्देश

सचिव महोदय : श्रीमान्, मुझे यह सूचना देनी है कि राज्य परिषद् के सचिव से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुआ है :—

"मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश मिला है कि राज्य परिषद् ने आज १६ सितम्बर, १९५३ की अपनी बैठक में संलग्न प्रस्ताव पारित किया है जिस में विशेष विवाह विधेयक १९५२ को सदनों की एक संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया गया है और यह प्रार्थना की गई है कि उक्त प्रस्ताव और उक्त संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सभा के सदस्यों के नामों के सम्बन्ध में लोक सभा की सहमति की सूचना इस परिषद् को भेज दी जाए।"

प्रस्ताव

"कतिपय मामलों में विशेष प्रकार के विवाह और इस प्रकार के तथा कतिपय अन्य विवाहों के पंजीयन की व्यवस्था सम्बन्धी इस विधेयक को सदनों की संयुक्त समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाए जिस में ४५ सदस्य हों, १५ सदस्य इस परिषद् के हों, अर्थात्,

१. डा० श्रीमती सीता परमानन्द
२. श्रीमती सावित्री देवी निगम
३. श्रीमती वायलट आल्वा
४. ख्वाजा इनायतुल्ला
५. श्री मुहम्मद वलीउल्ला
६. डा० पूर्ण चन्द्र मित्रा
७. श्री राम प्रसाद तंता
८. श्री बी० के० मुकर्जी
९. श्री के० रामा राव
१०. श्री हृदय नाथ कुंजरू
११. प्रिन्सिपल देवप्रशाद घोष
१२. श्री वेंकट कृष्ण ढगे
१३. श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह
१४. श्री अमोलक चन्द
१५. श्री सी० सी० बिस्वास

और ३० सदस्य लोक सभा के हों;

संयुक्त समिति की बैठक के लिए संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से गणपूर्ति होगी;

अन्य बातों में सभापति के परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ इस परिषद् के प्रवर समितियों सम्बन्धी प्रक्रिया के नियम लागू होंगे ;

यह परिषद् लोक सभा से यह अनुरोध करती है कि सभा उक्त संयुक्त समिति में अवश्य सम्मिलित हो और सभा के द्वारा संयुक्त समिति में जो सदस्य नियुक्त किए जाने हैं उन के नाम इस परिषद् के पास भेज दे ; और

समिति नियुक्ति के दो मास के अन्दर इस परिषद् के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

पटल पर रखे गये पत्र

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : मैं वित्त मंत्री की ओर से संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अधीन निम्नलिखित दस्तावेजों की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :

(१) १९५०-५१ के लिये भारत में रेलों का विनियोग लेखा। भाग* १—

समीक्षा । [पुस्तकालय में रख दी गई । **देखिये संख्या ४ यू० ए० (७५)**]

(२) १९५०-५१ के लिये भारत में रेलों का विनियोग लेखा । भाग २—विस्तृत विनियोग लेखा । [पुस्तकालय में रख दी गई । **देखिये संख्या ४ यू० ए० (७५)**]

(३) भारत सरकार की रेलों का अवरुद्ध लेखा (ऋण लेखे के पूंजी विवरण सहित), सन्तुलन पत्र और लाभ तथा हानि का लेखा, १९५०-५१ । [पुस्तकालय में रख दी गई । **देखिये संख्या ४ यू० ए० (७५)**]

(४) १९५०-५१ के लिये रेल कोयला खानों का सन्तुलन-पत्र और कोयले के सम्पूर्ण व्यय इत्यादि के विवरण । [पुस्तकालय में रख दी गई । **देखिये संख्या ४ यू० ए० (७५)**]

(५) रेलों का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ (भाग २) । [पुस्तकालय में रख दी गई । **देखिये संख्या ४ यू० ए० (७६)**] ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य व रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं प्रस्ताव पास करता हूं कि :

"वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और तत्सम्बन्धी भारत सरकार की नीति पर विचार किया जाये ।"

इस संसद् के लगभग सभी सत्रों में इस विषय पर वादविवाद हुआ है और सदन ने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में भारत सरकार की सामान्य नीति का अनुमोदन किया है । प्रत्येक सत्र में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं जिन से यह पता चलता है कि माननीय सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कितनी रुचि लेते हैं । इस सदन द्वारा इन महत्वपूर्ण मामलों में जिन का हमारे देश और सारे विश्व पर प्रभाव पड़ता है, सक्रिय रूप से जो रुचि दिखाई गई है और जिस प्रकार से सदन ने इस का समर्थन किया है वह वस्तुतः सराहनीय है ।

आज कल अन्तर्राष्ट्रीय मामले केवल कुछ चुने हुए कूटनीतिज्ञों का विषय नहीं रहे हैं । उन्हें विशेष रूप से इस सदन को और मैं तो यह भी कहूंगा कि जन-साधारण को भी समझना चाहिये—उन की पेचीदगियों को नहीं, अपितु उन के पीछे जो नीति काम कर रही है उसे समझना चाहिये, क्योंकि आज कल अन्तर्राष्ट्रीय मामले जन-साधारण के जीवन का भी बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गये हैं । उन के कारण युद्ध हो सकता है, उन से और बहुत-सी घटनायें घट सकती हैं जो कि युद्ध के समान ही बुरी हैं और जिन का हम सब के जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों या विदेश नीति को एक विषय मान कर उस के सम्बन्ध में 'हां' या 'न' में कुछ कहना बहुत सरल है । निस्सन्देह, सदन को यह विदित है कि यह उस से कहीं अधिक जटिल प्रश्न है और सत्य यह है कि विदेश नीति के यद्यपि कुछ निश्चित आदर्श और उद्देश्य होने चाहिएं, तथापि यह बहुत-सी विदेश नीतियों से मिल कर बनती है यह कोई एक चीज नहीं है—क्यों कि विश्व हमारी इच्छा के अनुसार तो नहीं चलता । विभिन्न

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

प्रकार की समस्यायें उत्पन्न होती हैं और भिन्न भिन्न हित होते हैं और हमें इस मूल नीति को ध्यान में रखते हुए अपने आप को उन के अनुसार ढालना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में बड़ा विचित्र परिवर्तन होता है। इस में कुछ सैद्धान्तिक जोश-सा है, उन में कुछ पुरानी धार्मिक कट्टरता सी दिखाई देती है, कुछ पुराना बटवारा-सा दिखाई देता है कि "या तो तुम हमारे साथ हो, या हमारे विरुद्ध हो" और इसीलिये हमें यह संकुचित मनोवृति दिखाई देती है जिसके कारण लोग प्रत्येक बात पर इस दृष्टि से विचार करतें हैं कि "जो हमारे साथ हैं या जो हमारे विरुद्ध है" और प्रत्यक बात को उस पुरानी धार्मिक कट्टरता से देखते हैं जिस के कारण भूतकाल में इतनी लड़ाइयां हुईं और उसमें धर्म की अच्छाइयों का नाम निशान तक नहीं हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मामले अब कुछ सुसभ्य कुटनीतिज्ञों की गुप्त चर्चा की चालों तक ही सीमित नहीं रहे हैं, परन्तु इस में कठोर बातें कही जाती हैं, एक दूसरे को निरन्तर धमकियां दी जाती हैं और जहां तक इस विश्व का सम्बन्ध है हम सदा आशा और आशंका के बीच की डावांडोल स्थिति में रहते हैं। कुछ लोग यह समझते हैं कि प्रत्येक देश की नीति 'सुदृढ़' होनी चाहिये--सुदृढ़ नीति का यह अर्थ लिया जाता है कि हमें यथासम्भव अधिक से अधिक भयंकर और खूंख्वार बन कर रहना चाहिए, सब को धमकियां देनी चाहिएं और यह कहना चाहिये कि यदि वे हमारी इच्छानुसार नहीं चलेंगे तो हम उन्हें दण्ड देंगे। ो ऐसी बात एक सार्वजनिक सभा में अच्छी लग सकती है और इस पर तालियां बज सकती हैं, परन्तु इस से वस्तुतः राजनैतिक विचारों या समझ की अपरिपक्वता प्रकट होती है। हम जैसे प्रबुद्ध राष्ट्र (**एक माननीय सदस्य**: वाह, वाह) इस प्रकार से आचरण नहीं करते। हमें चीज़ों को अच्छे प्रकार समझने का प्रयत्न करके, उन में सन्तुलन स्थापित करने का प्रयत्न करके और उन में बाधा न डाल कर उन्हें हल करने में सहायता कर के अपनी विचारशीलता का परिचय देना चाहिए। इन सब बातों के कारण हमारे विशेष रूप से विदेश नीति के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विचार अभिव्यक्त करने पर कुछ बन्धन लगे हुए हैं, क्योंकि एक ओर तो मैं इस सदन और अपने देश के समक्ष यथासम्भव अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से अपनी नीति के बारे में कुछ कहना चाहूंगा और दूसरी ओर मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहूंगा जिस से किसी देश को अनावश्यक रूप से परेशानी हो या क्रोध आये--मैं उस देश से सहमत हूं या असहमत हूं यह दूसरी चीज़ है--क्योंकि मैं समझता हूं कि हमारे नई दिल्ली में दूसरे देशों की नीतियों के विरुद्ध क्रोध प्रकट करने से अपने देश या विश्व का हित साधन नहीं होगा। स्वभाविकतया, जहां हमारा उन के साथ मौलिक मतभेद होगा, हम अपना सहमति या असहमति का दृष्टीकोण व्यक्त करेंगे। घटनाचक्र बहुत तेजी से चक्र रहा है। मुझे यह नहीं मालूम कि यह इस कारण हो रहा है कि हम एक ऐसे युग में रहते हैं जो कि एक औद्योगिक क्रान्ति की समाप्ति का युग है जिसे आरम्भ हुए सौ या दो सौ वर्ष हो चुके हैं। परन्तु आप इस घटनाचक्र को औद्योगिक युग की उस आधुनिक सन्तान का एक प्रतीक समझें जो कि निरन्तर अणुबम, हाइड्रोजन बम की बातें करते रहते हैं और कुछ लोग तो

कोबाल्ट बम की बातें भी करने लगे हैं। इस सब का अर्थ यह है कि मानवता निरन्तर भयभीत और आशंकित है और विचित्र बात तो यह है कि इस के साथ ही मानवता को एक और अधिक अच्छे जीवन की आशा है। हमारे समक्ष कुछ असाधारण चीज़ें हैं और विश्व को इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। जैसा कि मैं ने कहा इन में से केवल एक को चुना जा सकता है। परन्तु कोई इस बात का निश्चय नहीं कर सकता कि युद्ध को चुना जाये या शान्ति को।

दो दिन पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ की महा सभा का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ था और उन के सामने बहुत महत्वपूर्ण समस्यायें हल करने को हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं और मुझे निश्चय है कि सदन का भी यही मत है कि हमें इस बात से प्रसन्नता हुई है कि इस सदन की एक सदस्या संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रधान चुनी गई हैं और विशेष रूप से भारतीय महिलाओं की प्रतिनिधि को यह सम्मान प्राप्त हुआ है।

विदेशी मामलों पर विचार करते समय हमें स्वभाविकतया उन मामलों से विशेष रुचि होती है जिन का हमारे पर बहुत प्रभाव पड़ता है, चाहे यह दक्षिण अफ़्रीका में भारतीय उद्भव के लोगों के साथ व्यवहार का पुराना प्रश्न हो या भारतीय उद्भव के लोगों के साथ श्री लंका में व्यवहार का प्रश्न हो या समुद्र पार के भारतीयों की ऐसी ही समस्यें हों। हमें उन में रुचि है। क्योंकि हम इन हज़ारों लोगों के भाग्य की चिन्ता है जो कि यद्यपि अब भारत के नागरिक या राष्ट्रजन नहीं हैं, किन्तु पहिले उन का भारत से सम्बन्ध था, जिन के सम्बन्ध में हम ने विभिन्न करार या आश्वासन प्राप्त किये हुए हैं और इसलिये हमारा उन के प्रति कुछ उत्तरदायित्व है यद्यपि वे हमारे राष्ट्रजन नहीं हैं। इन समस्याओं में सदन को रुचि है और आगे भी रहेगी।

इस के अतिरिक्त भारत में विदेशी बस्तियों की समस्या है और सदन तथा देश इन के प्रति अब धैर्य खो चुका है और इन को सुलझाने में अब अधिक विलम्ब नहीं चाहता। यह सत्य है। किसी को यह पसन्द नहीं है। हम इसे अब केवल राजनैतिक दृष्टि से ही पसन्द नहीं करते, अपितु और भी बहुत से कारणों से पसन्द नहीं करते, ये चौर्यानियन, षड्तन्त्र और गड़बड़ के अडडे बन गये हैं और शान्ति काल में भी खतरे का स्थान हैं। और मान लीजिये, दुर्भाग्य से विश्व के किसी भाग में यदि युद्ध छिड़ जाये, तो ये और भी अधिक खतरे का स्थान बन सकते हैं। हम इस सदन में बिलकुल स्पष्ट रूप से यह कह चुके हैं कि यदि कहीं युद्ध छिड़ा चाहे यह किसी के बीच में भी हो—जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम भारत के किसी भी भाग को और इस में वे भाग भी सम्मिलित हैं जिन्हें भारत की विदेशी बस्तियों के नाम से पुकारा जाता है, उस युद्ध में किसी भी प्रकार से सम्मिलित नहीं होने देंगे।

मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि इन स्थानों का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, युद्ध के सम्बन्ध में किया गया तो हमें उसे रोकने के लिए कार्यवाही करनी पड़ेगी। यह तो स्पष्ट है कि मैं यह धमकाने के लिए नहीं कह रहा हूं परन्तु इसलिए कि कुछ बातें स्पष्ट कर देना अच्छा होता है ताकि

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दूसरे लोगों को पता रहे कि वह जो करना चाहते हैं उसका परिणाम क्या होगा ।

इस के बाद मुझे सदन को इस सम्बन्ध में भी अपने विचार बताने हैं कि हमें इन समस्याओं को मूल रूप से, व्यौरेवार नहीं, कैसे निपटाना चाहिए । अर्थात् हमारे लिए कड़ी कार्यवाही की बात करना बहुत आसान है और ऐसी कार्यवाहों का महत्व सीमित रूप से देखना भी कठिन नहीं है । परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ भी सीमित नहीं है, विशेषतया उस स्थिति में जब कि इन बस्तियों का सम्बन्ध छोटे बड़े विदेशी राष्ट्रों से है । उस स्थिति में परिणाम बहुत दूरगामी होंगे । मेरा विचार है कि सदन इस बात में मेरे साथ सहमत होगा कि केवल अपनी अधीरता और बेचैनी के कारण कोई कार्यवाही कर बैठने से, जिस के किये दूरगामी परिणाम हों, और जिस के कारण हम कठिनाइयों में पड़ जायें इस प्रश्न का वह हल नहीं होगा जो कि हम चाहते हैं। अन्ततोगत्वा, शान्ति का, रास्ता, चाहे उकता देने वाला हो, शीघ्र फल देने वाला है और फिर इस पर चलने से सन्ताप नहीं होता जोकि युद्ध में जीतने वाले राष्ट्रों को भी भोगना पड़ता है ।

इसलिए मेरा विचार है कि हम ने अपनी नीति की घोषणा में इन विदेशी बस्तियों के सम्बन्ध में दृढ़ता से काम लिया है । हम ने उस नीति का अनुसरण करते समय शान्ति से काम लिया है और ऐसी कार्यवाहियां नहीं की हैं जिन्हें मैं शान्ति पूर्ण नहीं कहता । हम इन से सम्बद्ध प्रश्नों को और पूर्णतया सजग हैं । शान्तिपूर्ण उपायों के क्षेत्र में रहते हुए जो कार्यवाही की जा सकती है, हम बराबर उसे अपने ध्यान में रख रहे हैं। कुछ दिन पहले हम ने लिज़बन में अपना दूतावास बन्द कर दिया और अपने प्रतिनिधि को वहां से बुला लिया । यह तो एक संकेत मात्र था । परन्तु यह बड़ा महत्वपूर्ण संकेत था और इस से पता चलता है कि हम धीरे धीरे किस दिशा में जा रहे हैं । इस में सन्देह नहीं कि उस पग के बाद हमें और भी पग उठाने पड़ेंगे । मुझे इस सदन के सामने इन विदेशी बस्तियों के सम्बन्ध में दलीलें बताने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु उन लोगों के लिए जो शायद मेरे शब्दों को पढ़ें या सुनें, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत तथा अन्य स्थानों में जो परिवर्तन हुए हैं, उन के बाद कोई देश किसी दूसरे देश पर अपना अधिकार बनाए रखने या भारत में अपना क्षेत्र रखने की बात सोचता है, तो मेरे लिए यह बड़ी हैरानी की बात है । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम दुनियां के किसी भी भाग में औपनिवेशिक राज के विरुद्ध हैं । यह ठीक है कि हम अपनी--चाहें तो उसे कमजोरी कह लीजिए--कमज़ोरी के कारण इस सम्बन्ध में कुछ अधिक नहीं कर पाते । और क्योंकि हम बहुत कुछ कर नहीं पाते, हम बहुत कुछ कहते भी नहीं हैं क्योंकि कहने के साथ ही साथ कुछ किया न जाय तो उस का कोई लाभ नहीं होता ।

हम औपनिवेशिक राज के प्रत्येक रूप के विरोधी हैं । हम यह भी समझते हैं कि किसी उलझी हुई स्थिति में किसी नारे को कार्यान्वित करने की चेष्टा कर के ही किसी समस्या को हल करना आसान नहीं होता । इस में समय लग सकता है । हम यह भी समझते हैं कि

पुराने साम्राज्यवाद के दिन तो बीत चुके। एशिया तथा अफ़्रीका के कुछ स्थानों में वह अब भी हैं और उस से बड़ी राबी उत्पन्न होती है। पुराना साम्राज्यवाद तो अब इतिहास का अंग है, सम्भव है कि वर्तमान काल में वह कुछ समय तक चालू रहे। यह बड़ी आसाधारण बात है कि पुराने निहित स्वार्थ अन्त तक अपने स्वार्थों से चिपटे रहते हैं। जब हम प्रत्येक प्रकार के उपनिवेशवाद के विरुद्ध हैं, तो भारत की भूमि पर ऐसी किसी बात का विरोध हमें कितना अधिक करना चाहिए? यदि हम अफ़्रीका या एशिया के किसी भाग में उपनिवेशवाद के विरुद्ध हैं तो भारत में ऐसी किसी बात पर तो हमारी आपत्ति बहुत ही अधिक होगा। इसलिए एक सरकार और एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए भारत की भूमि पर किसी विदेशी बस्ती को सहन करना असम्भव है। परन्तु मेरा विचार है—मैं नम्रता के साथ ही ऐसा कहता हूं—कि हम ने इन मामलों को तै करने के लिए झगड़े नहीं किए हैं और इस प्रकार बुद्धिमत्ता दिखाई है, क्योंकि हम ऐसा न करते तो और अधिक कठिन समस्याएं उत्पन्न हो जातीं। मैं इन प्रश्नों के सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहूंगा।

लंका के सम्बन्ध में मैं इतना ही कहूंगा और सदन को मालूम ही है कि मैं ने लंका के प्रधान मंत्री के साथ बात चीत—मित्रतापूर्ण बातचीत—की है। उस बातचीत में हम ने एक दूसरे की कठिनाइयां समझने का यत्न किया है। और मैं इस सदन के सामने यह कहने को तैयार हूं कि मैं ने उन कठिनाइयों को समझा है जो लंका के प्रधान मंत्री के सामने हैं। ऐसी बात नहीं कि उन के सामने कठिनाई कोई नहीं और वे ज़िद ही कर रहे हैं। और सब की तरह उन्हें तथा उन की सरकार को भी कठिनाइयों का सामना है परन्तु कठिनाइयों को उचित हल के रास्ते में बाधा नहीं डालने देना चाहिए। यह तो दूसरी बात है। लंका के प्रधान मंत्री तथा वहां की सरकार की कठिनाइयों को समझने में मैं किसी हद तक उन के साथ सहमत हुआ और कुछ ऐसे सुझाव मैं ने रखे जो सामान्यतः मैं स्वीकार न करता। परन्तु हमारी नीति का मूल सिद्धान्त यह रहा है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता तथा सहयोग की भावना से काम लें। लंका हमारा पड़ोसी है, हमारे साथ बहुत कुछ मिलता जुलता है और मेरे लिए लंका तथा भारत के इस महान देश के बीच किसी झगड़े का विचार तक करना दुःख की बात है। इसलिए हम ने लंका से एक मित्र के नाते बातचीत की और हम ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम कहां तक झुक सकते हैं और किससे आगे झुकना, लाखों लोगों के हितों की बलि दिए बिना और उन्हें बेघर बेदेश बनाए बिना सम्भव नहीं है। इस बात को याद रखिए कि समस्या उन लोगों की है जो अब भारत के नागरिक नहीं रहे और जिन्हें यदि लंका में न खपाया गया या जिन्हें लंका के नागरिक न बनाया गया तो वे बे घर हो जायेंगे और वे किसी देश को अपना देश नहीं कह सकेंगे। मैं आशा करता हूं कि लंका में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के प्रश्न पर दोनों देशों की सरकारों तथा प्रधान मंत्रियों के बीच उसी मैत्री की भावना से विचार किया जायगा और हम कोई ऐसा हल ढूंढने में सफल होंगे जिस में दोनों देशों का लाभ होगा। प्रश्न यह नहीं है कि लंका यह सोचता है कि उस के उत्तर में स्थित एक बड़ा देश—भारत

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

उस पर कोई दबाव डाल रहा है । मैं इस रूप में यह नहीं कहना चाहता । और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि यहां कोई लंका में इस समस्या के सम्बन्ध में धमकी भरे शब्दों का प्रयोग करे । यह तो निश्चित है कि हमें अपनी नीति स्पष्ट रूप से बता देनी चाहिये और उस पर दृढ़ रहना चाहिये परन्तु हमें सदा अपनी नीति मैत्रीपूर्ण ढंग से बतानी चाहिये जिससे कि दूसरी ओर कोई डर या शंका उत्पन्न न हो ।

दक्षिणी अफ़्रीका के सम्बन्ध में तो मैं यह कहूंगा कि यह समस्या जड़वत हो गई है जिस में सुधार तो बिलकुल नहीं होता, हां, बराबर बिगड़ती अवश्य जा रही है । निस्संदेह यह प्रश्न उस सीमित क्षेत्र में से निकल चुका है जहां यह था और जहां हम ने पहले पहल उठाया था । दक्षिणी अफ़्रीका में यह प्रश्न बहुत व्यापक रूप धारण कर चुका है । अब यह भारत से गए हुए लोगों और गोरों की समस्या नहीं रही बल्कि दक्षिणी अफ़्रीका के अधिकतर लोगों की अर्थात स्वयं अफ़्रीकनों की समस्या बन गई है और यह जातीय भेदभाव की प्रमुख समस्या है । यह जाति-भेद संसार में बहुत से स्थानों में है; विशेषकर अफ़्रीका में और उससे भी अधिक दक्षिणी अफ़्रीका में । अन्य स्थानों में ऐसा होता है तो लोग इस के लिये तरह तरह के बहाने बनाते हैं परन्तु दक्षिणी अफ़्रीका में तो ऐसा नहीं है । वहां खुले आम इसकी घोषणा की जाती है और इसके लिये कोई बहाना नहीं बताया जाता । सच तो यह है कि दक्षिणी अफ़्रीका में यह समस्या मुख्य समस्याओं में से है, संसार के सामने यह मुख्य परीक्षा है । इस में तो बिलकुल कोई सन्देह नहीं है कि यदि जातिभेद की नीति,—एक जाति का दूसरी जातियों पर प्रभुत्व, योरुप से आकर बस्तियां बनाने वालों की, एशिया या अफ़्रीका के लोगों पर सदा के लिये प्रभुत्व जमाये रहने की चेष्टा—को उचित ठहराने का प्रयत्न किया जाता है तो संसार में—मेरे या आप के विचार में ही नहीं—ऐसी शक्तियां हैं जो अन्त तक इसका विरोध करेंगी । वे दिन गए जबकि सिद्धान्त रूप में या व्यवहार में ऐसी बातों को सहन किया जाता था । इसलिये दक्षिणी अफ़्रीका की यह समस्या, चाहे ऊपर से यह आज दबी हुई दिखाई देती है, संसार की एक मूल समस्याओं में से है जो शायद किसी दिन दुनियां को हिला देगी । हम ने इस जातिभेद तथा उप-निवेशवाद के दूसरे रूप, दूसरे पहलू अफ़्रीका के दूसरे भागों में देखें हैं । हमारे ऊपर—मेरा मतलब है, भारत पर—यह आरोप लगाया गया है कि उस ने अफ़्रीका में दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप किया है । हम पर ऐसी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति रखने का आरोप भी लगाया गया है जिस से हम अफ़्रीका में फैल कर उस सुहावनी भूमि पर अधिकार कर लेंगे जो आज योरुप वालों के हाथ में है । सच तो यह है कि इस सदन को मालूम है कि हम सदा ही एक अनोखी बात पर जोर देते रहे हैं—मेरे विचार में वह अनोखी इसलिये है कि मैं नहीं जानता कि किसी अन्य देश ने नीति के उस पहलू पर जोर दिया हो । मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि हम भले हैं और दूसरे देश नहीं है । परन्तु हम ने अफ़्रीका पूर्वी अफ़्रीका या अफ़्रीका के अन्य भागों में अपने लोगों को यह बताने में आवश्यकता से अधिक मुस्तैदी दिखाई

है कि यदि वे अफ़्रीका में ऐसे विशेष अधिकार चाहते हों जो अफ़्रीका की जनता के हित में नहीं, तो वे हमसे किसी सहायता या सुरक्षण की आशा नहीं रख सकते। हम उन्हें सहायता देंगे। हम ने उन्हें कहा है—"यह स्वाभाविक ही है कि हमें आपकी, आपकी प्रतिष्ठा तथा हितों की रक्षा करने में दिलचस्पी है परन्तु उस स्थिति में नहीं जब कि आप किसी प्रकार भी अफ़्रीका के लोगों के विरुद्ध हों, क्योंकि आप उनके अतिथि हैं और यदि वे आप को नहीं चाहते तो आप को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर आना पड़ेगा और हम आप को नहीं रोकेंगे।"

यह बड़ी स्पष्ट बात है जो कि कई बार—स्वाभाविक ही है—पूर्वी अफ़्रीका में हमारे लोगों ने पसन्द नहीं की। उन में बहुत से व्यापारी लोग हैं जो रुपय कमा चुके हैं परन्तु यह हमारी दृढ़ नीति है और मैं चाहता हूं कि बाहर रहने वाले भारतीय और अन्य लोग भी इस बात को समझें। जब हमारी दृढ़ नीति यह है तो हम उस समय चुप नहीं बैठ सकते जब कि अफ़्रीका के विभिन्न भागों में ऐसी बातें होती हैं जिनका प्रभाव न केवल भारतीयों पर पड़ता है बल्कि जिनसे विश्व में खतरनाक स्थितियां उत्पन्न होने का भय रहता है। आज अफ़्रीका में हमें जातिभेद तथा एक जाति का दूसरी जाति पर प्रभुत्व पड़े भयावह रूप में दिखाई देता है और साथ ही पुराना साम्राज्यवाद भी वहां चल रहा है। हाल ही में उत्तरी अफ़्रीका में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जो १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हुआ करती थीं। यह बड़ी हैरानी की बात है कि बीसवीं शताब्दी के मध्य में भी ऐसी बातें होती रहें। सम्भव है कि थोड़ी देर के लिए यह नीति सफल हो परन्तु मुझे इस में संदेह है कि यह सफलता ला सकती है। सच तो यह है कि लोग चाहे कहीं हों उन्हें डरा धमका कर काबू में कर लेना लगभग असम्भव है। हम ने देखा है कि पश्चिमी ऐशिया में एक बड़े प्रख्यात परन्तु वित्त या सैनिक दृष्टिकोण से बहुत ही निर्बल देश को, जिसे पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ देखना पड़ा है, कई बड़े देश भी अपने कहे अनुसार चलने पर विवश नहीं कर सके हैं। मैं इन बातों के गुणदोषों की बात नहीं करता। मेरा कहना तो यह है कि एक देश द्वारा दूसरे देश पर दबाव के इस तरीके का प्रयोग लगभग असम्भव हो चुका है। इस में सन्देह नहीं कि इस के भी कई ढंग हैं। केवल सैनिक दबाव ही नहीं, इनाम देने के वचन दिए जा सकते हैं, सहायता आदि की बातें की जा सकती हैं। परन्तु आज जो परिस्थितियां हैं उन्होंने शक्तिशाली देशों के लिये भी यह और कठिन बना दिया है कि वे अपनी इच्छा निर्बल राष्ट्रों पर ठूंस सकें। किसी हद तक वे ऐसा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक शक्तिशाली देश के लिए दूसरे शक्तिशाली देश पर अपनी इच्छा ठूंसने का प्रयत्न करना कितना कठिन या असम्भव है? स्पष्ट है कि आजकल ऐसा सम्भव नहीं है। यदि कोई देश ऐसा करेगा या दोनों एक दूसरे के विरुद्ध ऐसा प्रयत्न करेंगे कि इस का फल यही हो सकता है कि झगड़ा हो—और अंत में युद्ध। इसीलिए आज संसार में, यह स्थिति हमारे सामने आती है कि बड़े देश क्रोध, डर और घृणा से एक दसरे को

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

देखते हैं और इस से वह स्थिति बनी रहती है जिसे "ढंडी लड़ाई" कहा जाता है और जिस से भविष्य में सचमुच की लड़ाई की बात सोची जाती है। आज संसार में हम सब के सामने यह समस्या है कि क्या महायुद्ध अनिवार्य है और इसलिए हमें इस के लिए तैयार रहना चाहिये और समय आने पर इस में सम्मिलित होना चाहिए या कि इसे रोका जा सकता है। यह बहुत बड़ी समस्या है। कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, परन्तु मुझे इस में कोई सन्देह नहीं कि संसार में बहुत से लोग—सच तो यह है कि संसार में लगभग सभी, सभी देशों में—शान्ति चाहते हैं। और फिर भी मुझे यह मानना पड़ेगा कि हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं उन से मुझे इस बात में कुछ और सन्देह होने लगा है कि निकट भविष्य में कोई स्थायी समझौते हो सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि वे होंगे ही नहीं। मेरा विचार है कि ऐसा होने की आशा है और हमें इस के लिए काम करना चाहिए। परन्तु जब हम देखते हैं कि लोग और राजनीतिज्ञ किस प्रकार सोच रहे हैं और किस मानसिक दशा में हैं, जैसा कि मैं ने कहा कि पुराने धार्मिक जोश जैसी किसी भावना से प्रेरित हैं परन्तु धर्म का गुण उस में नहीं है, तो जो भी हो जाय वह थोड़ा है।

हम ने इस सम्बन्ध में दलीलबाजी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा या सुना है कि मेज़ गोल हो, चौरस हो या अण्डे की गोलाई जैसी। परन्तु वास्तविक प्रश्न तो यह है कि लोगों के मन कैसे हैं और उन में क्या है। इस बात से तो कोई अन्तर नहीं पड़ता कि आप कैसी मेज़ के आस पास बैठते हैं या कि आप मेज़ का प्रयोग ही नहीं करते बल्कि पुराने भारतीय ढंग से तख्त पर या भूमि पर ही चौकड़ी मार कर बैठ जाते हैं। सवाल यह है कि उन समस्याओं को कैसे हल किया जाय और यदि आप युद्ध की भावना से उन्हें हल करने की चेष्टा करेंगे तो परिणाम भिन्न होंगे ही।

सदन को मालूम है कि कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक समिति के सामने बार बार भारत का नाम आया और यह प्रस्ताव किया गया था कि भारत को उस राजनीतिक सम्मेलन का सदस्य बनाया जाय जो कि कोरिया में अस्थायी सन्धि के फलस्वरूप होना है। भारत की ऐसी स्थिति हो गई कि वह दुविधा में पड़ गया। हम ने अपना नाम पेश नहीं किया और मैं बड़ी इमानदारी और सच्चे दिल से यह कह रहा हूं—हम कोई और बोझ चाहते भी नहीं थे। साथ ही, हमारा यह दृढ़ विचार था—और स्वभाविक ही है—कि यह राजनीतिक सम्मेलन सफल रहे और एशिया व दूरपूर्व में शान्तिपूर्ण समझौता हो जाय और यदि हम उस में कोई सहायता दे सकते हों तो चाहे उस में हमारे ऊपर बोझ ही पड़ता हो, हमें वह सहायता करने से कतराना नहीं चाहिए। इसलिए इस स्थिति में हम ने अपना नाम पेश नहीं किया। परन्तु अन्य देशों ने यह सोच कर कि भारत के उस सम्मेलन में होने से सहायता मिलेगी, हमारा नाम पेश कर दिया। अन्त तक हम यही स्पष्ट करते रहे कि हम तभी काम कर सकते हैं जब कि इस झगड़े के दोनों मुख्य पक्ष यह चाहते हों। हम यह नहीं चाहते थे कि

कोई एक पक्ष दूसरे की इच्छा के विरुद्ध हम उस में धकेल दे और जब मैं कहता हूं "दो मुख्य पक्ष" तो मेरा संकेत किसी विशेष देश की ओर नहीं चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो बल्कि दो मुख्य पक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र कमान और चीनी तथा उत्तर कोरियाई कमान। यही दो पक्ष थे जिन्हों ने अस्थायी सन्धि की और अस्थायी सन्धि के फलस्वरूप जो राजनीतिक सम्मेलन होगा उस का सम्बन्ध अन्ततोगत्वा इन्हीं दो पक्षों से होगा। मैं यह दोहरा इस लिए रहा हूं कि हम ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा था उसके बारे में कुछ भ्रम था। जैसा कि सदन को मालूम है वहां इस प्रश्न पर मत लिए गए। बहुमत भारत के पक्ष में था, एक भारी अल्पमत विरुद्ध था और कई देशों ने मत ही नहीं दिए। परन्तु दो तिहाई बहुमत नहीं आया जो कि इस प्रश्न के परिव्यक सत्र में जाने के लिए आवश्यक था। उस के बाद में हम ने हमारा नाम पेश करने वालों से कहा कि इस पर ज़ोर न दें और इस प्रकार भारत का नाम वहां नहीं रहा।

परन्तु इस मतदान के कई बड़े दिलचस्प परिणाम थे। जो मत दिए गए उन का विशलेषण कीजिए तो आप को मालूम होगा कि उन चार देशों को छोड़ कर जिन्हों ने भारत के विरुद्ध वोट दिया, २१ मत थे। उन में से १८ तो अमरीका के देशों के थे जिन में से १७ लैटिन अमरीका के देशों से। लैटिन अमरीका के देशों का मैं बहुत सम्मान करता हूं। इस सम्बन्ध में कोई भ्रम नहीं होना चाहिये। परन्तु यह बात स्पष्ट है कि लगभग सारा योरुप और सारे का सारा एशिया इस राजनीतिक सम्मेलन में एक बात चाहता था और कुछ देश—सभी अमरीका के देश—यह नहीं चाहते थे। उन द्वारा इसके चाहने के भी उतने ही कारण हैं, जितने कि न चाहने के। परन्तु हम जिस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं एशिया की समस्या है और क्या एशिया तथा योरुप की संयुक्त इच्छा का उल्लंघन केवल इसलिए किया जायगा कि कुछ लोग जिन का इस प्रश्न से वास्तव में गहरा सम्बन्ध नहीं है, उस प्रकार चाहते हैं। यह बड़ी असाधारण स्थिति है।

एक माननीय सदस्य: परन्तु नाम क्यों वापिस लिया जाय?

श्री जवाहरलाल नेहरू: यह रुचिकर बात है क्योंकि विगत कई वर्षों में संसार में कई बड़े-बड़े परिवर्तन होने के बावजूद संसार की बहुत सी महान शक्तियों, किसी न किसी कारण, इस बात को समझ नहीं पातीं कि एशियाई देश वे चाहे कितने ही कमजोर हों, उपेक्षित होना नहीं चाहते। अवहेलित नहीं होना चाहते और निश्चय ही किसी से शासित होना नहीं चाहते। सारा एशिया बदलता जा रहा है और अभी भी बदला रहा है। यहां कई परिवर्तन हो रहें हैं, और कई क्रान्तियां हो रही हैं, भले ही आप उन्हें पसन्द करते हों या न करते हों। यदि आप इन सब बातों का निष्पक्ष निरीक्षण करेंगे तो आप को यह दिखाई देगा कि दमनचक्र के दिन बीत चुके हैं और बीते जा रहे हैं—और उन के स्थान पर कोई नई बात अस्तित्तव में आ रही है। कुछ भी हो पुरानी साम्राज्य-शाही के दिन बीत चुके हैं और यदि अब भी कहीं कहीं नज़र आते हैं तो वे अधिक देर तक टिकाऊ नहीं हैं। जब तक संसार के बाकी देश इस बात को समझ नहीं लेते—मेरा विश्वास है कि इस बात को बहुत हद

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

तक समझा जा रहा है--तब तक आप आज के संसार को सही ढंग से समझ नहीं सकते ।

१० म० पू०

सदन को ज्ञात है कि विगत कई दिनों से संयुक्तराष्ट्रसंघ के समक्ष एक प्रश्न यह भी है कि चीन की जनवादी सरकार को सदस्यता प्रदान की जानी चाहियें या नहीं । जब भी लोग चीन के संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त करने के सम्बन्ध में बात चीत करते हैं तो इस विषय पर विचारों की एक आपाधापी सी मच जाती है चीन के प्रवेश का कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्रसंघ के अग्रणी सदस्यों में से एक है । प्रश्न केवल यह उठता है कि चीन का प्रतिनिधित्व कौन करेगा । क्या कोई व्यक्ति इस प्रकार कह सकता है कि फारमोसा टापू की वर्तमान सरकार चीन का प्रतिनिधित्व करती है ? क्या तथ्य के रूप में इस प्रकार की कोई बात हो सकती है कि फारमोसा सरकार द्वारा दी गई किसी लिखित को चीन में मान्यता दी जाती हो कतई नहीं । वे चीन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते । वे वहां काम नहीं कर सकते, वे चीन की ओर से संयुक्त राष्ट्रसंघ में किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दे सकते अतःएव चीन के संयुक्त राष्ट्रसंघ अथवा सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में यह कहना कतई झूट और बनावटी होगा कि कोई ऐसा देश वहां का प्रतिनिधित्व करें जो चीन में कुछ भी नहीं कर सकता है, वहां कोई परिवर्तन नहीं ला सकता और जो केवल चीन की ओर से अस्वीकृति प्रकट कर सकता है । तो संयुक्त राष्ट्रसंघ की राजनीति के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं, उन में से यह भी एक बुनयादी बात है ।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियार): क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ भी मिथ्या है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मुझे मालूम नहीं । कि सच क्या है और मिथ्या क्या है, किन्तु इतना कह सकता हूं कि माननीय सदस्य की चपल बुद्धि नितान्त सत्य है ।

किस प्रकार यह या इस जैसे प्रश्नों पर विचार किया जा सकता है ? मैं बतला भी चुका हूं इस मामले में पसन्द और नापसन्द की कोई भी बात नहीं है किन्तु कई बुनयादी सचाइयों पर चलने की बात है और यदि आप चाहें तो उनको बदलने का प्रयत्न भी किया जा सकता है । अभी उस रोज --मेरा विचार है कि कल ही ऐसा हुआ--मैं ने पत्रों में देखा कि कई महान शक्तियों ने यह सहमति प्रकट की है कि इस सत्र में अथवा इस वर्ष चीन को सम्मिलित किये जाने के प्रश्न पर विचार नहीं होना चाहिये --हां ऐसी ही कोई बात कही गई है । तो ऐसी परिस्थिति में मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं कि मैं इस तरह काम चलाऊं जिससे कोई भी संघर्ष या झगड़ा नहीं होता हो । हो सकता है कि उस में थोड़ा सा समय लगता हो । किन्तु मैं देख रहा हूं कि लोग एक गलत रास्ते पर ही चलना चाहते हैं और ऐसे क्रम को सदा के लिए चलाना चाहते हैं और इस तरह सारे का सारा ढांचा किसी कृत्रिम नींव पर खड़ा किया जाता है और ऐसी परिस्थिति में यदि बाद में कोई गलती हो जाती है तो शिकायत की जाती है मुझ पर ऐसी घटनाओं से यही बात सिद्ध हो जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, राजनैतिक दृष्टिकोण से, तो तर्क और बुद्धि को छोड़ते चले जा रहे हैं, और इसी-लिये मैं यह कह चुका हूं कि हम धर्म के धर्मान्धताच्छादित क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं । राजनीति में धर्म से काम लेना बहुत ही

भयावह है जहां तक नैतिकता और नीति का सम्बन्ध है, धर्म का प्रवेश ठीक है, किन्तु यदि यही धर्म राजनीति में प्रवेश कर पाये तो इस से नीति पर कुप्रभाव पड़ता है, और यह धर्म धर्म न रह कर धर्मान्धता बन जाता है ।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर): धर्म का इस भाषण के साथ क्या सम्बन्ध है ?

डा० एन० बी० खरे : धर्म भी माननीय सदस्य के लिये एक हौवा है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यही कारण है कि हमने एक और संदर्भ में इस बात की ओर संकेत करने का साहस किया है कि धर्म को राजनीति के साथ मिलाना, और इस देश में उसे संप्रदायवाद का नाम देना कितना भयावह है । अस्तु, आजकल संसार में यह विशेष स्थिति है कि कोई बड़ा देश किसी अन्य देश को किसी चीज़ पर मजबूर नहीं कर सकता । निश्चय ही कोई देश ऐसा नहीं कर सकता । प्रत्येक देश इतना बड़ा है कि और कोई देश उसे मजबूर नहीं कर सकता । तो, आखिर इसका क्या उपचार है ? हां, निस्संदेह युद्ध का एक रास्ता हो सकता है जब एक देश किसी दूसरे देश को मजबूर कर लेता है और ढकेलता है । और दूसरा रास्ता भी है जब कि मजबूर करने की बात को छोड़ दिया जाय, तथ्यों को--वे जिस रूप में हों--मान लिया जाय, और, यदि आप चाहें तो, आपस में इस प्रकार का एक अस्थाई--यदि स्थाई न हो सके तो, समझौता कर लिया जाय कि स्वयं जीवित रहो और दूसरों को भी जीने दो । यह रास्ता संभव हो सकता है, क्योंकि अन्य उपाय से यही अभिप्रेत होगा कि बहुत बड़े पैमाने पर झगड़ा हो, और सचमुच यह भली भांति समझ सकता है कि अणु बम और हाइड्रोजन बम के इस युग में उस झगड़े का अन्त क्या होगा ।

और अब यह मामले जल्दी ही संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि चीन की जनवादी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों के उत्तर में कई विरोधी प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं । सर्वप्रथम इस बात का स्मरण किया जाना चाहिये कि सभी दलों ने इस तथ्य से सहमति प्रकट की थी कि अस्थाई संधि कराने तथा समस्याओं का निपटारा कराने के लिये कोरिया में ही एक राजनैतिक सम्मेलन आयोजित किया जाय । उन्होंने उस सम्मेलन के कार्य से भी सहमति प्रकट की । अब तो केवल इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है अथवा विवाद चल रहा है कि उस सम्मेलन की योजना क्या होगी । यह भी स्मरण किया जाना चाहिये कि उस प्रकार का सम्मेलन बहुमत के आधार पर नहीं चला करता । यह वैसे निश्चय नहीं हो पाता--कतई नहीं । यह न्यूनाधिक रूप में--यदि एक स्वर से नहीं --सम्मति के सार से तथा संबद्ध बहुसंख्यक दलों की सहमति से ही निश्चित किया जाना है । अतः इस बात का अधिक महत्त्व नहीं कि उस पक्ष में अधिक व्यक्ति हैं अथवा इस पक्ष में, सिवाय इस चीज़ के कि जितने भी अधिक देश कोई मत दें, उतना ही अधिक संख्या वाला वह दल अभिप्राय सिद्ध करने में कोई कठिनाई प्रस्तुत करे : अन्यथा इस में कोई विशेष कठिनाई नहीं है ।

वस्तुतः जो प्रश्न प्रस्तुत होता है वह यह है कि क्या इस सम्मेलन में तटस्थ देशों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये या नहीं । हमारा यह दृष्टिकोण रहा है कि यदि इस प्रकार के देशों का प्रतिनिधित्व होगा तो

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

उस से सहायता मिलेगी, क्योंकि साधो सो एक बात है कि वैसे देश मतभेदों को कम कराने तथा तनाव की स्थिति का शमन कराने में सहायक सिद्ध होंगे । वास्तविक करार, स्वभावतः, अन्य देशों के बीच कराना पड़ेगा । तटस्थ देश करार नहीं करा सकते, वे केवल ऐसा वातावरण पैदा कर सकते हैं जिससे अन्य देश किसी बात पर सहमत हों । अस्तु, यह एक ऐसा मामला है जो संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य पार्टी द्वारा तय होगा और इस सम्मेलन में भाग लेने की हमें कतई इच्छा नहीं । कोरिया में, जैसी इस समय वहां की स्थिति है, हमने अपने ऊपर बड़ा भारी बोझ लाद रखा है। हम तटस्थ राष्ट्र स्वदेश वापसी आयोग में हैं और हमने वहां अपनी सेना भी भेज दी है, और अभी उन्होंने काम शुरू ही किया है । किन्तु हमें जो भी सूचना प्राप्त हुई है उस से यही पता चलता है कि हमारी सेना को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन के लिये इस काम को निपटाना इतना सुकर नहीं--कठिनाइयों की बात नहीं, यदि मैं ऐसा कह सकूं--और वह भी दक्षिण कोरियाई लोगों की ओर से : हमारे लोग शायद ही उनके सम्पर्क में आते होंगे--किन्तु इस काम के निपटाने में अन्य कठिनाइयां हैं । किसी तरह इन बन्धियों की भावनाओं को इतना उकसाया गया है कि अब उनको समझाना इतना आसान नहीं है। और अब माननीय सदस्यों ने प्रेस की रिपोर्टों से यह भी देख लिया होगा कि आज तक वहां हमारे प्राधिकारियों ने जिस ढंग से वापसी के प्रश्न को उठाया और सुलझाया है, वह प्रत्येक देश की दृष्टि में प्रशंसनीय है.... (**माननीय सदस्य** : साधु, साधु) ...मैं चाहता हूं कि उक्त आयोग में काम करने वाले हमारे यहां के प्रतिनिधि और सशस्त्र सेनाओं के पदाधिकारी तथा सैनिक इस बात का अनुभव करें कि इस सदन और देश की सक्रिय सहानुभूति तथा सद्भावना उन लोगों के साथ है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष जो भी मामले हैं, मैं उन पर अधिक विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि उससे हमारे यहां के प्रतिनिधियों को हमें या अन्य देशों को आश्चर्य सा होगा और वे कुछ परेशान होंगे । ये सभी कठिन प्रश्न हैं । निराशा भरे उन्माद में कई माननीय सदस्य हमें यह सुझाव देते हैं कि हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से हट जाना चाहिये । मैं पूरे सम्मान से यह कहना चाहता हूं कि ऐसी बात असामयिकता और अवयस्कता सिद्ध करती है । इस से यही सिद्ध होता है कि हम वास्तव में समस्या को नहीं समझ सके हैं। कोई भी राष्ट्र इस तरह समस्या को छोड़ कर भाग नहीं सकता । बावजूद सभी त्रुटियों और असफलताओं के--जो बहुत हैं--संयुक्त राष्ट्रसंघ फिर भी विश्व की एक विराट संस्था है । (**कई माननीय सदस्य** : साधु, साधु) : इस संस्था में आशा और शान्ति के बीजों का संस्कार हो चुका है, और यह बहुत ही अभागी और उल्टी बात होगी कि कोई देश इस संस्था को इस लिये बरबाद करें क्योंकि यह उसको मनपसन्द संस्था नहीं है । और इसके अतिरिक्त भी यदि कोई देश ऐसी बात करे भी तो मुझे इस बात के कहने में कोई भी संदेह नहीं कि स्वयं वह देश संस्था की अपेक्षा घाटे में रहेगा । अतः संकीर्णतम दृष्टिकोण से इस प्रकार की बात सोचना ठीक नहीं है। हम संसार से अलग थलग नहीं रह सकते, और हम एक सीमित क्षेत्र में इस तरह का एक अलग-थलग जीवन

नहीं बिता सकते । सदन मुझे यह बात कहने पर क्षमा करेगा कि भारत में हम में से बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो, मान्सिक रूप से, सामाजिक स्वभावों से, खाने-पीने तथा विवाह आदि रीतियों में साधारणतः सब से अलग-थलग रहते हैं । हम कभी इस जाति और कभी उस जाति की आड़ लेकर जातीयता के चक्कर में खोकर अलग हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारत में ऐसी विचित्र आदत पड़ी हुई है जो संसार में और किसी भी जगह नहीं पाई जाती । हम अलग-अलग जातियों में रहकर खण्डित हो जाते हैं—और शायद इसीलिये, स्वभावतः हम देश के सम्बन्ध में भी एक अलग-थलग नीति अपनाना चाहते हैं । किन्तु सच यह है कि इस प्रकार की अलग-थलग रहने की नीति ने हमें भूतकाल में सदा ही बहुत कमज़ोर कर दिया और इतना पिछड़ा दिया कि अन्य देश विज्ञान आदि शास्त्रों में आगे बढ़ चले और हम पीछे रह गये । अतः, प्रथक् रहने की विचार-धारा, बहुत ही भयावह चीज़ है, और अब हमें शेष संसार के साथ सम्पर्क में रहना पड़ता है—और इसमें भी हम अपना तरीका चला सकते हैं और इस तरह दूसरों से बहुत कुछ बातें सीख सकते हैं । किन्तु हमें अलग नहीं किया जा सकता : सच तो यह कि कोई भी देश अलग नहीं किया जा सकता । इसलिये संयुक्त राष्ट्रसंघ से निकल जाने, अथवा अन्य समस्याओं का मुकाबला न करके भगोड़ेपने की बात करने का यही अभिप्राय है कि हम स्थिति की वास्तविकताओं से दूर भाग रहे हैं ।

अपने इस वक्तव्य को समाप्त करने से पहले, मैं काश्मीर समस्या पर कुछ शब्द बताना चाहता हूं । मैं सदन को पहले भी —मेरा विचार है, दो बार—बता चुका हूं कि विगत पांच या छः सप्ताहों में काश्मीर में क्या कुछ हुआ । वहां इस प्रकार की जो भी घटनायें हुई वह हवा से नहीं फैलीं या किसी गुप्त षड्यंत्र से नहीं हुईं । जो व्यक्ति काश्मीर की घटनाओं का पर्यालोचन कर रहे थे उन्होंने यह देख लिया कि वहां जो संकट स्थिति प्रस्तुत हुई वह पिछले कई महीनों से पनप रही थी, और वह संकट स्थिति भारत के सम्मुखवर्ती नहीं थी—यद्यपि हम उस पहलू को भी ले सकते हैं—किन्तु यह वहां की आन्तरिक संक्रान्ति थी जिससे सभी अन्य सम्बन्धित बातों और समस्याओं पर प्रभाव पड़ा था । मई में यूरोप की यात्रा करने से पहले मैं वहां थोड़े समय के लिये गया था । मैं सदा वहां के घटनाचक्र के सम्पर्क में रहता था । मैं वहां मई के अन्तिम दिनों में गया, और वहां जो कुछ भी हो रहा था, उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ—आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य घरेलू मामलों की जो भी स्थिति थी उसे देख कर मैं आश्चर्य में पड़ा । विगत दो वर्षों में काश्मीर में जो भी भूमि-सुधार हुये हैं, उनकी प्रशंसा हम सभी ने की है, और वे सुधार वास्तव में बहुत अच्छे थे । मैं अभी भी उन भू-सुधारों का प्रशंसक हूं ।

किन्तु, दुर्भाग्यवश, जब कि वे सुधार अच्छे थे, उन को कार्यान्वित करने का ढंग अच्छा नहीं था । दो तरीकों से यह ढंग अच्छा नहीं था : पहला यह कि अन्य परिणामों पर ध्यान नहीं दिया गया था; और दूसरे यह कि उन के वास्तविक कार्यान्विकरण में—जैसा कि बाद की रिपोर्टों से पता चलता है, बहुत ही अन्याय किया जा चुका था—वह ढंग न्याय्य नहीं था । मैं केवल इस बात को सिद्ध करने के लिये इस प्रकार का निर्देश करता हूं कि इन बातों में वह चीजें भी थीं, जिन से वहां के लोगों में आर्थिक असंतोष की एक गंभीर लहर

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दौड़ चली । इसके बहुत समय बाद वज़ीर कमेटी नियुक्त की गई, और अभी हाल में उसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट से उस असंतोष के कई कारणों का पता चलता है, कि किस प्रकार भू-समस्या को समुचित ढंग से नहीं सुलझाया गया, और किस प्रकार किसान-वर्ग तथा अन्य लोगों में किसी समय से पनपती हुई आशाओं पर पाला पड़ा जिस से असंतोष की लहर दौड़ चली । अन्य मामले भी थे: वहां की सहकारी संस्थायें असफल हुई और कई अन्य बातें हुई।

और अब, इसके परिणामस्वरूप, चूंकि यह वहां का घरेलू मामला था, वहां की सरकार में और वहां की उस पार्टी जिससे सरकार को स्वीकृति मिलती है, नेशनल कान्फ्रेंस में भी बड़े भारी झगड़े हुए । और जब मैं मई के अन्तिम दिनों में वहां चला गया तो मुझे वहां की दशा देखकर बड़ी परेशानी हुई क्योंकि मैंने देखा कि धीरे धीरे काश्मीर सरकार का कार्य भी बन्द होने लगा । घरेलू झगड़ों और फूटों के कारण वहां का वह सरकार नहीं चल सकी। स्वाभाविक बात थी कि मैंने, मित्रता के नाते, उन्हें एक साथ चलने एक निश्चित नीति पर चलने और सरकार का कार्य चलाने का परामर्श दिया, और यह भी बताया कि दो या तीन विरुद्ध दिशाओं में चलना ठीक नहीं । यही था जो वहां उस समय हो रहा था।

एक और बात जिससे मेरे मन में बहुत हद तक अशांति पैदा हुई यह थी कि आज से एक वर्ष पहले हमने काश्मीर सरकार के साथ एक करार किया था । जिसके विषय में सदन भलीभांति जानता है इस सदन ने उसे स्वीकृत किया और काश्मीर की विधान सभा ने भी उसे स्वीकृत किया । किन्तु उसे बहुत ही कम मात्रा में कार्यान्वित किया गया और करार का बाकी भाग खत्ते में पड़ गया तो ऐसी स्थिति में मैं वहां की कई कठिनाइयों को भली भांति समझता था, जिनको यह सदन शायद अच्छी तरह से नहीं समझता हो । अतः यदि उसमें कोई देर भी हो जाती तो मैं उसकी परवाह नहीं करता बहुत हद तक यह देर जम्मू में हुई घटनाओं के कारण हुई जिनसे सहसा एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई और उस स्थिति से काश्मीर घाटी में भी प्रतिक्रियाएं होने लगीं ।

डा० एन० बी० खरे: जम्मू के आन्दोलन से उस विचित्र स्थिति को बढ़ावा नहीं मिला बल्कि वहां की स्थिति की कलई खुल गई और सभी लोग उस की यथार्थता जान गये ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: काश्मीर घाटी में उसकी ज़ोरदार प्रतिक्रिया हुई और जो हमारे और काश्मीर सरकार के मित्र नहीं हैं, उन्होंने वहां की उस स्थिति से खूब लाभ उठाया---यद्यपि वह अनुचित था । इससे वहां की पेचीदगियां और भी उलझ गई और करार के कार्यान्वित होने में और भी देर लग गई ।

यह सभी बातें साथ साथ हुईं, और जैसा मैंने बतलाया भी, जब मैं वहां विगत मई में चला गया तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ । मैं यूरोप चला गया ।

जब मैं यूरोप में था तो मेरे सम्मान्य सहयोगी शिक्षा मंत्री जो काश्मीर की

घटनाओं के निकट सम्पर्क में थे और मेरे दूसरे सहयोगी—राज्य-मंत्री, जो सरकारी रूप से वहां की घटनाओं के सम्पर्क में रहा करते थे, और जिन्होंने वहां की घटनाओं की बारीकियों को देखा था, काश्मीर चले गए। वहां की सरकार के निमन्त्रण पर हमारे शिक्षा मंत्री वहां गये और उन्हें बहुत से उपदेश और परामर्श दिये। इस सब के बावजूद वहां की स्थिति बिगड़ती चली गई और जब मैं वापिस आया तो ये रिपोर्टें मेरे पास आयीं। मैंने शेख अब्दुल्ला को दिल्ली आने का निमन्त्रण दिया। सच तो यह है कि जिन दिनों मैं यूरोप में था, मैंने यहां वालों को यह संदेश भेजा था कि शेख अब्दुल्ला को निमन्त्रित किया जाय। वापसी पर मैंने उसे निमन्त्रित किया। वह नहीं आया; और बाद में उस ने यह कहला भेजा कि मैं कुछ समय बाद आऊंगा। इसके बाद भी यही निमन्त्रण टेलीफोन और चिट्ठी से दोबारा भजा गया और आखिर वह नहीं आया। इसी बीच -- सत्य तो यह है कि मेरे आने से पहले---शेख अब्दुल्ला और अन्य कई लोग इस प्रकार बोलने लगे जो मुझे बहुत ही विचित्र दिखाई दिया और जिस से मैं बहुत हद तक परेशान हुआ। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, हां इतना कर लेता कि शेख अब्दुल्ला से बातचीत कर लेता, और यह गिला करता कि तुम ने ऐसा क्यों किया। यह तो स्पष्ट है कि उसे इन समस्याओं—आर्थिक और कई दूसरी —जिन की ओर मैं निर्देश कर चुका हूं—परेशानी हुई थी—चूंकि यह समस्याएं उस समय उसके सामने खड़ी हो गई थीं। और उससे निकलने का कोई भी रास्ता नहीं सूझता था। हां इसमें संदेह नहीं कि उन बातों पर उपचार था, और अभी भी उपचार मौजूद है किन्तु उसने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह वह एक भिन्न दिशा में चलने लगा, और उसने अनुचित ढंग से वहां की आर्थिक घटनाओं —सहायता का नहीं भेजा जाना, आदि, जो कुछ भी हो---का दोष भारत सरकार पर मढ़ा। यों तो सदा से हमारी यही नीति थी कि वहां वालों के लिए कोई भी नीति अपनाना वहां की ही सरकार पर निर्भर है। वहां की पार्टी इसका निश्चय करे, वहां की सरकार इसका निश्चय करे और एक नीति पर चले। यदि वह नीति भारत सरकार की नीति से मिलती, जैसा कि हम निस्संदेह चाहते भी और जैसा कि हम ने उस नीति के विषय में चाहा भी है और प्रयत्न भी किया है कि काश्मीर से सम्बन्धित मामलों के विषय में एक संयुक्त नीति चलाई जाय तो अच्छी बात थी। और यदि ऐसी बात नहीं थी, यानी वहां की सरकार की ऐसी नीति थी जिससे हम पूर्णतया सहमत नहीं थे तब तो यह भारत सरकार के अधिकार में था---चुनांचि मैं ने शेख अबदुल्ला और उसकी सरकार के अन्य सदस्यों से भी कहा—कि हम मिलजुलकर इस बात पर विचार करते कि यदि हम एक दूसरे का साथ छोड़ भी दें तो इस मामले को कैसे निपटाया जाय।

तथ्य तो यह था कि इन मामलों में स्वयं शेख अब्दुल्ला का अपनी सरकार में अल्पमत था, और अपने दल में वे और भी अल्पमत में थे। इसी कारण यह गड़बड़ हुई। अच्छा परामर्श देने और कुछ उद्विग्न होने के सिवाय मैं ने अनुभव किया कि मैं अधिक कुछ नहीं कर सकता था। इस प्रकार घटनाएं घटती जा रही थीं। अंत में जैसा कि सदन भली भांति

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

जानता है स्थिति में विस्फोट हुआ और परिवर्तन हुए ।

काश्मीर से राजनैतिक रुप में बीस वर्ष से सम्बन्ध होने के कारण और इन घटनाओं से सरकारी तौर पर पिछले छः और सात वर्षो में निकट सम्पर्क होने के कारण सदन यह भली भाँति जान सकता है कि उनसे मुझे कितनी पोड़ा हुई है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। इस काश्मीर समस्या को हमने सदैव ही अपने लिए सांकेतिक रूप में लिया है जिसकी प्रतिक्रियायें भारतवर्ष में होनी हैं। काश्मीर हमारे लिए इस बात का प्रतीक था कि हमारा राज्य लौकिक है क्योंकि काश्मीर भारी बहुमत और वह भी मुसलमानों के बहुमत से भारतवर्ष के साथ मिलना चाहता है इसके प्रभाव भारतवर्ष तथा पाकिस्तान दोनों पर ही पड़ेंगे क्यों कि यदि हम काश्मीर का निपटारा पुराने द्वि-राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कर देते हैं तो भारतवर्ष के लाखों व्यक्ति तथा पूर्वी पाकिस्तान के लाखों व्यक्तियों पर इसका काफी प्रभाव पड़ेगा । और इसकी नाना प्रकार की प्रतिक्रियाएं होंगी बहुत से वे घाव जो अब भर चुके हैं सम्भवतः फिर हरे हो जायेंगे। अतएव यह समस्या इस रूप में कभी नहीं थी और न इस रूप में कभी रही है कि कुछ राज्य क्षेत्र भारत को मिलेगा या नहीं निश्चित रूप से यह समस्या तो गहन परिणाम की रही है ।

काश्मीर तो अनन्तः सौंदर्य का स्थल रहा है इससे भी बड़ी बात यह है कि काश्मीर सदैव ही से सामरिक महत्व का स्थान रहा है, और सामरिक महत्व दृष्टि से किसी देश का होना उसका भाग्य ही है क्योंकि इसकी ओर ईर्षा भावना से पूर्ण सभी की दृष्टि लगी रहती है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है वहां तक इसका सामरिक दृष्टि कोण ही हमारे लिए वांछनीय है चाहे ऐसा हो किन्तु हम अपनी इच्छा इस मामले में नहीं थोप सकते । इसी कारण हमने इसे अलग कर दिया है और आरम्भ से ही यह कहते आ रहे हैं। तथा इस बात पर ज़ोर दिया है कि काश्मीरियों को ही इस प्रश्न के बारे में निश्चय करना चाहिये । हमने सदैव ही यह नीति अपनाई है तथा अपनाते रहे हैं कि उन्हीं लोगों को इस प्रश्न का निर्णय उचित रीति से करना चाहिये न कि उस प्रकार से जिस प्रकार कि पाकिस्तान प्रेस के कुछ व्यक्ति इसे कराना चाहते हैं । पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तानी प्रेस के रवैये के और कभी कभी वहां के कुछ व्यक्तियों के, जो न्यूनाधिक रुप में उत्तरदायी व्यक्ति होते हैं, वक्तव्यों के तो हम आदि हो चुके हैं, परन्तु पिछले कुछ सप्ताहों में इसके सम्बन्ध में वास्तविकता मेरी बुरी से बुरी कल्पनाओं से भी कहीं आगे बढ़ गई है । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि बिना किसी औचित्य के वहां इस प्रकार का पागलपन फैला हुआ है । स्वभाविक चिड़चिड़ाहट को मैं समझ सकता हूं, कठोर भाषा को ी समझ सकता हूं किन्तु इस प्रकार के पागल प्रचार से यह अनुभव होन लगता है कि यह कोई ऐसा कार्य नहीं है जो किसी सिद्धान्त या तर्क या युक्ति के आधार पर हो सके । पाकिस्तान प्रेस में काश्मीर की घटनाओं के सम्बन्ध में जो तथाकथित तथ्य दिये गये हैं वे सत्य से इतने दूर हैं कि उन्हें अतिशयोक्ति भी नहीं कह सकते । काश्मीर

में हुई मृत्युओं की संख्या जो दी गई है वह एकदम झूठी है। और जांच के आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये वक्तव्य शत प्रतिशत झूठे हैं। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि हम ने वहां अपने निजी व्यक्ति भेजे थे जिन्हें काश्मीर सरकार के प्रति कोई विशेष अभिरुचि नहीं थी।

डा० एन० बी० खरे : धन्यवाद।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं चाहता हूं कि डा० खरे सदैव पाकिस्तान जैसा व्यवहार न करें।

यह ठीक है कि काश्मीर में विपत्ति आई, झगड़े हुए, प्रदर्शन किये गये, मैं उन में कोई कमी नहीं करता। बड़ी बड़ी बातें हुई तथा बड़े बड़े परिवर्तन हुए क्योंकि नेशनल कान्फ्रेंस में—जिस ने कि पिछले वर्षों में राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रतिनिधित्व किया था—अचानक फूट पड़ गई। ये सभी बातें वहां हुई। इन सभी बातों को देखते हुए मैं कहूंगा। कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि वहां थोड़ी सी ही गड़बड़ हुई अधिक नहीं। फिर भी इस प्रश्न को हमें अपनी समस्त धैर्य्य तथा विवेक से सोचना होगा। यह बड़ा गहन प्रश्न है; मैं फिर कहता हूं कि इस प्रश्न का निपटारा अंत में काश्मीर वालों की स्वेच्छा से ही होगा। चाहे वह काश्मीर है अथवा कोई अन्य भाग—हम उसे शस्त्रों की सहायता से नहीं लेंगे।

काश्मीर में विदेशी हस्तक्षेप के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। इस प्रकार के आरोप सदैव ही लगाये जाते हैं; यदि इनमें थोड़ा सा भी सत्य है तो इनको बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है और उन के विषय में कुछ भी करना बड़ा कठिन है। इस प्रकार के मामलों में मेरे लिए यह आसान बात नहीं है कि मैं प्रत्येक तथ्य का हवाला दूं किन्तु मैं कहूंगा कि, पिछले कुछ सप्ताहों में, पिछले कुछ महीनों में तथा कुछ अधिक समय में इस प्रकार के हस्तक्षेप के मामले हमारे सामने आये हैं जहां कि व्यक्तिगत हस्तक्षेप हुआ है इन को सरकारी हस्तक्षेप कहना ठीक नहीं है। किन्तु व्यक्तियों ने वहां अच्छा बर्ताव नहीं किया है। क्योंकि इस सम्बन्ध में फिर आपको वही मूल सिद्धांत याद रखना होगा कि काश्मीर सामरिक महत्व का देश है। बहुत से देश इसमें रुचि रखते हैं तथा इस के बारे में जानकारी एंव सूचना चाहते हैं। आप कालिमपोंग जायें—यह गुप्तचरों का केन्द्र है। अन्तर्राष्ट्रीय गुप्तचर प्रत्येक देश के वहां मिलेंगे। यह बड़े आश्चर्य का विषय है। कभी कभी तो मुझे सन्देह होने लगता है कि वहां कि बहुसंख्या इन गुप्तचरों की है। कालिमपोंग से समाचार आते हैं जो कभी सच भी हो सकते हैं किन्तु आमतौर से नहीं। इसी प्रकार काश्मीर में भी व्यक्तियों का समूह तथा व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति रुचि रख सकते हैं। व्यक्तियों ने वहां कार्य किये हैं मैं समझता हूं कि उन लोगों ने वहां सम्बन्ध स्थापित कर लिए हैं और समाचार एक दूसरे से होकर आते जाते रहते हैं, हम ने इस सम्बन्ध में काफी रोकथाम की है किन्तु इस प्रकार का कार्य वहां हो रहा है—काश्मीर अकेले में ही नहीं अपितु अन्य स्थानों में भी इस प्रकार का कार्य चल रहा है। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा देहली जैसे नगर में भी होता हो। जब इस प्रकार के दोषारोपों के विषय में हमें यदि नाममात्र का साक्षय भी मिल जाये तो हम उन के विरुद्ध कार्य-

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

वाही करेंगे। यदि कुछ नहीं मिलता तो केवल चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है, इस से तो हानि ही अधिक होती है।

सदन को यह भली भांति ज्ञात है कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से जब कि वह यहां थे तो मैंने भेंट की और उन्होंने एक वक्तव्य भी जारी किया था जो कि दोनों की सहमति से जारी किया गया था। उन के वापिस जाने के बाद ही वहां के प्रेस ने तीव्रतर प्रचार शरू कर दिया, कुछ तो मेरे विरुद्ध तथा कुछ हमारे देश के विरुद्ध। अब मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री मुहम्मद-अली तथा मैं ने इस प्रश्न पर विस्तृत रूप से तथा मैत्रीभाव से, इन सभी कठिनायों के होते हुए भी इस बात का प्रयत्न किया कि यदि हम सभी बातों को शीघ्र ही तय नहीं कर सकते तो कम से कम इस सम्बन्ध में एक पग तो उठायें। अतएव मैं वहां के प्रेस प्रचार को देख कर विस्मय में पड़ गया—जोकि पहले करांची से और बाद में लाहौर से हुआ। इस प्रचार का मुख्य विषय एडमिरल निमित्ज को वहां जनमत का प्रशासक बनाया जाय अथवा नहीं था। जब से श्री मुहम्मद अली यहां से गये, और जब हमारा वक्तव्य जारी हुआ, मैंने उस दिन से अबतक इस विषय को कहीं भी जनता के सन्मुख नहीं रखा। अपने निजी क्षेत्र में या मंत्रि-मंडल में चाहे मैंने इस का थोड़ा हवाला दे दिया हो। मैं मानता हूं कि मुझे इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ है और अन्यत्र भी इस के बारे में पत्र व्यवहार करने में मुझे कुछ कठिनाई प्रतीत हुई है क्योंकि यह स्थिति मुझे दुर्बोध दिखाई देती है। मैं यहां बैठा हूं, चुपचाप बैठा हूं और मुझे पर इस प्रकार के गम्भीर षडयंत्र का आरोप लगाया गया है। अतएव मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे इसका पूर्ण विश्वास है कि श्री मुहम्मद अली ने इसे नापसंद किया होगा।

जहां तक एडमिरल निमित्ज का सम्बन्ध है वह बहुत ही योग्य व्यक्ति है, और यदि उनकी कोई आलोचना की जाती है तो मैं इसे घृणा की दृष्टि से देखता हूं। मैंने उन से भेंट की है। वह एक योग्य ही व्यक्ति नहीं हैं अपितु प्रशंसनीय भी हैं। चार वर्ष से अधिक हुए तब उन्हें जनमत प्रशासक नियुक्त किया गया था। तीन वर्ष हुए तब उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि इस सम्बन्ध में कुछ अधिक नहीं हो रहा और न शीघ्र ही कुछ होने वाला है। हमारा विचार है कि सभी प्रकार से यह बात समाप्त हो चुकी है। श्री मुहम्मद अली के सम्मुख मैंने एक युक्ति रखी थी कि इन तीन चार वर्षों में बहुत कुछ हो चुका है, यदि हम काश्मीर समस्या का निपटारा करना चाहते हैं तो हमें इस समस्या को बड़ी शक्तियों की राजनैतिक चर्चा से अलग रखने का प्रयत्न करना चाहिए। वे बड़ी शक्तियां चाहे व्यक्ति-गत रूप से हों अथवा सामूहिक रूप में।

डा० एन० बी० खरे : तो फिर इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ से वापिस ले लीजिये।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसी कारण तो मैं ने कहा था कि यह अच्छा नहीं है कि हम किसी बड़ी शक्ति से कहें कि वह हमें जनमत प्रशासक दे, चाहे वह कितना ही योग्य क्यों न हो क्योंकि इस से अवश्य भ्रान्ति उत्पन्न होगी, मेरे मन में नहीं अपितु किसी न किसी बड़ी शक्ति

के मन में अतएव मैं ने कहा था कि हम को युरोप और एशिया के किसी अन्य देश से कोई व्यक्ति चुन लेना चाहिए। यह अच्छा होगा। अतः सदन से मेरी प्रार्थना है कि हम लोग धैर्य से काम लें। हमें अपनी स्थिति पर दृढ़ रहना होगा। तथा बड़ी शक्ति और भावनाओं से बचकर हमें कार्य करना होगी इस समस्या के निपटाने का एक यही साधन है। जब कभी कोई महत्वपूर्ण बात होगी तो मैं यहां सदन में उस के बारे में परामर्श लूंगा। यह तो सदन को भली भांति विदित है कि जिस वैदेशिक नीति का हम ने भूतकाल में अनुसरण किया है उसका अनुमोदन हमारे देश भर में किया गया है अन्यथा हम इसका अनुसरण कर ही नहीं सकते थे। संसार के अन्य बहुत से देशों ने भी इसको अधिकाधिक सराहा है। और उन देशों ने भी जिन्होंने कि इसका समर्थन नहीं किया है, समय समय पर इस की प्रशंसा की है। जब ऐसी बात है तो मैं समझता हूं कि इस मूल नीति में कुछ आवश्यकतानुसार परिवर्तन और वे भी जहां जहां कि आवश्यकता हो वहां करके इसे जारी रखा जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और तत्सम्बन्धी भारत सरकार की नीति पर विचार किया जाये।"

मेरे पास बहुत से संशोधन आये हैं। मैं सदस्यों को एक एक कर के बलाऊंगा। उनको कहना होगा कि क्या वे अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं अथवा नहीं; फिर मैं इन संशोधनों को उसी प्रकार लूंगा। प्रस्ताव तथा संशोधन दोनों पर ही चर्चा होगी। प्रत्येक सदस्य को अधिक से अधिक १५ मिनट तथा प्रत्येक दल के नेता को २० मिनट मिलेंगे।

"**डा० लंका सुन्दरम** (विशाखापटनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अंत में निम्न जोड़ दिया जाय :—

"उस पर विचार करने के उपरांत सदन को खेद है कि :—

(१) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जम्मू तथा काश्मीर के प्रश्न पर भारत का तथा पाकिस्तान प्रत्यक्ष रूप से आपस में बात चीत करने के लिए तैयार हो गये हैं किन्तु जम्मू तथा काश्मीर राज्य में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षकों की हानिकारक कार्यवाही को रोकने तथा उन्हें भारतवर्ष की सीमा से बाहर निकालने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई प्रभावशाली पग नहीं उठाये गये हैं।

(२) श्री जान फास्टर डलेस के वक्तव्य के बाद भी जिसमें कि उन्होंने कहा था कि भारत को तटस्थ वैदेशिक नीति का मल्य चुकाना होगा अर्थात उसे कोरिया के सम्बन्ध में होने वाले राजनीतिक सम्मेलन की सदस्यता से हाथ धोना पड़ेगा किन्तु फिर भी कोरिया में संरक्षण मामलों के लिए भारतीय सेनाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वेच्छा पर छोड़ दिया है।

(३) इस देश के प्रति अमरीका के घोषित विचारों को ध्यान में रखते हुए भी सरकार ने अपने आप को संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाहियों से अलग नहीं किया।

(४) भारतवर्ष में विदेशी बस्तियों के व्यक्तियों को इस देश में विलय कर के उनकी स्वतन्त्रता को सुरक्षित करने

[डा० लंका सुन्दरम]

के लिए सरकार ने कोई प्रभावशाली पग नहीं उठाये हैं ।"

सरदार सहगल (बिलासपुर); श्री रघूनाथसिंह (जिला बनारस-मध्य); श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर); श्री वीर स्वामी (मयूरम-रक्षित-अनुसूचित जातियां); श्री सुब्रह्मण्यम (बेलारी); श्री फ्रेंक एन्थनी (नाम निर्देशित-आंगल-भारतीय); श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व); श्री मुरारका (गंगा-नगर झुंझनू) ने संशोधन प्रस्तुत किये।

डा० राम सुभग सिंह (शाहबाद-दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"प्रस्ताव के अन्त में निम्न जोड़ दिया जाय" :—

"and having considered the same the House approves of this policy."

(उस पर विचार करने के उपरांत सदन इस नीति का अनुमोदन करता है।)

श्री एन० एल० जोशी (इंदौर); श्री महोदय (नीमार); श्री एम० एल० अग्रवाल (जिला पीलीभीत व जिला बरेली पूर्व); श्री के० आर० शर्मा (जिला मेरठ-पश्चिम); श्री राजभोज (शोलापुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां); श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) ने संशोधन प्रस्तुत किये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभी संशोधनों एवं प्रस्तावों पर चर्चा हो सकेगी ।

डा० रामा राव : मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाता हूं । कल हम ने एक अभ्यावेदन किया था कि साम्यवादी दल को बहुत सी समितियों में नहीं रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस समय हम समितियों की बातचीत नहीं कर रहे हैं । आचार्य कृपलानी--

श्री जे० बी० कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया): सदन के एक सदस्य के लिए वैदेशिक नीति के बारे में कुछ कहना कठिन है । यह तो विशेषज्ञों के लिए ही सुरक्षित है। यहां तक कि कभी कभी कूटनीतिज्ञों को भी सरकारी कर्मचारियों पर कि वे क्या करते हैं निर्भर रहना पड़ता है । स्वतंत्रता मिलने से पूर्व विदेश विभाग में कुछ सरकारी कर्मचारी थे, यद्यपि उन्होंने साम्राज्यवाद के हित के लिए ही कार्य किया यहां तक कि हमारे हितों के विरुद्ध उन्होंने काम किया, किन्तु फिर भी हमारे लिए वे आज अनिवार्य हैं। दूसरी कठिनाई यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति कूटनीति से घनिष्ट रूप से मिली जुली है । यह अप्रत्यक्ष रूप से चलती रहती है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति चालाकियों से भरी हुई होती है । प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद एक संयुक्त और निर्णित वक्तव्य प्रकाशित किया जाता है । उस में सत्य को केवल आधा ही प्रकट किया जाता है....शेष आधे सत्य को छुपाये रखा जाता है । कभी कभी अर्ध सत्य असत्य से भी अधिक खतरनाक होता है। अभी हाल में भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच हुआ सम्मेलन को ही ले लीजिए । दोनों प्रधान मंत्रियों के बीच अनेक बार बातें हुई । अन्त में एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित किया गया क्या आप समझते हैं कि उस म सारे तथ्यों को प्रकट किया गया ? कदापि नहीं । इस प्रकार एक सदस्य इस चालकियों से भरी हुई अन्तर्राष्ट्रीय कूट

नीति की आन्तरिक बातें नहीं जान सकता। उसको इस बात की बहुत असुविधा रहती है। विशेष रूप से मैं ऐसा ही व्यक्ति हूं। मैं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में बहुत ही सीमित रुचि रखता हूं। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व कांग्रेस के वैदेशिक मामलों के विशेषज्ञ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पर देश के अन्दर के मामलों के विशेषज्ञ गांधी जी थे। कई बार विदेशियों ने गांधी जी को विदेशों में अपनी सत्य और अहिंसा के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए निमन्त्रत किया पर उन्होंने उन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और कहा "मुझ को भारत में ही डट कर काम करना चाहिए।" मैं भी उन व्यक्तियों में से एक हूं जो यह विश्वास करते हैं कि हमारी वैदेशिक नीति तभी सफल हो सकती है जब हम अपने देश के अन्दर फैली हुई निर्धनता, रोग और बेकारी की समस्या को हल कर सकें। अन्यथा मैं समझता हूं कि हम लोग अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर कलाबाजियां कर रहे हैं। मुझे यह पसन्द नहीं है।

मैं भारत की वैदेशिक नीति के मूल सिद्धांतों से पूर्णतः सहमत हूं। इन में से एक सिद्धान्त यह है कि हम विश्व शान्ति के पक्षपाती हैं। अच्छा होता यदि हम ने यह भी कह दिया होता कि हम निःशस्त्रीकरण के भी पक्षपाती हैं। पर खेद है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग स्वयं अपनी बहुत हानि कर के विदेशों के त्यक्त शास्त्रों को जमा करने में लगे हुए हैं। उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध हम ने जो रुख अपनाया है, उसका भी मैं अनुमोदन करता हूं।

हमारे ये ध्येय लोकतन्त्रीय सिद्धांतों के अनुकूल हैं। अतः यह स्वभाविक था कि हम लोकतंत्रात्मक देशों का साथ देते। लेकिन खेद है कि पूंजीवादी लोकतन्त्र आमतौर पर साम्राज्यवादी रहा है। आज भय के कारण, वह प्रतिक्रियावादी हो गया है। सभी जगह लोकतन्त्रात्मक देश या तो फासिस्ट शक्तियों का साथ दे रहे हैं या कम से कम उनकी सहायता कर रहे हैं। फासिस्ट देश स्पेन को मान्यता दी गई है और उसको सहायता दी जा रही है। लोकतन्त्रात्मक गुट का नेता, अमरीका हिन्दचीन, ट्यूनिसिया, मोरक्को आदि देशों में फ्रांस की साम्राज्यवादी एवं प्रतिक्रियावादी नीति का समर्थन कर रहा है। स्वयं अमरीका में, जो स्वाधीनता की भूमि है विचार तथा उसकी अभिव्यक्ति पर शासकीय नियंत्रण हैं। किसी भी देश में यदि उद्योगों अथवा वाणिज्य के राष्ट्रीयकरण का प्रयत्न किया जाता है तो उसे साम्यवाद की ओर एक कदम समझा जाता है। इसलिए अपने इन सिद्धान्तों के होते हुए भी हम लोकतंन्त्रात्मक गुट के साथ नहीं चल सकते।

जहां तक एक सत्तात्मक देशों का संबधं है, धर्म और राजनीति दोनों में ही हमारा इतिहास और हमारी प्रथायें एकसत्तात्मक सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं। किसी देश की शासन प्रथा के विरुद्ध हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम धर्म और राजनीति में मत अथवा सिद्धान्त परिवर्तित करने की भावना का विरोध करते हैं। हम इसे बुरी दृष्टि से देखते हैं। हम यह भी दखते हैं कि लोकतन्त्रात्मक राज्यों की अपेक्षा एक सत्तात्मक देश कम साम्राज्यवादी नहीं हैं। उदाहरणार्थ खेद है कि रूस अपने कमज़ोर पड़ोसियों को धीरे धीरे हड़पने की ज़ारों की पुरानी वैदेशिक नीति का अनुसरन कर रहा है।

[श्री जे० बी० कृपालानी]

११ म० पू०

हमन चीन से कुछ अच्छी नीति की आशा की थी। पर उसका सर्वप्रथम कार्य तिब्बत को स्वतंत्रता को अन्त करना था। अतः मैं समझता हूं कि इस तथा कथित लोकमंत्री गुट और जन अथवा समाजवादी गुट के बीच हमने तटस्था रह कर ठीक किया है। लेकिन कभी कभी हम व्यवहार में अपनी तटस्था को भूल जाते हैं। एक तटस्थ देश को किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिये। हम शान्ति स्थापित करने वाले होने का भी दावा करते हैं। मैं समझता हूं कि एक शान्ति स्थापित करने वाले को इस ढंग से व्यवहार करना चाहिये कि उलझी हुई स्थिति में और अधिक उलझन न पैदा हो।

कभी कभी हम अपनी तटस्थता को भली प्रकार नहीं निबाह पाते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण कोरिया है। कोरिया के संबंध में समय समय पर हमने जो नीतियां अपनाई हैं उनसे एक के बाद दूसरा अप्रसन्न होता रहा है। कभी हमने प्रजातंत्री अथवा अमरीकी गुट का पक्ष लिया और कभी रूसी गुट से प्रभावित होकर काम किया। इसका उदाहरण हमारे द्वारा गत वर्ष प्रवर्तित किया गया युद्ध बन्दियों संबंधी प्रस्ताव है। हमने इसी को मुख्य विवाद बिन्दु मानकर सुलह करवाने के लिए एक सूत्र रखा, जिससे अमरीका और इंगलैंड सहमत नहीं थे। अतः हमने उसमें संशोधन कर दिया जिसके फलस्वरूप रूस और चीन अप्रसन्न हो गये और उन्होंने हमारे सूत्र को अस्वीकार कर दिया। यही नहीं उन्होंने हमें पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की कठपुतली कह कर पुकारा। इस प्रकार ठीक या सही, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ऐसी ढुलमुल नीति से हमने एक न एक पक्ष को अप्रसन्न किया है। युद्ध विराम संधि के बाद दक्षिण कोरिया की निन्दा करके, हम उसकी अप्रसन्नता के भाजन बने। अब हमने युद्ध बन्दियों के प्रश्न को सुलझाने के लिये कोरिया में संरक्षक सेनाएं भेजी हैं। मेरे विचार से यह एक अनावश्यक और खर्चीला कार्य है जो हमने अपने ऊपर ले लिया है।

अतः मैं समझता हूं कि कुछ दिनों के लिये, जब कि राष्ट्रों पर एक प्रकार का पागलपन सवार है, हमें अपने देश के अन्दर की समस्याओं पर अधिक ध्यान देना चाहिये।

अब मैं भारत की राष्ट्रमण्डल की सदस्यता के प्रश्न पर आता हुं। हमारे प्रधान मंत्री ने अक्सर हमें यह आश्वासन दिया है कि इस अतिसूक्ष्म सम्बन्ध से हमारी नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं। मेरे विचार से यह सम्बन्ध बड़ी चालाकी और बारीकी से हमारी वैदेशिक नीति को प्रभावित करता है। प्रारम्भ में मैं भी समझता था कि इससे हमें कुछ न कुछ लाभ ही होगा। और कुछ नहीं तो कम से कम राष्ट्रमंडल के अन्य देश हमारे दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न तो करेंगे, और हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचायेंगे। पर अनुभव बताता है कि ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रमण्डल के कुछ देशों का व्यवहार हमारे प्रति अत्यन्त कटु है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ़्रीका को ले लीजिये। डा० मलान का दक्षिण अफ़्रीका से भारतीयों को निकालने का प्रयत्न कितना अन्यायपूर्ण है। यही नहीं वे आस्ट्रेलिया को भी अपनी ही जैसी रंगभेद नीति का अनुसरण

करने के लिये भड़काते हैं। आस्ट्रेलिया भी अपने यहां किसी 'अश्वेत' व्यक्ति को बसने की अनुमति नहीं देता। इसके अतिरिक्त इंगलैंड की नीति अभी भी साम्राज्यवादी है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण केनिया है। इन सब बातों से हमारी भावनाओं को आये दिन ठेस लगती है। इन सब कारणों से मैं तो यह समझता हूं कि भारत को एक ऐसे राष्ट्र-मण्डल में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है जो बार बार हमारा अपमान करता हो और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो।

इस सिलसिले में मैं भारत में विदेशी बस्तियों के प्रश्न पर भी कुछ कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में हमारे प्रधान मंत्री वर्षों से केवल एक ही बात कहते आ रहे हैं। हम अपनी स्वतंत्रता के श्वेत खादी के वस्त्र पर इन काले धब्बों को नहीं देखना चाहते। प्रधान मंत्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि इन विदेशी बस्तियों से हमारी अर्थ व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा होती है। इन्हीं के कारण तस्कर व्यापार बहुत ज़ोरों में चल रहा है। हमारे देश के दो प्रांतों में शराबबंदी लागू है, पर उक्त विदेशी बस्तियां उस को असफल बनाने के प्रयत्न करती रहती हैं। आप पूछियेगा, इनका अन्त करने का उपाय क्या है? उपाय बिलकुल सीधा है। भारत सरकार को चाहिये कि वह संबंधित विदेशी शक्तियों से उक्त बस्तियों को एक निश्चित तिथि तक छोड़कर चले जाने के लिये कह दे। उनको इस चीज़ के लिये बाध्य करने के हेतु युद्ध नहीं आवश्यक है। इसके लिये अन्य उपाय भी हैं। इस काम के लिये कई अन्तर्राष्ट्रीय विधान भी लागू किये जा सकते हैं। पर यदि हम यह सोचें कि ऐसा करने से परिणाम अच्छे न होंगे और विश्व युद्ध के छिड़ जाने की संभावना हो जायेगी आदि, तो फिर मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार के काल्पनिक भयों से डर कर हम कोई भी समस्या हल नहीं कर सकते।

(समय समाप्ति की घंटी बजती है)

श्रीमान्, मैं कभी कभी ही सदन में बोलता हूं। मैं कभी कोई प्रश्न नहीं करता और न कोई सूचना ही मांगता हूं। अतः इस अवसर पर मुझे कुछ अधिक समय बोलने के लिये दिया जाये। आशा है कि मेरे सहयोगियों को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी और वे इस रियायत को एक पूर्ववर्ती दृष्टान्त के रूप में नहीं लेंगे।

अब मैं काश्मीर के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैंने इस सम्बन्ध में सदन के सामने चार वर्ष पूर्व जो बात कही, आज मैं उसी को फिर दुहराता हूं। मेरे विचार से काश्मीर के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजना एक बड़ी भारी गलती थी क्योंकि इस नये संगठन का चरित्र हमें नहीं पता था। काश्मीर के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ को हमारा निर्देश क्या था? हमारा यह आरोप था कि पाकिस्तान आक्रांता है। जांच पड़ताल के बाद यह पाया गया कि वास्तव में पाकिस्तान आक्रांता था। स्वयं पाकिस्तान ने इस चीज़ को स्वीकार किया था। लेकिन सात वर्ष बीत जाने पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ इस सम्बन्ध में अपना निर्णय नहीं दे रहा है। मैं समझता हूं कि अब अवसर आ गया है कि हम काश्मीर सम्बन्धी मामले को या कम से कम अपने निर्देश को संयुक्त राष्ट्र संघ से वापस ले लें। काश्मीर पर हमारा वस्तुतः और विधानतः दोनों ही रूप से अधिकार है। वहां का तत्कालीन वैधानिक राजा हमारे साथ था और

[श्री जे० बी० कृपालानी]

फिर जनसाधारण भी हमारे ही पक्ष में थे । यदि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ से वापस लेने में कोई प्राविधिक कठिनाई हो, तो मेरा सुझाव यह है कि जब कभी भी वहां काश्मीर प्रश्न की चर्चा हो, तो हमारा प्रतिनिधि वहां उपस्थित न रहे । कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं ।

अभी हाल में काश्मीर में कुछ गड़बड़ी हुई थी जिसके फलस्वरूप वहां की सरकार में भी कुछ परिवर्तन हुए । जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा, यह काश्मीरियों का अपना आन्तरिक मामला था । पर इसी से घबड़ा कर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री यहां आये थे । हम यह कह चुके थे कि यह आन्तरिक मामला है फिर भी हम उनके साथ काश्मीर के मामले पर बातचीत करने के लिये तैयार हो गये ।

जहां तक काश्मीर में जनमत संग्रह का प्रश्न है, यह बात हमारे और काश्मीरियों के बीच की है । जहां तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सम्बन्ध था, हमने जनमत संग्रह करने का जो वचन दिया था, वह हमारे द्वारा एक एकपक्षीय घोषणा थी । काश्मीर भारत का एक अंग था, और यह हमारा एक आन्तरिक प्रबन्ध था । इससे पाकिस्तान अथवा संसार के अन्य किसी देश का कोई सम्बन्ध नहीं था । प्रत्यक्ष रूप से इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिसका अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से कोई सम्बन्ध होता । यह तो बिल्कुल हमारा अपना मामला था । पर इसी के सम्बन्ध में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री यहां बात करने आये थे । उनसे इस सम्बन्ध में बात करन से पूर्व हमें इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ से वापस ले लेना चाहिये था । लेकिन हमने ऐसा नहीं किया । हमने इस मामले में एक ऐसे पक्ष को और सम्मिलित कर लिया है, जिसका काश्मीर में जनमत संग्रह से कोई संबन्ध नहीं हैं । सात वर्ष हो चुके हैं, पर संयुक्त राष्ट्र संघ इस मामले से कुछ भी नहीं कर सका है । उल्टे इसकी वजह से काश्मीर में बहुत अधिक अवांछनीय अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि रही है । हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय जाल फरेब और भेद लेना आदि अनिवार्य हैं । मैं मानता हूं कि यह सच है, पर ऐसे कार्य के लिए दोषी को मृत्युदंड देना भी तो अनिवार्य है ।

यद्यपि मैं अपने देश की वैदेशिक नीति के मूल सिद्धान्तों का समर्थन करता हूं, पर केवल मूल सिद्धान्तों को बार बार दुहराने ही से तो काम नही चलेगा । हमें उन्हें क्रियान्वित भी करना होगा । जैसा कि मैं कह चुका हूं, इससे भी अधिक महत्व-पूर्ण बात यह है कि हम विदेशी राजनीति की अपेक्षा अपने देश की राजनीति की ओर अधिक ध्यान दें । यदि हम अपने देश में सुदृढ़ रहेंगे तो विदेशों में हमारा कोई भी अपमान नहीं करेगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : सर्व प्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत ने श्री नेहरू के नेतृत्व में शान्तिप्रिय लोगों के कोरिया में शान्ति स्थापित करने के यत्नों में जो अंशदान दिया है उससे हम लोगों को बहुत संतोष है । और इसके फलस्वरूप स्थायी शान्ति की एक नई आशा हो गई है । भारत के इसी महत्वपूर्ण अंशदान की सराहना के रूप में ही श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्रीय महासभा की अध्यक्ष चुनी गई हैं । इस बात की भी हमें प्रसन्नता है—यद्यपि हमारें उनसे और सरकार से गहरे मतभेद हैं ।

कोरिया के सम्बन्ध में मैं यह चाहता हूं कि वहां पर स्थायी शान्ति स्थापना के प्रयत्न गंभीरता पूर्वक और सच्चाई के साथ जारी रहें। इस समस्या का सम्बन्ध कोरिया वासियों और चीन के लोगों से घनिष्टतम है, और उनके उद्देश्य ये हैं :—

कोरियाई प्रश्न का शान्तिपूर्ण हल, चीनी जन स्वयं सेवकों सहित उस देश से सभी विदेशी सेनाओं का हटाया जाना, अन्य समस्याओं का भी शान्तिपूर्ण हल, संयुक्त, लोकतंत्रात्मक, शान्तिप्रिय और स्वतंत्र कोरिया की स्थापना। भारत को उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिकतम अंशदान देना चाहिए और उसे अपने इस कठिन उत्तरदायित्व को निवाहने में अमरीका, दक्षिण कोरिया आदि द्वारा अटकाये जाने वाले रोड़ों की परवाह नहीं करनी चाहिए।

कोरिया में ब्रिटेन की नीति भी अच्छी नहीं रही है। सत्य तो यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य अमरीका की सहायता के बिना जीवित नहीं रह सकता। और यही बात ब्रिटिश सरकार की प्रत्येक नीति को प्रभावित करती है। इस प्रकार की नीतियों से पैदा होने वाली समस्याओं का सामना करने के सम्बन्ध में भी प्रधान मंत्री को कुछ कहना चाहिए था।

मध्यपूर्व, मिश्र, ईरान, ट्यूनिसिया, मोरक्को आदि क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार की नीति घोर साम्राज्यवादी है। हमें इस भुलावे में नहीं रहना चाहिए कि अब ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया है और अंग्रेज़ लोग बहुत सीधे हो गये हैं। इस भुलावे से हमें बचना चाहिए क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। और इसी कारण हमें काश्मीर के सम्बन्ध में भी सतर्क रहना पड़ेगा और अत्यन्त दृढ़ विचार रखने होंगे क्योंकि वहां पर विदेशी दूतों और भेदियों का भारी अड्डा है। मैं यह चाहता था कि प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में और स्पष्ट रूप से यह बताया होता कि काश्मीर के सम्बन्ध में वह क्या करने जा रहे हैं। काश्मीर के मामले में काश्मीर में स्थित विभिन्न अभिकरणों द्वारा दबाव डाले जा रहे हैं। हमें उनका प्रतिरोध करना होगा। विभिन्न देशों से बहुत संख्या में लोग भारत में आ आ कर खूब घूमते घामते हैं और यहां के बारे में तरह तरह की जानकारियां प्राप्त कर ले जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जिनसे हमारा अहित हो सकता है। वे हमारे यहां का भेद पता लगाने आते हैं। इन सब से हमें सतर्क रहना होगा।

काश्मीर के प्रश्न पर इस देश म कुछ साम्प्रदायक लोगों ने जो नीति अपनाई है, वह अत्यन्त निन्दनीय है, और इससे शत्रु को लाभ पहुंचता है। यह भी एक समस्या है।

यदि हमें काश्मीर के लोगों का स्नेह प्राप्त करना है तो यह आवश्यक है कि हम यह देखें कि श्री बख्शी की सरकार अपनी क्रांतिकारी आर्थिक पुनर्निर्माण की नीतियों को, जो उसने घोषित की हैं, क्रियान्वित करे। तभी वहां के लोगों के कष्ट दूर हो सकते हैं।

मेरे विचार से काशमीर में संयुक्त राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में जो विदेशी तत्व छाये हुए हैं, वे जो दबाव डाल रहे हैं, उनका हमें विरोध करना होगा। हमें तुरन्त ही वहां से उक्त पर्यवेक्षकों को हटवा देना चाहिए क्योंकि उनकी कार्यवाहियां ऐसी रही हैं जिनको सहन नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जा सकता है। इस प्रकार के भेदियों और गड़बड़ी उत्पन्न करने वाले लोगों के सम्बन्ध में हमें एक बिलकुल स्पष्ट नीति का अनुसरण करना चाहिए, और मुझे आशा है कि यदि

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

ऐसा किया जाये तो सारी जनता आपके साथ सहयोग करेगी।

चीन के सम्बन्ध में हमारे प्रधान मंत्री ने जो रुख अपनाया है, उससे हमें प्रसन्नता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की सदस्यता के प्रश्न को एक वर्ष के लिए टालने का जो सुझाव है, वह शरारत से भरा हुआ है। मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि श्री नेहरू इस बात का अनुभव करते हैं। हमें इस सम्बन्ध में कुछ ठोस काम करना चाहिए।

भारत में नए अमरीकी राजदूत ने राष्ट्रपति को अपने पद का परिचय पत्र देते हुए एक भाषण में कुछ आपत्तिजनक बातें कहीं थीं। उन्होंने कहा—"मैं इस देश में अमरीकी सरकार की कार्यवाहियों का संचालन कर रहा हूं।" मेरे विचार से एक कूटनीतिज्ञ के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग अत्यन्त अनुपयुक्त है। आश्चर्य है कि हमारे वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। इस के अतिरिक्त अमरीकी राजदूत ने उसी भाषण में चीन, जिस के साथ हमारे मित्रतापूर्ण सम्बन्ध है, की नीतियों के विरुद्ध आक्षेप करते हुए उसको अप्रजातंत्रीय बताया था। यह अच्छी बात नहीं थी। उनको ऐसी बात यहां पर कहने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसे व्यक्ति को इस देश में नहीं रहने देना चाहिए।

नेपाल में हमारी काली करतूतों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया। हमने ब्रिटिश सेना के लिए गोरखा लोगों की भर्ती में ब्रिटेन की बहुत सहायता की है। हम नेपाल सरकार की सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं और हमने उसे सहायता दी भी है।

'टाइम्स' के अनुसार।

"कदाचित सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नैपाल के महाराजा और उनके मंत्री यह जानते हैं कि भारत साम्यवादियों अथवा अन्य विध्वंसक तत्वों को सरकार का तख्ता नहीं उलटने देगा अपितु एक सुदृढ़ प्रजातांत्रिक प्रणाली के स्थापित होने तक उसका साथ देगा।"

क्या भारत की यह स्थिति है कि वह हमारे पड़ौसी देश नैपाल में साम्यवादियों अथवा दूसरे विध्वंसक तत्वों को न पनपने दे? यदि यही बात है तो हमारे और आइजनहावर के मध्य क्या अन्तर है। आइजनहोवर भी समूचे संसार से साम्यवाद को नष्ट करने के इच्छक हैं, वह कहते हैं कि इसी कार्य के लिये मैं फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों को कई लाख डालर देता हूं कि वे हिन्दचीन के स्वतन्त्रता आंदोलन को कुचलने में प्रयत्नशील रहें।

बम्बई से प्रकाशित 'इकनामिक वीकली' के अनुसार बताया गया है कि नेपाल में साम्यवादी दल पर प्रतिबन्ध होंने पर भी वहां की जनता ने वयस्क मताधिकारी पर आधारित प्रथम म्युनिसिपल निर्वाचनों में साम्यवादियों के पक्ष में अपना निर्णय दिया।

मलाया को लीजिये। गोरखों की भर्ती करने वाले अंग्रेज केम्पों को समाप्त करने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री निश्चित नहीं हैं।

'हिन्दुस्तान स्टेण्डर्ड' में दिनांक ६ सितम्बर १९५३ को नीकोबार द्वीप समूहों के सम्बन्ध में एक संवाद प्रकाशित हुआ था जिसका आशय यह है कि श्री लंका के पूर्व में नीकोबार द्वीप समूह में भारत ने ब्रिटेन को एक भाग पट्टे पर दे रखा है यद्यपि यह समझौता स्थायी नहीं है। विश्वास किया जाता है ब्रिटेन इस विषय में भारत से स्थायी समझौता करने में प्रयत्नशील है। हमें इस तरह के कार्यों की अनुमति नहीं देना चाहिये।

प्रधान मंत्री बार बार कहते हैं कि साम्राज्य बदल गया है। अब साम्राज्य नाम की कोई वस्तु नहीं है, यह तो एक नवीन प्रकार की संस्था है। गत वर्ष प्रधान मंत्री ने अन्य देशों से भी इस सन्स्था में सम्मिलित होने की अपील की थी जिसकी सृष्टि अंग्रेजों की छत्रछाया में की गई है। प्रधान मंत्री ने अफ्रीका, केन्या तथा अन्य देशों की स्थितियों पर बहुत ही सुन्दर विचार प्रस्तुत किये हैं किन्तु इसी संबंध में अंग्रेज सरकार के उपनिवेश सचिव श्री लिटिल टन ने कहा था—जो ३१ जुलाई, १९५३ के 'स्टेट्समेन' में प्रकाशित हुआ है:-

> 'श्री नेहरू के हाल के कुछ भाषणों में अफ्रीका की स्थिति के विषय में कुछ कहा गया है। श्री नेहरू को यह बात असंदिग्ध रूप से बताई गई है कि ब्रिटिश सरकार अफ्रीका सम्बन्धी उक्त विचारों को सर्वथा अस्वीकार करती है।"

पूंजी विनियोग के विषय में आइये। रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने वाशिंगटन में कहा कि भारत में विदेशी पूंजी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। उनके लाभांश पर कोई नियन्त्रण नहीं है। मैं इस तरह की घोषणाओं के ब्यौरे में जाकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर नहीं आना चाहता जिसके मार्ग में हमारी विदेशी नीति के कारण अवरोध का सामना करना पड़ा है और जिसकी प्रतिच्छाया हमारी आर्थिक व्यवस्था पर भी परिलक्षित है।

कोरिया में हमने क्या किया ? जब हमारी एम्बुलेंस टुकड़ी वहां से वापस लौट रही थी, तो उसके सदस्य पेनांग क्षेत्र में गये। कदाचित उनका इरादा पेनाँग देखने और वहां घूमने का था। किन्तु एम्बुलेंस टुकड़ी के नेता मेजर एस० के० बनर्जी को यह देखकर निराशा हुई कि उन्हें पेनांग में उतरने से मना कर दिया गया। क्या इसका कारण यह है कि भारतीयों ने मलाया के स्वातंत्र्य आन्दोलन में भाग लिया है ? भारतीयों ने मलाया की जनता को उसकी महत्वकांक्षाओं की पूर्ती में सहायता दी है कदाचित यही कारण है कि उन्हें सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है।

मैं एक अन्य बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जो मैंने कल ही संसद के पुस्तकालय में देखी है। अगस्त, १९५३ के "पाक्षिक रिव्यू" में भारत के भूतपूर्व प्रधान सेनापति लार्ड बर्डवुड का एक लेख छपा है। "परिवर्तनशील राष्ट्रमंडल" शीर्षक के अन्तर्गत लार्ड बर्डवुड ने हमारे प्रधान मंत्री और जनरल स्मट्स के बीच तुलना उपस्थित की है। उन्होंने लिखा है कि स्मट्स ने ब्रिटेन से तलवार के बल पर लड़ाई की, श्री नेहरू ने कलम और शब्दों के आधार पर युद्ध किया है। स्मट्स राष्ट्रमंडल के मुख्य अधिवक्ता थे। क्या श्री नेहरू भी इसी विचार धारा का अनुसरण करेंगे ? आगे चलकर लार्ड बर्डवुड ने यह आशा प्रकट की है कि एक स्थिति शीघ्र ही आयेगी जब हम मिस्र आदि देशों की समस्याओं को सुलझाने के लिये भारत अथवा पाकिस्तान के पास पूर्ण विश्वास के साथ जा सकते हैं।

श्रीमान्, क्या हमारी स्थिति मध्यवर्ती है ? हम साम्राज्यवादियों के गन्दे कार्यों को करने वाले दलाल हैं। मुझे खेद है कि मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं।

२७ जून के लंदन के "इकानामिस्ट" में भी इसी तरह के विचार प्रकट किये गये हैं। "इकानामिस्ट" के अनुसार ईरान की खाड़ी की सबसे बड़ी कमी यह है कि भारतीय सेना के विलोप होने के बाद से संकटकालीन उपयोग के लिये वहां निकटवर्ती क्षेत्र मे कोई सेना नहीं है।

हमारे प्रधान मंत्री की जनरल नजीब से भेंट का उन्होंने यह अर्थ लगाया है। हमें उन व्यक्तियों की भांति समझा गया है जिन्हें संकटकाल के समय सुदूरपूर्व में प्रयुक्त किया जा सकता है।

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

मैं प्रधान मंत्री को साम्राज्यवादियों की चालों से सावधान कर देना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि वह ईरान में घटने वाली स्थितियों को दृष्टिगत करें । जनरल जेहेदी कहते हैं : 'मुझे अमेरिका से पहली किश्त बिना किसी शर्त के मिल गई, दूसरी किश्त प्राप्त होने वाली हैं । श्री लाय हेण्डरसन ने कहा है कि यदि ऐंग्लो-ईरानी तेल कम्पनी को उनकी ईरानी सम्पदा पर अधिकार दे दिया गया तो दूसरी किश्त मिल सकेगी । अंग्रेज तैल उद्योगपतियों ने ईरानी जनता की शक्ति से सिंचित जीवन रक्त का पन्द्रह प्रतिशत भाग सोख लिया है ।

हम ऐसे लोगों से क्यों सम्बन्ध रखते हैं जो संसार का नाश करने में रत हैं । हम केन्या की समस्या को राष्ट्रसंघ में क्यों नहीं रखते हैं । प्रधान मंत्री ने अनेक बार केन्या में किये जा रहे कृत्यों की निन्दा की है और हमने उनके विचारों को सराहा है किन्तु उसे राष्ट्रसंघ में क्यों नहीं प्रस्तुत किया जाता है ।

साम्राज्यवादी अपने स्वभाव को कभी नहीं बदल सकते । कोरिया की घटनाओं से हमने यही सीखा है । यह सबक ही हमें सच्ची शान्ति की ओर प्रशस्त करेगा । यही कारण है कि भारत से विश्व को यह आशा है कि वह सम्पूर्ण जनता की स्वतन्त्रता का पक्ष लेकर शान्ति का प्रबल अधिवक्ता सिद्ध होगा ।

प्राचीन काल में हमारा प्रत्येक उत्सग शान्ति के आव्हान से प्रारम्भ होता था ऋषि मुनियों का यह स्वर हम आज भी नहीं भूलें हैं : "मधुवाता रितायते, मधु कृरन्ति सिन्धव " उपनिवेशों की बहुसंख्यक जनता हमारे साथ है । हमारे अनेक मित्र हैं । प्रधान मंत्री से मेरा सुझाव है कि उन्हें अव्यावहारिकता के शब्दों में बात कर उस आदर्श को एक ओर न रख देना चाहिये जो किसी समय हमारे राष्ट्र की मुहर बन चुका है और जिसने हमारे देश को गर्व तथा गौरव प्रदान किया है । प्रधान मंत्री को राष्ट्रीय आन्दोलन की आत्मा के अनुरूप ही काम करना चाहिये । उन्हें शौर्य, वीरता और असुन्दर तत्वों से असम्बद्ध रह कर शान्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिये ।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : मैंने आचार्य कृपलानी और मेरे मित्र साम्यवादी दल के उपनेता के भाषण ध्यान पूर्वक सुने हैं । मुझे लगा कि श्री हीरेन मुकर्जी ने अनावश्यक ही यह सब कुछ कहा । वह विदेश नीति की रूप-रेखा से सहमत दीखते हैं । आचार्य कृपलानी ने उस उद्विग्नता की ओर ध्यान आकर्षित कराया है जो कभी इस दल और कभी उस दल का साथ देने से उत्पन्न होती है । किन्तु श्री कृपलानी कदाचित यह बात भूल गये कि निष्पक्ष और निर्लिप्त नीति का अनुसरण करने वाला कोई भी देश यदा कदा एक या दूसरे गुट्ट से सम्बन्ध बनाये बिना नहीं रह सकता ।

जब हमने संयुक्त राष्ट्र को ३८ वीं अक्षांस पार न करने की सलाह दी थी तो वे हमसे परेशान हो गये थे । अभी हाल में युद्धबन्दियों के संकल्प पर रूस और चीन हमसे रुष्ट हो गये थे । राजनीतिक परिषद् की हाल की ताजी खबरों से मैं अपरिचित हूं । कदाचित दोनों गुट हमसे परेशान हैं । इस परेशानी का कारण यह है कि हम निष्पक्ष दृष्टिकोण से विचार करते हैं । हमारी विदेश नीति की सुदृढ़ता का यही सब से बड़ा प्रमाण है ।

राजनीतिक परिषद के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसमें उपस्थित रहने की हमारी विशेष इच्छा नहीं है । अमेरिका के परराष्ट्र सचिव श्री डलैस ने हाल ही में कहा था कि भारत का विरोध करने का यह कारण था कि वह दोनों में से किसी भी गुट के योग्य नहीं है । यह सच है कि समझौते के

अनुसार राजनीतिक सम्मेलन में उन व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता जो किसी भी पक्ष से सम्बन्धित नहीं हैं। यह विवादस्पद प्रश्न है कि भारत इस पक्ष की ओर है अथवा दूसरे पक्ष की ओर। अमरीका द्वारा भारत को सम्मेलन में लेने के विरोध करने का एक कारण यह भी है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भारत को नहीं चाहते हैं। यह दुखांत परिस्थिति है। हम राजनीतिक सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिये आतुर नहीं हैं और न हम स्वयं को दूसरों पर बल-पूर्वक थोपना चाहते हैं किन्तु यह वस्तुतः दुख की बात है कि शान्ति स्थापन की बातचीत में भारत और चीन सरीखे एशिया के बड़े देशों की उपेक्षा की जाती है। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त राष्ट्रमंडल के सब देश और अनेक दूसरें देशों ने भारत के पक्ष में मत दिये। यह आश्चर्य की बात है कि दुनिया में ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी यह धारणा है कि एशिया में शान्ति के हितों सुरक्षा कोलम्बिया, इथोपिया अथवा लक्सेम्बर्ग आदि देश कर सकते हैं और भारत नहीं कर सकता। यद्यपि हम वहां प्रतिनिधित्व किये जाने के लिये उत्सुक नहीं हैं किन्तु हमारी यह मान्यता है कि विश्व की इस परिषद में हमारी बात सुनी जानी चाहिये।

चीन के सम्बन्ध में अमरीका के विचार आश्चर्यपूर्ण हैं। साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेने से मना करना राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र की अवहेलना करना है। चीन प्रारम्भ से ही उसका सदस्य रहा है और राष्ट्र-संघ का यह मूलभूत सिद्धान्त है कि वह किसी देश के भीतरी कार्यों में हस्ताक्षेप न करे। किन्तु चीन की विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था के कारण उसे मान्यता न प्रदान करना उसके आन्तरिक क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करना है। घोषणा पत्र के अनुसार सब राष्ट्र समान स्तर पर हैं किन्तु चीन के साथ ऐसा समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है।

भारत में विदेशी बस्तियों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का वक्तव्य अत्यन्त महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि हम विदेशियों द्वारा अधिकृत उक्त स्थानों का युद्ध का प्रांगण नहीं बनने देंगे। कुछ समय पूर्व पुर्तगाल और अमेरिका में एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार भारत में पुर्तगाली बस्ती की रक्षा करने के लिये अमरीका द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों का पुर्तगाल उपयोग कर सकता है। यह हमारे देश के प्रति सर्वथा अमैत्रीपूर्ण व्यवहार है। मेरा विचार है कि आज प्रातः काल प्रधान मंत्री ने जो विचार व्यक्त किये हैं सम्बन्धित देश उन पर विचार करेंगे।

विरोधी दल की प्रायः यह आदत हो गई है कि वह राष्ट्रमंडल से हमारे सम्बन्ध की आलोचना करते हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि इस सम्पर्क से हमारी क्या हानि हुई है। राष्ट्र-मंडल की सदस्यता से कोलम्बो योजना तथा अन्य प्रकार के कार्यों का लाभ हमें सहज ही सुलभ हो गया है। मेरा यह विश्वास है कि हमने चीन की ओर अंग्रेजों की नीति परिवर्तित करने में पर्याप्त योग दिया है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता का यह तात्पर्य नहीं है कि राष्ट्र-मंडल की समस्त भूलों और पापों का उत्तर-दायित्व हमारे ऊपर है। क्या मलाया में किये जाने वाले कृत्यों के लिये हम उत्तरदायी हैं? हम पर यह आरोप लगाये गये हैं कि जब ट्यूनिशिया और मोरक्को के प्रश्न हमने राष्ट्र संघ में उठाये हैं तो हमने केन्या के मामले को क्यों नहीं वहां रखा? यह आरोप उचित नहीं है। क्या एशिया-अरब गुट की नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व हम पर है? यह मामला एशिया-अरब गुट से सम्बन्धित है यदि वह इसे अपने हाथ में ले लेता है तो हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। नेपाल में कुछ घटना हो जाती हैं, भले ही ब्रिटेन का

[श्री रघुरामय्या]

उससे कोई निकट सम्बन्ध न हो, उसका उत्तर-दायित्व हमारे ऊपर लादना अनुदारता और विरोधी पक्ष में विचारशीलता के दीवालिय-पन का द्योतक है।

अन्त में मुझे विश्वास है कि हमारी विदेशी नीति को विश्व में जो सम्मान मिल रहा है सदन का प्रत्येक सदस्य उससे सहमत होगा। यह बड़े गर्व की बात है कि वर्तमान विदेश नीति के कारण ही भारत को विश्व शान्ति का संदेश वाहक मान लिया गया है। हमें प्रधान मंत्री पर गर्व है जिन्होंने वर्तमान विदेश नीति को जन्म देकर पल्लवित, पुष्पित एवं फल्लवित किया है। मुझे विश्वास है कि सम्पूर्ण सदन इस तथ्य की स्वीकृति में एकमत होगा कि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित का महासभा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होना इस देश की विदेश नीति का विश्वव्यापी प्रशंसा और स्वीकृति का ही उच्चतम प्रमाण है।

डा० सैय्यद महमूद (चंपारन पूर्व): हजूर वाला, मेरी बदकिस्मती है कि मैं इस हाउस में जो तक़रीरें होती हैं उन को नहीं सुन सकता। इसीलिये में हमेशा डिबेट में हिस्सा नहीं लेता था। आज भी बदकिस्मती से मैंने प्राइम मिनिस्टर की तक़रीर नहीं सुनी। फिर भी बोलने के लिये खड़ा हो गया हूं बिना तक़रीर सुने। इस वास्ते अगर मैं कोई शब्द ऐसा कह दूं जो नामौजूं हो तो माफ करियेगा। उन की तक़रीर तो मैं ने नहीं सुनी लेकिन मैंने अन्दाज़ा किया है कि उन्होंने क्या कहा। इस तक़रीर के कुछ चन्द अल्फाज़ सुनने के बाद, कुछेक जुमले सुनने के बाद मैं ने अन्दाज़ा किया कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने दुनियां के क़रीब क़रीब सारे मुल्कों के मुतअलिक़ कहा। उन्होंने जो कुछ कहा उस से न सिर्फ उनकी वाकफियत बल्कि उनकी दिलचस्पी और पूरा रीयलाइजेशन मालूम हुआ। हमारी फारेन पालिसी सिर्फ यही नहीं है कि वह एक न्यूटरलिज्म की या नैगेटिव पालेसी रही है या है। बल्कि वह इस ज़माने में जब कि साईस के आलात मिले, साईस के हरबा ने दुनियां के लिये इतना बड़ा खतरा पैदा कर दिया है कि न सिर्फ दुनियां में बे-इत्मीनानी है, बल्कि दुनियां की तहजीब, दुनियां की शाइस्तगी, इसकी सभ्यता संस्कृति के मिट जाने का डर है। ऐसी हालत में अगर कोई मुल्क दुनियां को इस खतरे से बचाये और बचाने की कोशिश करे तो वह न सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि दुनियां के शुक्रिया का मुस्तहक है।

यह सही है कि आजकल इन्टरनैशनल पालेटिक्स जिस हालत में है वह तमाम दुनियां के लिये तक़लीफदह है। आज मलाया में जो हो रहा है, जो मुजालिम वहां हुए हैं और हो रहे हैं, वह बड़े तक़लीफदह हैं। आज कीनिया में जो हो रहा है वह तमाम दुनियां के लिये तकलीफदह है और हमारे लिये तकलीफ-दह है। अफसोस यह है कि इन दोनों मुल्कों में जो कुछ हो रहा है वह एक ऐसा मुल्क कर रहा है जिस को कोलोनियलिज़म का बड़ा तजुर्बा है। उस के इस तजुर्बे से हम उम्मीद रखते थे कि वह फिर ऐसी गलती नहीं करेगा जो पहले कर चुका है, लेकिन जैसा कि बाज़ दोस्तों ने कहा है कि इम्पीरियलिज़म या कोलो-नियलिज़म के जो शाईक हैं वह जल्दी ही अपने पिछले तजुर्बा को भूल जाते हैं और फिर वही करने लगते हैं। मुझे मालूम नहीं लेकिन ग़ालिबन मैं उम्मीद करता हूं कि चूंकि हम कामनवैल्थ में शरीक़ हैं तो बहैसियत कामनवैल्थ के एक मम्बर के हम इंगलिस्तान की तवज्जह मलाया की तरफ़, कीनिया की तरफ मुत्वज्जह करते होंगे। अभी कल के अखबार से मालूम हुआ कि अब जो वहां के फार्मर्स हैं अंग्रेज़, उनको रीयलाइजेशन हो रहा है और वह उस

मुल्क को छोड़ने की तज़वीज़ कर रहे हैं। अपनी जायदाद बेचकर मुल्क को छोड़ने की तज़वीज़ कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने पहले यहां किया। यह शुक्र है कि उन्होंने रीयलाइज़ किया कि वहां मुल्क में क्या हालत है। अगर उन्होंने इस को महसूस किया है तो यह एक उम्मीद देने वाली बात है। हमें उम्मीद करनी चाहिये कि वह जल्दी ऐसा करें ताकि बेचारे कीनिया को और अफ़्रीका के दूसरे हिस्सों को निज़ात मिले।

मलाया में जो हो रहा है वह भी हमारे लिये निहायत तकलीफदह है। ईरान में जो हुआ है वह ज़ाहिरा तो मालूम यही होता है कि अन्दरूनी झगड़ा है। लेकिन दुनियां अच्छी तरह जानती है कि इस सब के पीछे क्या है। कोई माशूक है इस परदाये ज़ंगारी में जो सब झगड़े के पीछे है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि किस तरह फौज़ में तक़सीम करने के लिये बीस मिलियन डालर भेजे गये हैं। इस से साफ जाहिर है कि क्या मामला है। बहरहाल जो और जगह भी हो रहा है। मराकश में या ट्यूनीशिया में वह तमाम दुनियां को मालूम है। वहां किस तरह की हालत है। इंसानों के साथ जानवरों की तरह बर्ताव हो रहा है। वह तमाम महज़ब दुनियां के लिये तकलीफदह और शर्म की बात है। वहां फ़्रेंच वहां के लोगों को निकाल कर उनके सिरों को कुचलते जा रहे हैं और वह टैररिस्ट बन रहे हैं। खुद फ़्रेंच लोग भी लोगों को टैरराइज़ करते हैं और वहां के लीडरों को मार रहे हैं। तरह तरह के मुजालिम हैं कि जिनकी खबरें पूरे तौर से हम तक पहुंचती भी नहीं हैं। इस सिलसिले में गुज़िश्ता मौके पर अर्ब-एशियन कंट्रीस ने यूनाइटेड नेशन्स में इस मामले को पेश किया है। एक रैज़ोल्यूशन पास हुआ यूनाइटैड नेशन्स का वह रैज्यूल्यूशन बहुत ही नर्म था और मामूली सा रैजोल्यूशन था। लेकिन उस रैजोल्यूशन का, गो इतना नर्म था, क्या नतीज़ा हुआ। इस के बारे में फ़्रेंच ने क्या किया। हम को मालूम है कि उसका क्या जबाव दिया। वहां और ज्यादा मुज़ालिम बढ़ गये। उन्होंने इस रेजोल्यूशन की यह क़दर की। मैं समझता हूं कि यूनाइटैड नेशन्स के लिये यह एक ज़िल्लत भी है कि गो उसका रैजोल्यूशन कितना ही नर्म हो, उस में सिर्फ फ़्रेंच की उन मामलात की तरफ तवज्जह दिलाई गयी थी, लेकिन वजाय तवज्जह देने के और ज्यादा मुज़ालिम वहां उन्होंने बढ़ा दिये और कहा कि अच्छा तुम रैजोल्यूशन पास करते हो। लेकिन तुम हमारा क्या कर सकते हो। तुम यह हिम्मत करते हो कि रैजोल्यूशन पास करते हो।

लिब्बिया में भी बेस बनाने के लिये कितनी कोशिश हो रही है। हम को मालूम है कि हिंदुस्तान की कितनी कोशिशों के बाद वह मुल्क आजाद हुआ है। उनको फिर अपने कब्जा में लेने की कोशिश की गई। ईराक में भी और सब जगह बेस बने हुए हैं। हर जगह तरह तरह की यह चीज़ें हैं जो हकीकत में हमारे लिये निहायत तकलीफ दह हैं। हमारी पालेसी सिर्फ नैगेटिव पालेसी नहीं है। वह एक पाजेटिव पालेसी रही है जैसा कि कोरिया के मसले ने साबित कर दिया है। कोरिया में जो बात सारी दुनियां से हमारे मुल्क ने कही, आखीर में साबित हुआ कि वह सही बात थी और दोनों लड़ने वालों ने उस को मान लिया। लेकिन बावजूद इसके भी बाज़ अपनी वजूह पर या अपनी मस्लहत से हिंदुस्तान को इस सुलह कांन्फ़्रस से अलग रखने की कोशिश की उस हिंदुस्तान को जो कि सुलह कराने वाला था। हिंदुस्तान ने कोशिश करके आरज़ी सुलह तो करा दी। लेकिन मालूम यह होता है कि उन्हें दरअसल खौफ हुआ कि अगर हिंदुस्तान इस कान्फ़्रेंस में शामिल किया गया तो कहीं वाकई सुलह न हो जाये। कम अज कम री साहब का तो यह ख्याल है ही कि कहीं सुलह न हो जाये और उन्होंने तो एलान किया है कि

[डा० सैय्यद महमूद]

वह लड़ेंगे ज़रूर। बहर हाल यह तमाम हालात बहुत तकलीफ दह है। लेकिन इसी के साथ हमने और हमारे मुल्क ने जो पालेसी रखी थी उस से यही नहीं कि तमाम अफ़्रीका और एशिया के मुल्कों में एक खुश कुन खुशी की लहर दौड़ादी कि हिदुस्तान जैसा मुल्क जो बहुत कुछ बढ़ने वाला है वह उनकी मदद पर है। हिंदुस्तान चाहता है कि वह कमज़ोर मुल्कों को मदद दे। वह चाहता है कि ऐसे कमज़ोर मुल्क जो आज इम्पीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं उन की मदद करे। जैसा कि उसने लिब्बिया में कहा। जैसा कि उसने इंडोनेशिया में कहा। यही नहीं कि उसने खुशी की लहर दौड़ा दी बल्कि हमारी पालेसी का लाज़मी नतीज़ा यह हुआ कि वह हमसे उम्मीद बांधे हुए हैं और हमारी तरफ अपनी मुसीबत के वक्त देख रहे हैं। उसका यह मतलब नहीं कि वह यह चाहते हों कि हम फौज़ ले जाकर उनकी तरफ से लड़ें। लेकिन वह हमसे यह ज़रूर चाहते हैं कि उनकी मदद की जाय। वह चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान उनको गाइड करे।

मिडिल ईस्ट में हिंदुस्तान का जो दर्ज़ा है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की शोहरत है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। अभी हमारे पुराने साथी आचार्य कृपलानी ने कहा कि हम प्रोपेगंडा बहुत करते हैं लेकिन मैं आपको बतला दूं कि बग़दाद के अखबारों ने लिखा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो प्रोपेगन्डा नहीं करता और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको प्रोपेगंडा से बिल्कुल नफ़रत है और वह बिना किसी प्रोपेगंडा के दुनियां के सब इंसानों की तरक्की और बहतरी चाहता है और कमज़ोर मुल्कों की मदद करना चाहता है। दूसरे मुल्कों को मैं जानता हूं कि प्रोपेगंडा पर किस तरह से रुपया सर्फ करते हैं। मिडल ईस्ट में किस तरह से प्रोपेगेंडा हो रहा है लेकिन मैं आपको बतला दूं कि हमारे बिना एक पैसा खर्च किये हुए और बिना किसी प्रोपेगैंडा के हिंदुस्तान और उसके बज़ीरेआज़िम का क्या रुतबा और दरजा है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा लेकिन यह कहना है कि हमारी पालेसी का लाज़मी नतीज़ा यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने यह पालेसी कामयाबी के साथ चलाई है उन्होंने अपने ऊपर यह ज़िम्मेदारी ले ली है कि दूसरे मुल्कों के लोग जो उम्मीद बांधकर हमारी तरफ देख रहे हैं। उनकी उम्मीद को हमें पूरा करना है। चूंकि उन्होंने हम से मदद की उम्मीद मांगी है। इस लिये उस का लाज़मी नतीज़ा यह हुआ है कि वह हम से चाहते हैं कि हम उनको गाइड करें। मैं ने हर मिडल ईस्ट के मुल्क में पाया कि वहां के लोग हमारी तरफ़ उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं कि हम उनको गाइड करें और हम उनकी इखलाक़ी मदद करें। इस लिये मैं चाहता हूं कि एक ऐसी तज़वीज़ करूं और वह यह है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर इसको मुनासिब समझें तो चन्द महीनों के अन्दर यूनाइटेड नेशन्स में नतीजा देखकर कि वहां इस सैशन में क्या होता है, वह तमाम अफ़्रीका और एशिया के मुल्कों की एक कांफ्रेंस बुलायें यह कोई अकेली मेरी ही तजवीज़ नहीं है। मुझे इल्म है कि इंडोनेशिया के लीडर्स, बर्मा के लीडर्स सब यही चाहते हैं और ताज्जुब नहीं कि अगर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इसके लिए लिखा हो और अगर उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं लिखा है तो मुझे मालूम है कि वह जल्दी ही ऐसा लिखने वाले हैं। मिडल ईस्ट का एक एक मुल्क चाहता है और अफ़्रीका के तमाम मुल्क चाहते हैं और इस अमर का रैज़ोल्यूशन भी पास किया है कि ऐसी एक कांफ्रेंस बुलाई जाय। ज़ाहिर है कि कान्फ्रेंस बुलाने के मानी

यह नहीं हैं कि हम किसी पर लड़ाई करें या वार डिकलेयर करें। इस से यह मतलब है कि हम एशिया और अफ़्रीका के इंसानों पर आज जो मुसीबतें पड़ रही हैं और उन पर जो जानवरों की तरह ज़ुल्म हो रहे हैं उन को हम समझें। उनका जायज़ा लें और आपस में मशवरा करें कि हम कैसे उन को दूर करें। इस कांफ्रेंस की ज़रूरत इस लिये और भी हो जाती है कि जो यह कहा गया है कि हम एशिया वालों को एशिया वालों से लड़ायेंगे। इस हालत में इस कांफ्रेंस का बुलाना और भी ज़रूरी हो जाता है कि सब लोग आपस में बैठकर सलाह मशवरा करें ताकि आगे कोई लड़ाई न होने पाये।

पाकिस्तान के मुतल्लिक मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वहां की गवर्नमेंट की जो भी राय हो लेकिन मैं ने वहां खुद देखा कि वहां के अवाम हिंदुस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुक रखने के लिये बेताब हैं। यह अभी आरजी तौर पर काश्मीर में जो कुछ हुआ उससे वहां पब्लिक में ज़रूर शोरोगुल मचा था लेकिन अब वह शोर बिल्कुल गायब हो गया और इससे पता चलता है कि वह शोर एंजीनियर्ड था। लोग वहां के दोस्ती के ख्वाहिशमन्द हैं और यह बड़ी खुशी का मुकाम है कि दोनों देशों में दोस्ती पैदा करने के लिये वहां के प्राइम मिनिस्टर यहां आये थे और हमारे प्राइम निमिस्टर वहां गये थे और दोनों देशों के वज़ीरआज़मों में आपसी समझौते और दोस्ती पैदा करने के लिये बातचीत भी हुई है और हम उम्मीद रखते हैं कि आयंदा भी ऐसी और कोशिश की जायेगी।

पाकिस्तान को हमारे खिलाफ एक हरबा की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। हम को चाहिये कि हम इस हरबा को सुलह व मुहब्बत के ज़रिये दुश्मनों के हाथ से छीन लें। एक चीज़ आखीर में और मैं अर्ज़ करना चाहता हूं। जो फारेन एड होती है या हमें मिली है उस के जरिये से हमने जो रिवर प्राजैक्टस बनाये हैं उन में मैं समझता हूं कि अगर हम चाईनीज़ मैथड्स का इस्तैमाल करें और इंसानों की मैन पावर को इस में लगायें तो इस से हम बहुत कुछ अनएम्प्लाइमेंट दूर कर सकते हैं। बस मैं अब और ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता।

सेठ गोविन्द दास (मंडला-जबलपुर--दक्षिण): सभापति जी अपनी वैदेशिक नीति का मैं आरम्भ से ही समर्थक रहा हूं और अभी जब मैं दुनिया के बहुत से देशों में गया तो वहां से लौटने के बाद मैं अपनी वैदेशिक नीति का और भी प्रबल समर्थक हो गया हूं।

अभी जो दो भाषण यहां पर हुए, हमारे कांग्रैस दल के अतिरिक्त श्री कृपलानी जी के और श्री हिरेन मुकर्जी के उन भाषणों म भी एक बात तो स्पष्ट ही मालूम हुई कि हमारी वैदेशिक नीति के जो मूल तत्व हैं उनसे उनका भी विरोध नहीं है, हमारी वैदेशिक नीति संसार में व्यापक शांति चाहती है, वह प्रेम की नींव पर अवलंबित है और कृपलानी जी ने तथा हिरने मुकर्जी ने उस सम्बन्ध मे अपने भाषण में कहा कि जहां तक हमारी वैदेशिक नीति के मूल तत्वों का सम्बन्ध है, वे भी उन से सहमत हैं। कृपलानी जी ने एक वात यह कही कि हमें अपनी घर की समस्याओं को हल करने में अधिक ध्यान देना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि अपनी समस्याओं को हल करने में हमारा अधिक ध्यान है ही लेकिन आज दुनिया कितनी छोटी हो गई है कि इन शीघ्रगामी वायुयानों के द्वारा जिस दुनिया को थोड़े से घंटों में नापा जा सकता है उस में यदि हम दुनियां का ख्याल न कर केवल अपनी समस्याओं को हल करनें में लगे रहें, तो मैं कृपलानी जी से जिनके लिये मेरे हृदय में बहुत बड़ी इज्जत है, यह कहना चाहता हूं कि हम अपनी समस्याओं को भी हल करने में समर्थ

[सेठ गोविन्द दास]

नहीं होंगे । एक तरफ तो हमको अपनी समस्याओं को हल करना है और दूसरी तरफ दुनिया में क्या हो रहा है और अपनी समस्याओं को हल करनें में हमको दुनियां से क्या मदद मिल सकती है और हम दुनियां को क्या मदद दे सकते हैं, इस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए ।

कृपलानी जी ने एक बात और कही कि कोरिया के मामले में हमने दोनों पक्षों को अप्रसन्न किया है, वह यहां पर इस समय मौजूद नहीं हैं, नहीं तो मैं उन से पूछना चाहता था कि क्या वह कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि जो हम करते या जिसे अभी भी करें जिससे दोनों पक्ष हमसे खुश रहें ।

मैं आप से कहता हूं कि अगर हमारे सारे कार्य का अवलम्ब सत्य है और यदि हम सत्य का अनुसरण करेंगें तो कभी कोई पक्ष हम से अप्रसन्न होगा और कभी कोई अप्रसन्न होगा । सब को प्रसन्न करने के प्रयत्न से वही बैल के किस्से की सी हालत होगी जो किस्सा मशहूर है कि एक बैल के साथ एक बाप और बेटा जा रहे थे और उन्होंने यह प्रयत्न किया सब प्रसन्न हो ।

कुछ माननीय सदस्य : आप भूल गये घोडा था ।

सेठ गोविन्द दास : जी नहीं, अगर आप चाहेंगे तो मैं कथा बता दूंगा, वह बैल था तो उसका नतीजा यह होगा कि कोई प्रसन्न नहीं होगा और हमारी हानि हो जायेगी ।

श्री हीरेन मुकर्जी ने जो कुछ कहा उससे मूझे एसा लगा कि वही पुराना नारा उनका अब भी मौजूद है कि रूस और चीन बहुत अच्छे हैं और ग्रेट ब्रिटेन और अमरीका बड़े खराब हैं हमें अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन को छोड़ कर दूसरे गुट को अपनाना चाहिए । मैं आप से कहता हूं कि हम ने रूस और चीन को बुरा कहते हैं और न अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन को बुरा कहते हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : श्रीमान : एक औचित्य प्रश्न है । मैंने रूस या चीन अथवा वहां की गई अच्छी बातों का जिक्र नहीं किया । मैं हिन्दुस्तानी में नहीं बोला था । वह मुझे नहीं समझे हैं ।

सेठ गोविन्द दास : उनके कथन का अर्थ यही था, चाहे उन्होंने रूस और चीन का नाम न लिया हो । रूस और चीन का नाम न लेने से अगर मतलब निकल आये तो क्यों किसी का नाम लिया जाय ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : साम्राज्यबाद खराब चीज नहीं है तो कौन चीज खराब है ?

सेठ गोविन्द दास : रूस और चीन, अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन जितने भी राष्ट्र हैं सब हमारे मित्र ह, हम सब को प्रेम की दृष्टि से देखते हैं । अगर कोई गलती अमरीका करे, ग्रेट ब्रिटेन करे तो हम उसकी मुखालिफत करेंगे, अगर कोई गलती रूस और चीन करेंगे तो हम उसकी भी मूखालिफत करेंगे । कोरिया में हमने जो कुछ किया उस से यह बात सिद्ध होती है कि हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं । हम ने शुरू में कहा था कि ३८ वीं अक्षांश कोरिया के युद्ध में पार न की जाय । मैं श्री हीरेन मुकर्जी को याद दिलाता हूं कि उस वक्त अमरीका हमारे ऊपर बहुत बिगड़ा था । अगर उस समय हमारा कहना मान लिया जाता तो कोरिया का युद्ध जो आज समाप्त हुआ है वह इस के पहले कभी का समाप्त हो गया होता । हम ने कोरिया के युद्ध को बन्द करने के लिये कुछ महीने पहले सुरक्षा परिषद

में एक प्रस्ताव उपस्थित किया था । उस समय रूस और चीन हम से बहुत बिगड़े और कहा कि हम तो अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन की एक तरह से हिमायत करते हैं । लेकिन आखिर आपने देखा कि उसी प्रस्ताव के अनुसार कोरिया का युद्ध समाप्त हुआ ।

जैसा मैंने कहा अगर हम सत्य का अवलम्बन करते हैं तो कभी हम से कोई अप्रसन्न होगा । कभी कोई अप्रसन्न होगा लेकिन हमें इस की परवाह नहीं करनी चाहिए । जिस रास्ते को हम ठीक रास्ता समझते हैं उस पर हम को चलना चाहिए । श्री हीरेन मुकर्जी ने अपने भाषण में एक बहुत फूहड़ शब्द का उपयोग कर डाला, उन्होंने कहा कि हम तो ब्रोकर्स हैं । मैं उन से कहना चाहता हूं कि जिस समय सुरक्षा परिषद में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को उसका सभापतित्व मिलता है, जिस समय एक ओर अमरीका और उस के साथी और दूसरी ओर रूस और उसके साथी दोनों विजय लक्ष्मी का समर्थन करते हैं, उस समय हमारी लोक सभा में हमारे लिये ही इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है ।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं । कुछ लोगों की यह प्रवृति हो गई है कि विदेशों की प्रसंशा करना । कोई अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन की प्रसंशा करता है, कोई रूस और चीन की प्रशंसा करता है । दूसरों की हम प्रशंसा करते हैं और अपने को हम न मालूम क्या समझते हैं । जब आज दुनियां हम को अच्छा समझती है, उस समय हम अपने को बुरा समझते हैं । मेरी समझ में यह बात कभी नहीं आती ।

जो संशोधन इस प्रस्ताव पर आये हैं उन सब को देखने पर हमें यह मालूम होता है कि यथार्थ में जो संशोधन हैं वे सुधार इस कारण नहीं हैं कि हमारी वैदेशिक नीति बुरी नीति है। मुझे तो उन सबों में राजनैतिक गंध आती है। राजनैतिक दलदल के कारण इस प्रकार के सुधार आते हैं कम से कम कुछ चीजों को हम को राजनैतिक दलदल से परे रखना चाहिए । अभी कुछ दिन पहले बिनोबा जी ने कहा था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां हम सब राजनैतिक दल मिल कर काम कर सकते हैं । प्रजा समाजवादी दल के नेता श्री जय प्रकाश नारायण ने भी इस बात को दोहराया था और उन्होंने कहा था भारत की जैसी स्थिति है उस स्थिति में कुछ चीजें ऐसी चुननी चाहिए कि जिन चीजों को हम सब मिल कर करें । भूदान यज्ञ का काम यदि हम सब मिल कर कर सकते हैं । तो जहां तक हमारी वैदेशिक नीति का सम्बन्ध है उस में भी हम मिल कर एक राय हो कर काम करें । इसका नतीजा यह निकलेगा कि विदेशों में और दूसरे स्थानों में हमारा प्रभाव बढ़ेगा ।

पंडित एस० सी० मिश्र (मुंगेर उत्तर-पूर्व): शुरूआत कीजिये मिल कर काम करने की ?

सेठ गोविन्द दास : दुनियां की आज जो हालत है वह हम से छिपी नहीं है । हमारी वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में जो सुधार आए हैं उन को यदि आप देखें तो किन बातों की ओर हमारा ध्यान मुख्यत: आकृष्ट किया गया है दो तीन ही हैं । एक तो यह है कि कोरिया की राजनैतिक कान्फरेंस के हम सदस्य न हो सके । मैं आप से कहता हूं कि जैसा हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी कहा, इस के लिये हम कोई बहुत चिंतित नहीं थे और यह एक बहुत छोटी सी बात है । हम उस झगड़े से अलग हो गये इस से उल्टे हमारी महत्ता बढ़ती है, हमारी निस्पृहता दिखाई देती है और जो दूसरे देशों नें माना भी है।

दूसरी बात दक्षिणी अफ्रीका सीलोन और मलाया के सम्बन्ध में कही गई । इस में कोई संदेह नहीं कि हम इन प्रश्नों को हल नहीं कर सके पर दक्षिण अफरीका का जो प्रश्न है , जिस पर प्रधान मंत्री जी

[सेठ गोविन्द दास]

ने भी बहुत कुछ कहा, आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों हल होने वाला है। यह हो नहीं सकता कि दक्षिण अफरीका के पंचमाश श्वेतांग अपने से चौगुनी आवादी को हमेशा दबा कर और कुचल कर रख सकें। आज हम देखते हैं कि यह प्रश्न बहुत उग्र प्रश्न हो गया है। मैं इस को मानता हूं कि बड़ा उग्र प्रश्न है और उसका आज निपटारा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किसी आदमी के जीवन में दो, चार पांच वर्ष बहुत हो सकते हैं, लेकिन किसी राष्ट्र के जीवन में दो चार या दस वर्ष कोई बहुत लम्बा समय नहीं है। मैं अफ्रीका हो कर आया हूं, जिस समय मैं वहां सन् १९३७-३८ में गया था, उस समय वहां भारतीय अपने हकों के लिये लड़ रहे थे। उस समय वहां पर एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया जा रहा था और आज वहां संयुक्त मोर्चा तैयार हो गया है। मैं प्रधान मंत्री जी से बिल्कुल सहमत हूं कि चाहे दक्षिण अफरीका हो चाहे पूर्वी अफरीका हो चाहे मलाया हो चाहे सिलोन हो, जहां कहीं भी हमारे यहां के निवासी हों तो उन्हें अपने यहां के निवासियों के ऐसे हकों के लिये लड़ना नहीं है जिनसे उस देश के रहने वालों के हितों को हानि पहुंचती है। जितने भी वहां के निवासी हैं और जिनके हकों को सदियों से कुचल कर रखा गया है उन सब को मिल कर अपने हकों के लिये लड़ना है। मेरा यह विश्वास है कि यदि ऐसा किया गया तो दक्षिण अफरीका का प्रश्न जो आज इतना उग्र प्रश्न बन गया है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों हल हो कर रहेगा। क्यों कि जैसा मैंने निवेदन किया एक पंचमांश श्वेतांग अपने से चौगुनी आबादी को चाहे वे रंगीन हों, चाहे भारतीय हों, कोई भी क्यों न हो, कुचल कर नहीं रख सकेंगे।

अंत में मुझे एक बात कहनी है कि हमारी वैदेशिक नीति हमारे लिये और संसार के लिये, दोनों के लिय, कल्याणकारी है। वह हमारी संस्कृति हमारी परम्परा के अनुसार है। हमारी वैदेशिक नीति पहले कभी चीन की समझ में नहीं आती थी, रूस की समझ में नहीं आती थी, कभी अमरीका की समझ में नहीं आती थी लेकिन अब मैंने देखा कि वह दुनियां में सब के समझ में आने लगी है, और हम यदि एक दूसरे की समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक समझें और उनको निपटाने का प्रयत्न करेंगे तभी संसार में शांति रह सकती है। उस के लिये हमारी वैदेशिक नीति ही ठीक नीति है।

अन्त में श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित को उनके चनाव पर बधाई देना चाहता हूं और उन से एक बात निवेदन करना चाहता हूं। मैं ने अमरीका में देखा है कि वहां सुरक्षा परिषद् में और यू० एन० ओ० की परिषद् में स्पेनिश बोली जाती है, रूसी बोली जाती है, अंग्रेज़ी बोली जाती है, फ्रांसीसी, बोली जाती है। हिन्दी हमारे चालीस करोड़ मानवों की ज़बान है। आज हमारा यह सौभाग्य है कि श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित उस परिषद् की अक्ष्यक्ष निर्वाचित हुई हैं और मैं उन से इस लोक सभा के द्वारा यह अपील करना चाहता हूं कि उन को यह प्रयत्न करना चाहिये कि जिस प्रकार ये चार भाषाऐं वहां पर बोली जाती हैं उसी प्रकार हिन्दी को भी वहां उस का उचित स्थान दिया जाय।

डा० लंका सुन्दरम् : श्रीमान्, प्रधान मंत्री ने विदेश नीति के सम्बन्ध में एक अत्यन्त स्पष्ट और व्यापक वक्तव्य दिया है। गत वर्ष विदेश मामलों पर वादविवाद प्रारम्भ करते समय मैंने कहा था द्विपक्षावलम्बी विदेश नीति की ओर कुछ प्रयत्न किया जाना चाहिये। आज यह मत समर्थन प्राप्त कर रहा है। यदि मैंने हिन्दी समझने में कोई भूल नहीं की है तो मेरा विचार है कि मेरे माननीय मित्र सै० गोविन्ददास ने भी यही बात कही है।

यह हर्ष की बात है कि विरोधी पक्ष के मुख्य भाषण में आचार्य कृपालानी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह और उनका दल विदेशी मामलों में भारत के प्रधान मंत्री से सहमत हैं। भले ही वह आचार्य कृपालानी की शुष्क व्यंगोक्ति हो अथवा प्रोफेसर मुकर्जी की उग्र वक्तृता हो, दोनों इस विषय में एकमत थे कि मूलरूप में हम शान्ति के पक्षपाती हैं और विश्व के विभिन्न भागों में तनाव को दूर करने के लिये आवश्यकतानुसार तत्पर हैं।

मेरे माननीय मित्र ने अपने उर्दू के औजस्वी भाषण में भारत ने जो सम्मान प्राप्त किया है तथा प्रधान मंत्री के सम्मान का निर्देश किया है। परन्तु मुझे ऐसा आभास होता है कि कभी कभी इस देश का हित छोड़ दिया जाता है। मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री जी मुझे से इस बात पर सहमत होंगे कि मैं इस कोरिया के प्रश्न पर एक दो बातें कहूं। सभापति महोदय, यह समझने में कोई भूल नहीं होनी चाहिये कि कोरिया के मामले में भारत ने जो किया है वह वास्तव में महान है। कोरिया आयोग का सभापतित्व करने वाला व्यक्ति एक भारत का नागरिक था—श्री के० पी० एस० मेनन। हमारे ही प्रस्ताव के आधार पर वर्तमान प्रबन्ध किये गये हैं। हमारी संरक्षक सेनायें शानदार काम कर रही हैं। इतना होने पर भी, मुझे यह बुरा लगा कि संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक समिति में दो तिहाई मत प्राप्त न करने पर हमने अपने आप को पीछे हटाने का एकदम निश्चय कर लिया। मुझे यह आशा थी कि कोरिया के मामले में हमें और बढ़ना चाहिये था और सामान्य सम्मेलन में खड़ा होना चाहिये था। मैं किसी राष्ट्र का विरोधी नहीं हूं। परन्तु श्री जोहन फोस्टर डलेस के इस वक्तव्य पर मुझे घोर आपत्ति है कि कोरिया के मामले में तटस्थ रहने का यही मूल्य है जो भारत को देना पड़ रहा है।

गत वर्ष ७ अगस्त को काश्मीर चर्चा आरम्भ करते हुए मैंने कहा था कि भारत की विदेश नीति को क्षति पहुंचाने के लिये की गई कोई भी कार्यवाही, इस देश की रक्षा को हानि पहुंचाने के लिये की गई कोई भी कार्यवाही, का विरोध होना चाहिये और अब मैं इसका विरोध करता हूं। मेरा सदैव ही यह विचार रहा है कि काश्मीर के मामले पर, आन्तरिक मामले के रूप में, चर्चा करनी चाहिये। परन्तु दुर्भाग्यवश, कुछ कारणों से यह एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न होगया है। श्रीमान् मुझे खेद है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रेक्षकों की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में हमारे संशोधनों को अस्वीकार कर दिया है। मेरी इच्छा प्रधान मंत्री से कुछ साधारण से प्रश्न पूछने की है और आशा करता हूं कि वह उत्तर देने की कृपा करेंगे। उन्हों ने अपना मुख्य कार्यालय श्रीनगर में क्यों रखा है? उन के पास उन के निजी पारेषण यंत्र क्यों हैं? वे अपने आप को युद्ध विराम रेखा के आस पास तक क्यों सीमित नहीं रखते? श्रीमान इन व्यक्तियों की संख्या भी अधिक है यहां तक कि उन्हों ने एक प्रबन्धक सेना का सा रूप धारण कर लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि ये व्यक्ति, जो अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों के अन्तर्गत यहां आये हैं, काश्मीर के घरेलू मामलों में क्यों हस्ताक्षेप करते हैं। इन की ऐसी कार्यवाहियों को रोकने के लिए जम्मू तथा काश्मीर और भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है? ये व्यक्ति पूर्णतः यह भूल गये हैं कि उन्हें किस कार्य के लिये यहां भेजा गया है।

दूसरा प्रश्न यह है कि युद्ध विराम रेखा से गुलमर्ग, मेरे विचार में लगभग पांच छः मील है। ८ अगस्त की रात को, जब शेख अब्दुल्ला गुलमर्ग गये थे, वहां विदेशी दूत उन की प्रतीक्षा कर रहे थे। शेख अब्दुल्ला के साथ ही उन्हें भी पकड़ा गया था, मुझे ऐसा पता लगा है। इन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? यह बात उठाने का मेरा अभिप्राय भारत सरकार व जम्मू तथा काश्मीर सरकार को आधार प्रदान करना है और आशा करता हूं

[डा० लंका सुन्दरम्]

कि इन कार्यवाहियों को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की जायेगी ।

९ अगस्त की रात को भारत की सेना या भारत सरकार ने जो कार्यवाही की उस के विरुद्ध बड़ा प्रोपेगन्डा है । मैं प्रधान मंत्री से यह बताने की प्रार्थना करता हूं कि क्या संविधान के अनुच्छेद ३५२ को जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने किसी भी रूप में भंग किया था ? श्रीमान, आप को स्मरण होगा कि २४ जुलाई को प्रधान मंत्री ने कहा था कि काश्मीर सरकार के पक्ष में अनुच्छेद ३५२ में कुछ परिवर्तन करना स्वीकार कर लिया गया है । विदेशों में देखने वाले गन्दे प्रोपेगन्डा का विरोध करने के लिये प्रधान भंत्री से प्रार्थना करने की दृष्टि से मैं यह बात कह रहा हूं ।

सात वर्षों के पश्चात भी काश्मीर के एक मूल तथ्य को भुला दिया गया है । हम ने सुरक्षा परिषद को इस बात का निर्देश किया था कि जम्मू तथा काश्मीर पर आक्रमण किया गया है । हम ने संयुक्त राष्ट्र से केवल लुटेरों को ही नहीं अपितु पाकिस्तानी सेनिकों को भी वहां से हटाने का प्रबन्ध करने के लिए प्रार्थना की थी । आज यह मूल बात भुला दी गई है । काश्मीर का एक बड़ा भाग उन के हाथ में है । जब तक जम्मू तथा काशमीर का वह भाग जो 'आजाद काश्मीर' कहलाता है, जम्मू तथा काश्मीर राज्य के साथ नहीं मिलता तब तक जनमत संग्रह नहीं होगा ।

अन्त में मैं संकट टालने के लिये सदर-ए-रियासत ने जो कार्यवाही की उस की सराहना करता हूं । मुझे आशा है कि जनता सामान्यत: वर्तमान सरकार तथा जम्मू, काश्मीर सरकार को सहयोग देगी । कुछ ही दिनों में बहुत से सुधारों की घोषणा की गई है । काश्मीर में जो महान परिवर्तन हो रहा है उसमें भारत काश्मीर के साथ है मुझे पूर्ण विश्वास है कि ९ अगस्त की घटना के आधार पर समस्त देश सरकार के साथ रहेगा वशर्ते कि सरकार आन्तरिक तथा बाहर के सभी उपद्रव कर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करती है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित—आंगल-भारतीय) : मेरे संशोधन में सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में कोरिया पर आगामी राजनीतिक सम्मेलन पर किया गया निश्चय भारत के विशेष हित को अंगीकार नहीं करता है । प्रस्ताव में अफ़रीका में अंग्रेजी उपनिवेश कार्यालय तथा दक्षिणी अफ़रीका में मलान सरकार की नीतियों की कोई विशेष निन्दा नहीं की गई है । मैं आरम्भ में ही यह कह सकता हूं कि मैं भी आचार्य कृपलानी की भांति सिद्धान्त रूप में प्रधान मंत्री की विदेश नीति से सहमत हूं ।

मुझे विदित है कि इस राजनीतिक सम्मेलन के सम्मुख एक कठिन समस्या है और मैं इस से सहमत हूं कि हम उस कठिन समस्या को और अधिक कठिन बनाना नहीं चाहते । एक यह तर्क रखा गया है कि कोरिया सम्बन्धी यह राजनीतिक सम्मेलन युद्ध में भाग लेने वाले देशों से सम्बन्धित है और भारत का कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है । हमें इस पर इस दृष्टि से विचार करना है कि कोरिया में जो हुआ है वह अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास में एक अद्भुत घटना है । । बहुत से राष्ट्रों ने मिल कर ऐसा पग प्रथम बार उठाया है ।

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता में अपने विश्वास की घोषणा के पश्चात्, क्या मैं प्रधान मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ, अपनी सारी कमियों के साथ, अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता के लिए, अत्याधिक, अवसर कैसे प्रदान करता है ? चाहे हम नीति को प्रभावित न करें परन्तु मेरा विचार है कि अन्तर्राष्ट्रीय निश्चयों को प्रभावित करने में भारत एक बड़ा महत्वपूण कार्य कर सकता है ।

आगामी राजनीतिक सम्मेलन के सम्बन्ध में भारत ने जो पग उठाये थे वे सर्वथा उचित थे। क्योंकि यह स्वाभिमान तथा गौरव का प्रश्न था। परन्तु मेरा विचार है कि अमरीका के नीति-निर्माताओं का निश्चय अविवेकपूर्ण तथा राजनीतिक सूझ बूझ से बाहर था। भारत को सम्मिलित न कर के अमरीका ने अपना एक सब से बड़ा आधार खो दिया है। आज भारत दक्षिणी पूर्वी एशिया के लिए बोल सकता है और बोलता है। मि० डलेस ने सोचा होगा कि वह एक बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं जब कि उन्हों ने भारत के अपवर्जन का निर्देश किया कि यह उस की तटस्थता का मूल्य है। परन्तु पूर्ण सम्मान सहित मैं यह कह सकता हूं कि आज अमरीका नीति कुछ दृष्टियों में परिपक्व नहीं है। अमरीका की नीति बहुत सी बातों में यह बताती है कि उन्हें एशिया वासियों के विचारों का ज्ञान नहीं है। इस से भी बढ़ कर गलती मि० डलेस ने उस समय की जब उन्हों ने यह कहा कि यदि वे यह देखेंगे कि सम्मेलन सफल नहीं हो रहा है तो वे डा० सिंगमेन री के साथ सम्मेलन से बाहर निकल जायेंगे। व्यक्तियों का विचार है कि डा० सिंगमेन री कदाचित कोरिया के एकीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र से फिर युद्ध कराना चाहते हैं और संगठित कोरिया के स्वयं प्रथम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में भारत जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है वह यह है कि वह अमरीका को बता दे कि यदि अमरीका डा० सिंगमेन री का अनुचित पक्ष लेगा तो वह केवल संयुक्त राष्ट्र को ही अपूर्णीय हानि नहीं पहुंचायेगा अपितु जनतन्त्र वाद को हानि पहुंचायेगा। यहां तक कि इस कार्यवाही के फलस्वरूप वह भारत से ही अपने को अलग नहीं करेगा अपितु समस्त पश्चिमी जनतन्त्रीय देशों से भी अलग होने की सम्भावना उत्पन्न कर लेगा।

इस के अतिरिक्त भारत अमरीका को यह यथोचित चेतावनी दे सकता है कि यदि अमरीका यह प्रदर्शित करता है कि वह डा० सिंगमेन री का अनुचित पक्ष लेगा तो वह अपने आप को जन तन्त्रवाद से अलग कर लेगा। इस के साथ ही साथ हम पर साम्यवादियों के विचारों आदि का पूर्ण अधिकार नहीं होना चाहिये।

मेरे मित्र आचार्य कृपलानी ने प्रधान मंत्री के विचारों से सहमति प्रकट की। कुछ मित्रों ने इस सदन में यह सुझाव दिया है कि हमें शून्य में नहीं रहना चाहिये। हम साम्यवाद, आदि का विरोध करते हैं और वे जनतन्त्रवाद का। मैं कहता हूं कि रचनात्मक विदेश नीति का सर्वोपरि ढंग भारत के हित की सुरक्षा करना है। हम स्वयं यह प्रश्न कर सकते हैं कि क्या और कौन भारत की सुरक्षा या जीवन के जनतन्त्री ढंग को, जिस के लिए भारत वचन बद्ध है, कभी भय उत्पन्न कर सकता है? उत्तर है कि भारत की सुरक्षा तथा जीवन के जनतन्त्री ढंग को भय केवल साम्यवादी देशों से हो सकता है।

श्री नम्बियार : ऐसा कभी नहीं है।

श्री फ्रैंक एन्थनी : ऐसा ही होगा। इसी लिये तो मैं कहता हूं कि भारत अमरीका को यह भली भांति समझा कर कि मि० डलेस नीति से संसार को क्या भय है, और डा० री को मि० रोबर्ट्सन द्वारा दिये गये वचनों को बता कर एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है।

अब मैं अफ़रीका की घटनाओं पर कुछ कहना चाहता हूं। मेरा स्वयं का यह विश्वास है कि अफ़रीका में जो हो रहा है वह संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के विरुद्ध है। यह अब आन्तरिक मामला नहीं रहा है। वहां जो कुछ हो रहा है वह प्रारम्भिक मानवीय अधिकारों को तोड़ना है। आज संसार के काली

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

चमड़ी वाले तथा शोषित व्यक्ति भारत की ओर इस दृष्टि से देखते हैं कि वह उस का मार्गदर्शक तथा प्रवक्ता है। भारत पर उन का विश्वास जम गया है। यह उस का कर्त्तव्य हो गया है और यह वह कर्तव्य है जिस से वह बच नहीं सकता।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि दक्षिणी अफ़रीका की समस्या असाध्य है, परन्तु इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं कहता हूं कि हम अनुचित रूप में व्यक्तियों को अपने विरुद्ध करना नहीं चाहते, परन्तु हमें अफ़रीका में चलाई जाने वाली जातिभेद की नीति पर प्रकाश डालने तथा उस की निन्दा करने का अवसर नहीं खोना चाहिये। हम जानते हैं कि अफ़रीका में क्या हो रहा है। यह एक व्यंगात्मक स्थिति है।

केन्द्रीय अफ़रीका में ६० लाख अफरीकावासियों को ३० लाख योरोप वासियों के अधीन किया जा रहा है। यदि जनतन्त्रवाद के कोई अर्थ हैं तो भारत को ब्रिटेन तथा अमरीका को यह अवश्य बता देना चाहिये कि उन्हें इस का वास्तविक महत्व केवल योरोप वासियों को ही नहीं देना चाहिये अपितु संसार भर में सारे व्यक्तयों को चाहे वे किसी रंग के हों, इस का समान महत्व देना चाहिये। आजकल ब्रिटिश उपनिवेश कार्यालय, भय आदि के आधार पर थोड़े से योरोपवासियों को देश के अधिकांश वास्तविक वासियों पर राज करने वाले बनाने की नीति का अनुसरण कर रहा है। अफ़रीका, मध्य पूर्व तथा सुदूरपूर्व में यह स्थिति है। इसी कारण भारत को केवल दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्रवक्ता ही नहीं समझा जाता अपितु उसे एशिया में उन्नति का उपदेशक समझा जाता है। भारत को एक निश्चयात्मक भाग लेना चाहिये। और अमरीका तथा ब्रिटेन को बता देना चाहिये कि अब यह जनतन्त्रवाद के पुनर्जन्म का प्रश्न है और उन्हें अपनी कार्यवाहियों द्वारा संसार भर में समस्त व्यक्तियों को जनतन्त्रवाद का वास्तविक महत्व देना चाहिये। भारत को अमरीका और ब्रिटेन से निश्चय करने के लिए कहना चाहिये क्योंकि उस निश्चय पर जनतन्त्रवाद का ही भविष्य नहीं अपितु भावी घटनायें तथा मानव जाति का इतिहास निर्भर होगा।

डा० राम सुभग सिंह : मैं विदेशी मामलों में भारत सकार की नीति का समर्थन करता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अभी अपना प्रस्ताव रखते हुए प्रधान मंत्री ने कहा है कि वह यहां किसी प्रकार का कोई हस्ताक्षेप सहन नहीं करेंगे और पाण्डचेरी तथा गोआ में साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार के साम्राज्यवाद के युद्ध नहीं होने देंगे। प्रधान मंत्री ने जो कहा है उस से वह अंधकार पूर्णत: हट गया है जिस ने भारत के वातावरण को घेर रखा था। मैं भारत सरकार को मन्त्रणा देता हूं या मुझे उन से आग्रह करना चाहिये कि वे यहां इन सब विदेशी बस्तियों को समाप्त करने के लिए तुरन्त तथा प्रभावी कार्यवाही करें।

मैं देखता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में तथा और कहीं भी जहां कूटनीतिक युद्ध होते हैं, वहां ऐशिया वासियों को भारत के विरुद्ध किया जाता है और इस प्रकार राष्ट्रपति आइज़नहोवर की नीति---एशिया वासी एशिया वासियों के विरुद्ध---का पालन हो रहा है। भारतीय सेनिकों के विरुद्ध सिगमेन री द्वारा उठाया गया पग, श्रीमती विजयलक्षमी पंडित का स्याम के राजकुमार द्वारा संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता के सम्बन्ध में विरोध कराना, इस के उदाहरण हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य सम्भवत: कुछ समय लेंगे। वह सायंकाल

की बैठक में अपना वक्तव्य पुनराम्भ कर सकते हैं ।

सदन सायंकाल चार बजे तक के लिए उठ गया ।

सदन की बैठक चार बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

उपाध्यक्ष महोदय : डा० राम सुभग सिंह अपना वक्तव्य पुनराम्भ करें ।

डा० राम सुभग सिंह : संयुक्त राष्ट्र संघ में कूटनीतिक युद्धों के बारे में मैं बता रहा था कि अमरीका आदि देश एशिया के कुछ देशों को भारत के विरुद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं । यद्यपि इन कार्यवाहियों से हमारी नीति को कोई बड़ी हानि नहीं होगी सिवा इस के कि वे संसार की ऐसी शान्ति के लिए अपनी नाशकारी कार्यवाहियों के प्रति सन्तुष्ट हो जायें, जिस के लिये भारत ने इतना बड़ा कार्य किया है ।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उस की विभिन्न समितियों के कार्य में जो भाग लिया है वह प्रत्यक्ष है । भारत ने इण्डोनेशिया, कोरिया, टुनिशिया, मोरक्को, केनिया, मिस्र तथा चीन के सम्बन्ध में जो पग उठाये उन से भारत की विदेश नीति को पर्याप्त मान प्राप्त हुआ है ।

मैं इस का कोई कारण नहीं समझ पाता कि हमारे काशमीर राज्य सीमा के प्रश्न पर पाकिस्तान के संग इतनी उदारता का बर्ताव क्यों किया जाये । मैं प्रधान मंत्री तथा भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि वे अब यह स्पष्ट शब्दों में कह दें कि जब तक लुटेरे, पाकिस्तानी सिपाई तथा पाकिस्तानी सेना सम्पूर्ण काशमीर से नहीं चले जाते तब तक कोई जनमत संग्रह नहीं होगा । मैं प्रधान मंत्री से यह भी प्रार्थना करता हूं कि वह काशमीर में हमारी सेना-शक्ति बढ़ायें और उन शक्तियों को एकसूत्र में बांधने का प्रयत्न करें जो जनतन्त्रवाद आदि की समर्थक हैं ।

जाति भेद भाव के मामले में भारत सरकार जिस नीति का पालन कर रही है वह बड़ी योग्य तथा सहासपूर्ण है । भारत सरकार ने सदैव ही जाति भेद भाव को संसार से हटाने का प्रयत्न किया है । इस नीति की महानता यह है कि इस ने डलेस, सलाज़ार तथा मलान आदि की भेदभाव पूर्ण नीतियों का भण्डा फोड़ कर दिया है । इस से भारत की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, राजनीति ख्याति तथा महत्व में वृद्धि हुई है । अतः मैं इस महान सदन से भारत सरकार की नीति को पूर्ण सहयोग देने के लिये आग्रह करता हूं ।

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : मैं एक औचित्य प्रश्न रखना चाहती हूं । श्रीमान, इस सदन में केवल पुरुष ही वक्ता होते हैं । जब हम राष्ट्रों के भागों का सभापतित्व करती हैं तो इस का क्या कारण है कि यहां स्त्रियों को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं स्त्रियों की बात की ओर ध्यान दूंगा ।

श्री पी० एन० राजभोज : इस देश में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधि होने के नाते मैं भी बोलना चाहता हूं ।

मौलाना मसूदी (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब वाला, सबसे पहले मैं आनरेबल प्राइम मिनिस्टर को आज सुबह की उस तकरीर पर मुबारकबाद अर्ज़ करना चाहता हूं जो हिन्दुस्तान की खारजा पालेसी (विदेश नीति) की वज़ाहत में उन्होंने फ़रमाई, और उसकी पूरी पूरी ताईद करते हुए यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की जो खारजा पालेसी है आज वह न सिर्फ दुनियां की अमनो-अमान (शान्ति) की ज़ामिन (साक्षी)

[मौलाना मसूदी]

कहला सकती है, बल्कि खुद हिन्दुस्तान की इज्ज़त और आबरू को भी दुनियां के सामने रोज़ बरोज़ आगे ले जा रही है क्योंकि वह किसी वक्ती मसलिहत (सामयिक नीति) और किसी वक्ती मफ़ाद (सामयिक हित) के साथ बदलती हुई पालिसी नहीं है, बल्कि सदाकत की असूल पर मबनी (आधारित) एक ऐसी पालेसी है जो हर एक हालत में एक जैसी रहती है। कोई इसके साथ इत्तफ़ाक़ करे (सहमत हो) या न करे, लेकिन दोस्त और दुश्मन, दुश्मन तो हिन्दुस्तान अपना किसी को कहता ही नहीं है, मुआफक और मुखालिफ़ (मित्र तथा शत्रु) दोनों ही अपनी जगह आसानी के साथ यह समझ सकता है कि किस अकदाम के बारे में हिन्दुस्तान हमारी ताईद करेगा और किस के बारे में हमारी मुखालिफत करेगा। यह बजात खुद इतनी ठोस और मजबूत चीज़ है जिस पर हिन्दुस्तान जैसा एक नया आजाद शुदा मुल्क अपनी बुनियादों को इन्तिहाई मजबूत बना सकता है और एक मुस्तहकम कदम आगे को उठा सकता है। मैं जनरल पालेसी के बारे में इन्हीं चन्द अल्फ़ाज़ से इत्तफ़ाक करते हुए चन्द बातें काश्मीर के बारे में अर्ज करूंगा।

काश्मीर का मुआमला इस हिसाब से तो अन्दरूनी मुआमला है कि वह हिन्दुस्तान की अपनी अन्दरूनी स्टेट का सवाल है; लेकिन काश्मीर का सवाल जिस तरह इस वक्त तक आखिरी फैसला के लिये लटक रहा है इस लिहाज़ से काश्मीर में होने वाली हर एक बात हमारे खारजी मुआमलात पर असर डालती है। इसलिये काश्मीर में होने वाले वाक्यात को खारजी मुआमलात से अलग कर के आसानी के साथ नहीं देखा जा सकता। यही वजह है कि खुद पंडित जी ने आज सुबह फारेन अफेयर्ज़ (विदेशी कार्य) पर गुफतगू करते हुए काश्मीर के बहुत से अन्दरूनी मुआमलात का भी हवाला दिया। काश्मीर में सबसे बुनियादी चीज़ जो हम सब को हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखनी चाहिये वह यह है कि काश्मीर के सवाल का आखिरी फैसला जब तक नहीं हो जाता उस वक्त तक जो कदम भी उठाया जाये उसमें यह देख लेना ज़रूरी है कि वह कदम उठाने से हम किस हद तक अपने गोल (लक्ष्य) के करीब गये और कितना उस से दूर हो गये। अगर यह क्रायटेरियन (मापदण्ड) हमारे सामने न हो, यह कसौटी न हो और यह मेज़ान न हो तो फिर हमारा ख्याल काश्मीर के बारे में बहुत गलत रास्ता पर हो सकता है। शेख मुहम्मद अब्दुल्ला को बरतरफ करना और उसके बाद गिरफ्तार कर लेने का एक वाक्या जो अभी छः हफ्ता पहले पेश आया है वह वाक्या भी हक़ रखता है कि यह हाउस उस पर गौर करते हुए इस बुनियादी क्रायटेरियन को अपने सामने रखे कि इन अकदाम ने किस हद तक हम को अपने गोल के करीब पहुंचाया या कितनी दूर कर दिया। अगर इस तरीके से हम इस सवाल को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम इसके बारे में जो अगले कदम उठायेंगे उनमें गलती नहीं दिखायेंगे।

पंडित जी ने आज सुबह इस सवाल पर इरशाद फरमाते हुए एक बहुत बड़ा इल्ज़ामात (आरोपों) का ढेर जो लोगों की तरफ से लगाया गया था उसको अपने खूबसूरत अल्फाज से दूर किया है। जिसके लिये मैं ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क को पंडित जी का ममनून (कृतज्ञ) रहना चाहिये। पिछले छः हफ्तों से जितने बयानात और कहानियां, चाहे वह कुछ बाइख्त्यार (अधिकृत) आदमी अपनी तरफ से दे रहे थे या अखबारात अपनी रीसर्च के मुताबिक शाया कर (छाप) रहे थे, उनमें एक बेबुनियाद बात यह दिखाई देती थी कि गोया शेख साहब मुहम्मद अब्दुल्ला

में और अमरीकी गवर्नमेंट के दरम्यान एक किसम की साज़िश के लिये कोई समझौता ऐसा हो चुका था कि अगर जल्दी से शेख मुहम्मद अब्दुल्ला को गिरफ्तार न कर लिया जाता तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुंह देखते रह जाते। इल्हाक के बारे में और एक सुहानी सुबह को दुनियां जब जागती तो देखती कि काश्मीर का इल्हाक हिन्दुस्तान के बदले या पाकिस्तान के बदले वाशिंगटन के साथ हो चुका है। अगर मैं कोई गलती नहीं करता तो पिछले डेढ़ महीने के अखबारात को कोई भी आदमी गैर जानिबदाराना तरीके से (निष्पक्ष रूप से) देखे तो वह ज़रूर इस नतीज़े पर पहुंचेगा। यही चीज़ें थीं जिनको सामने रख कर के हमारे एक दोस्त आज बोले बगैर नहीं रह सकते। उन्होंने अपने बयान में वह बातें कहीं जिन पर मैं ही नहीं बल्कि हमारे दोस्त कामरेड हरेन मुकर्जी को भी आज सुबह एक हद तक नाराजगी का इजहार करना पड़ा। वह भी इसको किसी सूरत में बिलीव करने (मानने) के लिये तैयार नहीं हैं। खैर यह चीज़ें थीं। मगर मुल्क को और कौम को पंडित जी का ममनून रहना चाहिये कि उनकी गांधियाना सदाक़त ने इस मुआमला को साफ कर दिया कि इस किस्म की कोई चीज सामने नहीं है। ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्की मदाखिलत जो अपनी एक खास शक्ल रखती है और जिसके बारे में पंडित जी ने दुरुस्त फरमाया कि इसके लिये सिरीनगर (श्रीनगर) ही मखसूस (वशेषतया) नहीं हो सकता, देहली भी इसके लिये खाली नहीं रह सकती। वहां भी इस किस्म की मदाखिलत होगी और हर जगह हुआ करती है। लेकिन जो शक्ल दी जा रही थी इस सवाल को, वह शक्ल हकीकनन (वास्तव में) नहीं थी। मैं समझता हूं कि पंडित जी ने यह मुआमला साफ करके बहुत सी आसानी अगले कदम उठाने के बारे में बहम कर दी। पंडित जी का यह इरशाद कतअन दुरुस्त है कि शेख साहब काफी हद तक चन्द महीनों से एक फ्रस्ट्रेशन (निराशा) का शिकार हो चुके थे। इससे किसी को इंकार नहीं। यह फ्रस्ट्रेशन कहां से आया था, इसका कोई एक सोर्स नहीं। बहुत से सोर्स हो सकते हैं। लेकिन यकीनन एक सोर्स इसका जनसंघ और प्रजा परिषद् की तहरीक थी। इस तहरीक को हम दुरुस्त तौर पर कहते हैं कि यह इतनी बड़ी कौन सी तहरीक थी जिससे एक आदमी इतना मुतासिर हो जाये। इसके बारे में हम यह भूल जाते हैं कि अगर वह तहरीक ३६ करोड़ हिन्दुस्तानियों के मुकाबला में रख कर देखी जाये तो शायद वह हल्की फुल्की दिखाई दे, लेकिन इस तहरीक को जब एक लंगड़ी लूली, कटी फटी रियासत जम्मू और काश्मीर की तरफ से देखा जाये जिसका एक तरह से अभी भी तीसरे हिस्सा से ज्यादा इलाका रेडरों (आक्रान्ताओं) के क़ब्जा में है, तो इस मुकाबला में यह तहरीक छोटी तहरीक नहीं थी। अच्छी खासी तहरीक थी, इसकी अपनी जेलों की कुल कैपेसिटी १२ और १५ सौ के दरम्यान है, दो सैंट्रल जेल और बाकी सब जेल मिला कर के; लेकिन इस पर भी इसको वहां इससे कहीं ज्यादा आदमी गिरफ्तार करने पड़ते थे। इसके साथ ही जब इस तहरीक का सबसे बड़ा हीरो रावी का पुल पार करके रियासत में दाखिल हो जाये और इसके पीछे और लोग भी जाना शुरू कर दें तो यक़ीनन वह नन्हीं सी रियासत घबरा उठे और इसके चलाने वाले घबरा उठें। तो उनको इतना मुजरिम नहीं समझना चाहिये और इतनी सजा इसके लिये नहीं होनी चाहिये जिस तरह का सलूक उनके साथ किया गया है। खैर मैं इस की तफसील में नहीं जाता।

मैं सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूं कि पंडित जी का यह इरशाद दुरुस्त है कि शेख साहब एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे और यह

[मौलाना मसूदी]

भी उनका जायज़ा दुरुस्त है कि जिस वक्त उन्होंने कुछ अमूर पर बातचीत करने के लिये जुलाई के महीने में उनको यहां बुलाया तो उन्होंने आने में हिचकिचाहट की । इस हिचकिचाहट में जितनी वजूहात हों उन में सबसे बड़ी एक वजह यह थी कि उन दिनों मरहूम डाक्टर मुकर्जी के नाम से और उनकी नागहानी (दैवी) और अफसोसनाक (शोक-पूर्ण) मौत को एक्सप्लायट कर के फिरका परस्त पार्टियां यहां जो शोर शार मचा रहीं थीं उनके पेशनजर (समक्ष) शेख साहब ने साफ कहा था कि अगर मेरे वहां जाने पर कोई पार्टी मेरे सामने मुज़ाहिरा करेगी तो उससे हमारे मफ़ाद को, हिन्दुस्तान में भी और काश्मीर में भी, धक्का लगेगा । इस लिये अगर उन मुज़ाहिरों के वक्त में उनके सामने जाने से एतनाब करें तो कोई हर्ज नहीं है । इसके अलावा भी कुछ वजूहात होंगे जो मुमकिन है कि उन्होंने मरकज को कनवे की होंगी (बताई होंगी) । खैर यह एक हक़ीक़त है कि यह गलती भी उनसे सरजद हुई कि उन्होंने आने में हिचकिचाहट की । यह भी एक सही अमर है जैसा कि पंडित जी ने फरमाया कि हमारी नैशनल कान्फ्रेन्स की जो हाई कमान थी उसमें आपस में इख्तिलाफात । यह इख्तिलाफात किस्म किस्म के थे । मगर इख्तिलाफात के लिये शेख साहब अकेले ज़िम्मेवार नहीं थे । उनके लिये बहुत एक साथी भी बराबर के ज़िम्मेवार थे और उन जुम्मेवारों में, मैं एक मुजरिम जो आप के सामने खड़ा हुआ हूं, मैं भी उसमें पूरा हिस्सेदार था । हां यकीनन मैं शेख साहब से इख्तिलाफात रखता था । खास कर जहां तक शेख साहब का यह मुतालबा था कि हम एक्सैशन के जो दो आल्टरनेटिव्ज़ हैं उनके अलावा तीसरे आल्टरनेटिव को सामने रखना चाहिये । इस के बारे में मैं दावा से तो नहीं कह सकता कि मैं सबसे ज्यादा मुखालिफ था । क्योंकि जैसा कि मैंने उन पर कई बार वाज्या किया मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के दरम्यान उस वक्त काश्मीर की जो पोज़ीशन है वह पोजीशन सन् १९४६ के कांग्रेस और लीग के समझौते से अलग नहीं है । यह उसी का एक हिस्सा है और उस समझौते की रू से मुल्क की दो बड़ी पार्टियां मुल्क को सिर्फ दो टुकड़ों में तकसीम करने में रजामन्द हुई हैं । उनको तीन, चार या पांच में तक़सीम करने या आप उन दो पार्टियों या दोनों मुल्कों, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान, को अलग थलग छोड़ कर हम एक दूसरे मुल्क का नारा लगायें तो इसका किसी को अख्तियार नहीं ।

(घंटी बजी)

मौलाना मसूदी : जनाब, क्या मेरा वक्त ख़त्म हो गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : दो मिनट और आप बोल सकते हैं ।

मौलाना मसूदी : मैं जनाब से प्रार्थना करूंगा कि मुझे पांच मिनट और बोलने दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : और भी कई लोग बोलने के लिये हैं ।

मौलाना मसूदी : इसके पेशनजर दूसरे मुल्क की कोई बजूहात सामने नहीं आ सकतीं तावक्ते कि ख़ुद यह दो मुल्क आपस में मुत्तफ़िक हो कर कोई दूसरे टुकड़े बनाने पर आमादा न हो जायें, जो जाहिर है कि नामुमकिन है और नाकाबिल अमल है । ऐसी सूरत में काश्मीर सन् २९४६ के फैसले के मुताबिक ही एक मुल्क से या दूसरे मुल्क से इलहाक़ कर सकता है । वह आज़ाद नहीं रह सकता । यह वजह थी जिसकी वजह से मैं भी इसके खिलाफ था । इस इख्तिलाफ

जिसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है उसके मुजरिमों में से एक मैं हूं । लेकिन इख्तिलाफात इस मुआमले पर नहीं थे क्योंकि मैं आपकी मालूमात में एक छोटा सा इज़ाफ़ा करूंगा, यह कह करके, कि जहां तक यह दूसरी आल्टरनेटिव है इसके बारे में शेख साहब का जो स्टैंड था उसकी ताईद कई एक दोस्त भी कर रहे थे जिनके नाम आज शायद दुनियां नहीं जानती । इसमें और भी लोग शामिल थे और यही वजह थी कि वह इस मुआमले में यह समझते थे कि जहां तक तीसरी आल्टरनेटिव मैं पेश कर रहा हूं उसमें मैं अकेला नहीं हूं और ऐसा नहीं है कि सिवाय अफ़ज़ल बेग के और मेरे कोई साथ नहीं है । उनके अलावा हाई कमांड के कुछ और दोस्त भी हैं जो यह समझते हैं कि आल्टरनेटिव के तौर पर अगर यह चीज़ सामने आये तो कोई हर्ज नहीं है ।

मौलाना आज़ाद : कहां के हाई कमांड से आपका मतलब है ?

मौलाना मसूदी : नैशनल कांफ्रेन्स काश्मीर के हाई कमांड से मेरा मक़सद है । दूसरे शेख साहब ने इस मुतालबे को कभी इस शक्ल में तो पेश नहीं किया कि मैं ऐसा करने वाला हूं । और मैं यह ऐलान करता हूं । उन्होंने हमेशा यह कहा कि जब दो वज़ीरआज़म हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के आपस में बातचीत करें उस वक्त जहां दो आल्टरनेटिव पहले मौजूद हैं तीसरे आल्टरनेटिव की फीज़ेबिलिटी पर भी गौर किया जाये । इससे ज्यादा इस की और कोई हक़ीक़त नहीं थी । बाकी इख्तिलाफ़ात इसके अलावा थे और वह शायद अभी दुनियां के सामने नहीं आये हैं और न शायद आयेंगे । इख्तिलाफ़ात वहां थे । लेकिन एक गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूं कि यह दुरुस्त नहीं कि वर्किंग कमेटी की अकसरियत ने किसी मौका पर भी शेख साहब के खिलाफ कोई फैसला दिया था और न यह दुरुस्त है कि जनरल कौन्सिल से कभी कोई फैसला मांगा गया और मालूम हुआ कि अकसरियत उनके खिलाफ है और न यह ही दुरुस्त है कि पार्लियामेंटरी पार्टी की अक्सरियत उनके ख़िलाफ़ थी । बल्कि यह तमाम मरहले आगे आने वाले थे । ९ अगस्त को उनकी गिरफ्तारी अमल में आयी है और २९ को उन्होंने वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई हुई थी और ५ अक्तूबर को एसेम्बली का इजलास था जिसके मुताबिक ४ अक्तूबर को कम अज कम पार्टी की मीटिंग होने वाली थी ।

डा० राम सुभग सिंह : शेख साहब के प्रपोज़ल को वर्किंग कमेटी ने पास किया कि नहीं ।

मौलाना मसूदी : वर्किंग कमेटी में यह पेश नहीं हुआ । वर्किंग कमेटी में से आठ चुने हुए आदमियों के सामने यह पेश हुआ और उन्होंने इस प्रपोज़ल की मुखालिफत नहीं की । कुछ भी हो जिन हालात में शेख साहब की गिरफ्तारी अमल में आयी । मैं बावजूद उनके साथ शदीद इख्तिलाफ़ रखने के यह राय रखता हूं कि वह गैर ज़रूरी थी और मेरी तो राय है कि उसके बगैर भी हालात दुरुस्त किये जा सकते थे । अब भी इस पर अगर अजसिरनौ गौर किया जाये तो हालात दुरुस्त किये जा सकते हैं । मैं इस मौक्या पर इसके कांस्टीट्यूशनल पहलू और इख़लाक़ी पहलू और बाकी चीज़ों की तरफ नहीं जाता क्योंकि वह वहां की मक़ामी बात है । इस हाऊस का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है । मैं सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूं कि हमें अपने असली गोल को सामने रखते हुए एक बात को नहीं भूलना चाहिये कि काश्मीर का आखिरी फैसला हम या तो फौजी ताकत के ज़रिये कर सकते हैं या इखलाक़ी ताक़त और अवाम की ताकत के ज़रिये इसकी राय से किया जा सकता है । फौजी ताकत के बल पर

[मौलाना मसूदी]

काश्मीर के मसले का फैसला करने को जायज तौर पर हिन्दुस्तान ने मस्तरद किया हुआ है और जहां तक दूसरी ताकत के जरिये फैसला करने का सवाल है इसके लिये हमारी सबसे बड़ी फोर्स नैशनल कान्फ्रैंस है और नैशनल कान्फ्रैन्स के अन्दर इस किस्म का इंतशार बहुत ही मुजिर है क्योंकि इसमें तो हमारी यह जो नैशनल कांफ्रैन्स की फौज है यह आपस में ही लड़ रही है और इसमें हमें किसी एक की तरफदारी और दूसरे की मुखालिफ़त के जज़बे से काम नहीं करना चाहिये । बल्कि इस जज़बे से काम करना चाहिये कि यह जो हमारी अवामी फौज है इसको हमें इकट्ठा करना है और उन से काम लेना है । इस सिलसिले में मैं खसूसियत के साथ पंडित जी की ज़ात से अपील करता हूं कि उनकी ज़ात खुद इन मुआमलात को हल करने में बहुत कुछ कर सकती है और मैं उन से अपील करना चाहता हूं कि वह इस तरफ ज़रूर ध्यान दें ।

एक और चीज़ का पंडित जी ने हवाला दिया कि वहां इस गिरफ्तारी के बाद जो वाक्यात पेश आये उन के बारे में बहुत कुछ मुबालग़ा आमेज़ (बढ़ी चढ़ी) खबरें पाकिस्तान के और दूसरे मुल्कों के अखबारों में छपीं । यह वाक़ई बदकिस्मती की चीज है । लेकिन इस बारे में जहां मैं मुत्तफिक़ हूं पंडित जी के साथ कि यह मुबालग़ा आमेज चीज़ें उन शरारतों पर मबनी हैं, वहां मैं उनसे इस बात की भी इस्तिदुआ करता हूं कि उन वाक्यात की तहकीकात भी जरूरी है । यह ठीक है कि जो कुछ छपा है वह ग़लत है । लेकिन आखिर कुछ न कुछ वाक्यात तो हुए ही हैं और पंडित जी के ज़ाती इलम में यह बात है कि जो कुछ वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने इत्तिलाआत भेजी उस में और पंडित जी ने जाती ज़राये से जो तहकीकात करायी थीं उन दोनों में काफी फर्क पाया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य बैठ जायं । मैं अधिक समय नहीं दे सकता ।

मौलाना मसूदी : ऐसे हालात में कोई वजह नहीं कि हालात की तहक़ीक़ात करने में कोई हर्ज हो । हर जगह ऐसे हालात पेश आते हैं । ख़ाली श्रीनगर में ही गोलियां चलने के वाक़यात पेश आये हों ऐसा नहीं है । हिन्दुस्तान के हर हिस्सा में हुए हैं । इसलिये इसकी तहकीक़ात कर लेनी चाहिये । जब तहक़ीक़ात हो जाती है तो मुबालग़ा बाजी करने वालों की जबान खुद बखुद बन्द हो जाती है, मैं समझता हूं कि इस वजह से भी तहक़ीक़ात करने की ज़रूरत है कि जहां हमें यह फ़खर है कि वहां हिन्दुस्तानी मिलिटरी जो थी उसके इस्तैमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी । लेकिन यह वाक्या है कि सैंट्रल रिज़र्व पोलीस वहां इस्तैमाल करनी पड़ी । इसलिये भी यह ज़रूरी कि मरकज़ इस मुआमला को देखे कि वाक़यात क्या हैं । फिर यही नहीं, तहकीकात का सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि इससे एक हीलिंग टच हो जाता है और पंडित जी की तरफ से काश्मीर की अवाम के लिये यह मरहम बड़ा ज़रूरी मरहम है ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य २५ मिनट से अधिक समय ले चुके हैं । मेरे पास और भी कई प्रार्थनायें आई हैं । मैं अब माननीय सदस्यों को दस मिनट भी नहीं दे सकूंगा । माननीय सदस्य को अब बैठना पड़ेगा ।

मौलाना मसूदी : जनाब इजाजत दें तो दो चार बातें.....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं क्या करूं ?

कर्नल जैदी (ज़िला हरदोई—उत्तर-पश्चिम व ज़िला फ़रुख़ाबाद —पूर्व व ज़िला शाहजहां-

पुर--दक्षिण): हम लोग जहां कहीं भी बुराई होती है, उस सभी की निन्दा करते हैं। एक माननीय सदस्य ने प्रधान मंत्री को चेतावनी दी है मैं भी उसका समर्थक हूं कि उन्हें पद-दलित मानवता का सार्वभौमिक नेता बन कर सम्मुख आना चाहिये।

मैं निश्चय ही उन लोगों से सहमत हूं जो साम्राज्यवादियों से किये गये संविदाओं को कलंक समझते हैं, किन्तु साम्राज्यवादी हैं कौन ?

एक माननीय सदस्य : पुराने तथा नये दोनों ही।

कर्नल जैदी : मैं सभी साम्राज्यवाद की निन्दा करता हूं। एक ओर एक ऐसे महान् देश का उदाहरण है जिसने तीन छोटे-छोटे बाल्टिक देशों को मिलाकर अपना एक अंग बना लिया। दूसरी ओर इंग्लैण्ड का उदाहरण है जिसने बहुत से पाप तो किये हैं किन्तु अन्त में उसने भारत पाकिस्तान, बर्मा तथा लंका को बिना रक्तपात के स्वतन्त्रता दे दी।

मुझ किसी भी देश विशेष से लगाव नहीं है। मैं सभी देशों से निष्पक्ष होकर मित्रता का सम्बन्ध रखने के पक्ष में हूं किन्तु साम्राज्यवाद तथा उपनिवशवाद की निन्दा अवश्य करता हूं। मैं यह सुनते सुनते थक गया हूं कि हमारी सरकार तथा हम लोगों की सांठ गांठ आंग्ल-अमरीकी गुट से है। आप अमरीकी या अंगरेज़ी साम्राज्यवाद की भरपेट निन्दा कर सकते हैं किन्तु ऐसा मत कहिये कि हमारी सरकार राष्ट्र मण्डल या अमरीका के अधीन कार्य करने का प्रयत्न कर रही है।

हमने बहुत कुछ अंगरेजी संस्थाओं के आधार पर अपनी चीज़ें बनाई हैं। यहां तक कि हमारी बहुत कुछ विचारधारा तक उसी ढंग की बन गई है, यह मैं किसी भी प्रकार की लज्जा या हीनता को दूर कर यह कह रहा हूं। दोसौ वर्षों तक उनसे बहुत कुछ सीखने के कारण हमें अंगरेज़ों से कुछ उन्सियत हो गई है। अब बीते समय को भुला कर हम राष्ट्र मण्डल से मित्रता करना चाहते हैं।

श्री जे० बी० कृपलानी : क्या दक्षिण अफ्रीका को सम्मिलित कर ?

कर्नल जैदी : मुझे भली भांति ज्ञात है कि दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र मडंल में सम्मिलित है। इन्गलैण्ड ने कीनिया तथा मलाया में जो जो कुछ किया है हम लोग उससे सहमत नहीं, यह कहने में मुझे रत्ती भर भी झिझक नहीं। हम उसका प्रतिरोध करेंगे और मुझे पूर्ण आशा है कि माननीय प्रधान मंत्री ने इन मामलों के सम्बन्ध में भारत की असहमति प्रकट करने के लिये यथासम्भव उपाय किये होंगे।

श्री एम० पी० मिश्र : उन्होंने ऐसा इसी सदन में किया है।

कर्नल जैदी : यदि हम राष्ट्र मण्डल की सदस्यता से अलग होना चाहते हैं---जहां हमें प्रत्येक प्रकार के परामर्श लेने तथा अन्य सभी प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त है, केवल इस कारण कि दक्षिण अफ्रीका भी उसमें सम्मिलित है, या कीनिया अथवा मलाया के उदाहरण हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या होगा ? संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस तथा अमरीका एक साथ क्यों बैठते हैं ? और उसी के लिये भारत तथा दक्षिण अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। अतः इस कारण पर सदस्यता छोड़ देना उचित नहीं अतः प्रधान मंत्री पर यह दोष मढ़ना उचित नहीं है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से इन्गलैण्ड की दृष्टि हमारी ओर से बिल्कुल पहले से विपरीत हो गई है। उदाहरण के लिये कोरिया तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को प्रवेश करने के प्रश्न हमारे सम्मुख हैं। ३८ वीं अक्षांश रेखा के सम्बन्ध में भी बाद को इन्गलैण्ड ने भारत की ही पुष्टि की थी। जहां तक चीन

[कर्नल जैदी]

लोकतंत्र की मान्यता उसके तथा संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का सम्बन्ध है इग्लैण्ड ने इस सम्बन्ध में भारत की सम्मति प्रकट की है। इन्हीं कारणों से हम राष्ट्र मण्डल के सदस्य हैं।

पंडित फ़ोतेदार (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं मौलाना मसूदी की कुछ बातों का स्पष्टीकरण करने के विचार से आज देश की वैदेशिक नीति पर बोल रहा हूं । यद्यपि भारत तथा जम्मू की कुछ संस्थाओं की कार्यवाहियों ने काश्मीर के लोगों के विचारों पर काफी प्रभाव डाला है किन्तु वह भावना जो उनके मस्तिष्क में मजबूत होती जा रही है, सही नहीं है।

स्वतन्त्रता की भावना का प्रश्न मैं भी एक काश्मीरी होने के नाते भली भांति समझता हूं। शेख अब्दुल्ला ने १९४८ में स्वतन्त्रता का नारा काश्मीर में उठाया था। उन्होंने १९४८ में ही कुछ विदेशी प्रेस संवाददाताओं पर विश्वास कर बताया था कि काश्मीर के लिये स्वतन्त्रता ही एकमात्र हल है। सरदार पटेल भी उस समय जीवित थे। उस समय न तो जनसंघ था और न प्रजा परिषद् ही फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके व्याख्यान से प्रसन्न नहीं हुए थे।

बाद को मैंने शेख अब्दुल्ला से ढाई घंटे तक बातचीत की थी और उन्होंने मुझे अन्तिम उपाय काश्मीर के लिये एकमात्र स्वतन्त्रता ही बताया था और कहा था कि जम्मू के वे भाग जिनमें अधिकतर हिन्दू तथा लद्दाख रहते हैं, वे भारत में मिला देने चाहियें, तथा वे भाग जो पाकिस्तान के अधिकार में इस समय हैं, वे पाकिस्तान के अधिकार में रहने दिये जायं और अवशिष्ट भाग स्वतन्त्र भूखण्ड, राष्ट्र के छिन्न-भिन्न हो जाने के पश्चात्, भारत तथा पाकिस्तान को मान्य होगा। इतना ही नहीं, वरन् चूंकि दोनों देशों को कुछ भाग मिल रहा है, तो दोनों को स्वतन्त्र काश्मीर घाटी के लिये कुछ देना चाहिये जिससे हम काश्मीर की अन्दर से उन्नति कर सकें।

शेख अब्दुल्ला के मस्तिष्क में स्वतन्त्रता का विचार बहुत पहले से ही दृढ़ होता जा रहा था किन्तु यहां हमारे मौलाना साहब का कथन यह है कि यह जन संघ, हिन्दू महासभा तथा प्रजा परिषद् के कारण था कि शेख अब्दुल्ला वैसा निर्णय करने के लिये प्रभावित हुए। मैं उनके उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह रहा हूं, किन्तु इतना अवश्य कह सकता हूं कि इन चीज़ों का कोई विशेष प्रभाव उनकी स्वतन्त्रता की भावना पर नहीं पड़ा। जन संघ, हिन्दू महासभा तथा प्रजा परिषद् से ही मिल कर भारत नहीं बना है किन्तु उसने तो सम्पूर्ण भारत राष्ट्र तथा जवाहरलाल नेहरू व डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी आदि की निन्दा की थी। उसने कार्यकारिणी समिति की बैठक में कहा था कि पंडित नेहरू तथा डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी में कोई भी मतभेद नहीं है। सभाओं में उसने भारत के विरोध में बोलना आरम्भ कर दिया था। क्या शेख अब्दुल्ला ने यह नहीं कहा था कि इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो काश्मीर को भारत से अलग कर दे? भारत ने किया क्या है? भारत ने काश्मीर के आन्तरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं किया यह मैं भारत पर एक आक्षेप लगाता हूं। भारत ने सदैव यही कहा है कि वह तो जनता की राय से सहमत है।

दूसरी चीज़ यह है कि मेरे माननीय मित्र ने बताया कि कोई भी निर्णय नहीं किया गया था किन्तु क्या यह तथ्य नहीं कि जब शेख अब्दुल्ला ने कार्यकारिणी तथा प्रशासन व केबिनेट में अपने को अल्पमत में पाया तो क्या वह स्टेज की ओर भागे नहीं थे? क्या यह इसका द्योतक नहीं कि यह राजनीतिक आतंक है। वह बन्द कमरों में बैठकें बुलाया

करते थे। विधान सभा के सदस्यों द्वारा केबिनेट के सदस्य चुने जाते हैं जबकि वह सदैव अपने आपको देश का शासक समझने लगा था। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि देश का एक नेता साम्प्रदायिकता में फंस कर राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स की बात को भुला दे। सम्भवतः इस सबका कारण था विदेशी सहायता से काश्मीर का भविष्य मनमाने ढंग का बनाना। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि वह पाकिस्तान तथा स्वतन्त्रता दोनों के विरोधी थे क्योंकि मैं जानता था कि एक आन्दोलन राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स में उनके विरुद्ध चल रहा था जिससे यह पता लगता था कि इससे शेख अब्दुल्ला का पतन निश्चित है। इस सबके लिये वह उत्तरदायी हैं। यह वास्तव में हमारे लिये बड़ी दुःख की बात है। इस बख्शी गुलाम मुहम्मद की अध्यक्षता ने न केवल काश्मीर को ही वरन् सम्पूर्ण पाकिस्तान तथा भारतीय गणतन्त्र को नष्ट होने से बचा लिया है।

१९४७ में ही सारे काश्मीरियों ने भारत में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट कर दी थी पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिये नहीं। जब तक शेख अब्दुल्ला काश्मीर सरकार के अध्यक्ष रहे। और भली प्रकार कार्य करते रहे, क्या भारत सरकार ने उनका साथ नहीं दिया ? क्या यह कहना कि जनसंघ तथा प्रजा परिषद् के कारण यह सब हुआ केवल बहाना बनाना नहीं है ?

राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स द्वारा जांच करने से लाभ ही क्या होगा जबकि मौलाना साहब स्वयं उसके प्रधान मंत्री हैं। काश्मीर के लोग तो अच्छी सरकार की स्थापना करना चाहते हैं जिसके लिये उन्हें छः वर्ष से रोका जा रहा है। रही काश्मीर के भविष्य की राजनीतिक व्यवस्था की बात वह तो वहां के लोग जो कुछ १९४७ में प्रकट कर चुके हैं वही अब भी चाहते हैं।

श्री वी० जी० देश पांडे (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत के प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बधाई देता हूं। प्रथम समय पंडित जवाहरलाल नेहरूजी ने एक स्वस्थप्रद वास्तववाद का प्रदर्शन यहां किया है, रोबस्ट रीयलिज़्म का। मैं ने उन के बहुत भाषण सुने, लेकिन कभी भी उन के हृदय को यह प्रतीत नहीं हुआ करता था कि पृथ्वी पर शान्ति नहीं रहेगी और युद्ध होगा। प्रथम बार पंडितजी ने यह माना है कि इस की आशा करने के पश्चात् और शान्तिपाठ गाने के पश्चात् भी दुनिया में शायद युद्ध होगा। मैं समझता हूं कि इस के पश्चात् कम से कम उन्होंने जो यहां आश्वासन दिया है कि परदेशी राजसत्ता, फ्रांस की और पुर्तगाल की, जो हिन्दुस्तान के ऊपर है और उपनिवेशवाद के जो यहां स्मारक हैं, लास्ट वैस्टिजैज आफ़ कालोनियलिज़्म, यह जो हिन्दुस्तान में बाक़ी हैं, उन को समाप्त करने के लिये पहले से बलशाली नीति का अनुसरण करेंगे, हम इस की आशा करते हैं। हमारे माननीय नेता श्री आचार्य कृपलानी कहते हैं कि इसी प्रकार का आश्वासन पूर्व में भी पंडितजी ने दिया था, लेकिन यह आश्वासन आव्वासन ही चलता रहा। अभी तक कुछ काम हुआ नहीं। लेकिन मुझे आज उन शब्दों में कुछ ज़्यादा आशा प्रतीत हुई। शायद एक दो साल के पश्चात् मैं भी आचार्यजी के समान निराशवादी बनूं।

अफ़्रीका में और बाक़ी देशों में भारतीयों की जो परिस्थिति हो रही है, उस के विरुद्ध भी पंडितजी ने पहले से मज़बूत क़दम उठाने का यहां जो आश्वासन दिया है, इस के लिये उन को बधाई देते हुए मैं आगे देखता रहूंगा कि इस प्रकार की मज़बूत नीति कहां तक पंडितजी चलाते हैं।

[श्री वी० जी० देशपांडे]

लेकिन मैं यह आशा करता था कि इस राजनीतिक भाषण में वह धर्मनीति नहीं लाते। लेकिन राजनीति में धर्मनीति लाने की आदत उन में नयी पैदा हो गई है और इसी के कारण आज राजनीति में धर्म का भी उन्होंने उल्लेख किया।

डा० राम सुभग सिंह : वह दूसरी बात थी :

श्री वी० जी० देशपांडे: दूसरी बात क्यों न हो, धर्म का उल्लेख किया है।

५ म० प०

आगे चलकर उनके भाषण के लिये मैं उनको बधाई देता हूं, परन्तु बाक़ी वस्तुओं के बारे में मेरे हृदय में संतोष की भावना नहीं है। मेरी राय में भारतवर्ष की जो परराष्ट्र नीति है वह असफल रही है। आपकी डाइनेमिक न्यटरैलिटी या क्या कहूं यह जो शब्द प्रयोग है, मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो इसको (Sterile Vescillation) समझता हूं और इस से कोई फ़ायदा हुआ है, मैं ऐसा नहीं समझता। हमको इससे कोई फ़ायदा पहुंचा है और मेरी राय में तो भारत की वैदेशिक नीति उन्नतिशील (राष्ट्रीय स्वार्थ) इनलाइटेंड सेल्फ़ इन्टरेस्ट के आधार पर आधारित होनी चाहिये। भारत की वैदेशिक नीति इसी आधार पर आधारित होनी चाहिये थी। कोरिया इंडोनीशिया और मलाया तथा बर्मा आदि के बारे में भारत द्वारा अपनाई गयी नीति के बारे में हमारे प्रधानमंत्री का अभिनन्दन किया जा रहा है और दुनिया में आपकी बड़ी प्रशंसा और कीर्त्ति हो रही है और इस कीर्ति पर श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित का जनरल असेम्बली के लिये सभापति चुन लिया जाना क़लई का काम दे रहा है। पंडित जी ने भारत की वैदेशिक नीति पर प्रकाश डालते हुए बहुत बार कहा है कि "Ours is a mature nation" हिन्दुस्तान बहुत वयोवृद्ध देश है। शाब्दिक ज्ञान और विद्वता में हो सकता है कि भारत महान और वयोवृद्ध देश हो, लेकिन जहां तक कर्मक्षेत्र का सम्बन्ध है, मैं उसके इस दावे को मानने को तैयार नहीं हूं। हां जहां तक लम्बी लम्बी बातों पर प्रस्ताव करने का सम्बन्ध है, इस में कोई संदेह नहीं कि हमारा देश बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ है और इस दृष्टि से आप भले ही उसको मेच्योर नेशन कह सकते हैं : लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज जिस तरह विश्व चल रहा है, उसमें केवल शाब्दिक महानता और पंडित्य से काम नहीं चलता है, कोई भी देश जब तक उसके पास पर्याप्त सैन्यबल नहीं है, वह संसार के रंगमंच पर प्रभावशाली नहीं हो सकता। किसी देश की महत्ता और प्रभाव उसके सैनिक बल से आंका जाता है और इस सम्बन्ध में मनुस्मृति में दिया हुआ है :

दण्डस्य हि भयात् सर्वं जगद्भोगाय कल्पते।

जब कि पंडित जी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि भविष्य में युद्ध की सम्भावना से एक दम इंकार नहीं किया जा सकता, और जब कि हर स्वतंत्र देश अपना अधिक से अधिक ध्यान अपने सैन्यबल पर अपने रक्षार्थ के हेतु दे रहा है, हम देखते हैं कि हमारे देश में पंचवर्षीय योजना और अनेक दूसरी ोजनायें हो रही हैं और हज़ारों और करोड़ो योजनायें आप इस देश में कर रहे हैं जब कि विश्व में युद्ध के बादल अभी तक दूर नहीं हुए हैं। मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आत कि आख़िर इस डाइनेमिक न्यूटरैलिटी से क्या बनने वाला है? आज आप देखते हैं कि कोरिया में क्या हो रहा है, इण्डोनिशया में क्या हो रहा है, मलाया में क्या हो रहा है, चाईना को रेकगनाइज़ किया जाता है या नहीं, इन सब बातों में आप

व्यर्थ में क्यों फंसते हैं, मसल मशहूर है कि काज़ी जी दुबले क्यों शहर के अन्देशे से। हमारी इन सब व्यर्थ की माथा पच्चियों के बावजूद हम देख रहेहैं कि हिन्दुस्तानियों पर सब जगह जुल्म किया जा रहा है और हम तो दुनिया भर के मामलों की चौधराहट अपने ऊपर ले रहेहैं उससे हमारा किसी तरह का कोई लाभ नहीं हो रहा है, हां केवल शाब्दिक वाहवाही हमारी ज़रूर हो रही है और इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत का विश्व के रंगमंच पर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे शासक दुनिया में तक़रीर करने लगे हैं और उपदेश देने लगे हैं कि आइसोलेशन में हम नहीं रह सकते, लेकिन मैं समझता हूं कि आइसोलेशन एक अलग चीज़ है और हमें तो उचित है कि दुनिया में आज जो मामले उठ रहे हैं उनमें अपना इंटेलीजेंट इंटरेस्ट दे कर अपने देश को संगठित और मज़बूत करते रहें रक्षा की दृष्टि से, यह नीति अगर भारत अपनाये तो कल्याण-कारी होगा। हमारे ऊपर यह दोष अक्सर लगाया जाता है कि हम तो व्यर्थ में हरएक से झगड़ा करने को कहते हैं, लेकिन यह दोष मढ़ना सर्वथा हमारे साथ अन्याय करना है। हां हम सत्य बात ज़रूर बतलाते हैं और सत्य हमेशा अप्रिय हुआ करता है और यह ठीक ही कहा गया है :

अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रेतापि दुर्लभ :।

भारत ने जो हाल में नीति बर्त्ती है, उसका असर यह हुआ ह कि कभी तो उसने अमेरिका को नाराज़ किया है तो कभी रूस को। बेगिंग बाउल लेकर तो भारत अमेरिका के पास चला है, खाने के लिये अनाज की उससे सहायता चाहता है, और यह सब होते हुए भी तटस्थता का दम भरता है, मेरी समझ में तो यह सब कुछ आता नहीं और मेरा यह सब समझना सम्भव भी नहीं है क्योंकि मैं आपकी तरह ऐसा मेच्योर नहीं बना हूं, और मैं आप को बतला दूं कि इस तरह अपने आप को एक फ़ाल्स इल्यूज़न में रखने से आपका काम चलने वाला नहीं है। आपका दुनिया के पचड़ों में दख़ल देने का परिणाम यह हुआ है कि आपने रूस को भी नाराज़ किया है और अमेरिका को भी नाराज़ किया है और मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं कि भारत ने चूंकि सत्य का पथ पकड़ा है, इसलिये ये देश इससे नाराज़ हुए हैं। हमारे देश के शासक और नेता तो इंग्लैंड के और कामेन-वेल्थ के पिछलग्गू हैं और जब इंग्लैंड इनसे यह चाहता है कि रूस को नाराज़ करो तब रूस को नाराज़ कर देते हैं और जब चीन को मान्यता देने के बारे में इंग्लैंड की इच्छा होती है कि अमेरिका का विरोध किया जाय, तब ये अमेरिका से लड़ाई कर लेते हैं, इनकी कोई निश्चित नीति नहीं है, वह केवल औसीलेशन पर वेस्ड (आधारित) है....

कुछ माननीय सदस्य : आपत्ति।

श्री बी० जी० देशपांडे : मैंने भारत सरकार की वैदेशिक नीति की ऐसी सुन्दर व्याख्या की है, उसके लिये जो सदन में प्रशंसा हो रही है, उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। मुझ से पूछा गया कि भारत के इंग्लैंड के कामेनवेल्थ में रहने से उसका क्या नुक़सान होता है, मैं आपको बतलाता हूं, इंग्लैंड ने आपसे कहा कि चीन को मान्यता प्रदान करने के लिये भारत प्रयत्न करे, वोटिंग के वक्त इंग्लैंड ने तो वोट नहीं दिया और हमको वोट देने के लिए लगाया और हमारे ऐसा करने पर हमारी शाब्दिक तारीफ़ उसने कर दी कि भारत विश्व की समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण योग

[श्री वी० जी० देशपाण्डे]

दे रहा है और हम इस शाब्दिक प्रशंसा से फूले नहीं समाते और अपने को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप इंग्लैंड के पीछे जगन्नाथ के रथ के समान बंधे हुए घसीटते हुए चले जा रहे हैं और वह जहां आप को चाहता है लिये चला जा रहा है और उसी का नतीजा है कि अमेरिका भी आप के खिलाफ़ है और रूस भी आपके खिलाफ़ है।

इतना वैदेशिक नीति पर बोलने के पश्चात् अब मैं थोड़ा काश्मीर समस्या पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहां पर यह कहा गया है कि अगर हम यू० एन० ओ० से निकल आयेंगे तो हम आइसोलेशन में पड़ जायेंगे और यह भारत के लिये हितकर नहीं होगा, मैं कहता हूं कि अखिर आइसोलेशन से भारत को इतना डर क्यों हो रहा है कि कहीं अन्धेरे में आइसोलेशन में कोई उस पर चोट न कर दे, इस डर के मारे वह यू० एन० ओ० में शामिल है, आखिर शान्ति से अकेले में उसको अपना काम करने में भय क्यों प्रतीत हो रहा है, क्या उसे अपनी शक्ति और सामर्थ्य में विश्वास नहीं है? यू० एन० ओ० का पिछले पांच, छै वर्षों में भारत ने और पंडित जी ने काफ़ी अनुभव प्राप्त किया है और स्वयं पंडित जी ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि हमें अपने आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिये यू० एन० ओ० के फ़ारेन इंटरफ़ियरेंस की ज़रूरत नहीं, हम सीधे पाकिस्तान से इस बारे में बातचीत करेंगे। मेरी तो उनकी पालिसी और बात कुछ समझ में आती नहीं है। पंडित जी को यू० एन० ओ० में काश्मीर का मामला ले जाने के लिये किस ने कहा था, मुझे तो मालूम नहीं, वह काश्मीर के प्रश्न को स्वयं ही यू० एन० ओ० में ले गये और अब इतना समय बीत आने के बाद कहते हैं कि फ़ारेन इंटरफ़ियरेंस नहीं होना चाहिये, इस पर जब उनसे कहा जाता है कि यू० एन० ओ० से निकल आओ और काश्मीर का प्रश्न सुरक्षा परिषद् से लौटा लो, तो वह कहते हैं कि यह सम्भव नहीं और हमारा यू० एन० ओ० से निकलना बुद्धिमानी नहीं है और वह उस संस्था में बना रहना चाहते हैं और अभी हाल में जो श्रीमती पंडित को जनरल असेम्बली का सभापति चुना गया है, वह समाचार बहुत आनन्ददायक है, लेकिन मुझे तो डर मालूम पड़ता है कि यह इस लिये न किया गया हो जिससे भारत यू० एन० ओ० से बाहर न आ सके। मेरा तो मत है कि यू० एन० ओ० की काश्मीर के सम्बन्ध में जो अबतक नीति रही है उसको देखते हुए भारत को सुरक्षा परिषद् से काश्मीर का मामला वापिस लौटा लेना चाहिये और मैं श्री कृपलानी जी से बिल्कुल सहमत हूं कि काश्मीर की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय समस्या नहीं है, यह भारत का अपना घरेलू मामला है, काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और काश्मीर के अन्दर जनमत कराया जाय या न कराया जाय यह सर्वथा भारत की इच्छा पर निर्भर है और मैं तो यहां तक मानता हूं कि काश्मीर के मामले को लेकर भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों की आपस में मिलने और बातचीत करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आज से पांच, छै वर्ष पहले हम सुरक्षा परिषद् के पास यह शिकायत ले कर गये थे कि काश्मीर हमारा अंग है और पाकिस्तान ने हमारे देश के एक अंग पर आक्रमण किया है, इसलिये उसको ऐसा करने से रोका जाय। लेकिन आज हम पाकिस्तान के साथ मिलकर काश्मीर और जनमत के बारे में बात चीत करते हैं कि वहां यह सब किस प्रकार से होना चाहिये और पंडित जी जो कहते हैं कि काश्मीर के भाग्य का निबटारा स्वतंत्र जनमत

से होगा, मैं समझता हूं कि वह किसी भी राजनैतिक विचार धारा की दृष्टि से समर्थनीय नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिये दलील के लिये यह मान भी लूं कि पंडित जी ने काश्मीर के लोगों को यह आश्वासन दिया है कि अनुकूल वातावरण होने पर जनमत द्वारा फ़ैसला किया जायगा और हम उनको ज़बरदस्ती फ़ौज और सैन्यबल से अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, परन्तु हमारे विधान के अन्दर जिस प्रकार का विधान हमने बनाया है उस विधान में किसी को भाग जाने की सहूलियत नहीं है, हिन्दू कोड बिल अभी तक पास नहीं हुआ है, और तलाक़ का अधिकार अभी किसी को प्राप्त नहीं है, ऐसी अवस्था में काश्मीर का हमसे जुदा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह विभिन्न राज्यों का अविभाजित संघ है। जम्मू और काश्मीर का भारत के साथ मिलना एक दम पूर्ण और वैधानिक है। यह ठीक है कि हम काश्मीर के लोगों को ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं मिलाये रखना चाहते, लेकिन इसमें बाहर का दख़ल हमें बर्दाश्त नहीं, यह हमारी अपनी घरेलू समस्या है और सन् १९४७ से ले कर १९४९ तक हम ने देख लिया कि वहां की जनता हमारे साथ अपना भाग्य जोड़ना चाहती है और पहले तो उसने हमारे साथ तीन विषयों में अपने को मिलाया और आगे चलकर वहां की विधान परिषद् ने भारत के साथ किये गये जुलाई समझौते को स्वीकार किया। इतना सब हो जाने पर आज हमारे प्रधान मंत्री का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री मुहम्मद अली के साथ मिलकर काश्मीर में ओवरआल प्लेबिसाईट कराने का निश्चय करना, मेरी समझ में हमारा जो विधान है, उसकी मूलभूत कल्पना के विरुद्ध है, और इस कारण मैं समझता हूं कि जनमत कराने की बात त्याग देनी चाहिये।

प्लेबिसाइट होने के समय जिस सम्प्रदायवाद के ख़िलाफ़ आप बोलते हैं, 'रिलिजन प्लस पालिटिक्स इज़ इक्वल टू कम्यूनलिज़्म' यह जो इक्वेशन आप ने सवेरे बताया यह बताया कि वहां कम्यूनल पैशन निर्माण होगा और उस के कारण जनता की सम्मति समझना असम्भव हो जायगा, इस के लिये मैं प्रधान मंत्री से प्रार्थना करूंगा सर्व सम्मति का जो आप ने निर्णय किया है उस को छोड़ दीजिये और यह कीजिये कि काश्मीर और जम्मू की जो स्टेट है वह हिन्दुस्तान के साथ तीन सब्जेक्ट्स के लिये नहीं, बल्कि पूरे सब्जेक्ट्स के लिये मिला लीजिये। इस के करने से मैं समझता हूं कि काश्मीर का प्रश्न सदा के लिये ख़त्म हो जायेगा और पाकिस्तान का वार हिस्टीरिया जो है उस को ख़त्म करने का रास्ता दूसरा है इसके लिये काश्मीर में हतक्षेप करने की इजाज़त उन्हें न दी जाय।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन (डिन्डीगल): यदि हमारे प्रधान मंत्री की वैदेशिक नीति की आलोचना करने वालों ने उनके सभी व्याख्यानों को पढ़ा होता तो वे ऐसा कदापि न कहते कि साम्राज्यवादी शक्तियां उनसे घृणा करती हैं। वे सदैव जनतंत्र के पक्ष में रहे हैं तथा विश्व शान्ति के लिये प्रयत्नशील रहे हैं। यदि ऐसा न होता तो वह कभी भी इतनी निद्वंदतापूर्वक अपना भाषण न देते। ऐसा होते हुए भी यह आशंका प्रकट करना कि देश साम्राज्यवाद की ओर जा रहा है, मुझे आश्चर्य में डाल देती है। भारत की वैदेशिक नीति अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना उच्च स्थान रखती है, जिसका प्रमाण है संयुक्त राष्ट्र संघ के साधारण सम्मेलन के पद के लिये श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित का चुना जाना। चाहे वह पुरुष हो अथवा स्त्री,

[श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन]

इस पद पर भारतीय का नियुक्त होना ही हर्ष की बात है ।

मैं अनक सदस्यों की भांति ही यह समझती हूं कि देश की जिस वैदेशिक नीति का प्रधान मंत्री ने ज़िक्र किया है, वही एक मात्र सफल नीति है। वह किसी भी शक्ति के अधीन न हो कर एक स्वतंत्र नीति है किन्तु स्वतंत्र होते हुए भी वह अन्य देशों से सर्वथा असम्बद्धित नहीं है । आज अनेक राष्ट्रों के सम्मिलित हो जाने से विभिन्न राष्ट्र के लोगों में शान्ति एवं एकता स्थापित की जा सकती है ।

डा० एस० एन० सिंह (सारन--पूर्व): हमारे देश के सिपाही कोरिया में जिस प्रकार परिस्थिति का सामना कर रहे हैं उसकी सारा संसार प्रशंसा कर रहा है । इस बहादुरी के लिय उन्हें ' शाबाशी ' भेजी जानी चाहिये ।

जितनी ही कठिन परिस्थिति होती है, उसका सामना भी उतनी ही वीरता से करना पड़ता है । आज अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ शक्तियों अथवा व्यक्तियों में जो द्वन्द चल रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति उन का विरोध करता है । हम उनका अन्त करके ही छोड़ेंगे । कभी कभी स्थिति से लाभ उठाने के लिये हमें कुछ समय तक शान्त रहना पड़ता है । हमें अपनी वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में वही स्तर कायम रखना है ।

तथाकथित आज़ाद काशमीर वालों में काश्मीर के कछ भाग में अपना अन्धिकृत रूप से अधिकार जमा रखा है । इन में वहां ठहरने का न तो नैतिक बल है और न शारीरिक । वे विदेशी सहायता के बल पर पल रहे हैं । अतः यह हमारी वैदेशिक नीति का एक अंग है कि हम गिलगित को किस प्रकार वापस ले सकें । आज़ाद काश्मीर के कुछ भाग भी जो काशमीर के हैं, उसे मिल जाने चाहिये । इस प्रकार पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध अच्छे हो जायेंगे यदि एक बार यह अड़चन दूर हो गई तो ।

गिलगिट के निकट ही पख्तूनों की बस्ती है । ये सदैव से अपनी स्वतन्त्रता के लिये लड़ते रहे हैं । देश का विभाजन होने पर इन्हों ने भी स्वतन्त्रता की आवाज़ उठाई थी किन्तु पाकिस्तानियों ने इन्हें गलत मार्ग बता कर इनसे काशमीर पर आक्रमण करवा दिया । बाद को अपनी ग़लती समझकर इन्होंने फिर अपना नया राज्य बनाने का प्रयत्न किया । यह भी पाकिस्तान की ही एक चाल है ।

इस प्रकार पाकिस्तान जो एक पड़ौसी राज्य है, शान्ति में बाधा उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा है। मेरी समझ से पाकिस्तान को सर्व जनमत ग्रहण पर नहीं बोलना चाहिये क्योंकि जब वह ज़बदस्ती काशमीर को लेना चाहता है जिस पर उसका अधिकार नहीं है तो उसे सर्व जनमत गृहण के सम्बन्ध में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं । अतः जब तक उनकी सेनायें आज़ाद काशमीर में हैं, जो काशमीर का अस्थायी रूप से अधिकार में किया गया भाग है, इस विषय में कुछ भी अर्थ नहीं रखता ।

हमारी वैदेशिक नीति न तो पश्चिमी गुट पर आधारित है और न पूर्वी गुट पर ही । अतः हमें संसार के सभी तटस्थ देशों का सहयोग प्राप्त है । इस क्षेत्र से हम पाकिस्तान को अलग कर देना चाहते हैं । जितनी ही अधिक हम इस नीति का अनुसरण करेंगे उतनी ही सफलता हमें मिलेगी भी ।

आज मध्य यूरोप में काफी परिवर्तन होते दिखाई पड़ रहे हैं । आज बर्लिन, जर्मनी तथा पूर्वी यूरोप प्रधान आकर्षण केन्द्र हो रहे हैं । इसका यरोपीय राजनीति

पर क्या प्रभाव होगा ? क्या जर्मनी देश फ्रांस से अधिक शक्तिशाली हो गया है ? आज इसके चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे हैं कि फ्रांस तथा पुर्तगाल उन बस्तियों को छोड़ दे जिन पर उन्हों ने युद्ध के पश्चात् अधिकार जमाया है क्योंकि यह पश्चिमी गुट के लिये पूर्वी गुट से लड़ने में एक बाधा उपस्थित करता है अतः फ्रांस तथा पुर्तगाल को इसके लिये विवश किया जाय कि वे इन बस्तियों को शीघ्रातिशीघ्र मुक्त कर दें । हम विदेशी उपनिवेशों को अपने देशों में सहन नहीं कर सकते । यह हमारी वैदेशिक नीति का प्रमुख उद्देश्य है ।

अतः हमें अपनी वैदेशिक नीति को स्पष्ट निश्चित कर लेना है । हम ठीक मार्ग अपना रहे हैं, इसमें संशय को कोई स्थान नहीं होना चाहिये । मैं अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वैदेशिक नीति का पूर्ण समर्थक हूं ।

कुमारी एनी मस्करीन : भारत की वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में कोई दो मत नहीं हो सकते हैं । अपनी वैदेशिक नीति के कारण ही आज भारत सारे संसार के लिये एक ऐसी पिंढूकी के समान है जो अपनी चोंच में ज़ैतून की टहनी दबाये है तथा शान्ति तथा सुरक्षा का प्रतीक है । छोटे छोटे तथा कमज़ोर राष्ट्रों को आत्म निर्भरता का अधिकार दिलाने में उठने वाली भारत की वाणी की अवहेलना शक्तिशाली साम्राज्यवाद भी नहीं कर सकता है । यह विषय इतना गहन तथा विस्तृत है कि इतने थोड़े समय में मैं इस सम्बन्ध में सारी बातें नहीं कह सकती हूं अस्तु मैं केवल एशियाई देशों तथा उनके ऐक्य के सबन्ध में ही कहूंगी ।

राष्ट्रों के इतिहास में हम ऐसे स्थल पर आ गये हैं जहां प्राच्य राष्ट्र पाश्चात्य राष्ट्रों के अधिपत्य को सहन करने को तैयार नहीं हैं । मानवता के इतिहास में अब ऐसा अवसर आ गया है कि पूर्वी तथा मध्य पूर्वी जगत के सम्बन्ध में भारत अपनी एक विशेष नीति धारण करे । पाश्चात्य अधिपत्य का समय बीत चुका है और नवोदित भारतीय गणतंत्र के प्रादुर्भाव के साथ साथ एक नये युग का प्रादुर्भाव हुआ है । हमारा इतिहास इतना पुराना और हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है कि हम पूर्व तथा मध्य पूर्व का नेत्रत्व कर सकते हैं । बड़े बड़े धार्मिक सुधारकों ने पूर्व में ही जन्म लिया है तथा भारत तो देवों की भूमि ही रहा है । अशोक तो सम्राट नहीं वरन् एक प्रकार का सन्यासी था और अकबर तो व्यवहार रुप में बिल्कुल हिन्दू ही था । आज भी बहूंसख्यक दल का वर्तमान नेता अपने लौकिक आदर्श द्वारा विभिन्न धर्मों में एक प्रकार का सतुलन बनाये हुए है ।

अब समय आ गया है, कि हम पाश्चात्य आधिपत्य का सामना करने में एशिया तथा एशियाई राष्ट्रों का नेतृत्व करें । मध्य पूर्व के क्षेत्र फल योरुप से कम नहीं है, तथा उस की जनसंख्या इग्लैण्ड के बराबर है । मध्य पूर्व में दर्जनों देश हैं तथा सैकड़ों राजनीतिक दल हैं । मध्यपूर्व के विशाल तैलक्षेत्रों का आंग्लो अमरीकी तथा हालैण्ड वाले धेहन कर रहे हैं । हमारे लिये यह ध्यान रखने की बात है कि यह विदेशी मध्य पूर्व में गड़बड़ी पैदा कर के हमारी स्थिति तथा एशिया के ऐक्य के लिये कोई जोखम न पैदा करने पावें । पहले कोरिया और अब मलाया, हिन्दचीन, काश्मीर तथा फ़िलस्तीन में होने वाली सैनिक कार्यवाहियां तथा साज़िशें एशिया के एके को भंग करना चाहती है । अतः मैं बहुसंख्यक दल के नेता से निवेदन करती हूं कि वे मध्यपूर्व की समस्या पर गम्भीरता से विचार करें ताकि हम एशिया का एका बना सकें और

[कुमारी एनी मस्करीन]

उनको इस योग्य बना सकें कि वे संसार की सामरिक शक्तियों का मुकाबला कर के एशिया में तथा संसार में शान्ति को भंग न होने दें।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : आज संसार के बड़े बड़े राष्ट्रों पर भय का भूत सवार है। परन्तु अपने प्रधान मंत्री की निर्भीकता के कारण, आज यद्यपि हमारे पास न हाईड्रोजिन बम हैं और न अणु बम, हम हर प्रकार के भय से मुक्त हैं। बड़े बड़े राष्ट्रों के नेताओं में जो एक प्रकार की आत्मीयता थी उस का लोप हो गया है। स्टैलिन ने रूज़वेल्ट के सम्बन्ध में कहा था, "राष्ट्रपति रूज़वेल्ट का देहान्त हो गया है परन्तु उन का उद्देश्य जीवित रहेगा। हम अपनी सारी शक्ति से राष्ट्रपति ट्रूमैन का समर्थन करेंग" १९४३ में रूज़वेल्ट ने स्टैलिन के सम्बन्ध में चर्चिल को, लिखा था, " मैं समझता हूं कि आप बुरा न मानेंगे यदि मैं स्पष्टवादिता से कहूं कि मेरा विचार है कि व्यक्तिगत रूप से मैं स्टैलिन को आप के या आपके वैदेशिक विभाग के, या मेरे अपने राज्य विभाग की अपेक्षा, अधिक कुशलता से संभाल सकता हूं। आपके सभी उच्च पदाधिकारियों से स्टैलिन घृणा करते हैं। स्टैलिन का विचार है कि वे मुझे अधिक पसंद करते हैं और मैं आशा करता हूं कि वे ऐसा ही करते रहेंगे" इस आत्मीयता के स्थान पर सभी बड़ी बड़ी ताक़तें एक दूसरे से भय मानती हैं।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष पद पर आसीन हुए]

सारे संसार में भय का वातावरण फैला है। भारत शस्त्रों से सुसज्जित नहीं है परन्तु जैसा प्रधान मंत्री ने कहा है हम एक महान् राष्ट्र हैं तथा हमारी जनता में प्रौढ़ता है। भारत में स्थित एक भी विदेशी बस्ती सामरिक अड्डा नहीं बनने पायेगी। यदि इन में से एक भी बस्ती सामरिक अड्डा बनाई गई तो सरकार सन्धियों से विवश होने के कारण चाहे कुछ न कर पाये परन्तु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस मामले को अपने हाथ में लेगी तथा गोवा, पाण्डिचेरी इत्यादि को स्वतंत्र कराने के लिये तन, मन, धन की बाज़ी लगाकर उनको स्वतंत्र करायेगी।

चीन का प्रश्न आजकल सब से बड़ा प्रश्न है। साम्यवाद के विरुद्ध हमारे कुछ भी विचार हों परन्तु रूस, चीन तथा भारत तीन ऐसे भूखण्ड हैं, जहां इंसान बसते हैं, जहां पहले ग़रीबी, दरिद्रता तथा सामन्तवाद का बोलबाला था। आप को अच्छा लगे या न लगे, आंग्लअमेरीकी शक्तियां चाहें जो कुछ करें, यदि इन में से किसी एक पर भी अक्रमण किया गया तो उसका प्रभाव तीनों देशों में एक ही जैसा होगा। राष्ट्रों का कोई भी विश्वव्यापी सम्मेलन चीन के बिना वास्तविक नहीं हो सकता। जब अमेरिका के महत्वपूर्ण व्यक्ति फारमूसा आते हैं और कहते हैं कि फारमूसा स्वतंत्रता की ओर है तो हमें समझना चाहिये कि यह कैसी स्वतंत्रता है जिस का तरफ़दार फ़ारमूसा है। कल हिन्दूस्तान में भी गड़बड़ी हो सकती है और हो सकता है कि प्रतिक्रियावादी शक्तियां विदेशी बस्तियों में जमा हो जावें और घोषित कर दें कि वही भारत की वैधानिक सरकार है और यह कि वे दिल्ली स्थित सरकार से लड़ाई लड़ेंगी। ईरान में उथल पुथल हो चुकी है, मिश्र में भी उथल पुथल हो चुकी है। इसलिये हमें सावधान रहने की आवश्यकता है कि कहीं गोआ तथा पाण्डिचेरी भी हमारी देश की स्वतत्रता के घातक न बन जायं।

दिसम्बर १९५१ में लीबया को स्वतंत्रता दी गई थी परन्तु इंग्लैंड ने वहां सामरिक अड्डा बना कर दूसरे हाथ से उसकी स्वतंत्रता छीन ली । हम मोरक्को, अलजीरिया, टयूनिस, लीबिया तथा मिश्र और अफ़ीका के अन्य भागों के स्वतंत्रता आंन्दोलनों का विदेशियों द्वारा दमन होते नहीं देख सकते ।

मलाया, अपनी रबड़ के कारण, ब्रिटिश राष्ट्र मंडल के लिये, डालर कमाने का सबसे बड़ा ज़रिया है । इसीलिये आज इंग्लैण्ड मलाया की जनता को गुलाम बना कर रखने की जान तोड़ कोशिश कर रहा है । आज मिश्र को भी विदेशियों के कारण बड़ा खतरा है ! हमें संकट के इस समय में मिश्र की न केवल नैतिक सहायता वरन् एक दिन वास्तविक सहायता भी करनी पड़ेगी ।

यह सन्तत निरोध इत्यादि की बीमारी जिस का घर अमेरिका था अब पूर्व में भी आ गई है ! यह हमारे लिये बहुत खतरनाक है, क्योंकि, पाश्चात्य देशों वाले, हमारी जनसंख्या से डरते हैं, और विदोहिन तथा आक्रमण के विरुद्ध, हमारी जो लड़ने की शक्ति है, उस को इसी के द्वारा कम करना चाहते हैं ।

वर्तमान परिस्थितियों में हमारी वैदेशिक नीति सब से अच्छी रही ह तथा मैं उस का हृदय से समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय: स्वामी रामानन्द तीर्थ ।

स्वामी रामानन्द तीर्थ (गुलबर्गा) : मैं ने श्री एच० एन० भुकर्जी का व्याख्यान बड़े ध्यान से सुना । हमारी वैदेशिक नीति इतनी अच्छी है कि आखिर भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी को भी जो सदा ही हमारी वैदेशिक नीति की आलोचक रही है आंशिक रूप में ही सही फिर भी उसे स्वीकार करना कि हमारे देश की वैदेशिक नीति के आधार-भूत सिद्धान्त ठीक हैं मेरी समझ में उन लोगों की मनोवृति नहीं आती है जो चाहते हैं कि भारत भी किसी न किसी गुट के साथ अपने को नत्थी कर दे । यदि हम रूस या अमेरिका का अनुकरण नहीं करते हैं तो हमारी वैदेशिक नीति तटस्थ कहा जाता है। परन्तु यह ग़लत है। भारत की अपनी अलग वैदेशिक नीति है जैसी कि किसी सम्मानित राष्ट्र की हो सकती है ।

६ म० प०

मेरे माननीय मित्र आचार्य कृपलानी ने कश्मीर के सम्बन्ध में कहा है कि उन की यह समझ में नहीं आया कि हमारी कश्मीर सम्बन्धी नीति अन्दरूनी समस्या है या, वैदेशिक नीति का एक भाग है । कश्मीर वास्तव में अन्दरूनी समस्या भी है और वैदेशिक नीति भी । हम जब कश्मीर की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिये कि इस सम्बन्ध में कुछ ऐसे आधारभूत सिद्धान्त हैं जिनके अनुसार आचरण करने का हम निर्णय कर चुके हैं । एक तो यह कि कश्मीर के भाग्य का निपटारा, कश्मीर निवासी ही करेंगे । दूसरे यद्यपि काश्मीर ने भारत से सम्बन्ध जोड़ लिया है फिर भी कशमीर की जनता अभी मत गणना द्वारा अपना विचार प्रकट करेगी । तीसरे यह कि भारत ने यह मान लिया है कश्मीर को आन्तरिक मामलों में स्वतंत्रता होगी । इस-लिये भविष्य कैसा होगा इस का निर्णय तो कश्मीर की जनता ही के हाथ में है ।

मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे अनन्य मित्र शेख अब्दुल्ला ने किस आधार पर कश्मीर को स्वतंत्र घोषित करने का वचार

[स्वामी रामानन्द तीर्थ]

किया । मैं समझता हूं जब भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्री आपस में तैकर चुके हैं कि कशमीर भारत में रहे या पाकिस्तान में इस का निर्णय, स्वयं कश्मीर की जनता द्वारा किया जायगा, तो शेख अब्दुल्ला ने क्यों सोचा कि कश्मीर अपने को स्वतंत्र घोषित कर दे यह मेरी समझ में नहीं आता ।

भारत की वैदेशिक नीति का सभी ने समर्थन किया है । मैं भी इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं ।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम् : यद्यपि भारत की वैदेशिक नीति का हर देश से समर्थन किया गया है फिर भी विस्तार में जाने पर हम ने देखा कि बहुत मतभेद है और जो विचार प्रकट किये गये हैं वे एक दूसरे के सर्वथा विरुद्ध हैं । एक माननीय सदस्य ने कहा है कि संसार के गुलाम राष्ट्र नेतृत्व के लिये भारत का मुंह देख रहें हैं और हमें चाहिये कि हम शीघ्र ही उनकी सहायता करें । दूसरे माननीय सदस्य का कहना है कि हम ऐसे राष्ट्रों की स्वतन्त्रता की वकालत करने में, जो हम से बहुत दूर पर स्थित हैं, अधिक ध्यान दे रहे हैं और भूख बेकारी जैसी अपने देश की समस्याओं की पूर्णतया अपेक्षा कर रहें हैं । कम्युनिस्ट दल के उपनेता कहते हैं कि साम्राज्यवादी शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता तथा इनका अपवित्र साथ हमें छोड़ देना चाहिये । दूसरे माननीय सदस्य फ्रैंक एन्थनी कहते हैं भारत की सुरक्षा को कम्युनिस्ट देशों की सेनाओं से खतरा है इसलिये हमें इंगलैंड तथा अमरीका का साथ पकड़ना चाहिये । एक सदस्य कहते हैं हम ने निशस्त्रीकरण के लिये कुछ नहीं किया है और सैनिक व्यय बढ़ा कर हम राष्ट्रपयोगी कार्यों की उपेक्षा कर रहे हैं । दूसरे माननीय सदस्य कहते हैं संसार केवल डण्डे का ही तर्क समझता है इसलिये हमें अपनी सैनिक शक्ति बढ़ानी चाहिये । परन्तु वास्तव में सत्य तो वही है जो प्रधान मंत्री ने आज प्रातः काल अपने व्याख्यान में कहा था, हमारे सामने कुछ महान सिद्धान्त तथा महान् विचार हैं और हमने उन्हीं के अनुसार कार्य किया है । हमने संसार के हर क्षेत्र में स्वतन्त्रता तथा समानता का समर्थन किया है । हमें यह याद रखना चाहिये कि साम्राज्यवाद तथा एक देश की जनता का दूसरे देश की जनता द्वारा गुलाम बना कर रखना संसार के किसी विशेष भाग की ही विशेषता नहीं है । स्वतंत्रता के समर्थन का यह अर्थ नहीं है कि हम हर जगह झगड़ा मोल लेते फिरें । हम, अपनी वैदेशिक नीति, अपनी आन्तरिक शक्ति, आधारभूत भौगोलिक तथा एतिहासिक तत्वों के अनुसार ही, निर्धारित करते हैं इस के अतिरिक्त प्राथम्यों का एक क्रम भी है । हम ने संसार में शान्ति कायम कराने का भी कार्य अपने हाथ में लिया है । यह शान्ति स्थापित करने का कार्य तो सदा से ही हमारी संस्कृति का अंग रहा है । परन्तु कुछ लोगों को इस सम्बन्ध में भ्रम हो गये हैं । उदाहरण के लिये अमरीका वाले समझते हैं कि वाशिंगटन ही संसार का केन्द्र है और संसार के हर देश को अपना दृष्टिकोण तथा नीति वाशिंगटन के ही अनुसार बनाना चाहिये । हो सकता है कि उनके लिये फारमूसा तथा चीन का महान् देश एक ही हों परन्तु हमारे देश की २००० मील की सीमा चीन से मिली हुई हैं हम चीन और फारमूसा को एक ही श्रेणी में नहीं रख सकते हैं ।

कम्युनिस्ट पार्टी के उपनेता कहते हैं साम्राज्यवादी शक्तियों की प्रकृति नहीं बदल सकती है । हमने ससार की एक सब से बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति से अपनी स्वतन्त्रता मैत्रीपूर्ण ढंग प्राप्त की है : हम ने तो

अपने जीवन ही में साम्राज्यवाद की प्रकृत को बदलते हुए देखा है

इस के अतिरिक्त हमारे माननीय मित्र श्री मुकर्जी का कहना है कि मिश्र और इंगलैंड के बीच में हमें दलाल नहीं बनना चाहिये। बात वही है कहने का ढंग अगर बदल दिया जाय तो दो राष्ट्रों के बीच में मैत्री स्थापित कराना बहुत आच्छा कार्य है और हमें इसके करने में कोई लज्जा नहीं है।

यह निशस्त्रीकरण का प्रश्न ऐसा है कि बड़ी साधारण सी बात है पर बड़ी कठिन भी है। यदि संसार के सारे राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र की प्रभुत स्वीकार करलें तथा अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को शस्त्र निर्माण रोकने की शक्ति दे दें तो निशस्त्रीकरण बात की बात में हो सकता है। परन्तु ऐसा न होने के कारण यह समस्या बहुत ही कठिन हो गई है। जहां तक हमारा प्रश्न है न तो हम यही मान कर चल सकते हैं कि जैसे संसार में निशस्त्रीकरण हो चुका हो ; और न हम अणुबम तथा हाई-ड्रोजिन बम ही बना सकते हैं।

हमने अपनी पताका पर अशोक चक्र का चिन्ह बना रखा है जिस का अर्थ यह है कि शान्तिदूत के रूप में, विदेशों में जाना हमारा काम ही है। इसी लिये हमने कोरिया के सम्बन्ध में शान्ति स्थापित करने वाली नीति का अनुसरण किया है। और हमारी सेनाएं जहां पुनर्वास की व्यवस्था कर रही हैं उसे "शान्ति नगर" कहते हैं। हम आशा करते हैं कि वे अपन कार्य में सफल होंगे।

श्रीमान्, अन्त में मैं आशा करता हूं कि हमारे देश की एक महिला को संयुक्त राष्ट्र-संघ की महासभा का प्रधान बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस से विश्व-शान्ति के ध्येय को बहुत बढ़ावा मिलेगा।

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम): सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि वैदेशिक मामलों के सम्बन्ध में मध्य पूर्व तथा दक्षिण पूर्व ऐशिया में प्रचार के जो प्रबन्ध किये गये हैं वे बहुत निकम्मे हैं। हमें फ्रांस तथा ब्रिटेन की तरह सारी परिस्थिति की जांच करते हुए अपनी वैदेशिक प्रचार की सेवाओं में सुचार का प्रयत्न करना चाहिये।

यद्यपि वैदेशिक नीति के अन्तर्गत बहुत से महत्वपूर्ण मामले हैं, मैं सब से अधिक महत्व भारत–पाकिस्तान सम्बन्धों को देता हूं। सदन नेता ने पाकिस्तानी प्रेस में भारत विरोधी घोर प्रचार की शिकायत की है। यद्यपि यह शिकायत सत्य है फिर भी मैं समझता हूं कि भारत तथा पाकिस्तान की आम जन्ता पर इस प्रचार का बहुत कम प्रभाव पड़ा है। दोनों देशों में बुद्धिमता निरन्तर बढ़ती जा रही है। दोनों देशों की आर्थिक व्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर करती है तथा दोनों देशों के सब से अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों को परस्पर सहयोग के महत्व का आभास होता जा रहा है। आज के वातावरण में दोनों देशों के सम्बन्धों को सुधारने की बहुत कुछ आशा हो सकती है। मेरा सदा से यह मत रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों को परस्पर मिलकर सारी जटिल समस्याओं को सुलझाना चाहिये तथा यह समय इस विचार से बहुत उपयुक्त है। इसी मार्ग के अपनाने में दोनों देशों का भला भी है।

इस सम्बन्ध में मैं काश्मीर समस्या की भी चर्चा करना चाहता हूं। श्रीमान्, इस समस्या के सुलझाने में अपने अपने सिद्धान्तों को सामने रखते हुए हम विधि अथवा शत्रुता को हर दृष्टिकोण को अपना सकते हैं। भारत की स्थिति आरम्भ से यही है कि पक्षपात से रहित तथा उचित वायुमण्डल में जनमत-संग्रह किया जाय। मैं एडमिरेल निमिट्स को जनमत संग्रह प्रशासक नियुक्त किये जाने के झगड़े की वास्तविकता को नहीं समझ सका हूं। कुछ भी हो एडमिरेल निमिट्स को

[डा० कृष्णस्वामी]

जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने तो नियुक्त नहीं किया था। परन्तु इससे भी अधिक महत्व-पूर्ण बात यह है कि यदि दोनों पक्षों में कोई पक्ष भी एडमिरेल की शुद्ध भावना पर आशंका करे तो उन्हें जनमत संग्रह प्रशासक बनना शोभा नहीं देगा। फिर भी इस से अधिक महत्वपूर्ण वे मूल समस्याएं हैं जिन्होंने दोनों देशों को एक दूसरे से परे कर रखा है तथा हमें अधिक ध्यान उनकी ओर देना चाहिये।

कुछ लोग प्रादेशिक आधार पर जनमत संग्रह के किये जाने के पक्ष में हैं। वे समझते हैं कि इस प्रकार से जम्मू अवश्य ही भारत में शामिल हो सकेगा। परन्तु इससे तो हम काश्मीर के जनमत के बारे में पहले से ही निर्णय कर देते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बीच दोनों राजनीतिज्ञों ने पार्श्व-वर्ती राज्यों के साथ लगने वाले देशों के लोगों का मत लेना भी स्वीकार किया है। जनमत सारे काश्मीर में, जिसमें आज़ाद काश्मीर भी शामिल है, होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि आज़ाद काश्मीर पाकिस्तान के पक्ष में मत देता है तो क्या उसे ज़बरदस्ती से भारत में मिलाया जायेगा ? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस जटिल समस्या के बहुत से पहलुओं को ग़लत समझा जा सकता है। मैं चाहता हूं कि हम उन मूल समस्याओं को संचिवीय स्तर पर सुलझाने का प्रयत्न करें जिससे दोनों देश एक दूसरे के समीप आ सकें।

कई लोगों ने काश्मीर के सवाल को राष्ट्रसंघ से वापस लेने का मत भी व्यक्त किया है। मैं पूछता हूं कि यदि हम परस्पर मिलकर इसे नहीं निपटा सकते तो फिर राष्ट्रसंघ को निर्देश के सिवाय और क्या चारा है ? मैं अनुभव करता हूं कि दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों में भेंट होने से यह सारी समस्याएं सुलझ जायेंगी। निश्चय ही इन्हें परस्पर सुलझा लेने से बहुत लाभ रहेगा।

जैसा कि प्रधान मंत्री ने बताया काश्मीर राज्य सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण कुछ विदेशी शक्तियों ने उपरोक्ष रूप से इस पर प्रभाव डालने की चेष्टा की है। इस विचार से भी दोनों पड़ौसी देशों को जिन्हें काश्मीर में मुख्य रूप से रुचि है, मिलकर इन में से अधिक प्रश्नों को सुलझाना चाहिये। काश्मीर का निर्णय जनमत से कर लिया जाय। यह ठीक है कि विधिक दृष्टि से काश्मीर भारत के साथ मिल चुका है, परन्तु हम आरम्भ से ही वचन बद्ध हैं कि काश्मीर की जनता की इच्छा का सत्कार किया जायगा। यदि दोनों राजनीतिज्ञ मिलकर पूर्ण बुद्धिमता और उदारता से इस प्रश्न के हल का प्रयास करें तो हम काश्मीर समस्या को बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे तथा हमारे दृष्टिकोण को भी बहुत अच्छी तरह से समझ लिया जायगा। मैं समझता हूं कि यह हल निकालने का मुख्य तरीका है।

मैं समझता हूं कि भारत सरकार द्वारा यह मानी हुई नीति है कि पाकिस्तान के साथ सभी बातचीत आदि में काश्मीर सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा। मैं समझता हूं कि यह एक संविधिक सिद्धान्त है जिसका अनुसरण होना चाहिये। उचित वातावरण का पैदा करने का उत्तरदायित्व काश्मीर सरकार पर है।

मैं यह सुझाव देने का साहस करता हूं कि जहां तक भारत पाकिस्तान समस्या का सम्बन्ध है, हमें सारी जटिल समस्याओं को यथाशीघ्र सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिये ताकि दोनों देशों की आर्थिक व्यवस्था को ठोस आधार पर लाया जा सके तथा दोनों के सम्बन्ध सुधर सकें। इससे हम एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया को एक नया और श्रेष्ट नेतृत्व प्रदान कर सकेंगे।

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान् मैं ने जो जो बातें कहीं हैं, उनके बारे में इतनी नम्रता तथा उदारता से काम लिया गया है कि मुझे कुछ परेशानी सी हुई है। निश्चय ही यहां तहां किसी छोटे से मामले पर कुछ ऊंची तथा कुछ बहुत आलोचनात्मक आवाज़ें सुनने में आई हैं परन्तु सामान्यता माननीय सदस्यों ने उन समस्त मूल नीतियों, आदर्शों तथा उद्देश्यों को स्वीकार कर लिया है जिनके अनुसरण का हम प्रयास करते हैं। स्वभावतः यह बहुत उत्साहजनक बात है यद्यपि कभी कभी यह कहा जाता है कि किसी विषय पर मतैक्य हो तो उस मतैक्य पर उचित ही सन्देह हो सकता है।

इस कारण मुझे इन मूल मामलों के सम्बन्ध में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं सदन के सामने केवल इस बात को ही रखना चाहता हूं कि हमें किसी मामले पर भी—चाहे वह भारत में विदेशी बस्तियों या विदेशों में भारतीयों का मामला हो—आज की परिस्थिति में विश्व तथा इसकी मुख्य समस्याओं के प्रसंग से विचार करना होगा। शायद मैं इस बात को बहुत अधिक बार कह चुका हूं। फिर भी मैं इस तथ्य पर बहुत ज़ोर देना चाहता हूं। कुछ व्यक्तियों का विचार हो सकता है कि प्रत्येक मामले को दूसरों से अलग रूप से लिया जा सकता है तथा उस पर विचार हो सकता है। आज के विश्व में ऐसा करना सम्भव नहीं है। किसी स्थान पर जो साधारण घटना होती है, उसका प्रभाव अन्य स्थानों पर अवश्य पड़ता है।

क्षेत्राधिकार की दृष्टि से कहते हुए, आज विश्व की दो मुख्य समस्याएं हैं। एक तो जर्मनी का भविष्य तथा दूसरे दूर पूर्व का भविष्य, ये दो बड़ी समस्याएं हैं जिनके चारों ओर भावी युद्ध अथवा शान्ति के सारे सवाल मण्डरा रहे हैं। शेष के सभी मामले उतने मूल महत्व के नहीं हैं। शेष की सभी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है तथा उनसे युद्ध और शान्ति के इतने बड़े सवाल नहीं उठते।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

अब जर्मनी या यूरोप से हमारा प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, एक विचार से कोरिया की समस्या से भी हमारा सम्बन्ध नहीं है, परन्तु कुछ सम्बन्ध अवश्य हैं, कुछ तो इस लिये कि हम कई बातों में औरों से उन के अधिक निकट हैं और कुछ इस लिये कि ऐशिया के देशों की घटनायें अपने विशेष ढंग से एक दूसरे पर क्रिया तथा प्रतिक्रिया का प्रभाव छोड़ती हैं। परन्तु चाहे हम एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हों या नहीं, यह तथ्य बना रहता है कि जो कुछ जर्मनी में होता है या होगा उससे सारे विश्व पर प्रभाव पड़ेगा। उस विचार से हमारा उस देश से सम्बन्ध है। यह ठीक है कि हम इस बारे में कर कुछ नहीं सकते सिवाय इस के ही संयुक्त राष्ट्र संघ में हम अपने मत को व्यक्त कर दें।

इस के अतिरिक्त, इन दोनों समस्याओं का पुनर्शस्त्रीकरण के सवाल से बहुत कुछ सम्बन्ध है। मुझे दूसरे देशों के इरादों के बारे में कुछ कहना शोभा नहीं देता, परन्तु यह एक विचित्र बात है कि लोग जहां निशस्त्रीकरण की बातें करतें हैं, वहां वे पुनर्शस्त्रीकरण की बातें और उस दिशा में काम भी करते हैं। मैं समझता हूं कि आचार्य कृपलानी ने कहा था कि हम निशस्त्रीकरण पर काफी जोर नहीं दे रहे हैं। यदि मैंने अपने पहले भाषण में इस बारे में कुछ नहीं कहा तो मुझे इस का खेद है। परन्तु यह एक बात है कि हम इस पर अवश्य ही जोर देते हैं तथा सारा समय इस पर जोर देते रहे हैं। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

बात है। वास्तव में यह चित्र का दूसरा रुख है। इसका अर्थ यह है कि एक बार जब आप तनाव को कम कर देते हैं तो लोग क्रमशः शांति की ओर जाना चाहते हैं। उस समय आप निशस्त्रीकरण के लिये उपयुक्त वातावरण पैदा करते हैं। इस के बिना निशस्त्रीकरण की बातों से कुछ प्रयोजन नहीं--ठीक उसी प्रकार से जैसा कि कुछ लोग विश्व सरकार आदि की बातें करते हैं। मैं अनुमान करता हूं कि यहां बहुत से सदस्य हैं--तथा निश्चय ही मैं उनमें से एक हूं--जिनका उस उद्देश्य में बहुत कुछ विश्वास है। इस में विश्वास करते हुए भी इस समय मुझे यह बहुत काल्पनिक सी बात दिखाई पड़ती है। मुझे तनिक संदेह नहीं है कि यह ठीक प्रकार का आदर्श है तो भी एक ओर तो युद्ध की बातें तथा तैयारी करना और तनाव बढ़ाना तथा दूसरी ओर विश्व सरकार की बातों का करना परस्पर संगत नहीं है। सम्भवतः लोगों के मन को इसके लिये तैयार करने के अभिप्राय से ये बातें होनी चाहियें। प्रत्येक अवस्था में निशस्त्रीकरण बहुत महत्वपूर्ण विषय है तथा पहले से यह कहीं अधिक महत्व रखता है विशेषतः जब से ऐटम तथा उद्रोजन बम्ब बनने आरम्भ हुए हैं। वस्तुतः यदि किसी प्रकार से यह निश्चित हो सके कि ऐटम तथा उद्रोजन बम्ब का किसी अवस्था में भी प्रयोग नहीं होगा तो इस से अपने आप विश्व को आराम का गहरे सांस का लेना सम्भव हो सकेगा। साथ ही मेरा यह विश्वास है कि और भी बहुत से शस्त्र हैं जो इस समय उन लोगों को अज्ञात हैं परन्तु जो इतने ही नाशक हैं। अतएव आप किसी प्रश्न के बारे में भी, चाहे यह कोरिया का सवाल हो, जर्मनी का सवाल हो या निशस्त्रीकरण का सवाल हो, समस्त प्रश्नों पर कार्यवाही के किए बिना कार्यवाही नहीं कर सकते। आप उन्हें अलग नहीं कर सकते और इस कारण यदि इस सदन को किसी प्रश्न विशेष पर, जिसमें हमें बहुत रुचि है, विचार करना है तो हम उसे अन्य प्रश्नों से अलग नहीं कर सकते। वास्तविक कठिनाई यह है।

विश्व बहुत आगे बढ़ चुका है--यह एक स्पष्ट बात है जिसे प्राय कहा जा चुका है। विभिन्न बातें एक साथ पहले से बहुत बढ़ चुकी हैं। अच्छाई और बुराई दोनों के करने की शक्तियां अब पहले से कहीं अधिक हैं। हम निरन्तर एक दूसरे के द्वार पर रहते हैं। एक को छोड़ दूसरे के पास जाने का [redacted] कोई सवाल नहीं है। अन्त में हमें फसला करना होगा कि क्या हमें विश्व सहयोग की ओर जाना है या विश्व नाश को ओर। किसी देश या हमारे लिये बीच का मार्ग कोई नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व सहयोग की दिशा में एक भरसक प्रयास था। यदि आप संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार पत्र को पढ़ें तो आप इस की श्रेठ वाक्य रचना से प्रभावित होंगे। मुझे संदेह नहीं कि उक्त संघ के स्थापकों के इरादे बहुत नेक थे। मुझे इस में भी कोई सन्देह नहीं है कि उन्होंने परिस्थिति में जो कुछ भी बन पड़ता था, किया। हम प्रायः संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं परन्तु संयुक्त राष्ट्रसंघ तो केवल विश्व की घटनाओं का दर्पण है। ये घटनायें इस संस्था अथवा अधिकार-पत्र की त्रुटियों के कारण नहीं होती हैं। यह त्रुटि हमारी अकेले अकेले देश की तथा विश्व के राज्यों की है जो इस पर प्रतिबिम्ब डालता है। यदि यह प्रतिविम्ब न पड़े तो यह संस्था वास्तविक नहीं रहती है तथा विश्व की घटनाओं से इसका संपर्क नहीं रहता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार पत्र में कुछ परिवर्तन करने की भी चर्चा रहती है। नाना प्रकार के सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। कुछ एक को मैं अच्छा समझता हूं तथा कुछेक को नहीं। कई लोग यह मिथ्या दृष्टि-कोण भी अपना सकते हैं कि एक विस्तृत दस्तावेज बनाई जाये जिसमें विश्व के कुछ स्पष्ट तथ्यों की अपेक्षा कर दी जाय। तथ्य ये हैं कि आज की परिस्थिति में बहुत कम देशों का अपनी सैनिक, अथवा अन्य प्रकार की शक्ति के कारण दूसरे देशों पर प्रभुत्व है। यह एक तथ्य है। दो तीन देशों को चाहे वे कोई भी हों, यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि आपको २०, ३० या ४० देशों के जो सारी दुनियां में फैले हुए छोटे छोटे देश हैं, बहुमत के अनुसार चलना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि भारत के राजनैतिक सम्मेलन में शामिल किये जाने के सवाल का फैसला केन्द्रीय अमरीका तथा दक्षिण अमेरिका के कुछ सम्मानित देशों के मत से हो। जन संख्या के विचार से इस में बहुत अन्तर है। पक्ष में तथा विपक्ष में मत देने वाले देशों की जनसंख्या तथा क्षेत्र में बहुत बड़ा अन्तर है। अतएव आप संयुक्त राष्ट्र संघ के लिये कागज पर एक प्रजातन्त्रात्मक संविधान नहीं बना सकते क्योंकि उससे आज की परिस्थिति के तथ्यों की उपेक्षा हो जाती है। आप उन्हें एक ओर नहीं रख सकते। यही कारण है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ तो संघ के स्थापकों ने उस के लिये कुछ उपबन्ध करने का प्रयास किया। सम्भवतः यह एक सुखद उपबन्ध नहीं था परन्तु यह उस समय अनिवार्य अवश्य था। अस्तु, मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार पत्र के इस प्रश्न का विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता।

परन्तु मूल प्रश्न जो हमारे सामने है, वह यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ सचमुच संयुक्त राष्ट्रसंघ है या नहीं अथवा यह कुछ और वस्तु है। हमें सोचना है कि क्या यह ऐसी संस्था है जिस में प्रत्येक स्वतंत्र देश शामिल हो सकता है अथवा क्या यह इने गिने देशों की संस्था है जो विशेष दृष्टिकोण रखते हैं अथवा क्या इस संस्था के किवाड़ उन देशों पर बन्ध हैं जो और प्रकार का अर्थात उस से विभिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है क्यों कि इस में कोई सन्देह नहीं है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो इस में विश्व के सभी स्वतंत्र देशों को शामिल करने का विचार किया गया था, परन्तु आज प्रवृत्ति यह पाई जाती है कि राष्ट्र संघ को सारे राष्ट्रों का नहीं, अपितु कुछ इने गिने राष्ट्रों का चाहे वे कितने ही प्रमुख क्यों न हों, संघ बना दिया जाय। अब यदि ऐसा होता है तो उस से वह मूल धारणा जाती रहती है जो राष्ट्र संघ के सारे विचार के पीछे है। इस प्रकार का गुट सा बन जाता है, हो सकता है कि यह बहुत शक्तिशाली गुट हो और एक बड़ा गुट हो तथा इस में ९० प्रतिशत राष्ट्र शामिल हों फिर भी यह सारे विश्व का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता है तो यह एक दुर्भाग्य की बात होगी क्यों कि अनिवार्य रूप से होगा यह कि जो बाहर रह जाते हैं, वे अपने अलग अलग गुट बनायेंगे। उस अवस्था में दो राष्ट्र संघ बन जायेंग चाहे आप उन्हें किसी नाम से भी पुकारें।

अब मैं एक दूसरे विषय के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मूल तथ्य यह है कि जब शक्ति कुछेक हाथों में चली जाती है तो शक्तिशाली देश निर्बल देश के दृष्टिकोण को अपनी शक्ति से प्रभावित कर सकता है। जब दो या तीन देश शक्तिशाली देश ऐसे हों जिन में किसी बात पर एकमत न हो

[श्री जवाहरलाल नहरू]

तो इस का क्या परिणाम हो सकता है ? लड़ाई हो सकती है। यह चीज़ बुरी है या अच्छी, यह दूसरी बात है।

इस समय विश्व के सब से शक्तिशाली देश लगभग बराबर की शक्ति व बल रखते हैं। मैं इस वक़्त विभिन्न विचारधाराओं की बात नहीं कर रहा, बल्कि आप के सामने यथार्थ स्थिति रख रहा हूं। जब देशों में बराबर की शक्ति है तो आप किसी देश को लड़ाई की धमकी से या लड़ाई से ही दबा नहीं सकते। तो इस का मतलब यह है कि या तो आप पूरी तरह से लड़ाई छेड़ने के लिये तैयार हों और लड़ाई के साथ होने वाले विनाश के लिये भी तैयार हों या आप इस नतीजे पर पहुंचें कि इस तरह से हर चीज़ को नष्ट करना बेवकूफ़ी है; इस से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता।

वास्तव में, आज हर बुद्धिमान व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है कि लड़ाई से कुछ नतीजा नहीं निकल सकता। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिये यह एक सफल साधन नहीं है। यह बात तो दूसरी है कि आप पर लड़ाई थोप ही दी जाये; परन्तु आम तौर से लड़ाई से हमें कुछ मिल नहीं सकता।

इसलिये, अब चारा लड़ाई के अलावा कोई दूसरा तरीक़ा निकालना ही है। यह कैसे हो ? इस के लिये सब से पहले इस बात का प्रयत्न हो कि एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न किया जाये और एक दूसरे को शान्ति से रहने दिया जाये। चूंकि अपने हस्तक्षेप से आप वह चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते जिसे आप चाहते हैं इसलिये बुद्धिमानी यही है कि वह क़दम उठाया ही न जाये जो आप को कहीं का न रखे। इस का अर्थ यह है कि जैसी स्थिति है उस को यों ही रखा जाये और एक दूसरे के मामलों में दख़ल न दिया जाए।

परन्तु क्या संसार के देश, विशेषतः जब कि वे दो शक्तिशाली गुटों में बंटे हुए हैं, और एक दूसरे को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं, इस स्थिति को स्वीकार करेंगे ? मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। परन्तु मेरा इतना ख्याल ज़रूर है कि लोगों की--विशेषतः यूरोप के लोगों की--यह राय होती जा रही है कि एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करना और लड़ाई के ख़तरे उठाना ठीक नहीं है।

हम राष्ट्रों के बड़े शक्तिशाली गुटों आदि की चर्चा करते हैं। इस में सन्देह नहीं कि राष्ट्रों के ऐसे संघ हैं जिन में आपस में मतभेद हैं और जिन की राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य मामलों पर विभिन्न विचार धारायें हैं। हम यहां इन गुटों के बारे में कुछ नहीं सोचना या कहना चाहते।

तो यदि बुद्धिमत्ता से सोचा जाय तो इन बड़े बड़े झगड़ों को जारी रखने से कोई लाभ नहीं दिखाई देता। आजकल हमारे सामने जो प्रश्न है वह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यदि वह हल हो जाता है तो देशों में आपसी तनाव भी कम हो जायेगा। जब विराम-संधि से इस खिंचाव में कमी हो गई है तो सुदूरपूर्व में किसी प्रकार का पक्का समझौता हो जाने से निश्चय ही विश्व-शांति स्थापित करने में बड़ी सहायता मिलेगी। इसके विपरीत यदि संधि-वार्ता असफल होती है यदि कोई राजनीतिक सम्मेलन नहीं होता तो यह खिंचाव बढ़ जायेगा, केवल सुदूरपूर्व में ही नहीं, वरन् यूरोप तथा अन्य स्थानों में भी स्थिति बिगड़ जायेगी। यह आजकल का सब से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस के पीछे अन्य बहुत से मामले हैं जसे, आर्थिक मामले, व्यापारिक मामले आदि; और एक प्रश्न यह

है कि क्या हम चाहते हैं कि विश्व के विभिन्न देश अलग अलग गुटों में बंट जायें जिन में एक दूसरे से कोई संबंध न रहे, कोई व्यापार न हो और आपस में कोई मतलब न रहे ।

आप देखेंगे कि यूरोप के विभिन्न देशों की यह इच्छा होती जा रही है कि एक देश और दूसरे देश के बीच में जो व्यापार संबंधी बाधायें हैं उन्हें दूर किया जाये । वे चाहते हैं कि उन देशों से भी व्यापार संबंध स्थापित हो जिन से अन्य मामलों में उन का मतभेद है । मैं समझता हूं कि यदि इस तरह का व्यापार होने लगे तो इस खिचाव में बहुत हद तक कमी हो सकती है । सदन के समक्ष मैं यह पहलू इसलिये फिर रख रहा हूं ताकि हम इस को ध्यान में रखते हुए अपनी अन्य समस्याओं पर विचार करें ।

मुझ से कुछ प्रश्न पूछे गये । सामने बैठे कुछ माननीय सदस्यों ने जिस विषय पर जोर दिया वह एक पुराना विषय है । वास्तव में आज बहुत से पुराने विषयों को दोहराया गया परन्तु उन में सब से बड़ा प्रश्न राष्ट्रमंडल में हमारा रहे चले आना है । मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इस थोथे विषय को बार बार क्यों दोहराया जाता है । मुझे बताया जाये कि इस में सार क्या है, मैं सुनना चाहता था कि आखिर इस विषय में सत्य क्या है, परन्तु किसी माननीय सदस्य ने इस को स्पष्ट नहीं किया । केवल प्रोफ़ेसर मुकर्जी ने ही कहा कि हमें राष्ट्रमंडल में रह कर अपने को दूषित नहीं करना चाहिये । मेरी राय में इस विचार में कट्टरवादी हिन्दुओं की अस्पृश्यता की पुरानी भावना झलकती है । जैसा मैं ने सवेरे कहा, आज कल यह अस्पृश्यता की भावना, एक दूसरे से न मिलने और बात न करने की भावना बढ़ रही है । मैं किसी खास देश को दोष नहीं दे रहा; यह भावना सब तरफ़ है । यह एक बहुत ग़लत दृष्टिकोण है और इस से किसी समझौते पर आने की सारी आशाओं के व्यर्थ हो जाने की संभावना है । स्पष्ट है कि यदि आप किसी को अछूत समझेंगे या उस से अलग रहेंगे तो समझौता कहां से हो सकता है ।

राष्ट्रमंडल के प्रश्न को ही लीजिये । मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रमंडल में रहने से हम ने क्या किया जो हमें नहीं करना चाहिये था और क्या नहीं किया जो हमें करना चाहिये था । यही एक कसौटी है और मैं इसे जानना चाहता हूं । अलग रहने की बात छोड़िये । यह कोई तर्क नहीं और अगर है भी तो ग़लत है । संसार में ऐसे देश हैं जो विगत समय में और कुछ कुछ अब भी इन पुराने साम्राज्य-वादियों आदि से सम्बन्ध रखते आये हैं । इस समय भी ऐसे देश हैं जो विस्तार की भावना रखते हैं । म उन्हें दोष नहीं दे रहा । शक्ति आने के साथ देशों में—चाहे उन की विचारधारा कुछ भी हो—विस्तार की भावना, दूसरों पर अपना असर डालने और उन्हें अपने साथ मिला लेने की भावना भी आ जाती है । यह चीज़ हमेशा होती है और सब के साथ होती है । मैं पूछता हूं कि हम में से कौन दोषरहित है ? क्या हम अपने सब कार्यों में दोषरहित हैं ? हम भारत पाकिस्तान संबंधों के बारे में बात करते हैं और गत कुछ वर्षों में मैं ने स्वयं पाकिस्तान तथा भारत में होने वाली बहुत सी घटनाओं की आलोचना की है । मैं ने अक्सर माननीय सदस्यों से कहा है कि हम में भी दोष हो सकते हैं और मैं यह नहीं कह सकता, कि भारत पाकिस्तान संबंधों में हम दोषरहित रहे हैं । यदि हम में कोई दोष नहीं होता तो पाकिस्तान के अपने दोष हमारे रास्ते में नहीं आ सकते थे । यह एक सही बात है कि यदि आप ठीक रास्ते पर हैं तो आप कभी असफल नहीं होंगे । परन्तु कोई भी १०० प्रतिशत सही नहीं होता—यह बात तो दूसरी है । यह कहना कि हम में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कोई अवगुण नहीं और सारी बुराइयां दूसरों में ही हैं ग़लत चीज़ है । संयुक्त राष्ट्र संघ में सब देश एक दूसरे से मिलते जुलते हैं । फिर, ये लोग दूसरे देशों के दूतों के साथ हंसते-बोलते हैं और उन से अपने संबंध बढ़ाते हैं । आजकल की दुनियां में इस के बिना काम नहीं चल सकता ।

यदि हम हमेशा विगत काल की बातों को ही सोचते रहेंगे, तो इस से कोई लाभ नहीं होगा । यदि हम यही सोचते रहेंगे कि अंग्रेज़ों ने भारत में ऐसा ऐसा किया तो इससे हम म और अन्य देशों में विशेष प्रकार की भावनायें पैदा हो जायेंगी । सौभाग्य से, हमने अपने यहां इन भावनाओं पर विजय पा ली है ; इसकी वजह इंग्लैंड के साथ इस समस्या का एक असाधारण तरीक़े से तय हो जाना है । ब्रिटेन की विगतकालीन साम्राज्यशाही से सब परिचित हैं और उस के जो अवशेष हैं उन्हें भी सब जानते हैं । अन्य देशों की विस्तार नीति और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को भी लोग जानते हैं । प्रश्न यह है कि हमारा स दिशा में क्या व्यवहार हो ? निश्चय ही हम अपने आप को परदे में छिपा कर तो आगे बढ़ नहीं सकते; हम अवास्तविक ढंग से या हरेक को उस के द्वारा किये गये कामों के कारण गालियां दे कर कुछ नहीं कर सकते । दूसरे देश अपने यहां जो कार्य करते हैं उन की सिर्फ़ इसलिये आलोचना करना कि हम उन्हें पसन्द नहीं करते, ग़लत है और हमें इस से बचना चाहिये । कभी कभी इन आन्तरिक घटनाओं का सारी मानव जाति पर प्रभाव पड़ सकता है--यह चीज़ दूसरी है । अफ्रीका के कुछ प्रश्नों को ही लीजिये । बहुत सी बातों के कारण मैं पूर्वी या उत्तरी अफ्रीका की किसी भी घटना की--जिसका भारत से राजनीतिक रूप से कोई संबंध नहीं --आलोचना करना नहीं चाहता । परन्तु दो बातें हैं जिन के कारण मैं यहां कुछ कहना चाहता हूं । एक बात तो यह है कि पिछली दो पीढ़ियों से हमारी कुछ विशेष परम्परायें रहीं हैं और हम इन परम्पराओं--साम्राज्य-शाही-विरोधी, सम्प्रदाय-विरोधी और जाति-विरोधी परम्पराओं में ही इतने बड़े हुए हैं और इस कारण हम इन बातों को चुपचाप सहन नहीं कर सकते, परन्तु हमें कुछ संयम से काम लेना चाहिय क्योंकि केवल आलोचना करने या बराबर बोलते रहने से कोई लाभ नहीं निकल सकता । दूसरी चीज़ यह है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन का संबंध अफ्रीका के विभिन्न भागों में बढ़ते हुए जातीय भेद-भाव से है । यह मानवजाति से संबंधित एक बहुत बड़ी समस्या है और इस प्रकार की समस्या पर चुप हो कर बैठना ग़लत है । इसलिये हो सकता है कि हमें कुछ कहना पड़े क्योंकि यह हमारे बल का और हमारी शक्ति का द्योतक है । यदि आप संयम के साथ इन बातों को निर्दिष्ट करें तो इस का प्रभाव केवल चिल्लाने से कहीं अधिक होगा ।

मैं राष्ट्रमंडल के प्रश्न को फिर लेता हूं । पिछले ५ या ६ वर्षों के, विशेषत: पिछले ३$\frac{1}{2}$ वर्षों के अनुभव से, यानी जब से गणतंत्र की घोषणा हुई है, तब से मैं बिना किसी सन्देह के यह कह सकता हूं कि राष्ट्रमंडल में रहे आने से हमें फ़ायदा ही हुआ है । इस का यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रमंडल में जो होता है, मैं उस सब को अच्छा समझता हूं । स्पष्ट है कि दक्षिणी अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है मैं उस के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूं परन्तु राष्ट्रमंडल में रहने पर इस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । चूंकि मैं कुछ देशों को पसन्द नहीं करता इसलिये क्या मैं संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ दूं ? मैं तो अधिक से अधिक देशों के साथ सहयोग करना चाहता हूं । उदाहरणार्थ, भारत अरब-एशिया देशों

के साथ मिलजुल कर चलता है। हमें इस के साथ बांधने वाली कोई चीज़ नहीं। हम मिल कर काम करते हैं परन्तु हमें कोई किसी बात पर बाध्य नहीं कर सकता। इसी तरह हम राष्ट्रमंडल में हैं; हमारी अपनी स्वतंत्रता क़ायम है और हम जो चाहें कर सकते हैं। वास्तव में राष्ट्रमंडल में रहने से भारत अपनी नीति का अधिक दृढ़ता से अनुसरण कर सका है। इस में सन्देह नहीं कि विश्व के कार्यों में हम महत्वपूर्ण योग दे रहे हैं। चूंकि हम विभिन्न राष्ट्रों के साथ—चाहे वे अरब-एशिया के राष्ट्र हों या राष्ट्रमंडल के देश हों—मिल कर काम करते हैं इसलिये हम जो योग दे रहे हैं उस का महत्व और अधिक हो जाता है।

श्री मुकर्जी ने समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं से विभिन्न वक्तव्य व लेख पढ़ कर सुनाये। यह एक असाधारण बात है क्योंकि कुछ पत्रिकाओं ने, जिन्हें वह पसन्द नहीं करते, मेरी तारीफ़ की है; उन्होंने ऐसा अपने दृष्टिकोण से या मेरे या आप के दृष्टिकोण से नहीं किया है। इस से सिद्ध होता है कि उन्होंने गलती की है। उन्होंने 'इकानामिस्ट' से भी कुछ पढ़ कर सुनाया जिस में मेरे और जनरल स्मट्स के बारे में कुछ ज़िक्र था। वह सोचते होंगे कि यह सब ठीक है। परन्तु क्या हम अपने कार्यों और अपनी नीतियों की इन अखबारों और पत्रिकाओं की रायों से जांच करेंगे ?

एक बात से मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। श्री मुकर्जी ने इंग्लैंड के उपनिवेशमंत्री के एक उत्तर को पढ़ कर सुनाया जो उन्होंने हाउस आफ़ कामन्स में दिया था। अफ्रीका की घटनाओं के बारे में मैंने कुछ कहा था—शायद आगरे में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में मैं ने कुछ कहा था उस के बारे में यह प्रश्न किया गया था। मैं ने अफ्रीका के किसी विशेष प्रश्न का ज़िक्र नहीं किया था परन्तु वहां जो कुछ हो रहा है उस के बारे में मैं ने कुछ ज़ोरदार शब्दों में अपने विचार प्रगट किये थे।

उपनिवेश मंत्री से पूछा गया था कि इंग्लैंड की सरकार ने भारत सरकार से वहां के प्रमुख मंत्रियों द्वारा हाल ही में दिये गये उन सरकारी वक्तव्यों के बारे में क्या कहा है जिन से पूर्वी अफ्रीका में जो वर्तमान अशांति और जातीय खिंचाव है वह और बढ़ गया है।

श्री लिटिलटन ने उत्तर दिया : मैं समझता हूं कि माननीय मित्र श्री नेहरू के हाल ही के भाषणों को निर्दिष्ट कर रहे हैं जिन में उन्होंने अफ्रीका की स्थिति का ज़िक्र किया था। श्री नेहरू को यह बतला दिया गया है कि उन्हों ने अफ्रीका के उपनिवेशों के बारे में, जिन के लिये ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी है, जो बातें कही हैं यह सरकार उन्हें गलत समझती है और उन्हें अस्वीकार करती है और उन बातों के लोकमत पर हो सकने वाले प्रभावों की भी वह निन्दा करती है।

मैं इस सम्बन्ध में यहां कुछ कहना चाहता हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि उपनिवेश मंत्री महोदय का इन शब्दों से क्या मतलब है कि वह मेरी बातों को गलत समझते हैं और उन्हें अस्वीकार करते। ये बातें मैं ने कहीं थीं, उन्होंने नहीं। मैं ने उन शब्दों में अपनी राय प्रगट की थी। वह यह कह सकते हैं मैं उन से सहमत नहीं। यदि मैं कोई बात कहता हूं तो उन को यह कहने का पूरा अधिकार है कि मेरे अनुसार उन की बात टीक नहीं है। परन्तु उन का यह कहना मेरी समझ में नहीं आता कि वह मेरी बातें स्वीकार नहीं करते।

मैं प्रोफ़ेसर मुकर्जी से इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि वह इस प्रश्न और उत्तर से ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में हमारी स्थिति को

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

और अच्छी तरह समझ सकते हैं। उन्हें इस से पता चल सकता है कि हम किस तरह निडर हो कर और अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं।

तीसरे, जिस तरह श्री लिटिलटन ने कहा कि "श्री नेहरू को बतला दिया गया है कि ब्रिटिश सरकार इन बातों को गलत समझती है और उन्हें अस्वीकार करती है," उसी तरह मैं भी यह कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश सरकार को यह बात बतला दी गई है कि हम इस मामले में क्या सोचते हैं और हमारे क्या विचार हैं। बस इतनी ही बात है।

हमें इन घटनाओं से बड़ी चिन्ता है और बावजूद इस के कि हम दूसरे देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते, और अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार व प्रथाओं को बनाये रखना चाहते हैं, हम इस विषय में चिन्तित हुए बिना नहीं रह सकते। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, जिन्हें दबाया नहीं जा सकता, और इन मामलों में हम ने अपने विचार, बिना किसी को अप्रसन्न किये, खुले और स्पष्ट रूप से व्यक्त किये हैं। मुझे इस में सन्देह नहीं कि इन विचारों को व्यक्त करते समय हम केवल भारत के लोगों का ही नहीं, वरन् एशिया के अधिकांश लोगों का और मैं समझता हूं, इंग्लैंड के भी काफ़ी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

राष्ट्रमंडल के प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को एक बात पर विचार करना चाहिए। क्या राष्ट्रमंडल के साथ सम्बन्धित होने के कारण हम ऐसा काम नहीं कर सकते, जो हम करना चाहते हैं या जो हमें करना चाहिए? क्या यह हमें वह काम करने पर, जो हम नहीं करना चाहते, बाधित करता है? मैं पूछता हूं कि अन्य छोटी छोटी बातों पर ध्यान न देते हुए, क्या इस ने विश्व शान्ति के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता दी है या नहीं? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस ने सहायता दी है। यह और बात है कि इस ने किस हद तक सहायता दी है। यदि हम कभी कभी अन्य लोगों से प्रभावित हुए हैं, तो हम ने भी उन पर प्रभाव डाला है। आप कई तरीकों से देख सकते हैं कि भारत की राय को कितना महत्व दिया जाता है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मि० नट्टिंग, उपमंत्री के वक्तव्य के अनुसार, आप ने गोरखों की भर्ती के मामले में बहुत सहायता दी थी।

श्री जवाहरलाल नहरू : हम ने किस चीज़ में सहायता दी थी। हम ने ब्रिटिश सरकार से कहा था कि हम भारतीय भूमि पर गोरखों की भर्ती को जारी रखने की आज्ञा नहीं दे सकते। स्वाभाविक है कि यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। इससे उन की कुछ योजनायें अव्यवस्थित हो गई थीं। फिर उस ने हमारी बात मान ली किन्तु यह कहा कि वे नेपाल सरकार से प्रार्थना करेंगे। हम ने कहा कि आप अवश्य ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यह मामला ब्रिटिश और नेपाल सरकारों के बीच होगा और हमारा इस से कोई सम्बन्ध नहीं। फिर उस ने पूछा कि क्या उस समझौते पर भी जिसके अनुसार असैनिक पोशाक में लोग गुज़र सकते हैं, प्रभाव पड़ेगा या नहीं। हमने इस मामले की जांच की और इस निष्कर्श पर पहुंचे कि हमारे लिए इस समझौते को तोड़ना उचित नहीं होगा और साधारणतया सब लोगों को जो असैनिक पोशाक में हों, गुज़रने देना चाहिए। हम ने केवल इतनी सहायता की है। अब मैं नहीं कह सकता कि श्री मुकर्जी ने मि० नट्टिंग के वक्तव्य का क्या अर्थ निकाला है।

डा० लंका सुन्दरम् ने यह प्रश्न पूछा है कि काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों के कर्तव्य क्या हैं? मैं ठीक ठीक तो नहीं समझता हूं किन्तु मेरे विचार में यह कहना ठीक होगा कि उन का कर्तव्य युद्धविराम रेखा की देखभाल करना है। अब यह प्रश्न उठता है कि उन का मुख्य कार्यालय श्रीनगर में क्यों है? इस का उत्तर स्पष्ट है। युद्ध विराम सीमा की अपेक्षा श्रीनगर रहने के लिए अधिक रुचिकर स्थान है। क्या वे उचित व्यवहार करते हैं या अनुचित, यह और मामला है। किन्तु आप यह आशा तो नहीं कर सकते कि वे उजाड़ स्थान पर एक काल्पनिक सीमा पर रहें या वहां एक कार्यालय स्थापित करें। परन्तु यह सच है कि उन सब पर कोई सामान्य आरोप न लगाते हुए हमें किन्हीं मामलों में आपत्तिजनक कार्य करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी है। मैं हाल की बात नहीं कह रहा, दो तीन साल पहले की बात कह रहा हूं। हम ने कुछ पर्यवेक्षकों को अग्राह्य व्यक्ति घोषित किया है और उन्हें वापस बुला लिया गया है। यह सब कुछ कभी एक कभी दो व्यक्तियों के मामले में हुआ है। किन्तु इस आधार पर यह कहना उचित नहीं होगा कि सभी पर्यवेक्षक ऐसे ही हैं। मैं जानता हूं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों के अतिरिक्त ऐसे लोग हैं, जिन की सरगरमियां बहुत संदिग्ध हैं। यदि उन के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती हो, जैसा कि कभी कभी होता है, तो हम अवश्य कार्रवाई करते हैं। किन्तु ये सब बातें सारे विश्व में प्रसारित नहीं की जातीं। यदि कोई काश्मीर सरकार को जानकारी प्राप्त होती है, तो वह कार्रवाई करती है, यदि हमें प्राप्त होती है, तो हम करते हैं। परन्तु मेरे विचार में किसी प्रकार का आतंक फैलने देना वांछनीय नहीं है। इस से हम स्थिति को ठीक समझ सकेंगे। हम यह समझने लगेंगे कि कुछ रहस्यमय व्यक्ति ये सब कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं।

डा० लंका सुन्दरम् ने फिर यह प्रश्न पूछा था कि युद्ध-विराम सीमा गुलमर्ग से कितनी दूर है। मैं इस प्रश्न का अभिप्राय नहीं समझ सका। संभवत: इस का सम्बन्ध इस बात से है कि शेख अब्दुल्ला गुलमर्ग चले गये थे। मैं ठीक ठीक नहीं जानता कि फासला कितना है। यह गुलमर्ग से बहुत दूर नहीं दो तीन मील हो सकता है।

कुछ माननीय सदस्य: पांच या छ: मील।

श्री जवाहरलाल नेहरू : हो सकता है कि इतना है। परन्तु मुझे विश्वास है कि शेख अब्दुल्ला युद्ध विराम सीमा को पार करने की नीयत से गुलमर्ग नहीं गये थे। वह तो रविवार की छट्टी के लिए वहां गये थे, जैसा कि वे प्राय: जाया करते थे।

डा० लंका सुन्दरम् : मैं ने यह पूछा था कि क्या यह सत्य है कि वहां कुछ विदेशी व्यक्ति थे और ८ की रात को शेख अब्दुल्ला उन से मिले थे।

श्री जवाहरलाल नेहरू: यह मुझे ज्ञात नहीं है। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। प्रो० मुकर्जी ने इस बात का बहुत रोना रोया है कि कोरिया से वापस आने वाले हमारे रेडक्रास यूनिट को पेनांग, मलाया में उतरने नहीं दिया गया था। मैं प्रो० मुकर्जी का बहुत आदर करता हूं, किन्तु कई बार वे अपने तथ्यों की पुष्टि नहीं कर सकते।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं ने समाचार-पत्रों में प्रकाशित मेजर एस० के० मुकर्जी के वक्तव्य को उद्धृत किया था।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं जानता हूं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : भविष्य में मैं सब जानकारी प्रधान मंत्री से लिया करूंगा।

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह बिल्कुल सच है कि उन्हें वहां उतरने नहीं दिया

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

गया था। किसी को किसी अन्य जहाज़ से भी नहीं उतरने दिया गया था, क्योंकि उस समय पेनांग में पत्तन-निरोध था। इस का और कोई कारण नहीं था। यदि वे पर्याप्त समय के लिए रुक जाते, तो उन्हें उतरने दिया जाता किन्तु वे वहां अधिक देर ठहर नहीं सकते थे। इस में विभेद का बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं था और न ही इस का सम्बन्ध इस बात से था कि वे कहां से आ रहे थे और वे भारतीय थे या कोई अन्य। मैं यह तर्क नहीं समझ सकता कि चूंकि भारतीय और अन्य लोग मलाया में बहादुरी की लड़ाई लड़ रहे थे, इस लिए उन लोगों के वहां उतरने का बहुत प्रभाव पड़ता। इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है कि यह केवल पत्तन निरोध का मामला था और इसी कारण उन्हें वहां उतरने नहीं दिया गया था।

डा० सैय्यद महमूद ने एक सुझाव दिया है कि मुझे ऐशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिए। ऐसा सुझाव कई बार दिया जाता परन्तु यह स्पष्ट नहीं कि इस का अभिप्राय क्या है या तो मैं भारत का प्रधान मंत्री होने के नाते सरकारी तौर पर अन्य सरकारों को निमन्त्रण दे सकता हूं या गैर-सरकारी तौर पर अन्य देशों के नेताओं को निमन्त्रण दे सकता हूं। प्रधान मंत्री या मंत्री होते हुए गैर-सरकारी तौर पर काम करना कठिन है।

१९४७ में हम ने दिल्ली में एक एशियाई सम्मेलन बुलाया था और जिस समय हम ने यह बुलाई थी, उस समय हम सरकार के मंत्री नहीं थे। जब यह सम्मेलन हुआ, हम सरकारी मंत्री बन चुके थे। हम ने गैर-सरकारी संस्थाओं और सरकारों को केवल गैर-राजनीतिक सांस्कृतिक आधार पर आमंत्रित किया था, क्योंकि यदि ऐसा न करते, तो बहुत से लोग न आना चाहते। यह सम्मेलन सफल रहा था। जनवरी १९४९ में इन्डोनीशियन सम्मेलन भी मैं ने एक विशिष्ट आधार पर बुलाया था, क्योंकि उस समय नीदरलैंड सरकार द्वारा इन्डोनीशिया में दूसरा आन्दोलन शुरू किये जाने पर एक विशेष स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। इस में एशिया के कुछ देशों ने भाग नहीं लिया था। क्यों? उन में सहानुभूति तो थी, किन्तु वे राजनैतिक समस्याओं में उलझना नहीं चाहते थे। लोग यह नहीं समझते कि इस प्रकार का सम्मेलन बुलाने से प्रत्येक आमंत्रित देश को परेशानी होगी। कुछ तो इस परेशानी से नहीं घबरायेंगे और अवश्य भाग लेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं आयेंगे। इस का कारण? इस प्रकार के सम्मेलन में विश्व स्थिति पर विचार किया जाना अनिवार्य है। इस में विभिन्न देशों को चुनौतियां भी दी जा सकती हैं कि अमुक कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिये और अमुक बिल्कुल नहीं की जानी चाहिये। किन्तु ऐसा करना कोई सरल काम नहीं है। साधारणतया देशों की दौतिक प्रणाली के अनुसार चलना पड़ता है और अन्य देशों के साथ व्यवहार करने के लिए विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रियाओं का अनुसरण करना पड़ता है। साधारणतया यह कभी नहीं होता कि एक देश किसी दूसरे देश की निन्दा करने के लिए सार्वजनिक सम्मेलन बुलाय। सरकारें इस प्रकार के सम्मेलन नहीं बुलाया करतीं। हो सकता है कि कुछ कमज़ोर सरकारें, जिन की राय का कोई महत्व नहीं, ऐसा करें। किन्तु कोई देश जो अपनी राय की कद्र करता है और इसे महत्वपूर्ण समझता है ऐसा नहीं करेगा। वह जब भी अपनी राय व्यक्त करेगा, अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखेगा।

डा० लंका सुन्दरम् ने काश्मीर के मामले में मुझ से पूछा है कि क्या किसी ने संविधान के आपत्तिक उपबन्धों का अनुच्छेद ३५२ का प्रयोग किया है। यह हम ने नहीं किया क्योंकि ऐसा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पिछले आठ सप्ताहों में किसी समय पर भी भारतीय सेना ने काश्मीर के मामले में भाग नहीं लिया भारतीय सेना के एक सिपाही ने भी भाग नहीं लिया। यह सत्य है कि हमारी केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के कुछ सदस्य वहां हैं वे इस लिये भेजे गये हैं क्योंकि जम्मू और काश्मीर राज्य की अपनी पुलिस की संख्या बहुत कम है। सेना के सम्बन्ध में गलतफहमी इस कारण पैदा हुई है कि कुछ वर्ष पूर्व हमने कुछ फालतू वर्दियां काश्मीर को बेची थीं; जो उस ने अपनी मिलीशिया को दे दी थीं। सम्भव है कि उन लोगों ने जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं गलती से यह समझा हो, कि उन्ह पहनने वाले भारतीय सिपाही हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि बड़े बड़े शक्तिशाली राष्ट्र भी हर प्रकार के भय से आक्रमण के भय से, गुप्त प्रवेश के भय से, घिर जाने के भय से, अणु तथा हाईड्रोज़न बमों के भय से, ग्रस्त हैं। जब तक यह भय दूर नहीं होगा, हम चाहे कोई भी योजना बनायें, वह कार्यान्वित नहीं हो सकेगी। किन्तु मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चाहे सैनिक शक्ति और वित्त के दृष्टिकोण से हम एक कमजोर राष्ट्र हैं, हम किसी अन्य देश से डरते नहीं हैं।

उत्तर पूर्व में चीन के बारे में स्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ है। पाकिस्तान के साथ भी कई बार हमारा झगड़ा हो जाता है। लोग समझते हैं कि इन घटनाओं के कारण हम बहुत भयभीत होंगे, किन्तु यह सत्य नहीं है। हमें किसी का डर नहीं है। इसका एक कारण यह है कि हमारी किसी अन्य देश पर आंख नहीं है। इसके साथ ही हम अपने देश को हर प्रकार के आक्रमण आदि से बचायेंगे। इसके अतिरिक्त अन्यन्त्र चाहे कुछ भी हो, हमें मानवता के नाते ही वस्तुतः इस में रुचि है। जब हम ने बिना शस्त्रों से अपना स्वतन्त्रता संग्राम लड़ा था, तो हमने अपने नेता से निर्भयता का पाठ पढ़ा था और इसी लिये हम निर्भयता पूर्वक यथा शक्ति इस काम को करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

प्रस्ताव के अन्त में निम्न जोड़ दिया जाये :

"and having considered the same, the House approves, of the policy"

[और इस पर विचार करने के उपरान्त सदन इस नीति का अनमोदन करता है।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

"वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और तत्सम्बन्धी भारत सरकार की नीति पर विचार किया जाये और इस पर विचार करने के उपरान्त सदन इस नीति का अनुमोदन करता है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इसके पश्चात् सदन की बैठक शुक्रवार, १८ सितम्बर १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।